अष्टम माला, खंड

गुरुवार, 25 अप्रैल, 198
5 वैशाख

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रमाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रमाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 25 अप्रैल, 1985/5 वैशाख, 1907 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

मुखपृष्ठ के पीछे पाद टिप्पण की पंक्ति 2 तथा 3 में "प्रमाणिक" **के स्थान पर** "प्रामाणिक" **पढ़िये**।

विषय-सूची, पृष्ठ (ii), पंक्ति 9, "इन्दरा" **के स्थान पर** "इन्दिरा" **पढ़िये**।

विषय-सूची, पृष्ठ (ii), पंक्ति 20, "श्री जैनुल बशार" **के स्थान पर** "श्री जैनुल बशर" **पढ़िये**।

पृष्ठ 8, पंक्ति 13, "श्री माधय राव" **के स्थान पर** "श्री माधव राव" **पढ़िये**।

पृष्ठ 12, पंक्ति 5, "उपाध्यक्ष महोदय" **के स्थान पर** "उपाध्यक्ष महोदय" **पढ़िये**।

पृष्ठ 17, पंक्ति नीचे से 6, "श्री विजय एल० पाटिल" **के स्थान पर** "श्री विजय एन० पाटिल" **पढ़िये**।

पृष्ठ 24, प्रथम, पंक्ति; पृष्ठ 46, पंक्ति नीचे से तीन; पृष्ठ 72, पंक्ति 8 और पृष्ठ 97, पंक्ति नीचे से 2; "श्री कृष्णा चन्द्र पंत" **के स्थान पर** "श्री कृष्ण चन्द्र पंत" **पढ़िये**।

पृष्ठ 27, पंक्ति 3, "श्री एस० एम० भट्टन" **के स्थान पर** "श्री एस० एम० भट्टम" **पढ़िये**।

पृष्ठ 30, पंक्ति 20, "[अनुदान]" **के स्थान पर** "[अनुवाद]" **पढ़िये**।

पृष्ठ 34, पंक्ति नीचे से 5, "श्री एस० जी० चोलाप" **के स्थान पर** "श्री एस० जी० घोलप" **पढ़िये**।

पृष्ठ 36, पंक्ति 15, "श्री एम० महू-लिंगम्" **के स्थान पर** "श्री एम० महालिंगम्" **पढ़िए** तथा पंक्ति 25 में अतारांकित प्रश्न संख्या "4289" **के स्थान पर** "4284" **पढ़िये**।

पृष्ठ 38, पंक्ति नीचे से 10, "कर्नानच" **के स्थान पर** "कर्नाटक" **पढ़िये**।

पृष्ठ 42, पंक्ति 18, "निजम" **के स्थान पर** "निजाम" **पढ़िये**।

पृष्ठ 43, पंक्ति 5, "कम्पनियों **के पश्चात** "के" **का लोप करिये**।

पृष्ठ 45, अंतिम पंक्ति, "(क)" **के स्थान पर** "(ख)" **पढ़िये**।

पृष्ठ 49, पंक्ति 6, "(श्री जियाउई-रहमान अन्सारी) **के स्थान पर** "(श्री जियाउर्रहमान अंसारी)" **पढ़िये**।

पृष्ठ 52, पंक्ति 6, "जी वहीं।" **के स्थान पर** "जी, नहीं।" पढ़िये तथा पंक्ति 10 में श्री अजय मुधरान" **के स्थान पर** "श्री अजय मुशरान" **पढ़िये**।

पृष्ठ 54, पंक्ति 6, अं० प्र० संख्या "409" **के स्थान पर** "4.09" पढ़िये तथा "चांवे "**स्थान पर** "चौबे" **पढ़िये**।

पृष्ठ 55, पंक्ति 11, अ० प्र० संख्या "433" **के स्थान पर** "4311" तथा **पढ़िए** "डा० ए० के० एटल" **के स्थान पर** "डा० ए० के० पटेल" **पढ़िये**।

पृष्ठ 55, अंतिम पंक्ति, अ० प्र० संख्या "4323" **के स्थान पर** "4312" **पढ़िये**।

पृष्ठ 57, पंक्ति नीचे से 3, "लोगों को" **के स्थान पर** "लोगों का" **पढ़िये** ।"

पृष्ठ 58, पंक्ति नीचे से 6, "राज्य" **के पश्चात** "मंत्री" **अंत:स्थापित करिये** ।

पृष्ठ 80, पंक्ति 12, "पुरकार" **के स्थान पर** "पुरस्कार" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 87, पंक्ति 7, "अलीपुर द्वारा" **के स्थान पर** "अलीपुरद्वार" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 90, पंक्ति 11, "लायन" **के स्थान पर** "लाइन" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 94, पंक्ति 13, "सिन्धिता" **के स्थान पर** "सिन्धिया" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 96, पंक्ति 5, "श्री ए० एन्टनी" **के स्थान पर** "श्री पी० ए० एन्टनी" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 100, पंक्ति 12, "त्रिचू" **के स्थान पर** "त्रिचूर" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 100, पंक्ति 13, "श्री पी० एन्टनी" **के स्थान पर** "श्री पी० ए० एन्टनी" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 105, पंक्ति 9, "नई दिल्लों" **के स्थान पर** "नई दिल्ली" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 120, पंक्ति 28, "(या" **के स्थान पर** "क्या" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 131, पंक्ति 18 में "कंगसाबती" तथा पंक्ति 23 में कंन्साबती" **के स्थान पर** "कंसाबती" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 141, पंक्ति नीचे से 4, तथा पृष्ठ 142, पंक्ति 8, "श्री बी० एम० कृष्ण अय्यर" **के स्थान पर** "श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 145, पंक्ति 8, अ० प्र० संख्या "444" **के स्थान पर** "4444" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 151, पंक्ति नीचे से 6, "श्री कृष्ण चन्द्र पन्थ" **के स्थान पर** "श्री कृष्ण चन्द्र पन्त" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 159, पंक्ति 11, "122·00 मध्याह्न" **के स्थान पर** "12·00 मध्याह्न" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 161, पंक्ति नीचे से 4, "एल० टी० 77/85" **के स्थान पर** "एल० टी० 771/85" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 162, पंक्ति 4, संख्या "एल० टी० 7728" **के स्थान पर** "एल० टी० 772/85" तथा पंक्ति 10, "एल० टी० 713/85" **के स्थान पर** "एल० टी० 773/85" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 163, पंक्ति 12, "श्री ए० जयपाल रेड्डी" **के स्थान पर** "श्री एस० जयपाल रेड्डी" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 165, पंक्ति 18 व 25 तथा पृष्ठ 166, "प्रथम पंक्ति, "अध्यक्ष महोदय" **के स्थान पर** "उपाध्यक्ष महोदय" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 166, पंक्ति नीचे से 5, "मोहसिना किदवई" से पूर्व "श्रीमती" **अंत:स्थापित करिये** ।

पृष्ठ 167, पंक्ति 15 के पश्चात "11 डा० वी० राजेश्वरन" **अंत:स्थापित करिये** ।

पृष्ठ 168, पंक्ति 6, "श्री सेत हेमब्रत" **के स्थान पर** "श्री सेत हेमब्रम" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 168, पंक्ति 20, "डा० गुलाम बाजदानी" **के स्थान पर** "डा० गुलाम याजदानी" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 168, पंक्ति नीचे से 6, "भारत्त सरकार के कथति" **के स्थान पर** "भारत सरकार के कथित" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 169, पंक्ति 7, "श्री कमल किशोर शर्मा" **के स्थान पर** "श्री नवल किशोर शर्मा" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 171, पंक्ति नीचे से 7, "श्री एस० जयपाल" **के स्थान पर** "श्री एस० जयपाल रेड्डी" **पढ़िये** ।

पृष्ठ 172, पंक्ति 4, "[अनुवाद]" का लोप करिये।

पृष्ठ 173, पंक्ति 1,4 तथा 11, "श्री" के स्थान पर "प्रो०" पढ़िये।

पृष्ठ 175, पंक्ति 5, "प्रो० मधु दण्डवते" के स्थान पर "प्रो० के० के० तिवारी" पढ़िये।

पृष्ठ 176, पंक्ति नीचे से 5, "उपध्यक्ष महोदय" के स्थान पर "उपाध्यक्ष महोदय" पढ़िये।

पृष्ठ 177, पंक्ति 24, "(व्यवधन)" के स्थान पर "(व्यवधान)" पढ़िये।

पृष्ठ 186, पंक्ति अंतिम, "श्री के० पी० उन्नीतकृष्णन्" के स्थान पर "श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्" पढ़िये।

पृष्ठ 187, पंक्ति 22 तथा पृष्ठ 189, पंक्ति 9, "श्री के० के० उन्नीकृष्णन्" के स्थान पर "श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्" पढ़िये।

पृष्ठ 188, पंक्ति नीचे से 2, "प्रो० एन० रंगा" के स्थान पर "प्रो एन० जी रंगा" पढ़िये।

पृष्ठ 191, पंक्ति 2, "श्री निबल किशोर शर्मा" के स्थान पर "श्री नवल किशोर शर्मा" पढ़िये।

पृष्ठ 214, पंक्ति 17, "3.01 म० प्र०" के स्थान पर 3.01 म० प० पढ़िये।

पृष्ठ 216, पंक्ति 22, "श्री जैनुल बसर" के स्थान पर "श्री जैनुल बशर" पढ़िये।

पृष्ठ 220, पंक्ति नीचे से 3, "श्री पी० नरसिंह राव" के स्थान पर "श्री पी० वी० नरसिंह राव" पढ़िये।

पृष्ठ 226, पंक्ति 18, "[अनुदान]" के स्थान पर "[अनुवाद]" पढ़िये।

पृष्ठ 252 पंक्ति 25, "हाबर्ट" के स्थान पर "हार्बर" पढ़िये।

पृष्ठ 256, पंक्ति 10, "श्री अम्ल रत" के स्थान पर "श्री अमल दत" पढ़िये।

पृष्ठ 258, पंक्ति 15 तथा 19, "श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्" के स्थान पर "श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्" पढ़िये।

पृष्ठ 259, पंक्ति 24, "श्री के० वी० उन्नीकृष्णन् के स्थान पर" श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्" पढ़िये।

विषय-सूची

अंक 31, गुरूवार, 25 अप्रैल, 1985/5 वैशाख, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1-23
तारांकित प्रश्न संख्या : 590 से 593 और 596 से 600	1-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—159
तारांकित प्रश्न संख्या : 588, 589, 594, 595, और, 601, से 607	24-35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4283 से 4459	
श्रीलंका की स्थिति के बारे में वक्तव्य	160
श्री राजीव गांधी	160
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	161-165
मानसिक स्वास्थ्य विधेयक	166-167
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	168-192
हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन परियोजना के लिए "टर्नकी" आधार पर नये विश्व-व्यापी टेंडर मांगने के भारत सरकार के कथित निर्णय से उत्पन्न स्थिति	168
श्री एस० जयपाल रेड्डी	168
श्री नवल किशोर शर्मा	169
श्री अजित कुमार साहा	179
श्रीमती गीता मुखर्जी	169
नियम 377 के अधीन मामले	193
(एक) हरिद्वार तथा ऋषिकेश के समीप धार्मिक तथा पर्यटन महत्व के स्थानों के समुचित रख-रखाव के लिए एक केन्द्रीय बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता	193
श्री जयप्रकाश अग्रवाल	193
(दो) मध्य प्रदेश में सूखा	194
कुमारी पुष्पा देवी	194

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 को चौड़ा करना	194
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	194
(चार) समद्री उत्पादों को तमिलनाडु सरकार द्वारा लगाये गये करों से छूट दिलाने की आवश्यकता	195
श्री मती वैजयन्तीमाला बाली	195
(पांच) केन्द्रीय सरकार तथा विश्व बैंक की सहायता से कृष्णा सिंचाई डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण	195
श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव	195
(छः) इन्दरा नहर क्षेत्र के अन्तर्गत गंगानगर जिले में भूमिहीन किसानों को भूमि आबंटित करना	196
श्री बीरबल	196
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86	196-267
रक्षा मन्त्रायल [जारी-समाप्त]	196
श्री ब्रह्मदत्त	197
प्रो० निर्मला कुमार शक्तावत	200
श्री एन० तोम्बीसिंह	204
श्री ए० सी० शनमुगम	208
श्री जी० जी० स्वैल	211
श्री लाल विजय प्रताप सिंह	214
श्री जैनुल बशार	216
श्री एच० एम पटेल	219
श्री अजीज कुरेशी	223
श्री उमा कान्त मिश्र	227
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	230
श्रीमती गीता मुखर्जी	235
कुमारी ममता बनर्जी	236
प्रो० नारायण चन्द्र पराशर	238
श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी	241
श्री के० पी० उन्नी कृष्णन्	244
श्री पी० वी० नरसिंह राव	249

लोक सभा

गुरूवार, 25 अप्रैल, 1985/5 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा 11.04 म० पू० समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एन० डेनिस- अनुपस्थित

श्री लक्ष्मण मलिक—अनुपस्थित।

प्रश्न सं० 589— श्री अनादि चरण दास-अनुपस्थित। आरम्भ में ही दो प्रश्न छोड़े जा रहे हैं।

प्रश्न सं० 590—प्रो० नारायण चन्द्र पराशर।

मेरा विचार है कि आप वहीं से उत्तर चाह रहे हैं।

संस्कृत पाली और प्राकृत के विद्वानों को पुरस्कार

*590. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों के दौरान संस्कृत, पाली और प्राकृत के विद्वानों को, इन भाषाओं अथवा इनके साहित्य के संवर्द्धन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कोई पुरस्कार दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो विद्वानों के नाम तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समय पुरस्कार की राशि कितनी है और क्या पुरस्कार की राशि में काफी वृद्धि करने का विचार है और कितनी वृद्धि करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) मंत्रालय की योजना के अंतर्गत संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी और फारसी अध्येता इन भाषाओं में दिए गए अपने-अपने योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा मानादि प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के पात्र हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान 30 संस्कृत अध्येताओं को जिनमें से चार ने पाली और प्राकृत भाषाओं के लिए कार्य किया था पुरस्कार दिए गए थे। इन पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं की सूची सभा पटल पर रख दी गई है।

(ग) इस पुरस्कार में अध्येता के लिए आजीवन 5,000 रुपए वार्षिक अनुदान दिया जाता है। इस समय इस पुरस्कार की राशि में वृद्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान मानादि प्रमाणपत्र प्रदत्त संस्कृत पाली और प्रकृत अध्येताओं की सूची :

1	2
1982	
1. श्री अरिबम् शिवदत्त शर्मा	(संस्कृत)
2. श्री भालचन्द्र शास्त्री वामन करंवेलक	(संस्कृत)
3. श्री भवदेव भागवती	(संस्कृत)
4. डा० धर्मेन्द्र नाथ शास्त्री	(संस्कृत, पाली और प्राकृत)
5. श्री जगदीश शर्मा	(संस्कृत)
6. श्री महाशंकर खेला भाई शुक्ल अग्निहोत्री	(संस्कृत)
7. श्री माया प्रसाद त्रिपाठी	(संस्कृत पाली और प्राकृत)
8. श्री मुथुकृष्ण शास्त्री	(संस्कृत)
9. श्री नावलपाक्कम अय्या देवनाथाचार्य	(संस्कृत)
10. श्री ओट्टूर उणि नम्बूदिरिपाद	(संस्कृत)
1983	
1. श्री बद्रीनाथ शुक्ल	(संस्कृत)
2. डा० बेल्लिकोट रामचन्द्र शर्मा	(संस्कृत)
3. प्रोफेसर बटुक नाथ शास्त्री रिवस्ते	(संस्कृत)
4. श्री दयाशंकर वाजपेयी	(संस्कृत)
5. कु० एस्थेर एब्राहम सोलोमन	(संस्कृत)
6. श्री गोडा सुब्रमण्य शास्त्री	(संस्कृत)
7. डा० मन्डन मिश्र	(संस्कृत)
8. श्री रामचन्द्र शास्त्री होस्माने	(संस्कृत)
9. श्री एन० रामकृष्ण शास्त्री	(संस्कृत)
10. पंडित उपेन्द्र झा	(संस्कृत)

1	2
1984	
1. पंडित आनन्द झा	(संस्कृत)
2. प्रोफेसर नटेश ऐयास्वामी शास्त्री	(संस्कृत और पाली)
3. प्रोफेसर दलसुख डाह्याभाई मालवणिया	(संस्कृत पाली और प्राकृत)
4. पंडित जग्गू अल्वार अय्यंगार	(संस्कृत)
5. पंडित केदारनाथ ओझा	(संस्कृत)
6. पंडित कुलमणि मिश्र	(संस्कृत)
7. आचार्य नवल किशोर काडकर	(संस्कृत)
8. डा० रामप्रसाद त्रिपाठी	(संस्कृत)
9. डा० रसिक बिहारी जोशी	(संस्कृत)
10. डा० शशि धर शर्मा	(संस्कृत)

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने पुरुस्कारों की संख्या बढ़ाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। और भी भाषायें हैं। उदाहरण के तौर पर पाली संस्कृत से मिलती-जुलती हैं और प्राकृत भी संस्कृत से मिलती-जुलती है। इसलिए, जब ये भाषायें समान हैं जो संस्कृत अध्ययन योजना के अन्तर्गत भी सम्मिलित की गई हैं—विभिन्न राज्यों में संस्कृत अध्ययन के साथ-साथ पाली का भी अध्ययन पड़ता है—तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पाली और प्राकृत के लिए भी अलग-अलग पुरुस्कार रखना सम्भव है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : वास्तव में जब पुरुस्कार योजना आरम्भ की गई थी जो वह संस्कृत और अरबी के लिए थी। बाद में फारसी को भी शामिल कर लिया गया। इसके बाद पाली और प्राकृत के बारे में विवाद उठा था और विशेष रूप से यह निर्णय लिया गया था कि संस्कृत के विद्वानों के नाम की सिफारिश करते समय पाली तथा प्राकृत के प्रमुख विद्वानों पर भी विचार किया जाय। इसीलिए, इस सूची में भी मैंने इस बात का उल्लेख कर दिया है कि पाली और प्राकृत के चार विद्वान कौन-कौन हैं। इस बात की पहले ही व्यवस्था कर दी गयी है। इसलिए, हम इस समय किसी अन्य बात पर विचार नहीं कर रहे हैं। कुछ भी हो, मेरा विचार है कि प्राकृत और पाली के विद्वान संस्कृत में भी नियुक्त होते हैं। आमतौर पर तो यही बात है।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले पुरुस्कार की राशि हाल ही में 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री महोदय इन विद्वानों के पुरुस्कार के मामले में भी पुरुस्कार की राशि बढ़ाने पर सहमत हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस सुझाव पर कार्यवाही की जाएगी ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या माननीय मंत्री सहोदय को पता है कि संस्कृत सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है । भारत के अनेक राज्यों में, जहां पहले आठवीं कक्षा तक स्कूलों में संस्कृत अनिवार्य विषय था, अब समाप्त कर दिया गया है, विशेषकर पश्चिम बंगाल में । इसके परिणामस्वरूप अनेक विद्वानों और छात्रों के मस्तिष्क में गंभीर प्रतिक्रिया हुई है । इससे सीधे देश की मूल संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा है क्योंकि कोई भी ऐसी भाषा नहीं जो संस्कृत से न निकली हो । इसलिए, यदि ऐसा है तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने से पूर्व इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : संस्कृत रूस और चीन में भी पढ़ाई जा रही है।

प्रो० मधु दंडवते : यह बूजुंआ भाषा है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । संस्कृत अधिकांश भारतीय भाषाओं का आधार है । मेरे विचार से यह लगभग सभी भाषाओं का आधार है । मैं इस बात से सहमत हूं कि संस्कृत की जानकारी रहने से अन्य भारतीय भाषाओं को समझना सुगम है किंतु सरकार को त्रिभाषायों सूत्र की कठिनाइयों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, जिसका निर्माण संसद ने किया है । इसलिए, यद्यपि माननीय मित्र ने जो मुद्दा उठाया है, उसके प्रति मेरी सहानुभूति है, तथापि मेरा विचार है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करते समय हम सबको मिलकर यह सोचना चाहिए कि इस उद्देश्य को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है ।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल बेरवा : माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान के टोंक जिले में अरबी, परशियन की रिसर्च संस्था है जिसमें परशियन और अरबी भाषा के ग्रन्थों का बहुत बड़ा जखीरा है और वहां पर निरन्तर काफी शोध कार्य हो रहा है । क्या सरकार की उसके विकास और विस्तार की कोई योजना है ? वहां पर जो विद्वान कार्य कर रहे हैं क्या उनको उपाधियां देने की भी कोई व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : इसमें सामान्य विकास की व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि अगर वहां के विद्वान ऐसे हों जिनको कि उपाधियां दी जा सकें तो इस पर विचार किया जा सकता है ।

[अनुवाद]

श्री एच० एम० पटेल : माननीय मंत्री महोदय ने श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी का उत्तर देते हुए कहा था कि हम सब मिलकर विचार करें आदि । मेरा सुझाव यह है कि इसके बारे में वह सोच-विचारकर मामले में पहल करें और यह विचार करें कि इस मामले को व्यावहा-

रिक रूप से किस प्रकार निपटाया जा सकता है। इसके बाद वह चर्चा के लिए अन्य लोगों को आमन्त्रित कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : सबसे पहले आप विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मंत्री महोदय ने उनके सुझाव को नोट कर लिया है।

पश्चिम बंगाल की रेल परियोजनाएं

*591. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की तीन बड़ी रेल परियोजनाओं को वापिस ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन्हें वापिस लेने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उन रेल परियोजनाओं के लिए योजना आयोग की पूर्वानुमति नहीं ली गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) बज बज-नामखाना नयी लाइन के निर्माण को, योजना आयोग द्वारा सर्वेक्षण-रिपोर्ट की विस्तृत जांच के बाद उनकी औपचारिक स्वीकृति की शर्त पर योजना आयोग के साथ आवश्यक परामर्श के बाद, वर्ष 1981-82 के अनुपूरक बजट में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया था। इसी प्रकार तामलुक-दीघा नयी लाइन परियोजना को वर्ष 1984-85 के बजट में शामिल किये जाने के लिए योजना आयोग की पूर्व सहमति ले ली गई थी। किंतु हावड़ा-शियाखला लाइन के निर्माण के लिए योजना आयोग की स्वीकृति नहीं ली गई थी क्योंकि उक्त कार्य को उखाड़ी गई लाइन के पुनः स्थापना कार्य के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था।

श्री पीयूष तिरकी : महोदय, मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि माननीय महोदय ने इस बात से इन्कार नहीं किया है और सरकार पश्चिम बंगाल के लिए नई लाइनों की आश्वासन दी गई। परियोजनाओं को पूरा करने में प्रारम्भिक कार्यवाही कर रही है। क्या मैं नए मंत्री महोदय से, जिनके पास नई शक्ति भी है, यह पूछ सकता हूं कि कब और किस समय तक ये परियोजना पूरी हो जायेंगी और पश्चिम बंगाल के लोगों की अभिलाषा अब तक पूरी हो जाएगी ?

श्री माधव राव सिंधिया : महोदय, इन परियोजनाओं को तथा संभव कम से कम समय में पूरा कर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री पीयूष तिरकी : अनेक संगठनों ने प्रधान मन्त्री को जो एक ज्ञापन दिया था उसमें भी यही बात कही गई थी क्योंकि बलूरघाट जिले में रेल लाइन है ही नहीं। मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि डा० बी० सी० राय से लेकर श्री ज्योति बसु तक सभी मुख्य मंत्रियों ने इस लाइन के बारे में अनुरोध किया है और श्री जगजीवनराम से लेकर प्रो० मधु दंडवते श्री गनी खां चौधरी और श्री पी० सी० सेठी जितने भी मन्त्री हुए हैं, सभी मालदा से बलूरघाट तक जोड़ने वाली एक नई रेल लाइन का आश्वासन देते रहे हैं पर वह अभी तक कागज पर ही हैं। इसलिए मंत्री महोदय, जिनके पास युवा शक्ति है, यह बताने की कृपा करेंगे कि यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी और क्या कार्य यथासंभव शीघ्र आरम्भ किया जाएगा ? यदि इस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया जाए तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी।

प्रो० मधु दंडवते : 'मन्त्री' शब्द को स्पष्ट कीजिए। मैं भूतपूर्व मन्त्री हूं।

श्री पीयूष तिरकी : सभी मन्त्रीगण।

एक माननीय सदस्य : आप मन्त्री थे। इस समय आप भूतपूर्व मन्त्री हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं यहां उपस्थित तीन माननीय भूतपूर्व रेल मन्त्रियों की परम्परा का ही निर्वाह करूंगा और मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह विशेष प्रश्न कुछ रेल परियोजनाओं में वापस लिए जाने से संबंधित है। जिस विशेष लाइन का उल्लेख किया गया है, वास्तव में उसका सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अतः वापस लिए जाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता और इसलिए यह इस प्रश्न के दायरे में सीधा नहीं आता है।

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। यह परम्परा का मामला नहीं है। यह प्रधान मन्त्री के अनुमोदन से आरम्भ हुआ था। बजट भाषण में इसका उल्लेख था और बहुत सारा कार्य पूरा हो चुका है। आज भी उसका कुछ रुपया शेष है, मार्ग रेखा निर्धारण किया जा चुका है। मैं यह नहीं समझ सका कि वापसी का प्रश्न किस प्रकार उठा। हो सकता है कि धन के अभाव में कुछ देरी हुई हो किन्तु वापसी का प्रश्न तो आ ही नहीं सकता।

श्री माधवराव सिंधिया : मुझे खेद है, मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूं। मैं भूल से दूसरी रेल लाइन के बारे में कह गया। इकलरवी-बलूरघाट लाइन के लिए 50 लाख रुपये का नियतन किया गया है। मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने जो कुछ कहा है, मैं उसकी पुष्टि करता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जहां तक परियोजना को अस्वीकृत किये जाने का प्रश्न है, हमें

यह सूचित किया गया था कि तीन परियोजनाओं के साथ कोई और परियोजना अस्वीकृत की गई थी अर्थात् बंदेल-कटवा लाइन को दोहरी लाइन में बदलना तथा लाइन का विद्युतीकरण किए जाने के बारे में माननीय भूतपूर्व रेल मन्त्री ने तथा बाद में श्रीमती गांधी ने, जब वह 1980 में चुनाव प्रचार में गई थीं, तब उन्होंने इसके बारे में आश्वासन दिया था। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह अभी भी उसे रद्द करने के बारे में सोच रहे हैं अथवा वह इसे शामिल करेंगे और इसका कार्यान्वयन शीघ्र करायेंगे ?

श्री माधव राव सिंधिया : दोहरी लाइन बिछाने की परियोजना के अन्तर्गत जो योजना परिव्यय शामिल किए गए थे वे हैं··· धनकुनी—चन्दरपुर, दम-दम—बारासार, भूरी-बोकारो (तृतीय चरण) और एकलरबी-कुमेदपुर···के बीच तीसरी लाइन बिछाना···

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं बन्देल-करवा लाइन के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री माधवराव सिंधिया : उसे शामिल नहीं किया गया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : भूतपूर्व रेल मन्त्री ने उसके बारे में वायदा किया था।

श्री माधवराव सिंधिया : दोहरी लाइन बिछाने के हमारे कार्यक्रम में वह नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्य द्वारा दिए गए इस सुझाव पर विचार करूंगा।

श्री वासुदेव आचार्य : केन्द्रीय सरकार के पास अनेक रेल परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं। उनमें से एक पुरुलिया-कोटाशिला लाइन को बदलने की परियोजना है। यह छोटी लाइन है। इसका सर्वेक्षण 1983 में किया गया था और उसे योजना आयोग को भेज दिया गया था। मेरा विचार है कि उसका प्राक्कलन लगभग 6 करोड़ रुपए था है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस वर्ष यह परियोजना चालू की जाएगी अथवा नहीं। यह परियोजना देश के पिछड़े जिले से संबद्ध है। 15 पिछड़े जिले हैं और उनमें से एक पुरुलिया है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि यह कार्य इस योजना अवधि में किया जाएगा अथवा नहीं।

श्री माधव राव सिंधिया: मुझे इसके बारे में देखना होगा। इस वर्ष हमारी वार्षिक योजना में इसे नहीं रखा गया है। तथापि जहां तक लाइनों के बदलने का सम्बन्ध है, मीटर गेज को बड़ी लाइन में अथवा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने पर लगभग 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा आता है जबकि नई बड़ी लाइन बिछाने पर, जो भू-भाग पर निर्भर करता है, लगभग 40 से 45 लाख रुपये का खर्चा आता है। कभी-कभी नई लाइन बिछाना और लाइन बदलने का काम रोकना अधिक उचित समझा जाता है। इसके अतिरिक्त इस समय हम लोग, मूल रूप से लाइनों का नवीकरण इनका विद्युतीकरण चल स्टाक का नवीकरण करने आदि जैसे मूलभूत महत्व के कार्य को अधिक महत्व दे रहे हैं। रेल लाइनों के विस्तार करने के सभी अन्य पहलू धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : योजना आयोग ने दक्षिण-पूर्व रेलवे में हावड़ा से आमटा तक रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी थी। किन्तु केवल हावड़ा से बरगाचिया तक लाइन

बिछायी जा सकी और हावड़ा से आमटा की लाइन अधूरी रह गई है। क्या माननीय मन्त्री महोदय इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि यह लाइन इसी वित्तीय वर्ष के भीतर पूरी हो जाए।

श्री माधव राव सिंधिया : इस विशेष लाइन के लिए इस वित्तीय वर्ष में हमने 10 लाख रुपए आवंटित किए हैं। जहां तक पुरुलिया लाइन का सम्बन्ध है, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने गेज बदलने के बारे में पूछा था योजना आयोग ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है।

श्रीमती फूलरेणु गुहा : दीघा तुमुलुक लाइन का उद्घाटन किया गया था और आधार-शिला भी रखी गई थी। भूमि भी अधिगृहीत की गई थी। किन्तु इस वित्तीय वर्ष में इसे शामिल नहीं किया गया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि क्या इसे सातवीं योजना में शामिल किया जाएगा ; और यदि ; नहीं तो उसके क्या कारण हैं।

श्री माधव राव सिंधिया : दीघा-तुमुलुक लाइन की मंजूरी योजना आयोग ने अभी तक नहीं दी है। इसके बारे में हम उन्हें लिखेंगे।

अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहुत सारी बातें कर चुके हैं, इतना ही पर्याप्त है।

श्री ए०बी०ए० गनी खां चौधरी : तमलुक लाइन का उल्लेख बजट भाषण में था।, इसका मतलब है कि इस योजना को मंजूरी ले ली गई थी। स्वर्गीय प्रधानमन्त्री ने अपना आशीर्वाद भी दिया था। कुछ भूमि भी अर्जित की गई थी। कुछ प्रगति भी हुई थी। किन्तु हर लाइन का ब्यौरा बाद में रेल विभाग और योजना आयोग के बीच निकाला जाता है। इसका यह अर्थ नहीं होता कि योजना आयोग ने उसे रद्द कर दिया है। यदि योजना आयोग ने उसे रद्द कर दिया होता तो मन्त्री के बजट भाषण में उसका उल्लेख न हुआ होता। मन्त्री के बजट भाषण पर मतदान होता है मैं यह नहीं समझ सका कि आज यह बात किस प्रकार कही जा सकती है कि योजना आयोग ने उसे नामंजूर कर दिया है। आज 'न' रहने का अधिकार योजना आयोग को नहीं है क्योंकि...

(व्यवधान)

इसे स्वर्गीय प्रधानमन्त्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और उनके आशीर्वाद के बाद ही तत्कालीन रेल मन्त्री अर्थात् स्वयं मैंने बजट भाषण पढ़ा था।

प्रो० मधु दण्डवते : न केवल स्वर्गीय प्रधानमन्त्री ने अपितु भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने भी मंजूरी ले ली थी और इसीलिए मैंने इसका उल्लेख बजट भाषण में भी किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी ने इसका उल्लेख किया है। यही सब कुछ है। आपने उल्लेख किया था, उन्होंने भी किया था।

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : मैं रेल मन्त्री से इस मामले पर गौर करने के लिए अनुरोध करूंगा। मुझे प्रधानमन्त्री जी को यहां देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि स्वर्गीय प्रधानमन्त्री के नाम पर हमने यहां के लोगों से कहा है कि इसकी स्वीकृति मिल चुकी है और मेरे बजट भाषण को उस क्षेत्र में वितरित किया जा चुका है। आज यह कहना गलत होगा कि योजना आयोग ने इसे अस्वीकृत कर दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह एक अनुपूरक प्रश्न है या आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। सिर्फ यह कहना कि योजना आयोग ने...

उपाध्यक्ष महोदय : आप मन्त्री महोदय से जवाब लेने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री माधव राव सिन्धिया : मैं अपने माननीय वरिष्ठ साथी का आभारी हूं। पूर्ण विनम्रता से मैं यह बताना चाहूंगा कि यह कहने में कि योजना आयोग ने इसे अभी तक मंजूरी नहीं दी है तथा यह कहने में कि योजना आयोग ने इस परियोजना को अस्वीकृत कर दिया है अन्तर है ! इसमें फर्क है। यह काम 1984-85 के बजट में योजना आयोग के सलाह मशवरे के साथ रखा गया था परन्तु यह उनकी विस्तृत जांच पर निर्भर था और वह स्थिति अभी तक बनी हुई है।

केरल में सवारी डिब्बा बनाने का कारखाना

*592.**श्री सुरेश कुरुप** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार को ऐसा कोई आश्वासन दिया गया था कि सवारी डिब्बे बनाने का प्रस्तावित कारखाना केरल के पालघाट जिले में चालू किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उक्त आश्वासन कब तक पूरा किया जायेगा।

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सुरेश कुरुप : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि देश में इस समय कितने सवारी डिब्बों की आवश्यकता है तथा हमारे वर्तमान सवारी डिब्बों के कारखानों की क्षमता कितनी है तथा कितने डिब्बों का वे निर्माण करते हैं एवम् देश के वर्तमान सवारी डिब्बों के कारखानों की वार्षिक क्षमता कितनी होगी तथा कितने डिब्बे निर्मित किए जाते हैं और पंजाब के प्रस्तावित सवारी डिब्बे कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न विषय से सम्बन्धित नहीं है । आप देश की आवश्यकता के बारे में पूछ रहे हैं । यह एक अलग प्रश्न है ।

श्री सुरेश कुरुप : इसका इससे सम्बन्ध है । इसका सम्बन्ध मुख्य प्रश्न से है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न यह है कि क्या केरल सरकार को कोई आश्वासन दिया गया था और उत्तर है 'नहीं' । आपका अनुपूरक यह हो सकता है कि इसके क्या कारण हैं या इस प्रकार का कोई अन्य प्रश्न ।

श्री सुरेश कुरुप : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से बहुत ही गहरा ताल्लुक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अगर चाहें तो अन्तर दे सकते हैं ।

श्री माधवराव सिन्धिया : सातवीं योजना, 1985-90 के दौरान अनुमानित आवश्यकता लगभग 14300 डिब्बों की है और इसमें ई०एम०यू० स्टाक भी शामिल है । इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वदेश में विभिन्न क्षमता का अनुमान इस प्रकार है आई०सी०एफ० 4700; बी०ई०एम०एल० 2000; जेसिपस 1250 । यह लगभग 8000 डिब्बे होते हैं । अतः नये संयंत्र की स्थापना पूरी तरह से न्यायोचित है । प्रस्तावित नये संयंत्र में लगभग 1000 डिब्बे प्रतिवर्ष निर्मित होंगे और इसकी लागत लगभग 200 करोड़ रुपये आयेगी ।

श्री सुरेश कुरुप : मन्त्री महोदय के स्वयं के उत्तर से यह पता लगता है कि पंजाब में प्रस्तावित सवारी डिब्बे का कारखाने स्थापित होने के बाद भी डिब्बों की कमी बनी रहेगी । केरल सरकार द्वारा सवारी डिब्बों का कारखाना स्थापित करने की यह मांग बहुत पहले 1979 में आई थी । मुफ्त भूमि तथा अन्य सभी सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया गया था और यह प्रस्ताव अभी भी है । अब सवारी डिब्बों का कारखाना, जिसका प्रस्ताव किया है है, पंजाब में लगाया जा रहा है क्या सरकार केरल में बहुत संख्या में बेरोजगार लोगों को तथा डिब्बों की कमी को भी देखते हुए केरल में एक और डिब्बों का कारखाना स्थापित करने पर विचार करेगी ?

श्री माधव राव सिन्धिया : कमी को पूरा करने वाला प्रश्न विचाराधीन है । सभी बातों पर विचार किया जायेगा और तब ही कोई रास्ता अपनाया जायेगा । अगर एक और सवारी डिब्बों बनाने का कारखाना स्थापित करना उचित पाया गया तो देश के सभी उपयुक्त स्थलों को ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री कुलनदई वेलू : पहले से ही एक प्रस्ताव—एक सर्वेक्षण किया गया था और अनुमान भी तैयार किए गए थे—तमिलनाडु के कोम्बतूर जनपद में सवारी डिब्बों का एक कारखाना लगाने का है ।

(व्यवधान)

मैं बिल्कुल केरल की सीमा पर ही हूं । क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि कोम्बतूर जनपद के मेट्टुपलस्थम में सवारी डिब्बों का कारखाना लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव का

क्या हुआ तथा क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उसे इस वर्ष शुरू किया जाएगा अथवा उसे सातवीं योजना में सम्मिलित किया जाएगा ?

श्री माधव राव सिन्धिया : जब भी कमी को पूरा करने का रास्ता ढूंढ़ा जाएगा, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो सभी उपयुक्त स्थलों को ध्यान में रखा जाएगा ।

श्री थम्पन थामस : सवारी डिब्बों के कारखानों के अतिरिक्त अन्य उद्योग भी हैं जिन्हें रेल विभाग सीधे हाथ में ले सकता है । इस समय बहुत सारी भेद जिनकी रेल विभाग को आवश्यकता होती है निजी क्षेत्र को ठेके पर दे देता है । क्या सरकार इस योजना को समाप्त करके ऐसे उद्योगों को सीधे रेल विभाग के स्वामीत्व में लाकर सवारी डिब्बा कारखाने की बजाय ऐसी मदों का कारखाना वहां के बेरोजगार लोगों की बहुत संख्या को देखते हुए स्थापित करने पर विचार करेगी ? अथवा, क्या मन्त्री महोदय केवल अपने चुनाव क्षेत्र में ही कारखाने लगवाने पर विचार कर रहे हैं ।

श्री माधव राव सिन्धिया : नई परियोजना के सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण से मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा । एक बार उप माननीय नेता हमें मन्त्री मंडल में शामिल कर लेते हैं तब हमारा चुनाव क्षेत्र सारा राष्ट्र हो जाता है; यह हमारा दृष्टिकोण है, और यही दृष्टिकोण है जिसे अपनाया जायेगा ।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है वह प्रश्न की परिधि में नहीं आता। उसके लिए सूचना देनी होगी ।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर में बिरला की तरफ से एक वैगन फैक्टरी आज से कई साल पहले स्थापित हो चुकी है, लेकिन इस समय वह बन्द पड़ी हुई है, क्या मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उसके बन्द रहने के क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

श्री माधव राव सिन्धिया : हमारी रेल व्यवस्था में माननीय सदस्यों को सारे देश में भ्रमण करने का अधिकार है परन्तु मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इसे केवल सदन के बाहर तक ही सीमित रखें ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय को पता है अजमेर में हिन्दुस्तान का सबसे पुराना लोको कैरेज काफी समय पहले से बना हुआ है और पिछले दो-तीन वर्षों से वहां कोचेज को दुरुस्त करने का तथा दूसरे कई काम प्रारम्भ किए गए हैं । वे काम इस उम्मीद में आरम्भ किए गए हैं कि वहां पर, सबसे पुराना लोको कैरेज होने के कारण, एक कोच फैक्टरी स्थापित की जाएगी । राजस्थान सरकार की तरफ से इस तरह

की मांग कई बार की गई है कि वहां पर कोच फैक्टरी स्थापित की जाए। क्या मन्त्री महोदय ने उस मांग पर विचार किया है और क्या राजस्थान में कोई कोच फैक्टरी खोलने का उनका इरादा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह केरल राज्य से कैसे सम्बन्धित है।

श्री माधव राव सिन्धिया : इसके लिए मुझे अलग से सूचना देनी होगी।

त्रिचूर में ऊपरी पुल का निर्माण

*593 श्री पी०ए० एन्टनी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचूर में एक ऊपरी-पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि त्रिचूर नगर परिषद त्रिचूर रेलवे ऊपरी-पुल पर खर्च होने वाली धनराशि के एक तिहाई भाग वहन करने को सहमत हो गई थी;

(ग) यदि हां, तो ऊपरी पुल के निर्माण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस ऊपरी पुल का निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है तथा इसके निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया : (क) जी हां।

(ख) रेल प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस पुल के निर्माण की अनुमानित लागत 170.80 लाख रुपये है। चूंकि राज्य सरकार और रेल प्रशासन इस प्रस्ताव पर संयुक्त रूप से विचार कर रहे हैं; अत: इसके पूरा होने की कोई तारीख निश्चित करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी०ए० एन्टनी : क्या मन्त्री महोदय यह मालूम करने की कृपा करेंगे कि क्या त्रिचूर नगर परिषद ने त्रिचूर में रेलवे ऊपरी पुल की एक तिहाई लागत वहन करने का प्रस्ताव रखा है। चूंकि मैं एक नजर पार्षद था तथा त्रिचूर से विधान सभा का सदस्य भी रहा इसलिए मुझे यह पता है कि त्रिचूर नगर परिषद ने ऊपरी पुल की निर्माण लागत का एक तिहाई धन देने का प्रस्ताव किया है क्योंकि यह एक समृद्ध नगर परिषद है। और अगर नगर परिषद ने एक तिहाई लागत देने का प्रस्ताव किया है तो क्या मन्त्री महोदय तुरन्त ऊपरी पुल का निर्माण कराने पर विचार करेंगे।

श्री माधव राव सिन्धिया : रेल प्रशासन को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है

और अगर ऐसा है तो यह संभवतः परिषद अधिकारियों तथा राज्य सरकार के बीच पत्र-व्यवहार का विषय है। हालांकि इस पुल का निर्माण किया जाएगा। और इस समय मैं दक्षिण रेलवे इस प्रस्ताव पर हमें 1986-87 के कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए अन्तिम रूप दे रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामसिंह यादव—आपका प्रश्न भी त्रिचूर में ऊपरी पुल से सम्बन्धित होगा। अन्यथा मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री रामसिंह यादव : 1984-85 में मीटर गेज रेलवे लाइन पर अलवर में एक ऊपरी पुल की स्वीकृति दी गई थी परन्तु आपने अभी तक इस पर कार्य शुरू नहीं करवाया है। मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि अलवर में ऊपरी पुल का निर्माण किया जायेगा....

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। दूसरा प्रश्न।

रायल सीमा एक्सप्रेस

*596. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या तिरुपति तथा हैदराबाद के बीच चलने वाली रायलसीमा एक्सप्रेस रेल गाड़ी के यात्रा समय को कम करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार का विचार रायलसीमा एक्सप्रेस में एक वातानुकूलित यात्रा डिब्बा जोड़ने का है; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री डी० एन० रेड्डी : महोदय तिरुपति और हैदराबाद के बीच लगभग 650 कि०मी० का फासला है और यह दूरी तय करने के लिए साढ़े सोलह घंटे का समय निश्चित है और अकसर यह ट्रेन लगभग 2 घन्टे विलम्ब से पहुंचती है। यह कुल मिलाकर साढे अठारह घन्टे हो जाते हैं। हमेशा की तरह मन्त्री महोदय का विभाग समय पर चलने में विश्वास नहीं करता। इसके अतिरिक्त 650 कि०मी० की दूरी तय करने वाली ट्रेन को एक्सप्रेस कहना गलत है। इसे पैसेन्जर ट्रेन कहना चाहिए क्योंकि यह लगभग 18-30 घन्टे का समय लेती है।

मान्यवर, आप यात्रियों की कठिनाईयों की कल्पना कर सकते हैं। इसमें हमेशा बहुत भीड़ होती है। सात पहाड़ियों के भगवान के दर्शन करने के लिए सीधे हैदराबाद से तिरुपति और तिरुपति से हैदराबाद जाने वाले बहुत से यात्री होते हैं। मैं नहीं समझता कि मन्त्री महोदय ने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किये होंगे कम से कम भगवान के नाम पर मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि गाड़ी के समय में कम कीजिए।

मैं उनको एक सरल रास्ते का भी सुझाव देना चाहता हूं। आप वाड़ी को छोड़ सकते हैं। इससे दूरी 200 कि०मी० से भी अधिक कम हो जाएगी। वाड़ी एक जंक्शन है जहां मद्रास और बम्बई के बीच अच्छी रेल सेवा है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे कम से कम एक बार अवश्य इस ट्रेन से सफर करें ताकि उन्हें यात्रियों की कठिनाइयों का पता चल सके।

श्री माधव राव सिंधिया : तिरुपति और हैदराबाद के बीच दूरी लगभग 730 कि०मी० है। ट्रेन यह रास्ता एक तरफ से 16.25 घंटे में तथा दूसरी तरफ से 16.40 घंटे में तय करती है। यह 26 स्टेशनों पर रुकती है। इन 26 स्टेशनों में से वाड़ी एक जक्शन है। मैं माननीय समदस्य की भावनाओं का सम्मान करता हूं और उनकी सहायता चाहता हूं। अगर वह वाडी जंक्शन की जनता तथा उनके प्रतिनिधियों को इसके लिए राजी कर लें तो मैं अवश्य ही बहुत प्रसन्न हूंगा।

श्री डी० एन० रेड्डी : महोदय उस क्षेत्र में तापमान 43 डिग्री सेन्टीग्रेड तक पहुंच चुका है। अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि एक वातानुकूलित डिब्बों की उस ट्रेन के लिए स्वीकृति प्रदान की जाए। महोदय, आप जानते हैं कि आजकल मद्रास का तापमान भी बढ़ गया है। आम व्यक्ति के लिए 43 डिग्रीग्रेड में ट्रेन से यात्रा करना बहुत ही मुश्किल है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह जानकारी नहीं है कि एक साधारण व्यक्ति वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा करता है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के फायदे के लिए है।

श्री माधव राव सिंधिया : हम सभी ऐसे भारत के लिए कार्य कर रहे हैं कुछ आम व्यक्ति वातानुकूलित डिब्बों में सफर कर सके। यह हमारा आखरी उद्देश्य है चूंकि वातानुकूलित टू-टायर स्लीपर डिब्बों की उपलब्धता सीमित हैं यह काम लम्बी दूरी वाली तथा मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को प्राथमिकता देते हुए चरण वार किया जा रहा है।

बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी यात्रा की दूरी इस गाड़ी से लम्बी है जिनमें दो टीयर वाले वातानुकूलित डिब्बे नहीं लगाए गए हैं। फिर भी मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करता हूं तथा इस गाड़ी में ऐसे कोच लगाने पर निश्चय ही ध्यान रखा जाएगा। तो भी मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि तीर्थ यात्रा पर जाते समय जितनी भी आप तपस्या करें उतनी ही देवी अनुकम्पा आपको प्राप्त होगी।

डा० वी०वेंकटेश (कोलार) बंगलौर से तिरुपति तक एक सीधी गाड़ी हैं। मेरा संबंध कोलार से है। वहां एक छोटी लाइन है जो उपयोग में नहीं आ रही है—जो कि बंगलौर से चिन्तामणी तक है। यदि आप उसे चिन्तामणी से मदन पाले रोड़ तक बढ़ा दें तो लोग भगवान वेंकटेश्वर की पूजा के लिए सीधे बंगलौर से तिरुपति जा सकते हैं। क्या मन्त्रालय के पास इस छोटी लाइन को मीटर लाइन में बदलने के लिए कोई प्रस्ताव अथवा योजना है ?

श्री माधव राव सिंधिया : मैंने माननीय सदस्य के सुझाव को नोट कर लिया है और मैं उस पर ध्यान दूंगा।

सहजनवा और दोहरीघाट के बीच रेल संपर्क

[हिन्दी]

*597 **श्री मदन पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-लखनऊ सेक्शन के सहजनावा स्टेशन को दोहरी घाट स्टेशन के साथ जोड़ने की योजना विचाराधीन है ;

(ख) क्या सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है और ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) सहजनवा से दोहरीघाट तक एक नयी रेल लाइन के निर्माण के लिए 1977 में सर्वेक्षण किया गया था।

(ग) संसाधनों की अत्याधिक तंगी और पहले से की गयी भारी बचनबद्धताओं के कारण।

श्री मदन पांडे : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवें प्लान में जो रुपए रेलवे के लिए एलाट हो रहे हैं, उसमें से इस सेक्शन के लिए पर्याप्त राशि एलाट करेंगे ?

श्री माधव राव सिंधिया : यह योजना सातवें प्लान में हाथ में नहीं ली गई है।

श्री मदन पांडे : इससे बहान में छोटी लाइन कोई बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए को दूसरी योजना भी टेक-अप किया जा रहा है जैसे गोरख पुर छितौनी और गोरखपुर गोंडा लूप लाइन।

श्री माधव राव सिंधिया : इसके लिए अलग नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी। जो मेम्बर सहाव का सुझाव है, उस पर हम पूरी तरह सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 595-श्री दिग्विजय सिंह यह भी रेलवे का है।

श्री माधव राव सिंधिया : महोदय क्या मुझे एक मंडल मिलने जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सदस्यों की मांगों की पूर्ति करेंगे तो सभी आपको पुरस्कार देंगे।

श्री माधव राव सिंधिया : तब इन पुरस्कारों का कोई मूल्य नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 598 श्री दिग्विजय सिंह।

बिना टिकट यात्रा के कारण राजस्व की हानि

*598. श्री दिग्विजय सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान बिना टिकट यात्रा के कारण सभी भारतीय रेलों को राजस्व की अनुमानत: कितनी हानि हुई ;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों को दोष सिद्धि पर जेल भेजा गया ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन व्यक्तियों को चाहे वे रेल कर्मचारी हों या अन्य हों जो बिना टिकट वाले यात्रियों को पकड़ते हैं, प्रोत्साहन देने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री माधव राव सिंधिया : (क) इस प्रकार की सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) वर्ष 1984 के दौरान 1.21 लाख व्यक्ति जेल भेजे गए थे।

(ग) उन रेल कर्मचारी को, जो टिकट जांच के क्षेत्र में कर्त्तव्य-निष्ठा और अच्छा परिणाम दिखाते हैं, नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्रों के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है। रेल कर्मचारियों से इतर व्यक्तियों के लिए फिलहाल इस प्रकार की कोई प्रोत्साहन योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी नीति को और अधिक समझने के लिए मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आम तौर पर यह माना जाता है कि यदि तीन चोरियों को रोका जा सके तो तीन कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। ये तीन चोरियां हैं माल यातायात में चोरियां माल बुक करते समय कम बीजक बनाना तथा बिना टिकट यात्रा। इन तीनों को रोक कर हम तीन कार्यक्रम चला सकते हैं अर्थात मरम्मत कार्य छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना तथा नई लाइन बिछाना। इन तीनों को रोकने के लिए क्या नीति है ?

श्री माधव राव सिंधिया : माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख की गई दिशाओं में सभी संभव प्रयत्न किये जाते रहे हैं। इस विशिष्ट प्रश्न का सम्बन्ध बिना टिकट यात्रा से है ; इस बारे में अचानक पैकिंग की जाती है। 'घात' टुकड़ियों द्वारा भी विशेष पैकिंग की जाती है तथा इसके अच्छे परिणाम निकले हैं। इस कानून को और दृढ़ चेष्टा कर रहे हैं ताकि सजा को बढ़ाया जा सके। इस समय 500 रुपये जुर्माना तथा 3 महीने की कैद है। जुर्माने को 1000 रुपया तक तथा कैद की अवधि बढ़ा कर छ: महीने करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि 1.21 लाख व्यक्तियों को

जेल भेजा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि कुल यात्री यातायात का यह कितने प्रतिशत है।

श्री माधव राव सिन्धिया : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मेरे से अच्छे गणितज्ञ हैं। महोदय बेलों में प्रतिदिन 1.10 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। मुझे इसका हिसाब लगाना होगा। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मेरी मदद करेंगे। प्रतिदिन यात्रा करने वाले व्यक्तियों में यह प्रतिशत बहुत कम है।

श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव : महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पता चला है कि अन्य श्रेणी के कोटों के कन्डक्टर यात्रियों से कुछ धन लेकर उन्हें प्रथम श्रेणी में यात्रा करते देखे हैं ; जिससे रेलवे को हानि होती है। अचानक की गई चैकिंग में ऐसे कितने मामले पकड़े गये ? इस प्रकार की चैकिंग पिछले वर्ष कितनी बार हुई ?

श्री माधव राव सिन्धिया : ऐसे मामलों में दोषी व्यक्तियों, के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। तथा इस नीति का दृढ़ता से पालन हो रहा है।

श्री वी० सोभनाद्री सवरा राव : महोदय, मैंने विशेष रूप से पूछा है कि ऐसे कितने मामलों का उन्हें पता चला है।

श्री माधव राव सिन्धिया : पिछला जो सर्वेक्षण किया गया था उसके अनुसार कुल 89,24,000 यात्रियों की चैकिंग हुई उनमें से 46400 बिना टिकट पाये गये 18,300 के पास बिना बुक किया हुआ सामान या और 17500 मामलों में जुर्माना नहीं किया गया था यह चैक किए गये गए कुल यात्रियों का 0-93 प्रतिशत है।

प्रो० एन० जी० रंगा : प्रश्न यह है कि कितने टिकट कलक्टर विशेष रूप से प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित कोठो के दोषी पाये गए। वहां पर स्थान नहीं होता इन लोगों को रास्ते में अथवा शौचालय के पास बेंच पर लेटने दिया जाता है। इससे बड़ी असुविधा होती है। अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात पर ध्यान देंगे तथा टिकट कलेक्टरों का चालान करेंगे तथा क्या इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि वे ऐसे कदाचरण न करें।

श्री माधव राव सिन्धिया : उन पर कड़ी नजर रखी जायेगी।

श्री विजय एल० पाटिल : आप व्यक्तियों के अलावा कई बार रेलवे कर्मचारी बिना वैध परमिट अथवा टिकट के प्रथम श्रेणी में यात्रा करते हैं। बम्बई से चलने वाली पंजाब मेल में रेलवे कर्मचारी नासिक से मनमाड तक दूसरी श्रेणी वातानुकूलित में बिना उचित टिकट के यात्रा करते हैं। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि पिछले एक वर्ष के दौरान कितने रेलवे कर्मचारी बिना उचित टिकट अथवा पास के द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने के कारण दण्डित किए गए।

श्री माधव राव सिन्धिया : आपको यह समझना चाहिए कि हम प्रतिदिन 11000 गाड़ियां चलाते हैं। इस विशेष गाड़ी के संदर्भ में प्रश्न के उत्तर में इन सबके बारे में बताना असम्भव है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी हमारे नोटिस में ऐसी बातें की जाती है ; हम अत्यन्त कठोर कार्यवाही करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यगण अनुभव करते हैं कि इस तरह की बातें होती हैं। मंत्री महोदय इन बातों को नोट कर लें।

श्री माधव राव सिन्धिया : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं। इसलिए मैंने सामान्य रूप से उत्तर दिया है।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं निम्न बातों की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। भारतीय रेलों की आय बढ़ाने के लिए बंगाल में पिछले वर्ष कुछ स्वयं से वह नियुक्त किए गए थे तथा उससे राजस्व में वृद्धि हुई। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या इन स्वयं सेवको को स्थायी पद की सुरक्षा दी जायेगी।

श्री माधव राव सिन्धिया : 849 स्वयंसेवी कर्मचारी थे। महोदय, ये कर्मचारी रेलवे कर्मचारी हैं। उन्हें 8 रु० दैनिक पर नियुक्त किया गया है तथा शुरू में यह कुछ लाभदायक सिद्ध हुए थे एक बार फिर इस लाभप्रद को ध्यान में रखते हुए इस सम्पूर्ण पहलू की स्थिति की पुनरीक्षा की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : रेलवे में टिकट की चैकिंग करने वाले कलैक्टर बिना टिकट यात्रा करने वालों की सही ढंग से चैकिंग नहीं करते है। उसका कारण यह है कि कुछ गुंडे टाइप के लोग रेलों में सफर करते हैं और वह चैकिंग करने वाले स्टाफ को डराते हैं, मारते हैं, मारने की धमकी देते हैं। उनसे डर कर ये लोग सही चैकिंग नहीं करते हैं। अगर ये सही चैकिंग करते हैं तो इनको पिटाई का डर होता है। ऐसी स्थिति में वे क्या करते हैं उन गुंडों से थोड़े पैसे ले लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं, इससे उनका भी भला हो जाता है और पिटाई से भी वे बच जाते हैं। गवर्नमैंट की तरफ से उनकी रक्षा के लिए सही इंतजाम होना चाहिए इस मामले में जितना गवर्नमैंट कर सकती है, करना चाहिए उसके बाद भी वे अपनी ड्यटी सहीन करें तो उनको उस वक्त दंड देना चाहिए।

इसी तरह हम देखते हैं कि गेट पर टिकट इकट्टे करने वाले खड़े रहते हैं और वह यात्रियों से टिकट के लिए पूछते ही नहीं हैं। यात्री ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं, अगर किसी ने टिकट दे दिया तो ले लिया नहीं तो कोई पूछता ही नहीं है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की बातें उनके ध्यान में आई हैं और इस बारे में वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री माधव राव सिंधिया : माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल सही है, ऐसे उदाहरण

हमारे समय-समय पर आते रहते हैं और इन बातों को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि जी० आर० पी० और भी सक्रिय हो जाये। इस लक्ष्य हेतु हमारे माननीय मंत्री श्री बंसी लाल जी ने प्रदेश के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है। उनका और प्रदेश के प्रशासन का सहयोग इसमें अपेक्षित है और साथ ही साथ आर० पी० एफ० की शक्ति बढ़ाने के सुझाव भी मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

श्रीमती सुन्दरबती नवल प्रभाकर : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे में लेडीज कम्पार्टमेंट में जो बैठने की जगह होती है, अक्सर देखने में आता है कि उसमें बिना टिकट वाले लोग घुस जाते हैं और वहां पर लेडीज को बैठने में बड़ी कठिनाई होती है। मैं जानना चाहती हूं कि लेडीज कम्पार्टमेंट में लेडीज की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बिना टिकट यात्रा पर ही प्रश्न पूछिए और किसी मामले पर नहीं।

अब प्रश्न संख्या 1599 श्री सी० पी० ठाकुर।

[हिन्दी]

श्रीमती सुन्दरबती नवल प्रभाकर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। लेडीज कम्पार्टमेंट में काफी भीड़ होती है इस बारे में मंत्री महोदय जवाब दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बिना टिकट यात्रा पर प्रश्न नहीं पूछा है। आपने कुछ और ही प्रश्न पूछा है। अतः इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। मैंने आपके प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है। कृपया बैठ जाइए।

दिघा और पटना जंक्शन के बीच यात्री सेवा

*599. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिघा और पटना के बीच की रेल लाइन का प्रयोग माल की ढुलाई के लिए हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यात्रियों की समस्याओं को कम करने के लिए दिघा और पटना जंक्शन के बीच यात्री सेवा आरम्भ करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

श्री सी० पी० ठाकुर : पटना रेलवे जंकशन तथा दिघा के बीच एक रेलवे लाइन है जो सचिवालय के पास से गुजरती है और इस जगह कॉफी भीड़ रहती है। यदि आप एक गाड़ी सुबह तथा एक शाम को बढ़ा दें तो इससे यात्रियों की कठिनाइयां कम होंगी।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि बिहार के लोगों की दक्षिण जाने की सुविधाएं बहुत कम हैं। यदि आप महानगरी एक्सप्रेस की तथा गंगा कावेरी एक्सप्रेस के पटना जंकशन तक बढ़ा दें तो इससे दक्षिण जाने वाले बिहार के लोगों को काफी सुविधा होगी।

श्री माधव राव सिंधिया : पटना-दिघा रेलवे लाइन केवल 8.3 किलोमीटर लम्बी साइडिंग है और इस समय केवल माल गाड़ियों के लिए खुली है। यात्री गाड़ियों के लिए नहीं (व्यवधान) वहां पर यात्री टर्मिकल बनाने के लिए अतिरिक्त धनराशि व्यय करनी पड़ेगा। इस समय यात्रियों की संख्या को देखते हुए इस लाइन को देखते हुए इस लाइन को यात्री परिवहन के लिए खोलना उचित नहीं समझा गया है, क्योंकि आसपास के इलाकों में ज्यादा आबादी नहीं है, इस क्षेत्र में बसों तथा रिक्शा का उपयोग करना बहुत सरल है।

श्री सी० पी० ठाकुर : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न था महानागरी एक्सप्रेस तथा गंगा-कावेरी एक्सप्रेस के पटना तक बढाने के बारे में।

श्री माधव राव सिंधिया : उस सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पटना से दीघा रेलवे लाइन सात या आठ किलोमीटर है। इस लाइन को आगे बढ़ाने के लिए गंगा पर ओवर-ब्रिज बनाने के लिए सर्वे वगैरह हो चुका है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या पुल को बनाने के लिए सातवीं योजना में विचार किया जा रहा है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री माधव राव सिन्धिया : इसका इस प्रश्न से संबंध नहीं है।

नैतिक शिक्षा की योजना

[हिन्दी]

*600. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय चरित्र को ऊपर उठाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में शैक्षिक पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसे किस रूप में क्रियान्वित किया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राष्ट्रीय तथा व्यक्तिगत चरित्र को प्रोन्नति स्कूल स्तर पर पाठ्यचर्चा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। धर्मनिरपेक्षता साम्प्रदायिक मैत्री राष्ट्रीय एकता तथा अच्छी नागरिकता जैसे वांछनीय राष्ट्रीय मूल्यों का समाकलन पहले ही पाठ्यचर्चा और पाठ्यपुस्तकों में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है। इस दिशा में मैं रा० शै अनु प्र० प० ने विभिन्न कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करते समय पर्याप्त कार्य किया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उद्देश्य यह है कि इस सम्बन्ध में पाठयचर्चा पाठ्यपुस्तकों और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आगे सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए नैतिक शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित करने के वास्ते स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना कार्यान्वित की जा रही है और यह सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको जारी रखा जाएगा।

(ख) योजना के ब्यौरे दर्शाए वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की केन्द्रीय योजना के ब्यौरे

1. भूमिका

भारत सरकार का विचार यह है कि शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य छात्रों के चरित्र निर्माण का होना चाहिए। शिक्षा प्रणाली से निकलने वाले युवा पुरुष तथा महिलाएं अवश्य ही चरित्रवान होने चाहिए जो राष्ट्रीय सेवा तथा विकास के प्रति वचनबद्ध हों। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता की यह योजना शुरू कर दी गई है।

2. कार्यकलापों के उद्देश्य तथा कार्यक्रम

नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता की यह योजना निम्नलिखित उद्देश्यों तथा कार्यकलापों को प्रोन्नत करने के लिए तैयार की गई है :—

(क) नैतिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों में स्वैच्छिक एजेन्सियों को शामिल करना।

(ख) नैतिक शिक्षा सम्बंधी साहित्य का तैयार किया जाना।

(ग) नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का प्रशिक्षण।

(घ) छात्रों, शिक्षकों तथा अभिभावकों के लिए मूल्योन्मुख शिक्षा में विशेष पाठ्यक्रम

(ङ) नैतिक शिक्षा सम्बन्धी सेमिनार, कार्यशालाएं आदि ।

(च) नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व की अन्य अभिनय तथा प्राद्योगिक परियोजनाएं ।

3. स्वैच्छिक संगठनों की परिभाषा

केवल पंजीकृत सोसाइटियां, पब्लिक ट्रस्ट तथा लाभ न कमाने वाली संस्थाएं ही सहायता के लिए पात्र होगी । जो संगठन वैध रूप से गठित नहीं हैं, वे सामान्यत: सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे । तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में, प्राद्योगिक कठिनाइयों के कारण जो संठन कानूनी व्यवस्था के बिना बनाए गए हैं, उन्हें कलेक्टर उपायुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अंतर्गत कि वे प्रामाणिक संगठन हैं, अनुदान देने के प्रयोजनार्थ मान्यता दी जा सकती है ।

4. सहायता का विस्तार

वित्तीय सहायता साझेदारी के आधार पर दी जाएगी । संस्था को केन्द्रीय सरकार की ओर से सहायता अनुदान सामान्य: अनावर्ती खर्च का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी बशर्ते कि प्रति अनुमोदित परियोजना के लिए 2.5 लाख की सीमा हो । आवर्ती खर्चे केन्द्रीय सरकार की ओर से यह सहायता आवर्ती खर्च के लिए भी कुल अनुमानित खर्च की 50 प्रतिशत तक सीमित होगी किन्तु इसकी सीमा 5.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष होगी । शेष खर्च सम्बन्धित संस्था-संगठन राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।

5. संस्थाओं-संगठनों के चयन के लिए प्रक्रिया

(i) अनुदान केवल उन विशिष्ट परियोजनाओं के लिए दिया जायेगा जिनका उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का समाकलन करना है । इन परियोजनाओं के लिए उन स्वैच्छिक संगठनों को जो इन्हें शुरू करने की क्षमता रखते हैं, सहायता के लिए चुना जायेगा ।

(ii) वित्तीय सहायतार्थ आवेदन राज्य सरकार के द्वारा आने चाहिएं ।

(iii) चुने गए संगठन को अनुदान सीधे ही दिये जाएंगे और इसकी सूचना सम्बन्धित राज्य सरकार को भेज दी जाएगी ।

मूल्योन्मुख क्षेत्र में रा० शै० अ० प० द्वारा संचालित कार्यक्रम

रा० शै० अनु० प्र० प० द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्याप्त कार्य किया है । इसने 1—पांच की कक्षाओं के लिए स्कूलों में नैतिक शिक्षा की पाठ्यचर्या के लिए एक पुस्तक तैयार की है । यह गाइड, नैतिक शिक्षा के कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए तैयार की गई है ।

राज्य शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा बोर्ड, स्थानीय निकाय तथा अन्य सैक्षणिक संगठन प्रदान किए गए सामान्य कार्य ढांचे के भीतर अप आवश्कताओंनी और स्थितियों के अनुसार इस

गाइड को अपनाने अनुकूल बनाने के लिए स्वतन्त्र है। रा० शै० अनु०प्र० प० ने भी दो पुस्तकें विकसित कीं।

(क) ए० चारी द्वारा इन पुस्तकों के विषय में विचार करना ; तथा

(ख) विषय पर मनोज दास द्वारा वीरता की कहानियां जो इस समय छप रही हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रा० शै० अनु० प० ल० ने यह देखने के लिए अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार किया है कि राज्य शिक्षा विभाग तथा स्कूल बोर्ड स्कूल पाठ्यचर्चा में मूल्योन्मुखता कैसे प्रदान करेंगे। इन मूल्यों पर बल देते हुए ऐसा प्रयास करने का भी प्रस्ताव है जो अखिल भारतीय आधार पर तैयार की जाने वाली राष्ट्रीय चरित्र का विकास करने में सहायक हों। रा० शै० अनु० प्र० प० अनुात्मक तथा पूरक सामग्री और विषय वस्तु तैयार कर रही है और स्कूल शिक्षा में मूल्योन्मुखता की प्रोन्नति के लिए प्रणाली विज्ञान को इसके पाठ्यचर्चा अनुसंधान और विकास कार्य में प्राथमिकता दी गई है।

समाज के कमजोर वर्गों तथा अन्य वंचित वर्गों की समाजिक गतिशीलता तथा धर्म-निरपेक्षता राष्ट्रीय एकता प्रोन्नत करने में अपनी भूमिका सुदृढ़ करने की दृष्टि से पाठ्यचर्चाओं पाठ्य-विवरण पाठ्य पुस्तकों और अन्य अनुदेशात्मक सामग्री का मूल्यांकन रा. शै. अनु. प्र. प. का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी होगा।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के अध्ययन पर बल देना भी इस दिशा में एक कार्रवाई है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से स्वतंत्रता आंदोलन के सभी पहलुओं के श्रेणीबद्ध परिचय के सम्बन्ध में विचार करने का अनुरोध किया गया है ताकि मातृभूमि के लिए प्रेम श्रद्धा उत्पन्न की जा सके। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास और अन्य सम्बद्ध मुद्दों पर उपयुक्त सामग्री तैयार करने के लिए एक कार्य दल डा. जी. सीं. पाण्डेय भूतपूर्व कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में नवम्बर 1984 में शिक्षा मंत्रलय द्वारा गठित किया गया है। कार्यदल ने कार्य करना शुरू कर दिया गया है।

श्री मूल चन्द डागा : शिक्षा का अभिप्राय यह नहीं है कि लोगों को ऐसी बातें पढाई जो उनको आती नहीं। इसका आशय है कि वे ऐसा व्यवहार करें जैसा वे नहीं करते, अर्थात मानव की आत्मा को श्रेष्ठता की ओर ले जाना तथा उनसे श्रेष्ठतम गुणों को उभारना। उपदेश की तुलना में उदाहरण कहीं अधिक उपयोगी होता है।

हिन्दी]

जैसे राजनेता लोग होंगे, वैसा देश का मोरेल होगा। मैं कहना चाहता हूं कि देश का करैक्टर कैसे बिल्ड होगा। मैं आपके उत्तर को पढ़ रहा था, जो कि आपने तीन पेज का दिया है। अगर चरित्र के आधार पर देश का विकास हो सकता है और विकास की भव्य इमारत खड़ी हो सकती है, यह तभी हो सकता है, जब देश के अन्दर अच्छे नेता हों अनका चरित्र अच्छा हो, तो देश आगे बढ़ेगा। इसके लिए आप के स्कूलों में जब तक आपके शिक्षक अच्छे चरित के नहीं होंगे, टीचर्स अच्छे नहीं होंगे, तब तक आपके विद्यार्थी कैसे अच्छे होंगे। मेहरबानी कर के बतलाइये कि आप टीचर्स को सुधारने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य के दृष्टिकोण से सहमत हूं और हम सबको एक उदाहरण पेश करना चाहिए...

श्री भागवत झा आजाद : डागा जी को भी।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : डागाजी तो सब से आगे पेश करते ही हैं। आगे के लिए यह काम स्कूलों में ही हो सकता है। आप ने टीचर्स ट्रेनिंग की जो चर्चा की है यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और उसका आधार है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विश्व बैंक सहायता

[अनुवाद]

*588 श्री एम० डेनिस

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए वर्ष 1983 और 1984 के दौरान स्वीकृत वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) बैंक द्वारा दिए गए ऋण की शर्तें क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक राज्य को ऋण की कितनी धनराशि दी गई है ; और

(घ) प्रत्येक राज्य को दिए गए ऋण के लिए मानदण्ड क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1983 तथा 1984 में भारत सरकार को आई० डी० ए० से क्रमशः 15.6 और 15.3 मिलियन डालर की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी जबकि आई० बी० आर० डी० से क्रमशः 0.8 33 मिलियन डालर की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी।

(ख) आई० डी० ए० के ऋण पर तीन बटा चार प्रतिशत सेवा प्रभार लागू है तथा यह 80 अर्द्ध वार्षिक किस्तों में वापिस किया जाना है जिसे 15 जुलाई 1989 से शुरू किया जाएगा। आई० बी० आर० डी० के ऋण पर तीन बटा चार प्रतिशत बचन बढ़ता प्रभार,

11.6 प्रतिशत ब्याज प्रभार लागू है तथा यह 30 अर्द्धवार्षिक किश्तों में वापस किया जाना है जिसे जनवरी, 1988 से शुरू किया जाएगा।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों को ऋण ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा दिए जाते हैं। वितरित किए गए ऋणों का राज्य ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) ग्राम विद्युतीकरण निगम, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों को ऋण सहायता वार्षिक योजना कार्यक्रम के अनुसार देता है।

विवरण

वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा ऋण सहायता के वितरण का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	वितरित की गई ऋण राशि	
		1982-83	1983-84
1.	आन्ध्र प्रदेश	2348	2001
2.	असम	1308	2733
3.	बिहार	2162	2526
4.	गुजरात	1141	1138
5.	हरियाणा	655	776
6.	हिमाचल प्रदेश	1018	901
7.	जम्मू और कश्मीर	402	457
8.	कर्नाटक	865	1348
9.	केरल	306	696
10.	मध्य प्रदेश	3303	4063
11.	महाराष्ट्र	1536	1791
12.	मणिपुर	—	100
13.	मेघालय	386	325

1	2	3	4
14.	नागालैण्ड	147	254
15.	उड़ीसा	1224	1559
16.	पंजाब	1651	1390
17.	राजस्थान		
18.	सिक्किम	32	159
19	तमिलनाडु	815	823
20.	त्रिपुरा	186	305
21.	उत्तर प्रदेश	2903	2617
22.	पश्चिम बंगाल	1002	1838
	जोड़	25184	29715

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिला

*589. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोगियों को, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में दाखिल होने के लिए 50 रुपये का प्रवेश शुल्क जमा करने तथा सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी, वास्तव में दाखिला पाने के लिए 2-3 दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और अस्पताल के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं ; और

(ख) रोगी को दाखिल होने का निदेश दिए जाने और उससे शुल्क वसूल कर लेने के बाद भी उसके लिए बिस्तर की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) इस संस्थान ने सूचित किया है कि रोगी को आम तौर पर 50 रुपए का निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करने के बाद भर्ती किया जाता है तथापि, कुछेक ऐसे मामले भी ध्यान में आए हैं जब भर्ती की पर्चियां यह पूर्वानुमान लगा कर जारी की गयीं थी कि भर्ती रोगी को छुट्टी दे दी जाएगी और पलंग उपलब्ध हो जाएगा। कई बार डिस्चार्ज किए गए रोगी पलंगों को खाली नहीं करते और जिन रोगियों से प्रवेश शुल्क ले लिया गया होता है, उन्हें वास्तव में भर्ती के के लिए एक अथवा दो दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसे मामलों में जैसे ही पहला पलंग उपलब्ध होता है, रोगी को भर्ती कर लिया जाता है।

प्रत्येक रेल गाड़ी में दो डीजल जेनरेटिंग सेट लगाया जाना

*594 श्री एस० एस० भट्टम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक रेलगाड़ी में कम से कम दो डीजल जेनरेटिंग सेटों की व्यवस्था करेगी ताकि खराबी की स्थिति से निबटा जा सके ;

(ख) क्या सरकार का विचार अप्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का है ;

(ग) क्या सरकार का विचार एम० ओ० जी० रेकों में संगचल कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों को इंजन ड्राइवरों और गार्डों के समान मानने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां, मिड-आन-जेनरेशन वाली गाड़ियों में।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) मिड-आन-जेनरेशन रेकों में लगे डीजल जनित्र सेटों पर कार्य करने वाले कर्मचारी गाड़ियों संचलन के सीधे इंचार्ज और उत्तरदायी नहीं होते, अतः उन्हें रनिंग कर्मचारी नहीं माना जा सकता है।

भोपाल गैस दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों के उपचार के लिए विदेशों से चिकित्सा उपकरण

*595. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिक गैस से प्रभावित व्यक्तियों के निदान और उपचार के लिए अन्य देशों से चिकित्सा उपकरण प्राप्त किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त उपकरणों का ब्यौरा क्या है तथा उपकरणों का मूल्य क्या है; और

(ग) क्या इन उपकरणों को काम में लाया जा रहा है तथा मिक गैस से प्रभावित व्यक्तियों के निदान में ये उपकरण कहां तक अधिक प्रभावशाली रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) भोपाल में हुई गैस रिसने की दुःखद घटना के परिणाम स्वरूप अनेक देशों से चिकित्सा उपकरण तथा

सामान दान स्वरूप मिला था। अधिकतर ये उपकरण और सामान ऐसे थे जिनका उपयोग गैस से प्रभावित लोगों के निदान के लिए न होकर इनके इलाज के लिए क्या किया जाना था। प्राप्त उपकरण और समान की किस्म का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। दान देने वाले देशों द्वारा इनकी कीमत का ब्यौरा नहीं भेजा गया था। अधिकतर सामान का इस्तेमाल किया जा चुका है और उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

विवरण

विदेशों से मिले उपकरणों तथा सामान की सूची

1. लारिंगोकोप्स
2. फ्लोमीटर्स फार आक्सीजन ट्यूनिंग
3. ब्रस्टेज रेगुलेशनवाल्व वाल्वस
4. सिंगल स्टेज रेगुलेटिंग वालल्वस
5. ट्रेकेस्टोमी ट्यूब्स
6. एन्डोट्राकेल ट्यूब्स
7. ट्राकेल ट्यूब्स और साइजेंस
8. गुडेल्स गिडेल्स एयरवेज डिस्पोजेबल साइजेंस
9. काब्स कनेक्शन्स (सेट आफ फोर)
10. पाल्मीमास्वस आक्सीजन मास्क्स
11. मास्क आक्सीजन
12 रिससीसाइटेशन बैग्स, अडल्ट कंसिस्टिंग आफ बैग विद् इनलेटवाल्व, पेशेंट इनफलेटिंग वाल्व फेसमास्क, आक्सीजन रिजर्वयर ट्यूब्स असेम्बली
13. रिससाइट्रेशन बैग, इन्फलेट (i) इन्फलेटिंग आउट फिट कंसिस्टिंग आफ सेल्फ-इन्फलेटिंग बैग विद् इनलेट वाल्व नीयोनेटल फेसमास्क एण्ड ऐयरवे आक्सीजन रिजर्वायर ट्यूब असेम्बली।
14. पीडियाट्रिक लारिन्गोस्कोप सेट
15. एम्बु—बैग्स
16. पोर्टा-बबं रेसपिरेशन मशीन्स
17. मार्गिल फारसेप्स अडल्ट फार इन्ट्रोड्यूसिंग एडोट्रेकेल ट्यूब्स

18. मागिल फारसेप्स पीडियाट्रिक फार इंट्रोड्यूसिंग एन्डोट्राकेल ट्यूबस ।

19. वेंटीलेटर्स विद् ऐयर कम्प्रेसर्स बर्ड एम० ।

20. एक्सफोर्ड पीडिया ट्रिक वेंटीलेटर कम्पलीट विद एयर कम्प्रेसर्स हासेस मेनुअल एण्डफिल्टर्स इन्सर्टस एण्ड फिल्टर्स

21. सी० बी० पी० मनीटरिंग मेजरिंग सेट ।

22. इलेक्ट्रीकली आपरेटिड सक्शन पम्प ।

23. फिल्टर्स रियूजेबल फार यूज विद् सक्शन पम्पस ।

24. रिससीटेशन बैग्स आर० के० 34

25. छः वर्ष तक के बच्चों के लिए पैड वेन्टीलेटर्स ।

26 डेफिब्रिलेटर्स

27. कार्डियो स्कोप विद् रिकार्डर

जम्मू व कश्मीर में विद्युत परियोजनाएं

*601 प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर राज्य में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से किन केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है ; और

(ख) उक्त प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की जानी थी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) इस समय ऊधमपुर जिले में सलाल जल विद्युत परियोजना (345 मेगावाट), अनुमानित लागत 49.45 करोड़ रुपए, डोडा जिले में दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (390 मेगावाट), अनुमानित लागत 410.57 करोड़ रुपए, जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना लिमिटेड के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है ।

पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आरक्षण

[हिन्दी]

*602. श्री राम प्यारे पनिका : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए स्थानों के आरक्षण हेतु कहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनके लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए है और क्या पब्लिक स्कूलों ने उन निदेशों का पालन किया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इन पब्लिक स्कूलों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ) कोई आरक्षण नहीं है, किन्तु योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत आवासीय पब्लिक स्कूलों में दाखिले के लिए अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7/30 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे सैनिक स्कूलों और मिलिटरी स्कूलों में दाखिले के लिए अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जन जातियों के लिए 7/30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। पब्लिक स्कूल प्रायः वे स्कूल हैं, जो सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त नहीं करते हैं। इनमें से कुछ संस्थाएं अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित हैं। दाखिले के लिए अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरिक्षत करने के वास्ते ऐसे स्कूलों को निर्देश जारी नहीं किए गए है।

उड़ीसा में कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान

[अनुवाद]

*603. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा बरहामपुर विश्वविद्यालय के अधीन कौन-कौन से गैर-सरकारी और सरकारी कालेजों को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कालेजों के विकास तथा अन्य गतिविधियों के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त हुए हैं ;

(ख) इस विश्वविद्यालय के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कालेजों के विकास के लिए धनराशि प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो छठी योजना के दौरान कितनी राशि के अनुदान प्रदान किए गए ; और

(घ) क्या भवनों के निर्माण के लिए उड़ीसा सरकार से अंशदान मिल रहा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें बरहामपुर

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत उन कालेजों के नाम दर्शाए गए हैं, जिन्होंने छठी योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त की है।

(ख) छठी योजना में कालेजों को सहायता के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार पुस्तकों और उपस्कर की खरीद के लिए तथा शिक्षक शिक्षावृत्ति प्रदान करने के लिए मूल सहायता उन मान्यता प्राप्त कालेजों को संस्वीकृत की जाती है, जिनके डिग्री पाठ्यक्रमों में 150 छात्र दाखिल हों और जिनमें 5 स्थायी शिक्षकों की संख्या हो। पुस्तकों के लिए प्रतिछात्र 50 रुपए की और उपस्कर के लिए प्रति छात्र 150 रुपए बशर्ते कि अधिकतम क्रमशः 40,000 रुपए और 50,000 रुपए से अधिक न हो, की मूल सहायता दी जाती है। इसके अलावा, अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के विकास के लिए 4 लाख रुपए तक की सहायता पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कालेजों को उपलब्ध है यदि उनमें 200 छात्र दाखिल हों और 5 शिक्षकों की संख्या हो। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कालेजों को भी इस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है, यदि उनमें कम से कम 100 छात्र दाखिल हों। जिनमें से कम 35 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हों!

(ग) प्रत्येक कालेज को अनुमोदित और प्रदान किया अनुदान भी संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि भवन परिगोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा समान हिस्सा दिया गया है या नहीं।

विवरण

छठी योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से बरहामपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जिन कालेजों ने सहायता प्राप्त की है, उनके नाम तथा उनको दिए गए अनुदान

क्रम० सं०	कालेजों के नाम	छठी योजना के दौरान अनुमोदित	दिया गया अनुदान दिया गया
	(क) निजी कालेज	रुपए	रुपए
1.	अस्का विज्ञान कालेज, अस्का	3,38,050	84,239
2.	गुनुपुर कालेज, गुनुपुर	3,45,800	1,97,377
3.	के० एस० यू० बी० कालेज, भंजनगर	2,41,150	1,31,549
4.	डी० ए० वी० कालेज, कोरापुट	2,81,450	1,97,737
5.	गंजम कालेज, गंजम	2,14,316	1,04,188

1	2	3
6. हिंजीलीकुट विज्ञान कालेज, हिंजलीकुट	1,07,900	37,110
7. नवरंगपुर कालेज, नवरंगपुर	1,38,100	85,631
8. आर० एम० विज्ञान कालेज, खालीकोटे	2,65,825	1,80,971
9. रायागादा कालेज, रायागादा	3,69,934	2,94,936
10. विज्ञान कालेज, छत्तरपुर	90,500	45,105
11. लिंगराजा विधि कालेज, बरहमपुर	45,500	35,000
(ख) राजकीय कालेज		
1. राजकीय विज्ञान कालेज, फुलबनी	3,61,050	1,75,445
2. एस० के० सी० जी० कालेज, परला खलमुड़ी (गंजम)	2,98,500	1,50,200
3. विक्रम देव कालेज, जयपोरे	5,74,024	5,07,352
4. महिला कालेज, बरहमपुर	2,36,050	71,575
5. खालीकोटे कालेज, बरहमपुर	8,63,217	6,00,036

सर्कुलर रेलवे का बेलघरिया तक विस्तार

604. **श्री आशुतोष लाहा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सर्कुलर रेलवे को बेलघरिया स्टेशन तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) बेलघरिया पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल के दमदम जंक्शन-नेहाटी उपनगरीय

खंड पर एक स्टेशन है और दमदम जंक्शन के 4.45 कि० मी० उत्तर में स्थित है। दमदम जंक्शन सियालदह मंडल की मौजूदा उपनगरीय रेलवे तथा प्रस्तावित कलकत्ता परिक्रमा रेलवे का एक साझा स्टेशन होगा और इस प्रकार दोनों प्रणालियों को जोड़ेगा। अतः यह परियोजना पूरी हो जाने पर बेलघरिया निवासी दैनिक यात्री कलकत्ता परिक्रमा रेलवे की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

केरल में निर्माणाधीन पन-बिजली परियोजनाएं

605. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितनी पन-बिजली परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की आशा है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	मार्च 84 तक किया गया व्यय	चालू करने की सम्भावित तारीख	वर्तमान स्थिति
			मार्च, 83 तक सम्भावित व्यय (करोड़ रुपये में)	पहली यूनिट अन्तिम यूनिट	
1.	इदमलयार	2x37.5	61.34 70.34	1985-86	बांध के निर्माण कार्य लगभग पूरे हो गए हैं। हैड रेस सुरंग लगभग पूरी हो गयी है। जल कपाट लगभग पूरे होने वाले हैं। वाल्व घर का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। यूनिटों का उत्पादन कार्य पूरा होने वाला है।

1	2	3	4	5	6
2.	कवकड	2x25	9.90 10.45	1988-89	बांध के निर्माण कार्यों के लिए निविदाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है, बिजली घर के सिविल कार्यों के लिए ठेके दे दिए गए है। विद्युत उत्पादन यूनिटों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं।
3.	इडुक्की चरण-2	3x130	19.53 44.53	1985-86 7986-87	प्रेशर शाफ्ट के उत्थापन का कार्य पूरा होने वाला है। विद्युत उत्पादन यूनिटें उत्थापित की जा रही है।
4.	कल्लड	2x7 5	0.54 0.99	1988-89	बिजली घर के सिविल कार्यों के लिए निवदाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। विद्युत उत्पादन यूनिटों के लिए आर्डर दे दिया गया है।
5.	लोअर पेरियार	3x60	2.39 4.39	1989.90	आधारभूत कार्य पूरे हो गए हैं। विद्युत सुरंग के लिए ठेका दे दिया गया है।

कल्याण में रेल साईडिंग के नजदीक सुरंग मार्ग को चौड़ा करना

606. **श्री एस० जी० चोलाप** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कल्याण (मध्य रेलवे) में रेल साइडिंग के कारण के लोगों लिए पूर्वी कल्याण जिसे कलेश खाड़ी के नाम से जाना जाता है, जाने का कोई मार्ग नहीं है और हजारों लोगों को दो सुरंगों में से होकर जाना पड़ता है जो इतनी छोटी हैं कि लोगों को उसमें चलने में बड़ी कठिनाई होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सुरंगों को चौड़ा करने का विचार है और कम से कम एक सुरंग को मोटर चलाने योग्य बनाया जा सकता है ;

(ग) क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी लागत क्या है और इस कार्य के कब तक आरम्भ किए जाने की उम्मीद है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) संदर्भाधीन सुरंग वास्तव में कल्याण यार्ड से वर्षा के पानी की निकासी के लिए रेलवे द्वारा बनाये गए मेहराबदार पुल हैं। ये जनता द्वारा उपयोग किए जाने के लिए उपमार्ग नहीं हैं, किन्तु सूखे मौसम में पैदल यात्रियों द्वारा इनका उपमार्गों के रूप में उपयोग किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) कोई औपचारिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

समुद्रतट कटाव को रोकने के लिए राज्यों को ऋण

607 **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तटवर्ती राज्यों के क्या-क्या नाम हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्रतट के कटाव को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहाता देने का अनुरोध किया है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं ; जिनको इस सम्बन्ध में ऋण सहायता स्वीकृत की गई है ; और उक्त अवधि के दौरान उन्हें पृथक से कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ;

(ग) इस सम्बन्ध में प्रत्येक तटवर्ती राज्य द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य किन-किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) गुजरात, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु ने पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्र कटाव रोधी कार्यों के लिए ऋण सहायता के वास्ते अनुरोध किया था।

(ख) केरल को निम्नवत् ऋण सहायता प्रदान की गई थी :

1982-83	350.00 लाख रुपए
1983-84	350.00 लाख रुपए
1984-85	235.49 लाख रुपए

(ग) केरल द्वारा किए गए कार्य निम्नवत् हैं :

	नई समुद्री दीवारें	पुरानी समुद्री दीवारों का सुदृढ़ीकरण
	(किलोमीटर)	(किलोमीटर)
1982-83	13.00	5.00
1983.84	4.70	5.20
1984.85 (प्रत्याशित)	6.00	5.00

(घ) भारत सरकार ने तकनीकी समन्वय के लिए अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक समुद्र तट कटाव बोर्ड गठित किया है जिसमें समुद्रवर्ती राज्यों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं।

सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास की जैविक प्रयोगशाला में नमूनों की जांच में गिरावट

[अनुवाद]

4283. श्री एम० महलिंगम् : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास स्थित सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो के परिसर में चल रही जैविक प्रयोगशाला को निदेशक जैविक के प्रयोगशाला प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वतंत्र एकक घोषित किया गया है ; और

(ख) क्या उक्त दर्जा प्रदान किए जाने के बाद उसके एक स्वतंत्र एकक घोषित किए जाने की तारीख से उसकी जांच क्षमता में कोई सुधार हुआ है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी, हां।

भारत में समेकित ग्रामीण स्वास्थ्य और जनसंख्या परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अमरीकी सरकार द्वारा सहायता

4289. श्री अमरसिंह राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार भारत में समेकित ग्रामीण स्वास्थ्य और जनसंख्या परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार को सहायता दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के वर्ष के दौरान दी गई सहायता का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) क्या इस सहायता का उपयोग किया गया है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) निम्नलिखित वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका से मिली सहायता की राशि इस प्रकार है :—

1982-83	—	शून्य
1983-84	—	1.71 मिलियन अमरीकी डालर —1.83 करोड़ रुपये
1984-85	—	8.23 मिलियन अमरीकी डालर —10.42 करोड़ रुपये

(ग) जी, हां ।

"चाक पाउडर" के परिवहन हेतु माल डिब्बों की कमी

4285. श्री लाल राम केम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमृतसर रबर एण्ड जनरल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, अमृतसर और पेट्रस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, अमृतसर से पोरबन्दर से पंजाब के लिए "चाक पाउडर" के परिवहन हेतु माल डिब्बों की भारी कमी के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने लघु उद्योगों को चाक पाउडर की अनुपलब्धता की दृष्टि से इस मामले में कोई कार्यवाही की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश को "चाक पाउडर" के परिवहन हेतु माल डिब्बे कब आबंटित किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी हां। इन एसोसिएशनों से मार्च, 1985 में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें पोरबन्दर से पंजाब के गंतव्य स्टेशनों तक चाक पाउडर की ढुलाई के लिए माल डिब्बों के आबंटन हेतु अनुरोध किया गया था।

(ग) और (घ) प्रश्नगत यातायात फुटकर में प्राप्त हो रहा है। पोरबन्दर क्षेत्र में सोडा ऐश, सीमेंट, आदि के लिए ब्लाक रैकों की अन्य प्रतियोगी मांगें भी हैं। ब्लाक रैकों का

लदान प्राथमिकता के तौर पर किया जाता है। रेलें, ब्लाक रेकों के साथ फुटकर मांगों को जोड़ कर उन की दिशा वार पूर्ति के लिए यथा संभव प्रयास भी करती हैं। पोरबन्दर से अमृतसर के लिए इस प्रकार के चाक पाउडर के एक रेक का लदान 22/23.3.85 को किया गया था। इसके अलावा, मार्च, 1985 में राणावाव से पंजाब के गंतव्य स्टेशनों के लिए 58 माल डिब्बों का लदान किया गया था। 27.4.85 को केवल 58 मांगे बकाया थीं जो सभी फुटकर थीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गाजीपुर में केन्द्रीय विद्यालय

4286. **श्री अंतुले बशर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट ओपियम एण्ड एल्कोलाइड वर्क्स, गाजीपुर ने केन्द्रीय विद्यालय की आवश्यक सुविधायें प्रदान करने का प्रस्ताव करते हुए अपने परिसर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या जुलाई 1985 से उक्त विद्यालय खोला जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) गाजिपुर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का अनुरोध मुख्य नियंत्रक, गवर्नमेंट ओपियम एण्ड एल्कोलाइड फैक्ट्रीज से प्राप्त हुआ था, जिन्हें नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने के मानदंडों से अवगत करा दिया गया था।

जब नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव उपयुक्त प्राधिकरण से निर्धारित विधि के अनुसार प्राप्त होते हैं तो उन पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विचार किया जाता है। गाजीपुर में नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने का ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय विद्यालय संगठन को प्राप्त नहीं हुआ है।

कर्नाटक में रेलवे के निर्माण कार्यों के लिए धन का आबंटन

4287. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल विकास निर्माण कार्य समिति कर्नाटक के अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री को अनुरोध किया है कि राज्य को पूर्ण/पर्याप्त धन आबंटित किया जाए क्योंकि धन के कम आबंटन के कारण सभी रेल निर्माण कार्य ठप्प पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : रेल डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कमेटी, कर्नाटक" के अध्यक्ष से कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। बहरहाल, संसाधनों की स्थिति में सुधार होने तक इन परियोजनाओं के लिए इस समय अधिक धन आबंटित करना संभव है।

हावड़ा में सर्कुलर रेलवे

4288. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना में कलकत्ता की तरह हावड़ा में भी सर्कुलर रेलवे बनाने का है; और

(क) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में इस वर्ष सर्वेक्षण करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही उठता।

विश्वविद्यालयों में गांधी और नेहरू के संबंध में अध्ययनों को बढ़ावा देना

4289. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में गांधी और नेहरू संबंधी अध्ययनों को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गांधी विचारधारा एवं मान्यताओं में पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है। इस समय इन पाठ्यक्रमों के लिए 9 विश्वविद्यालय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों में सतत् स्वरूप के कार्यक्रम ; व्याख्यान एवं प्रदर्शनियां आयोजित करने और समुदायोन्मुख कार्यक्रमों को आरम्भ करने वाले केन्द्रों के रूप में गांधी भवन स्थापित किए गए हैं। गांधी अध्ययन की प्रोन्नति के लिए पांच अनुसंधान एसोसिएटशिप्स भी आवंटित किए गए हैं।

नेहरू अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डाक्टरल एवं उत्तर डाक्टरल अध्ययन के लिए राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति एवं अनुसंधान शिक्षावृत्ति आरम्भ करने का निर्णय किया है। अब तक राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति डा० एम०एन० दास, कुलपति, उत्कल विश्वविद्यालय को प्रदान की गई है। वर्ष 1985-86 से नेहरू अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 5 कनिष्क शिक्षावृत्तियां एवं 5 अनुसंधान एसोसिएशिप्स आरम्भ किए जा रहे हैं। एम० ए० के स्तर पर नेहरू पर एक विशेष वैकल्पिक पेपर की रूपरेखा विकसित की गई है एवं उसे विश्वविद्यालयों में विचारार्थ परिचालित किया गया है। वर्ष 1985-86 के दौरान सेमिनार, विचार गोष्ठियां आदि आयोजित करने के लिए 8 विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए हैं।

पोर्टब्लेयर स्थित केन्द्रीय विद्यालय में अध्यापकों की संख्या

4290. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोर्ट ब्लेयर (अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह) स्थित केन्द्रीय विद्यालय में अध्यापकों की संख्या कम है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कमी को पूरा करने हेतु अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पोर्ट ब्लेयर स्थित केन्द्रीय विद्यालय में अध्यापकों की स्वीकृति संख्या का विषय-वार ब्यौरा क्या है, उनमें से कितने पद भरे गए और कितने रिक्त पड़े हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) शिक्षण स्टाफ के संस्वीकृत 44 पदों में से, पोर्ट ब्लेयर स्थित केन्द्रीय विद्यालय मे वर्ष 1984-85 के दौरान 39 व्यक्ति कार्यरत थे। इस स्कूल में रिक्तियों के भरने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा सभी प्रयास किये जाते हैं।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	पद का नाम	1982-83		1983-84		1984-85	
		संस्वीकृत	भरे गए	संस्वीकृत	भरे गए	संस्वीकृत	भरे गए
1.	प्रिंसिपल	1	1	1	1	1	1
2.	उप-प्रिंसिपल	—	—	1	—	1	—
3.	मुख्य अध्यापक	—	—	—	—	1	—
4.	(क) पी०जी०टी० (मानविकी)						
	(i) हिन्दी	1	1	1	1	1	1
	(ii) अंग्रेजी	1	1	1	—	1	1
	(iii) संस्कृत	1	1	1	1	1	1
	(iv) इतिहास	1	1	1	1	1	1
	(v) अर्थशास्त्र	1	1	1	1	1	1
	(vi) भूगोल	1	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8
	(ख) पी०जी०टी० (विज्ञान)						
	(i) भौतिकी	1	1	1	1	1	1
	(ii) रसायन शास्त्र	1	1	1	1	1	1
	(iii) गणित	1	1	1	1	1	—
	(iv) जीव विज्ञान	1	1	1	1	1	1
5	(क) टी० जी० टी० (मानविकी)						
	(i) हिन्दी	1	1	1	1	2	2
	(ii) अंग्रेजी	2	2	2	2	3	3
	(iii) सामाजिक अध्ययन	1	1	1	1	2	2
	(ख) टी० जी० टी०						
	(i) गणित	2	2	2	—	2	2
	(ii) जीव विज्ञान	2	2	2	2	2	2
6.	प्राथमिक अध्यापक	12	9	12	9	13	11
7.	विविध						
	(i) संगीत अध्यापक	1	1	1	1	1	1
	(ii) शारीरिक शिक्षा अध्यापक	1	1	1	1	1	1
	(iii) ड्राइंग अध्यापक	1	1	1	1	1	1
	(iv) कार्य अनुभव (लड़के)	1	1	1	—	1	1
	(v) कार्य अनुभव (लड़कियां)	1	—	1	—	1	1
	(iv) योग अध्यापक	2	2	2	2	2	2

नर्सों की समस्यों के अध्ययन के लिए समिति

4291 **श्री राम पूजन पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने नर्सों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की जानकारी में लाई गई समस्याओं का क्या ब्यौरा है और समिति ने उनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में क्या सिफारिश की तथा रिपोर्ट किस तारीख को पेश की गई;

(ग) क्या अब तक सरकार ने समिति की सिफारियों को कार्यान्वित कर दिया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और किस सीमा तक उन्हें कार्यान्वित किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) देश में नर्सों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा कोई समिति गठित नहीं की गई है।

सरकार द्वारा 1954 में एक ऐसी नियुक्त की गई थी और उसकी सिफारिशें कुल मिलाकर देश में नर्सिंग सेवाओं की योजना का आधार बनी। तथापि, समय बीतने के कारण इनमें से अधिकतर सिफारिशों की प्रासंगिकता समाप्त हो गई।

निजाम आर्थोपेडिक हास्पीटल में सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सहायता देने के लिये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अनुरोध

4292. **श्री बी० सोभनाद्री सबरा राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद स्थित निजाम आर्थोपेडिक हास्पीटलों में हृदय संवहनी (कार्डियो वस्कुलर) और तंत्रिका अस्त्रापचार (न्यूरोसर्जरी) के क्षेत्रों में नवीनतम शल्य उपचार आरम्भ करने हेतु सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त उपकरण हैदराबाद में कब तक उपलब्ध कर दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) इस बात को देखते हुए कि राज्य सरकार के संस्थानों में सुपर-स्पेसियलिटीज सुविधाओं की व्यवस्था हेतु धन देने के लिए कोई केन्द्रीय योजना नहीं है, राज्य सरकार को

यह सलाह दी गई कि वे इसके लिए राज्य की वार्षिक योजना में प्रावधान करें। यह भी कहा गया था कि अस्पताल के लिए अनिवार्य जीव-चिकित्सा उपकरणों का आयात करने पर सीमा शुल्क में छूट के रूप में तथा विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से विदेशों में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं के रूप में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की जाएगी।

नौवहन कम्पनियों के संबंधी सक्षमता रिपोर्ट

4293. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन कंपनियों संबंधी सक्षमता रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि एस०डी०एफ०सी० द्वारा सहायता प्राप्त 11 कंपनियों के 21 मार्च, 1985 तक के समूचे चुकवाले ऋणों की एक वर्ष के अधिस्थान काल सहित वर्ष 1986-87 से 1989-90 तक चार समान किश्तों में वापसी अदायगी की शर्त तय की जाये,

(ख) यदि हां, तो क्या उन शेष छः कंपनियों के संबंध में जो तुलनात्मक रूप से अक्षम हैं रिपोर्ट में भिन्न प्रकार सिफारिशें की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो अन्य क्या सिफारिशें की गई हैं, और

(घ) इससे नौवहन कम्पनियों को कितनी सहायता मिलेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) छः अपेक्षाकृत अलाभकारी कंपनियों को नौवहन विकास निधि समिति के बकाया ऋण और वाणिज्यिक बैंक के सा.फोंस ऋण की अदायगी के लिए फिर से समय नियत करने के अलावा जिस एक मुश्ता सहायता की सिफारिश की गई है, उसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) जो ऋण चुकता नहीं किया गया, उसे चुकाने के लिए फिर से दीर्घ समय आदि नियत करना।

(ii) पुराने और अलाभकार जहाजों की बिक्री और नए जहाज की खरीद।

(iii) विदेशी मुद्रा ऋण चुकता करने के लिए फिर से समय आदि नियत करने के लिए नौवहन विकास निधि की काउन्टर गारन्टी की सुविधा प्रदान करना।

(iv) 31 मार्च, 1985 के बाद भारतीय मुद्रा में ऋण और उक्त ऋण की वसूली के लिए प्रक्रिया बदलना।

(v) जहाज बिक्री करने के समय उस पर ऋण की जितनी राशि बकाया है उसे अन्य ऋणी जहाजों के खाते में अंतरित करना।

(vi) स्थगित ऋण/यूरो-डालर ऋण की किस्त पर जिसके लिए नौवहन विकास निधि समिति ने गारन्टी दी थी, जमा ब्याज का भुगतान ।

अनवरत मंदी के संदर्भ में नौवहन कम्पनियों को आर्थिक सहायता देने के बारे में जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक सरकार उन्हें 31-3-1985 से अगले एक वर्ष के लिए भारतीय मुद्रा में ऋण देते रहने पर राजी हो गई है ।

कोयम्बटूर-मद्रास एक्सप्रेस में अग्रिम आरक्षण की सुविधा पुनः बहाल करना

4294. **श्री आर० अन्नादाम्बी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु नागरिक कल्याण परिषद ने दक्षिण रेल के महाप्रबन्धक को भेजे गए एक ज्ञापन में आग्रह किया है कि कोयम्बटूर-मद्रास (दिन की गाड़ी) एक्सप्रेस में अग्रिम आरक्षण की सुविधा पुनः बहाल की जाये ;

(ख) क्या 11 जनवरी, 1984 से आरक्षण की सुविधा वापिस लिए जाने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) मद्रास और कोयम्बटूर के बीच 73/74 चेरन एक्सप्रेस से अग्रिम आरक्षण की सुविधाओं को, जिन्हें 11.1.1985 से वापस ले लिया गया था, 1.2.1985 से पुनः शुरू कर दिया गया है ।

हसनपरटी रोड (काजीपेट) से निजामाबाद तक रेल लाइन

4295. **श्री सी० अंगा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल बोर्ड ने 1978 में अथवा किसी अन्य समय आन्ध्र प्रदेश के जिलों को परस्पर जोड़ने के लिए राज्य में हसनपरटी रोड (काजीपेट) से निजामाबाद तक बाराइता करीम नगर नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस रेल लाइन की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस लाइन को शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) : रामगुंडम से निजामाबाद तक नयी बड़ी लाइन के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का अद्यतन

हाल ही में पूरा किया गया है। इस सर्वेक्षण में करीमनगर के रास्ते (193.8 कि०मी०) उप्पल (हसनपती रोड़ के निकट) से निजामाबाद तक एक वैकल्पिक मार्ग भी शामिल है। इसकी लागत 77.48 करोड़ रुपये आंकी गई है।

(ग) और (घ) इस लाइन को सातवीं पंचवर्षीय योजना में, जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है, इसके बहुत कम वित्तीय प्रतिफल, संसाधनों की अत्यधिक तंगी और पहले से की गई भारी वचनबद्धताओं के कारण, शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

निर्माणाधीन नहरें

4296. श्री मीरसैयद बशर हुसैन बाशिंदार : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को धन का आबंटन करके पहले से प्रारम्भ नहर निर्माण कार्यों को पूरा करने की प्राथमिकता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक जितनी लक्षित लम्बाई पूरी हो जानी चाहिए थी उसकी तुलना में कितने किलोमीटर लंबी नहरें पूरी की गई हैं; और

(ग) शेष कार्यों का पूरा करने के लिए और कितना धन अपेक्षित है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ग) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त-व्यवस्था और कार्यान्वयन राज्य सरकारें करती हैं तथा परियोजना निर्माण कार्य विशेष के लिए धनराशि का आबंटन भी राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है। राज्यों को केन्द्र से जो धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, वह ब्लाक ऋण तथा अनुदानों के रूप में होती है और वह किसी विशिष्ट स्कीम के लिए नहीं होती है। नहरें, सिंचाई परियोजनाओं का एक हिस्सा होती हैं और निर्माधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धनराशि के आबंटन में राज्यों द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है।

पूरी की जा चुकी नहरों की लम्बाई तथा शेष रहे नहर-निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशि के बारे में विशिष्ट सूचना भी केन्द्र में नहीं रखी जाती।

दिल्ली परिवहन निगम मार्ग निर्देशिका का प्रकाशन

4297. श्री राम समुझावन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि डी०टी०सी द्वारा चलाये जा रहे सैकड़ों रूटों के बारे में अद्यतन जानकारी देने वाली मार्ग निर्देशिका की शक्ल में किसी समय सारणी पुस्तिका के न होने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार की मार्ग निर्देशिका को जल्द

से जल्द प्रकाशित करने तथा निर्धारित अन्तराल के पश्चात् इसके नियमित प्रकाशन को सुनिश्चित करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां, । तथापि नई रूटों या मौजूदा रूटों में कोई फेरबदल के बारे में प्रेस को सूचना दे दी जाती है जिससे यात्रियों को असुविधा न हो ।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम ने रूट गाइड गैप और समय सारणी प्रकाशित करने का फैसला किया है । अद्यतन समय सारणी भी नियमित अन्तराल पर जारी की जाएगी ।

के सिंगा रेलवे स्टेशन के रेलवे प्लेटफार्म और बुकिंग कार्यालय की दिशा (साइड) को बदलना

4298. **श्री जयन्नाथ पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के केसिंगा रेलवे स्टेशन के रेलवे प्लेटफार्म और बुकिंग आर्यालय की दिशा साइड बदलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लाभ के सही व्यवहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसे बदलने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) चूंकि वर्तमान स्टेशन उपयुक्त पहुंच मार्गों से जुड़ा हुआ है और दोनों प्लेटफार्म ऊपरी पैदल पुल से जुड़े है, अतः बुकिंग कार्यालय आदि को दूसरी जगह बदलना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

मध्य प्रदेश में छठी योजना के दौरान प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम

4299. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन जिलों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए गए ; और

(ख) उक्त योजना काल के दौरान रायगढ़ जिले में कितने प्रौढ शिक्षा केन्द्र खोले गए ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) मध्य प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किये गये जिलों के नामों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है;

(ख) रायगढ़ जिले में वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान खोले गये प्रौढ़

शिक्षा केन्द्रों की संख्या क्रमशः 800 तथा 707 थी। राज्य सरकार से वर्ष 1984-85 के लिये आंकड़ों की प्रतीक्षा है।

विवरण

1. मुरेना
2. गुना
3. शिवपुरी
4. रेवा
5. सतना
6. शहडोल
7. सिंधी
8. होशंगाबाद
9. राजगढ़
10. रायसेन
11. ग्वालियर
12. सिहोर
13. खण्डवा
14. बालाघाट
15. सागर
16. दुर्ग
17. बैतुल
18. इन्दौर
19. धार
20. झबुआ
21. खारगांव
22. रायपुर
23. जगदालपुर
24. जबलपुर

25. राजनन्दगांव
26. सिओनी
27. विदिशा
28. भिन्ड
29. दमोह
30 उज्जैन
31. रतलाम
32. मान्डला
33. मन्दसोर
34. शाजापुर
35. बिलासपुर
3 . रायगढ़
37. पन्ना
38. टीकमगढ़
39. दिवास
40. दातेयाड़ा
41. छत्तरपुर
42. चिन्दवाड़ा
43. भोपाल
44 नरसिंहपुर
45. दातिया
46. सुरगुजा
47. बस्तर

दिल्ली परिवहन निगम के चालकों में अनुशासनहीनता

4300. श्री एच० ए० डोरा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 1 अप्रैल, 1985 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "डी० टी० सी० ड्राईवरों ब्लॉक ट्रैफिक इन अशोक बिहार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपयुक्त घटना से यह पता चलता है कि दिल्ली परिवहन निगम के चालकों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली परिवहन निगम के चालकों में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खियाउई-रहमान अन्सारी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं, इस प्रकार की घटनाएं यदा-कदा ही होती हैं और ऐसा अक्सर तभी होता है जब बस के कर्मीदल पर हमला किया जाता है ।

(ग) जिन मामलों में दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को दोषी पाया जाता है, वहां उनके विरुद्ध उपयुक्त विभागीय कार्रवाई की जाती है ।

मैनिनजाइटिस के उपचार में होम्योपैथिक दवाओं का प्रभाव तथा टीके का निर्माण

4301. **डा. जी. विजय रामा राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 मार्च 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में होम्योपैथिक ड्रग्स और एफेक्टिव इन मैनिनजाइटिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार की इसके टीके का निर्माण करने की कोई योजनायें हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या हमारी टीका और "सेरा" अनुसंधान प्रयोगशालायें मेनिनजाइटिस जैसे रोगों का टीका विकसित करने के अपने कार्य में असफ रही हैं और इन टीकों का आयात किया जा रहा है ;

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् को यह अनुदेश दे दिया गया है कि जब की देश के किसी भी भाग से बीमारी के फैलने या महामारी रिपोर्ट मिले तो वे उस बीमारी की जांच/उपचार करने तथा रोगरोधन के उपायों के लिए अध्ययन दलों का गठन करने के सम्बन्ध में उपयुक्त कदम उठाएं ।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जिनमें रोग प्रतिरक्षण योजनाएं शामिल हैं, के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित अधिकतर वैक्सीनों और सीरा के उत्पादन का हमारी वैक्सीन और सीरा अनुसंधान प्रयोगशालाओं में प्रबन्ध है।

जोधपुर एक्सप्रेस का सामदारी जंकशन पर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस से मिलान

[हिन्दी]

4302. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामदारी जंकशन पर प्रातःकाल अहमदाबाद से आने वाली जोधपुर एक्सप्रेस के आगमन के समय में तथा जोधपुर से बाड़मेर जाने वाली आगरा फोर्ट एक्सप्रेस के प्रस्थान के समय में केवल 15 मिनट का अन्तर रहता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समय में उक्त अन्तर होने के कारण सामदारी जंक्शन पर जोधपुर एक्सप्रेस से उतरने वाले यात्री बलोतरा और बाड़मेर जाने के लिए आगरा फोर्ट एक्सप्रेस से यात्रा का लाभ नहीं उठा पाते ; और

(ग) यदि हां, तो क्या बलोतरा और बाड़मेर जाने वाले यात्रियों के लाभ के लिए उक्त रेलगाड़ियों का सामदारी में मिलान के लिए समय सारिणी में में परिवर्तन करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) समदड़ी जंकशन पर 265 अप जोधपुर एक्सप्रेस के पहुंचने और 207 अप आगरा फोर्ट एक्सप्रेस के छूटने के समय में 20 मिनट का अन्तर है।

(ख) और (ग) समदड़ी जंकशन पर 265 अप जोधपुर एक्सप्रेस और 207 आगरा फोर्ट एक्सप्रेस से मेल लेने की व्यवस्था करने की व्यावहारिकता की जांच की गयी है लेकिन परिचालनिक दृष्टि से मेल लेने की व्यवस्था करने की व्यावहारिकता की जांच की गयी है लेकिन परिचालनिक दृष्टि से इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

कम्प्यूटरों द्वारा आरक्षण और माल बुक कराने पर खर्च की जाने वाले राशि

[अनुवाद]

4303. **श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा आरक्षण और माल की बुकिंग के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग आरंभ किया जाने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो कम्प्यूटरों पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है ; और

(ग) इस आधुनिकीकरण से जनता को क्या लाभ होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली क्षेत्र में यात्री आरक्षण का संगणकीकरण करने पर लगभग 11.8 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। माल प्रबन्ध-व्यवस्था के संगणकीकरण पर लगभग 520 करोड़ रुपए लागत आएगी जिसमें से 170 करोड़ रुपए संगणक खंड तथा 350 करोड़ रुपए संचार खंड के लिए होंगे।

(ग) यात्री आरक्षण और माल प्रबन्ध-व्यवस्था के संगणकीकरण से रेलों द्वारा अपने उपयोगकर्ताओं को दी गयी सेवा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार आयेगा। इसके अतिरिक्त माल प्रबन्ध-व्यवस्था पद्धति से चल रहे [illegible] के उद्योग में भी सुधार होगा।

उच्चतर शिक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधी समिति की सिफारिशें

4304. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग सम्बन्धी समिति के ब्रिटेन से भारत के दौरे पर आए दल ने भारतीय विश्वविद्यालयों के शोध छात्रों और अध्यापकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ क्या शर्तें और कार्य प्रणाली तय की है ; और

(ख) दोनों देशों की अन्तर-विश्वविद्यालय संस्कृति के विकास के लिए ब्रिटेन और भारत में संस्थानों के बीच क्या अग्रेतर संपर्क स्थापित करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा सहयोग समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले चार सदस्यीय ब्रिटिश दल ने, प्रथमतः भारतीय उच्चतर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त करने और विश्व- विद्यालय अनुदान आयोग (वि० सं० वि० यो०) की प्रगति और इस कार्यक्रम को और आगे विकसित करने के लिए किए गए उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए अभी हाल ही में भारत का दौरा किया। आयोग दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है।

मध्य प्रदेश को कोयले के वैगनों का आबंटन

[हिन्दी]

4305. **श्री महेन्द्र सिंह** :

श्री बालकवि बैरागी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को उसकी कुल आवश्यकता के केवल 30.9 प्रतिशत वैगन आबंटित किए जा रहे हैं और क्या सुपरिटेंडेंट, शूटमेंट रेलवे (ट्रैफिक) को और डिविजनल सुपरिन्टेंडेंट बिलासपुर इस आबंटन से 50 प्रतिशत की कटौती करते हैं और इस प्रकार वास्तव प्रयोक्ता एककों को केवल 15 प्रतिशत वैगन आबंटित किए जाते हैं ;

(ख) क्या मंत्रालय को इस तथ्य की जानकारी है कि आबंटन में इस तरह की कटौती करने से वास्तविक प्रयोक्ता एककों के उत्पादन और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता हूं।

जबलपुर गोदिया रेल लाइन को बदलना

4306. **श्री मोहन लाल झिकरान :**
श्री अजय मुधरान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अदा कारी शाखा लाइन संबंधी समिति ने 1969 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में दक्षिण पूर्व रेलवे की जबलपुर गोदिया छोटी लाइन को भी शामिल किया था ;

(ख) छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण कार्य कब पूरा किया गया था ;

(ग) इस संबंध में मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई ; और

(घ) क्या इस रेल लाइन के निर्माण कार्य के सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) 1988 में।

(ग) चूंकि परियोजना अर्थक्षम नहीं पायी गयी थी, इसलिए इस पर आगे कार्रवाई नहीं की गयी।

(घ) जी नहीं।

रेल पेंशन भोगियों से प्राप्त अभ्यावेदन

[अनुवाद]

4307. **श्री चन्पन थामस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को (एक) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पासों के दो सैट जारी करने (दो) पालघाट रेल डिविजन के रेलवे पेंशन भोगियों के बेटे और बेटियों को चतुर्थ श्रेणी के पद उपलब्ध कराने (तीन) रेलवे अस्पताल से दूर रहने वालों को चिकित्सा

भत्ता उपलब्ध कराने तथा (चार) पहली नवम्बर, 1984 के पश्चात देय मंहगाई भत्ता राहत देने के संबंध में रेल पेंशन भोगियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके अभ्यावेदन पर क्या कार्रवाई की गई है ;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवा-निवृत्त होने वाले वर्ग "घ" (चतुर्थ श्रेणी) के रेल कर्मचारी इस समय केवल अपने लिए तथा अपनी पत्नी के लिए दो वर्ष में एक बार मुफ्त रेलवे पास के एक सैट पाने के हकदार हैं। इस मामले की कई बार जांच की गयी है और इस मानदंड को उदार बना सम्भव नहीं पाया गया है।

नियोजन के मामले में रेलवे पेंशन भोगियों के आश्रितों को कोई विशेष तरजीह देना संभव नहीं है क्योंकि यह अवसर की समानता के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा।

सेवा-निवृत्ति होने के बाद रेल कर्मचारी बहुत मामूली शुल्क का भुगतान करके सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना में शामिल होने का विकल्प दे सकते हैं। इस योजना के तहत सेवा निवृत्त रेल कर्मचारी बहिरंग रोगी के रूप में इलाज, उन्हें आमतौर पर स्टाक की गयी दवाइयों की सप्लाई की जाती है और निःशुल्क नेमी जांच के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी रेलवे अस्पतालों में रियायती दरों पर अंतरंग इलाज और विशेष जांच के पात्र भी हैं। किन्तु, नियमों के अनुसार सेवा विवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता स्वीकार्य नहीं है।

नवम्बर, 1984 के बाद पेंशन भोगियों को राहत की स्वीकृति का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों से है और अकेले रेलवे पेंशन भोगियों के सम्बन्ध में कोई एक पक्षीय कार्रवाई करना सम्भव नहीं है।

बालासमुद्रम के समीप चौकीदार-रहित फाटक का खोला जाना

4308. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में अनन्तपुर जिले के कदीरी में बालासमुद्रम के समीप एक चौकीदार रहित फाटक खोलने का कोई प्रस्ताव है, ताकि "धम्मी सेटवरी पल्ली" गांव तथा अन्य गांवों को जाने के लिए यातायात सुविधाजनक हो सके ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही करने तथा वहां जल्दी ही एक चौकीदार रहित फाटक खोलने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) वर्तमान नियमों के अनुसार नए समपारों की व्यवस्था के लिए अनुरोध राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित करना होता है जिसमें उन्हें प्रारंभिक और आवर्ती खर्च वहन करने का आश्वासन देना होता है। बालासमुद्रम के निकट नये समपार हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर, स्थानीय प्राधिकरण

से, सर्वेक्षण करने और नक्शा तथा अनुमान तैयार करने के लिए प्रभार जमा कराने तथा प्रारंभिक और आवर्ती लागत वहन करने के लिए अपनी स्वीकृति भेजने का अनुरोध किया गया है। स्थानीय प्राधिकरण के उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।

हिजली रेलवे स्टेशन पर भंडार में रखे डीजल से कूओं का प्रदूषित होना

4309. **श्री नारायण चांदे** : क्या रेल यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दक्षिण पूर्व रेलवे में हिजली रेलवे स्टेशन पर डीजल को भंडार में रखने से खड़गपुर नगर पालिका क्षेत्र में सोनामुखी के निवासियों के कुएं प्रदूषित हो रहे हैं ;

(ख) क्या रेलवे प्रशासन ने ऐसे कोई कदम उठाए हैं जिससे रेलवे के डीजल से खड़गपुर नगरपालिका क्षेत्र के निवासियों के कुएं प्रदूषित न हों ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां। तेल के रिसाव को रोकने के लिए हिजली में ईंधन भरने के स्थानों पर रेल प्रशासन सीमेंट के ऐप्रन की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

हिन्दी पुस्तकों की खरीद

4310. **श्री रामपाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक रेल लाइब्रेरी के लिए रेल कर्मचारियों द्वारा लिखित हिन्दी पुस्तकें खरीदने के आदेश हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तृतीय श्रेणी से संबंधित लेखकों की अपेक्षा करते हुए वर्ष 1982-83, 1983-84 के दौरान वरिष्ठ हिन्दी अधिकारियों द्वारा लिखित बहुत सी पुस्तकें अनुमोदित की गई और खरीदी गई ;

(ग) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान वर्ग-वार कितने अधिकारियों की पुस्तकें अनुमोदित की गई और खरीदी गई ; और

(घ) इन आदेशों को कार्यान्वित न करने के संबंध में सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) हिन्दी पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों का अनुमोदन रेलवे हिन्दी सलाहकर समिति की पुस्तक चयन उप-समिति

द्वारा किया जाता है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर पुस्तकालयों के लिए रेल कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में लिखी गयी पुस्तकें खरीदे जाने के लिए क्षेत्रीय रेलों को कहा गया है और क्षेत्रीय रेलों द्वारा इन अनुदेशों का अधिकांशतः अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) कोटि वार सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ) इस सम्बन्ध में जब कभी कोई शिकायत मिलती है तो निवारक कार्रवाई की जाती है।

डीजल और इंजनों का निर्माण

[हिन्दी]

433. डा० ए० के० एटल :

श्री सी० गंगा रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगले पांच वर्षों के दौरान डीजल और विद्युत इंजनों के निर्माण के बारे में वार्षिक योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : वर्ष (1985-86 और (86-87) के दौरान डीजल और बिजली रेल इंजों के उत्पादन के लिए अनंतिम योजनाएं नीचे दी गयी हैं :—

	डीजल		बिजली
	डी० रे० का० से०	चि० रे० का० से०	चि० रे० का० से०
1985-86	100	24	58
1986-87	135	36	65
1987-88	119	—	—

1987-88 के लिए चि० रे० का० के लिए और और 1988-86 तथा 1989-60 के लिए डी० रे० का० और चि० रे० का० लिए रेल इंजनों के निर्माण की योजनाओं को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उपर्युक्त आंकड़ों में सार्वजनिक उपक्रमों के लिए रेल इंजन शामिल नहीं किए गए हैं।

ड्राइवरों को बकाया राशि का निपटान

[अनुवाद]

4323. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दक्षिण पूर्व रेलवे के रेल-अधिकारियों को यह निदेश देते हुए 1984 के अक्तूबर माह में एक अन्तरिम आदेश दिया है कि जिन लोकों ड्राइवरों को सेवा भंग के दंड के साथ सेवा से सेवानिवृत कर दिया गया था, उनकी निपटान-राशि को अदायगी का अस्थायी भुगतान जिस तारीख को उन्हें दंड दिया गया उस तारिख तक की उनकी सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आन्तरिम आदेश को कार्यान्वित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेल प्रशासन ने एक जब के निर्णय के विरुद्ध पूर्ण बेंच के समक्ष अपील दायर करने का प्रस्ताव किया था क्योंकि जिन कर्मचारियों की सेवा भंग कर दी गयी उनके मामले में पिछली सेवा की गणना करके सेवा-निवृत्ति देय राशि के निपटारे के लिए नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, इस बीच, रेल मन्त्रालय ने मामले पर विचार किया और सभी रेल प्रशासन को निदेश देते हुए अनुदेश जारी किये कि फरवरी, 1981 तक सेवा भंग से जो प्रभावित हुए हैं, उन सभी सेवा-निवृत्त रेल इंजन ड्राइवरों के सेवा-भंग को माफ कर दिया जाये। तदनुसार, रेल प्रशासन सेवा-निवृत्त कर्मचारी को निपटारे की देय राशि के भुगतान की व्यवस्था कर रहा है।

कस्तूरी मृग अनुसंधान परियोजना, महरोडी

[हिन्दी]

4313. **श्री हरीश रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पिथोरागढ़ जिले में महरोडी में एक कस्तूरी मृग अनुसंधान परियोजना चलाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय इस परियोजना के अंतर्गत कितने कस्तूरी मृग रखे जा रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विभाग द्वारा इस परियोजना के लिए अपेक्षित अनुदान न दिये जाने के कारण इन मृगों को सही ढंग से खिलाया खिलाया नहीं जा रहा है !

(घ) यदि हां, तो क्या इस परियोजना का विस्तार करने और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सरकार का विचार भविष्य में इस परियोजना के लिये अनुदान की राशि बढ़ाने का है ; और

(ङ) यदि हां तो इस परियोजना के विस्तार की योजना कब तक तैयार किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) जी हां।

(ख) इस समय बाड़े में भिन्न-भिन्न आयु के 6 नर और 6 मादा मृग हैं और इनकी सुरक्षा और देख-भाल के लिए वहां 6 व्यक्ति तैनात हैं।

(ग) जी नहीं। इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित धन उपलब्ध किया जा रहा है और इन मृगों को सही ढंग से खिलाया-पिलाया जाता है।.

(घ) और (ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

आवश्यक औषधियों की सूची

[अनुवाद]

4314. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसी लगभग 200 बल्क औषधियों की सूची प्रकाशित की है लोगों को आमतौर पर होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए पर्याप्त है ;

(ख) क्या भारतीय बाजारों में विभिन्न ब्रांड नामों से बेचे जाने वाली औषधियों की संख्या लगभग 45,000 है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनिवार्य औषधियों के चयन सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने 1983 की तकनीकी रिपोर्ट की माला 685 में, पिछली रिपोर्ट में उल्लिखित अनिवार्य औषधियों की मंडल सूची की पुनरीक्षा की है और उसको अद्यतन बनाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इसके लगभग 268 मूल औषधियों और इन औषधियों के लगभग 322 एकल संघटक योगों का पता लगाया गया है जो अधिकांश लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी देखरेख के लिए अत्यन्त जरूरी समझे जाते हैं।

(ख) और (ग) औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम के अधीन औषधि निर्माण लाइसेंस, राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं। देश में 9000 से अधिक लाईसेंसशुदा निर्माता हैं। यह सच है कि देशभर में बड़ी संख्या में औषधि योग बेचे जा रहे हैं देश में वास्तव में बेचे जा रहे हैं। औषधि योगों की कुल संख्या का निर्धारण करना सम्भव नहीं है। इसका कारण यह है कि अनेक निर्माता विभिन्न ब्राण्ड नामों से उन्हीं अथवा उसी प्रकार की औषधि योगों को बेच रहे हैं।

भोपाल गैस से प्रभावित लोगों को मानसिक दबाव से पीड़ित होना

4315. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में 12 प्रतिशत गैस पीड़ित लोग मानसिक दवाब के शिकार हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) अब तक विशैली गैस में कितने कुप्रभावों की जानकारी हुई है और उन सभी का इलाज करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ;

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) प्रभावित क्षेत्र में एक मन: चिकित्सा क्लीनिक खोल दिया गया है ; जहां पर गैस से प्रभावित लोगों का योग्य और अनुभवी मन: चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जाता है। दो चलते-फिरते दल भी प्रभावित लोगों को उनके घरों पर मन: चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। एम० आई० सी० गैस से प्रभावित व्यक्तियों की मानसिक असामान्यताओं पर अध्ययन करने और उन्हें दूर करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एक परियोजना मंजूर की है।

(ग) एम० आई० सी० गैस से प्रभावित व्यक्तियों पर की गई क्लीनिकी जांच के जो मुख्य निष्कर्ष निकले हैं— सांस लेने में कठिनाई, घुटन महसूस होना, श्वसनी और फेफड़ों में हानि पहुंचाना तथा आंखों में जलन महसूस करना। कुछ मामलों में पुलमोनरी ओडेमा भी देखा गया है। प्रभावित व्यक्तियों का उपचार किया जा रहा है।

सावन पार्क दिल्ली के निकट रेल मार्ग के आस-पास झुग्गियां

4316. **श्री केशवराव पारधी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे क्रासिंग नं० 3, सावन पार्क (आजादपुर और सब्जी मन्डी रेलवे स्टेशनों के बीच) के साथ-साथ बनी झुग्गियों को झुग्गी गिराने संबंधी किए गए निर्णय के बाद हालांकि 6 मई, 1984 को सम्पदा अधिकारी, उत्तर रेलवे, बड़ोदा हाऊस, नई दिल्ली द्वारा गिरा दिया गया था, लेकिन अब फिर वहां बड़ी संख्या में झुग्गियां बन गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल मार्ग पर पुन: बन गई इन झुग्गियां को गिराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसके लिए क्या उपाय किये गये है या अपने का विचार हैं कि ये झुग्गियां पुन: न बनने पाए ?

रेल मन्त्रालय में राज्य (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां रेलवे भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध चलाये गये अभियान के रूप में 6.4.84 को सावन पार्क दिल्ली में रेलवे समपार संख्या 3 के निकट मौजूदा झुग्गियों को हटाया गया था। रेल प्रशासन द्वारा उन झुग्गियों के पुन: बनाये जाने को रोकने के लिए किये गये प्रयासों के बावजूद कुछ झुग्गी निवासियों ने उसी स्थान पर अपनी झुग्गियां बना ली हैं।

(ख) झुग्गियों को हटाने के लिए स्थायी उपाय के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण

के समन्वय से, जिन्हें इस मामले में लिखा गया है, झुग्गियों को हटाने के लिए आगे कार्यवाही करने का विचार कर रही है।

गोसी खुर्द परियोजना

[हिन्दी]

4317. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने विदर्भ की गोसी खुर्द परियोजना को अपनी स्वीकृति दे दी है और क्या इस योजना को शुरू करने के लिए धन आबंटन कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) गोसी खुर्द सिंचाई परियोजना, जिस पर 372.22 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में दिसम्बर, 1983 में प्राप्त हुई थी और इस परियोजना की तकनीकी जांच की जा रही है।

राज्य सरकार ने, मार्च 1985 तक, कुछ प्रारम्भिक निर्माण कार्यों पर लगभग 1.77 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अपने सातवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में इस परियोजना के लिए दस करोड़ के प्रावधान का प्रस्ताव रखा है जिसमें वर्ष 1985-86 के दौरान दस लाख रुपए का परिव्यय शामिल है।

पी० डब्ल्यू आई० मणिपुर के अन्तर्गत काम कर रहे नैमित्तिक गैंगमैनों की सेवाओं को नियमित करना

[अनुवाद]

4318. श्री बलराम सिंह यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी०डब्ल्यू०आई० मणिपुर के शिकोहाबाद फरूखाबाद ब्रांच (इलाहाबाद मंडल) के अन्तर्गत अगस्त, 1971 से काम कर रहे नैमित्तिक गैंगमैनों की सेवाएं इस बीच नियमित कर दी गयी हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया : (क) जी नहीं।

(ख) गैंगमैनों के नियमित पदों में रिक्तियों के कारण।

नई पन बिजली योजनाओं का चयन

4319. श्री के० राममूर्ति : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत संबंधी कार्यकारी दल द्वारा चुनी गई 10,000 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त क्षमता की 18 नई पन-बिजली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन 22 पन-बिजली योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिन्हें क्रियान्वित किए जाने का राष्ट्रीय पन-बिजली निगम ने सुझाव दिया है; और

(ग) उन 13 पन बिजली योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनके संबंध में राष्ट्रीय पन बिजली निगम ने जांच पड़ताल करने का सुझाव दिया है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) विद्युत के संबंध में कार्यकारी दल द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में सातवीं योजना विधि के दौरान प्रारम्भ किए जाने वाली 18 जल-विद्युत परियोजनाओं का पता लगाया गया है जिनका ब्यौरा विवरण 1 में दिया गया है ।

(ख) रा०ज०वि० निगम द्वारा 22 जल-विद्युत स्कीमों को क्रियान्वित करने का सुझाव दिया गया है, उनका ब्यौरा विवरण दो में दिया गया है ।

(ग) रा०ज०वि० निगम ने 13 जल-विद्युत स्कीमों का अन्वेषण करने के लिए प्रस्ताव किया है, उनका ब्यौरा विवरण तीन में दिया गया है ।

केन्द्रीय क्षेत्र में शुरू किए जाने के लिए 7वीं योजना अवधि के दौरान नई परियोजनाओं के रूप में विद्युत पर कार्यकारी दल द्वारा पता लगाई गई 18 जल विद्युत परियोजनायें

विवरण-दो

परियोजना का नाम	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
1. कोल बांध	हिमाचल प्रदेश	600
2. चमेरा चरण-दो	हिमाचल प्रदेश	240
3. सवाल कोट	जम्मू और कश्मीर	600
4. रैनानदी	अरूणाचल प्रदेश	505
5. सिंघानिक	अरूणाचल प्रदेश	600
6. कामेंग	अरुणाचल प्रदेश	600
7. सियांग	अरुणाचल प्रदेश	2000
8. बासपा चरण-दो	हिमाचल प्रदेश	250
9. रातले	जम्मू और कश्मीर	170
10. सलाल चरण-दो	जम्मू और कश्मीर	345
11. दामबे	अरुणाचल प्रदेश	400
12. आलेश्वरी	मिजोरम	160

1	2	3
13. मिसपा	हिमाचल प्रदेश	240
14. पार्वती चरण-दो	हिमाचल प्रदेश	1150
15. करचन बांगटू	हिमाचल प्रदेश	600
16. बगलोहार	जम्मू और कश्मीर	450
17. बापसा चरण-एक	हिमाचल प्रदेश	150
18. पकल-दुय	जम्मू और कश्मीर	600

विवरण-दो

वे 22 जल विद्युत स्कीमें जिनके क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि० द्वारा सुझाव दिया है

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट में)
1.	रणजीत	सिक्किम	60
2.	उड़ी	जम्मू और कश्मीर	480
3.	नाथपा झाकरी	हिमाचल प्रदेश	1020
4.	धोली गंगा चरण-एक	उत्तर प्रदेश	240
5.	कोल बांध	हिमाचल प्रदेश	600
6.	श्री सैलम	आंध्र प्रदेश	990
7.	भीमकुण्ड	उड़ीसा	738
8.	पयानकुट्टी-दो	केरल	500
9.	सवालकोट	जम्मू और कश्मीर	600
10.	टिहरी बांध	उत्तर प्रदेश	1000
11.	चमेरा-दो	हिमाचल प्रदेश	240
12.	सिंघनिक	सिक्किम	1100
13.	बासपा-एक	हिमाचल प्रदेश	150
14.	रातले	जम्मू और कश्मीर	170
15.	सलाल-दो	जम्मू और कश्मीर	345
16.	धालेश्वरी	मिजोरम	120

17. गिसपा	हिमाचल प्रदेश	240
18. पार्वती-एक	प्रदेश	1100
19. करचन वांगटू	हिमाचल प्रदेश	600
20. बगलीहार	जम्मू और कश्मीर	450
21. बासपा-दो	हिमाचल प्रदेश	250
22. पकल-दुल	जम्मू और कश्मीर	625

विवरण-तीन

वे 13 जल विद्युत परियोजनायें जिनका राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा अन्वेषण करने का प्रस्ताव किया गया है

क्रम सं०	परियोजना का काम	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता
1.	धौली गंगा जल विद्युत परियोजना चरण-1	उ०प्र०	240 मेगावाट
2.	धौली गंगा जल विद्युत परियोजना चरण-2	उ०प्र०	200 मेगावाट
3.	धौली गंगा जल विद्युत परियोजना चरण-3	उ०प्र०	250 मेगावाट
4.	धौली गंगा जल विद्युत परियोजना चरण-4	उ०प्र०	240 मेगावाट
5.	धौली गंगा जल विद्युत परियोजना चरण-5	उ०प्र०	450 मेगावाट
6.	गोरी गंगा जल विद्युत परियोजना चरण-1	उ०प्र०	160 मेगावाट
7.	गौरी गंगा जल विद्युत परियोजना चरण-2	उ०प्र०	120 मेगावाट
8.	गौरी गंगा जल विद्युत परियोजना चरण-3	उ०प्र०	75 मेगावाट
9.	किशन गंगा जल विद्युत परियोजना	जम्मू व कश्मीर	390 मेगावाट
10.	चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-2	हि०प्र०	240 मेगावाट
11.	पूर्वी रामगंगा	उ०प्र०	80 मेगावाट
12.	बद्रीनगर (पम्प जलाशय स्कीम)	राजस्थान	1280 मेगावाट
13.	उत्तर पूर्वी तथा केन्द्रीय क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के नाम नहीं बताए गए हैं।		2000 मेगावाट

क्षय रोग के मामलों की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को सहायता

4320. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री मोहन भाई पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्ष रोग के नियंत्रण और उपचार के लिए राज्य सरकारों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने यह कहा है कि इस प्रयोजन के लिए दी गई धनराशि अपर्याप्त है तथा इस बीमारी पर काबू पाने और रोगियों का उपचार करने के लिए अधिक सहायता देने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो केन्द्र द्वारा इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चलाया जा रहा है जिसका खर्च केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के हिस्से के आधार पर वहन किया जाया है। केन्द्र सरकार अपने 50 प्रतिशत हिस्से के रूप में, राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे क्षय रोग केन्द्रों को एक्सरे उपकरण, ओडेल्का कैमरा, लघु एक्सरे फिल्में और क्षय रोग रोगी औषधियां सप्लाई करती है।

(ग) हाल ही में गुजरात सरकार से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत और धनराशि के आबंटन केलिए कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तरी क्षेत्र में बिजली की कमी

4321. **श्री सी० माधव रेड्डी :**
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री राम रतन राम :
श्री बी० वी० देसाई :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 मार्च, 1985 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पन-बिजली जलाशयों में पानी का स्तर नीचे हो जाने और कुछ बिजली घरों का कार्यकरण, सन्तोषजनक न होने के कारण, देश का सम्पूर्ण उत्तरी भारत क्षेत्र बिजली की गंभीर कमी का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संकट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) जल विद्युत जलाशयों में जल स्तर नीचा होने के कारण तथा उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ताप विद्युत केन्द्रों का कार्यनिष्पादन संतोषजनक न होने के कारण उत्तरी क्षेत्र विद्युत की कमी का सामना कर रहा है। इस क्षेत्र में शरदकालीन और शीतकालीन वर्षा न होने तथा परिणाम स्वरूप सूखे की स्थिति हो जाने के कारण विद्युत की कमी बढ़ गई है।

विद्युत की कमी को दूर करने की दृष्टि से सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

(1) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत कुछ ताप विद्युत केन्द्रों का नवीकरण तथा

आधुनिक शुरू किया है। उत्तरी क्षेत्र में सभी प्रमुख ताप विद्युत केन्द्रों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

(2) निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) ओबरा और हरदुआगंज की ताप विद्युत यूनिटों को, जो आग से क्षतिग्रस्त हो गई थीं, शीघ्र ही पुनः चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अस्पताल प्रशासन पाठ्यक्रम में मेघालय के आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षण

4322. **श्री जी०जी० स्वैल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में अस्पताल प्रशासन पाठ्यक्रम में मेघालय के आदिवासी समुदायों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं ; और

(ग) क्या कोई मेघालय आदिवासी इस अवसर का लाभ उठाने में सफल रहा है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

सरयू नदी पर बने पुल के निकट रेल पुल का निर्माण

4323. **श्री आर० पी० सुमन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अयोध्या के धार्मिक महत्व और अयोध्या, जिला फैजाबाद के लिए बातायात को ध्यान में रखते हुए सरयू नदी पर बने पुल के साथ एक रेल पुल का निर्माण करने के लिए कुछ संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अयोध्या के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार इसे देश में प्रमुख धार्मिक स्थलों और बड़े नगरों से रेल द्वारा जोड़ने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) धन की अत्यधिक तंगी और पहले से की गई भारी वचनबद्धताओं के कारण सरयू नदी पर पुल के निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) अयोध्या देश के शेष भाग से रेल द्वारा पहले ही जुड़ा हुआ है।

मलेरिया महामारी से ग्रस्त राज्य और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पर खर्च की गई धनराशि

4324. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषकर उन राज्यों में जो मलेरिया से सबसे ज्यादा ग्रस्त होते हैं, गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पर वर्ष वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) इस बीमारी पर नियंत्रण करने में असमर्थ रहने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कभी-कभी यह बीमारी तेजी से फैलती है ; और

(घ) यदि हां, तो मलेरिया के उन्मूलन हेतु अथवा इसके फैलने को रोकने के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं ;

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम वर्ग-II का एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है जिसका खर्च 50 : 50 के आधार पर वहन किया जाता है । पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	व्यय (केन्द्र का हिस्सा) (रुपये लाखों में)	टिप्पणी
1982-83	5511.14	50 प्रतिशत केन्द्र का हिस्सा
1983-84	6883.33	50 प्रतिशत केन्द्र का हिस्सा और मलाथियन का 100 प्रतिशत खर्च ।
1984-85	8800.00	—तदैव—

केन्द्र के हिस्से के खर्च का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) और (ग) 1977 से संशोधित कार्य योजना लागू किए जाने से मलेरिया की घटनाओं में कुछ वर्षों से कुल मिलाकर कमी हुई है। वैसे, पर्याप्त निगरानी न रखे जाने कहीं-कहीं और आंशिक रूप से छिड़काव करने, बाढ़ और प्राकृतिक विपदाओं तथा राज्य सरकारों द्वारा इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपने हिस्से की धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और एक समान ढंग से इस रोग पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है ।

(घ) संशोधित कार्ययोजना के अधीन मलेरिया की घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) ज्वार वाले रोगियों का पता लगाने और उसके रक्त के आलेप लेने तथा उनका अनुमानित उपचार करने के लिए निगरानी कार्यकर्ता हर पखवाड़े में प्रत्येक गांव का दौरा करते हैं।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रयोगशालायें ज्वर वाले रोगियों के रक्त आलेपों की तुरन्त जांच करती हैं और जिन रोगियों में मलेरिया के लक्षण पाये जाते हैं उनका इलाज किया जाता है।

(3) गांव में औषधि वितरण केन्द्र और ज्वर रोगियों को अविलम्ब दवाई उपलब्ध कराई जा सके।

(4) जिन देहाती क्षेत्रों में प्रति वर्ष एक हजार जनसंख्या के पीछे दो अथवा अधिक रोगी पाये जाते हैं उन सभी क्षेत्रों में कीटनाशी दवाओं का छिड़काव किया जाता है।

(5) इसके अलावा, पी० फाल्सीपरम संक्रमण को जिसके कारण प्रमस्तिष्कीय मलेरिया हो जाता है, रोकने के लिए देश के प्रभावित क्षेत्रों में विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वीडिश अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेंसी की वित्तीय सहायता से पी० फाल्सीपरम नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

विवरण

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, वर्ग—11 की केन्द्र प्रायोजित योजना पर 50:50 खर्च के आधार पर 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में किया गया राज्यवार खर्च।

केन्द्र का 50 प्रतिशत (देहाती और शहरी) (रुपये लाखों में)

क्रम सं०	राज्य संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1982-83	1983-84	1984 85
1.	आंध्र प्रदेश	176.18	118.42	196.92
2.	असम	295.35	211.94	230.16
3.	बिहार	251.31	81.86	107.00
4.	गुजरात	503.18	780.59	1167.35
5.	हरियाणा	275.30	652.80	765.75
6.	हिमाचल प्रदेश	77.37	121.91	112.68
7.	जम्मू व कश्मीर	23.85	23.07	56.05
8.	कर्नाटक	420.25	239.74	619.63

1	2	3	4	5
9.	केरल	0.23	—	0.01
10.	मध्य प्रदेश	484.02	941.23	802.68
11.	महाराष्ट्र	858.25	1130.58	2134.11
12.	मणिपुर	12.35	29.98	39.05
13.	मेघालय	2.98	38.61	51.15
14.	नागालैंड	12 94	27.66	17.05
15.	उड़ीसा	383.20	248.49	279,60
16.	पंजाब	215.88	301.87	408.93
17.	राजस्थान	546.06	375.80	509.17
18.	सिक्किम	0.02	30.34	10.20
19.	तमिलनाडु	19.03	150.89	131.38
20.	त्रिपुरा	27.64	52.22	102.23
2 .	उत्तर प्रदेश	183.65	878.26	163.32
22.	पश्चिम बंगाल	53.58	168.30	141.17
	योग	5252.82	6604.11	8450.60
	विधान मंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अरुणाचल प्रदेश	71.70	55.84	81.49
2.	गोवा, दमन व दीव	1.57	11.66	4.98
3.	मिजोरम	35.51	38.49	51.95
4.	पांडिचेरी	1.75	0.71	1.68
	योग :	110.53	106.70	140.05
	बिना विधान मंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	16.43	21.47	29.61
2.	चंडीगढ़	8.80	9.18	22.83
3.	दादर व नागर हवेली	8.39	19.18	8.87

1	2	3	4	5
4.	दिल्ली	41.36	60.04	97.42
5.	लक्षद्वीप	0.50	0.37	0.80
योग :		75.48	110.24	159.33
स्थापना/अनुसंधान/प्रचार		72.31	62.28	50.02
कुल योग :		5511.14	6883.33	8800.00

समाज कल्याण योजना के अन्तर्गत कर्नाटक सरकार को जारी की गई राशि और इसके द्वारा उपयोग की गई राशि

4325. **श्री जी० देवराना नायक** : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण योजना के अन्तर्गत 1984-85 में कर्नाटक सरकार को कितनी धनराशि जारी की गयी ; और

(ख) राज्य सरकार ने कितनी धनराशि का उपयोग किया ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) 2, 72, 84, 443 रुपए।

(ख) कर्नाटक सरकार ने अभी तक आंकड़े नहीं भेजे हैं और उन्हें एकत्रित किया जा रहा है।

केरल को पन बिजली परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

4326. **श्री के० मोहन दास** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक, केरल में एक बड़ी पन-बिजली परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता देने के लिए सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने सहायता हेतु केरल में लोअर पेरियार जल-विद्युत परियोजना (3x60 मेगावाट) का मूल्यांकन कर लिया है और इस संबंध में बातचीत अभी नहीं की गई है। और बातचीत हो जाने के बाद ही इस परियोजना के लिए सहायता की मात्रा के बारे में पता लग सकेगा।

उड़ीसा में चालू परियोजनाओं के लिए धन का आबंटन

4327. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में उड़ीसा में चालू परियोजना के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ख) विभिन्न चालू रेल परियोजनाओं के नाम क्या है जिनके लिए इस प्रकार का आबंटन किया गया है; और

(ग) उपर्युक्त वर्ष में प्रत्येक चालू परियोजना के लिए कितना आबंटन किया गया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उडीसा राज्य में या वहां से होकर गुजरने वाली रेल लाइन परियोजनाओं के लिए (प्रत्येक एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली) 1985-86 में किये परिव्यय की व्यवस्था

(लाख रुपयों में

क्र० स०	परियोजना	1985-86 के लिए परिव्यय	
1.	कोरापुट-रायगडा-नयी लाइन	10,00	
2.	तालचेर-सम्बलपुर- नयी लाइन	1,50	
3.	बिमलगढ़-डुमटेरा-दोहरी लाइन बिछाना	1,00	
4.	रायपुर-विजयनगरम खंड-लाइन क्षमता बढ़ाना :		
	(1) चरण-I	67	
	(2) चरण-II	40	
1.	मानचेश्वर.नये सवारी डिब्बा कारखाने की स्थापना	19	
6.	झारसुगुडा-फूलेश बट झलाई संयंत्र, आशोधन	0,01	(नया काम)
7.	ब्रजरा नगर-लाइनों का विस्तार	1	(नया काम)
8.	बिमलगढ़-कि रिबरूखंड़-यार्ड के ढांचे में परिवर्तन और स्टेशनों पर सिगनल व्यवस्था	5	
9.	खोरधा रोड से बालतेरु-सूक्ष्म तरंग का विस्तार	10	
10	खड़गपुर से खोरधा रोड तक सूक्ष्मतरंग	30	
11	बालासोर में ऊपरी सड़क पुल	11	

1	2	3
12.	कटक में ऊपरी सड़क पुल	11
13.	कटजूरी पुल में पुनः गर्डर लगाना	100
14.	कौखाई पुल में पुनः गर्डर लगाना	20
15.	बेरूपा पुल में पुनः गर्डर लगाना	—
	जोड़	1567.01

काली विद्युत परियोजना

4328. **श्री डी० के० नायकर** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जानकारी है कि कर्नाटक राज्य की काली विद्युत परियोजना से वर्ष 1980 में उनके पहले चरण से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ होना था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और वर्ष 1980 से अब तक वर्षवार कुल कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन हुआ है ; और

(ग) क्या उसमें संभावना के अनुरूप प्रगति नहीं हुई है और यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए थे ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) : काली विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन वर्ष 1979-80 में शुरू हुआ था। वर्षवार विद्युत उत्पादन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	विद्युत उत्पादन मिलियन यूनिट में
1979-80	117
1980-81	575
1981-82	1054
1982-83	1340
1983-84	1880
1984-85	2352

135 मेगावाट की छः यूनिटें पहले ही चालू कर दी गई हैं तथा भू-वैज्ञानिक समस्याओं और सिविल कार्यों की धीमी प्रगति के कारण सूपा बांध के चरण-एक की स्कीम के अन्तर्गत 50-50 मेगावाट की दो यूनिटों में विलम्ब हुआ है। इन यूनिटों के इस वर्ष के दौरान चालू होने की सम्भावना है।

मध्य प्रदेश में परियोजनाएं

4329. **कु० पुष्पा देवी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वे रेल परियोजनाएं कौनसी है जिनका निर्माण कार्य चल रहा है;

(ख) इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था;

(ग) इन परियोजनओं के लिए अब तक कितनी धनराशि उपयोग की गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं का कार्य पूरा होने में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1097-8]

गैर-सरकारी डाक्टरों द्वारा किए गए परिवार कल्याण आपरेशनों को मान्यता

4330. **श्री गोपाल कृष्ण थोटा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी चिकित्सकों जो इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के सदस्य हैं, को छोटा परिवार योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के परिवार कल्याण आपरेशन करने से अर्पजित किया गया हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि निजी व्यवसाय करने वाले डाक्टरों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों को केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, और किसी गैर सरकारी नर्सिंग होम में परिवार कल्याण आपरेशन कराने वाले, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रोत्साहनों से वंचित रखा जाता है; और

(ग) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) अर्हता प्राप्त चिकित्सकों को सभी पात्र व्यक्तियों का नसबंदी आपरेशन करने की अनुमति होती है। वैसे, यदि नसबंदी आपरेशन केन्द्रीय सरकार के अस्पताल-केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना-राज्य सरकार के अस्पताल-क्लीनिक-नसबंदी आपरेशन करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संगठन अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित-मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में कराया जाता है तो नसबन्दी आपरेशन कराने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारीयों को प्रोत्साहन दिया जाता है। प्राइवेट संस्थानों में किये गये आपरेशनों के बारे में प्राइवेट चिकित्सकों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र प्रोत्साहन देने के लिए प्रशासनिक कारणों की बजय से स्वीकार्य नहीं है।

महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय

4331. **श्री राधा कांत डिगाल** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान विशेष रूप से महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि, हां तो तत्तसंम्बधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस प्रकार के विश्वविद्यालय के माध्यम से महिलाओं को निशुल्क शिक्षा देने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्री (कुष्णा चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) देश में इस समय तीन महिला विश्वविद्यायल हैं। ये निम्नलिखित हैं :—

1. एस-एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यायल, बम्बई महाराष्ट्र

2. श्रीपद्मावती महिला विश्वविद्यायल मतिरुपति (आ० प्र०)

3. मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यायल, कोडायकनाल (तमिलनाडु) ये विश्वविद्यायल अपने-अपने राज्यों के विधानमण्डलों के अधिनियमों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। सातवीं योजना के दौरान महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

घटिया स्तर की दवाएं बनाने वाली कम्पनियां

4332. **श्री राम भगत पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसी कम्पनियों की जिनके नमूने घटिया स्तर के पाए गए हैं, सूची तैयार करने तथा उसे सभी कैमिस्टों को भेजने का है ताकि कैमिस्ट ऐसी कम्पनियों की दवाओं की किस्म के बारे में सचेत रहें ; और

(ख) यदि नहीं, तो उपभोक्ताओं को घटिया स्तर की इन दवाओं के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख)औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत औषधि निरीक्षक औषधियों के नमूने जांच के लिए एकत्र करते हैं । जब कभी कोई नमूना घटिया किस्म का घोषित किया जाता है तो राज्य औषधि नियंत्रण अधिकारी उन औषधियों को बाजार से वापिस लेने के लिए कार्यवाही करते हैं।

ग्वालियर-शिवपुर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

[हिन्दी]

4333. **श्री कम्मोदी लाल जाटव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर और शिवपुर कस्बों के बीच काफी अर्से से छोटी लाइन की गाड़ियां चल रही हैं और उनकी गति बहुत कम है;

(ख) क्या इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की कोई योजना है और यदि हां, तो यह कार्य कब तक आरम्भ किया जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी नहीं। इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रेल स्टेशनों पर स्टालों की मंजूरी देना

[अनुवाद]

4334. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर स्टालों की मंजूरी किस आधार पर दी जाती है;

(ख) क्या रेलवे प्राधिकारियों ने रेलवे स्टेशन पर ऐसे स्टालों के आवंटन के लिए एक मानदंड पर आधारित कोई सूत्र तैयार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे आवंटनों के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया): (क) से (ग) आधा यूनिट तक के खान पान/वेंडिंग ठेके केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। बड़े ठेके निम्नलिखित वरीयता के क्रम में आवंटित किया जाते हैं :—

(1) अ. जा./अ. ज. जा.

(2) वास्तविक कर्मचारियों/वेंडरों की सहकारी समितियां।

(3) महिला समितियां।

(4) विकलांग भूतपूर्व सैनिक।

(5) 18 से 30 वर्ष तक की आयु वर्ग के अकेले बेरोजगार स्नातक।

(6) स्वतंत्रता सेनानी, और

(7) अन्य

आमान परिवर्तन के कारण बने प्लेटफार्मों को छोड़कर नए स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर बुक स्टालों के सभी नए आवंटन केवल 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के निजी बेरोजगार स्नातकों, उनकी साझेदारी, सहकारी समितियों, एसोसिएशन और रेलवे बुक स्टालों के वास्तविक कर्मचारियों/वेंडरों की सहकारी समितियों के लिए ही आरक्षित होते हैं।

रेलवे स्टेशनों पर खानपान/बेंडिंग/बुक स्टाल के ठेके देने के लिए समाचार-पत्रों के माध्यम से तथा स्टेशनों के नोटिस बोर्डों पर नोटिस लगाकर आवेदन-पत्र मांगे जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त आवेदन-पत्रों की स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीनिंग की जाती है और उसकी सिफारिश के आधार पर गुणावगुण के आधार पर ठेके आवंटित किए जाते हैं।

सरकारी अस्पतालों में रोगियों की भारी भीड़

4335. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में रोगियों की बहुत भीड़ होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन अस्पताल में रोगियों की संख्या में हो रही भारी भीड़ को कम करने हेतु कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) जी, हां।

(ख) जी हां,

(ग) केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में भीड़-भाड़ को कम करने संबंधी प्रस्तावों में दिल्ली के परिधीय क्षेत्र में अस्पतालों की एक शृंखला स्थापित करना, और सभी अस्पतालों में सुविधाओं और सेवाओं के इस्तेमाल को युक्तिसंगत बनाना शामिल है।

डुबाव की कमी का सामना कर रहे प्रमुख बन्दरगाह

4336. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्रमुख बन्दरगाहों के नाम क्या हैं जहां डुबाव कम होता जा रहा है जिसके कारण वाणिज्यिक यातायात प्रभावित हुआ है ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) अभी दस महा पत्तनों में सिर्फ कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों को डुबाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी वाणिज्यिक यातायात पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है।

(ख) कलकत्ता पोर्ट का नौचालन डुवाब कलकत्ता से सीधी धारा की ओर स्थित बलारी बार और हल्दिया का डुवाब हल्दिया से सीधी धारा की ओर स्थित आकलैंड बार द्वारा नियोजित होता है। सागर द्वीप के सामने आकलैंड बार के पश्चिम में मध्यवर्ती चैनल खुलने के कारण आकलैंड धार के मुख्य चैनल में चालू अप्रत्याशित रूप से जमा हो रही है।

(ग) सरकार ने हल्दिया और कलकत्ता के नौचालन चैनल में बालू जमा न होने देने और चैनल को और अधिक गहरा बनाने के लिए अगस्त 1982 में 40.50 करोड़ रुपए की लागत से एक व्यापक स्कीम की मन्जूरी दी जिस पर काम हो रहा है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है-(i) नदी के चैनल का डुवाब एक समान बनाए रखना और नौचालन चैनल में कुछ खास स्थानों पर बालू जमा न होने देना (ii) नौचालन के लिए चैनल के डुवाब में सुधार और (iii) नदी के चैनल को आगे होने वाले निष्कर्ष के लिए अधिक सुकुर बनाना। यह स्कीम 1986-87 में पूरी होगी। संक्षेप में पोर्ट द्वारा आकलैंड बार बड़े पैमाने पर निष्कर्ष काम हो रहा है।

आकलैंड धार के पश्चिम में मध्यवर्ती चैनल को बन्द करने के क्रम में 1985-86 में नदी की धारा सुधारने सम्बन्धी कुछ निर्माण कार्य करने का प्रस्ताव है।

उपनगरीय यात्रियों के लिए सीजन टिकट के किरायों में वृद्धि

4337. **श्री अनूपचन्द शाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपनगरीय रेलों में द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिए सीजन टिकट के किरायों में प्रतिवर्ष वृद्धि होती है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 और 1985 के दौरान किरायों में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उपनगरीय गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) संसाधनों की तंगी के कारण उपनगरीय बिजली गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। अन्य गाड़ियों में भी सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि उपयोग में लाए जा रहे कर्षण की किस्म और सवारी डिब्बों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

विवरण

सीजन टिकट किरायों में हर वर्ष वृद्धि नहीं की जाती है । तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें उर्ध्वगामी संशोधन किया गया है जैसाकि नीचे दी गयी सारणी में दिखाया गया है :—

दूसरा दर्जा मासिक सीजन टिकट किराया

दूरी (कि. मी.)	1.4.1983 से पूर्व	x1.4.83	1.4.84	15.4.1985
	रु. पै.	रु. पै.		रु. पै.
1-5	6.50	13.00	1 रु./-एक समान	17.00
6-10	10.00	15.50	वृद्धि प्रति दूसरा	21.00
11-15	13.00	20.00	दर्जा सीजन टिकट	25.00
16-20	15.00	23.00		30.00
21-25	18.00	25.50		33.00
26-30	20.00	88.00		35.00
31-25	22.00	30.50		39.00
36-40	24.00	34.50		43.00
41-45	26.00	37.00		45.00
46-50	28.00	38.50		47.00
51-60	31.00	43.00		52.00
61-70	33.00	48.50		59.00
71-80	36.00	53.50		64.00
81-90	39.00	59.50		70.00
91.100	42.00	64.50		76.00
101-110	44.50	68.50		80.00
111-120	46.50	73.50		85.00
121-130	50.00	73.50		88.00
131-140	52.50	79.50		93.00
141-150	54.50	86.50		100.00

x नोट :—वर्ष 1981 और 1982 के दौरान कोई वृद्धि नहीं हुई थी ।

सोमासिला बांध पर पन-बिजली एकक

4338. श्री पी० पेंचालैया : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में सीमासिला बांध पर एक पन-बिजली उत्पादन एकक का निर्माण करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना को कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ; और

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश में बिजली की अविलम्ब आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पंजाब में रोपड़ परियोजना को पूरा करने की भांति तुरन्त कदम उठाये जायेंगे?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) आन्ध्र प्रदेश के नैल्लोर जिले में सोमालिया बांध पर एक जल विद्युत उत्पादन यूनिट के निर्माण के लिए कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

केन्द्रीय जल आयोग के उड़ीसा में क्रिया कलाप

4339. श्री सोमनाथ रथ : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग के मुख्य कृत्य क्या है ;

(ख) उड़ीसा में स्थापित किए गए ऐसे डिवीजनों की संख्या तथा नाम क्या हैं, जिनके माध्यम से जल विज्ञान तथा बाढ़ पूर्वानुमान सर्किल (मध्य) हैदराबाद कार्य करता है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान हैदराबाद सर्किल (मध्य) उड़ीसा में क्या-क्या विभिन्न कार्य किए गए ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी०शंकरानन्द) : (क) केन्द्रीय जल आयोग के मुख्य कार्य ये हैं :

(1) सिंचाई तथा विद्युत विकास के क्षेत्रों में अभिकल्प क्षमता उपलब्ध करना और यदि आवश्यक हो तो वास्तविक निर्माण में सहायता देना।

(2) नदी घाटियों के विकास के लिए स्कीमों में राज्यों के प्रयासों का समन्वय करना तथा कमी को पूरा करना।

(3) अन्तर्राज्यीय जल-अधिकारों, तथा नदी घाटी परियोजनाओं के लिए प्राथमिकताओं के संबंध में भारत सरकार को सलाह देना।

(ख) उड़ीसा में (1) पूर्वी गॉजिंग डिवीजन, भुवनेश्वर (2) केन्द्रीय बाढ़ पूर्वानुमान डिवीजन, भुवनेश्वर तथा (3) केन्द्रीय बाढ़ पूर्वानुमान डिवीजन, बुरला नामक तीन डिवीजनें स्थित हैं।

(ग) और (घ) जल-वैज्ञानिक प्रेक्षण तथा बाढ़ पूर्वानुमान सर्किल (केन्द्रीय) हैदराबाद, उड़ीसा में सुवर्णरेखा बूढाबलंग, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, बम्सधारा तथा ऋषिकुल्या जैसी अन्तर्राज्यीय नदियों के लिए जल-वैज्ञानिक प्रेक्षण करता है तथा बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। इस समय उड़ीसा के 21 स्थलों पर जल वैज्ञानिक प्रेक्षण किए जा रहे हैं तथा प्रत्येक वर्ष मानसून ऋतु के दौरान उड़ीसा के 10 स्थलों से संबंधित पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं।

चामराजनगर-सत्यमंगला रेल लाइन

4340. **श्री पी० एस० कृष्णा अय्यर :**

श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चामराजनगर-सत्यमंगला रेल लाइन का सर्वेक्षण पूरा हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास उक्त रेल लाइन का कार्य वर्ष 1985-86 में शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि उक्त रेल लाइन के बिछ जाने से प्रतिदिन मैसूर से सत्यमंगला जाने वाले हजारों यात्रियों को मदद मिलेगी ;

(घ) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि मैसूर नगर निगम ने उक्त कार्य को शुरू करने हेतु सरकार से पहले ही अनुरोध किया हुआ है ; और

(ङ) उक्त परियोजना पर कितनी लागत आयेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) से (ग) सर्वेक्षण कार्य अभी जारी है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही यथा आवश्यक आगे कार्रवाई की जायेगी।

(घ) इस संबंध में मैसूर सिटी कार्पोरेशन से कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

(ङ) फिलहाल, इस परियोजना की लागत मालूम नहीं है।

रेल गार्डों के संवर्ग का पुनर्गठन

[हिन्दी]

4341. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में स्टेशन मास्टरों, ट्रैफिक क्लर्कों, कामर्शियल क्लर्कों, टिकट चैकिंग स्टाफ, केबिन मैन, स्विच मैन गैंग मैन, जमादार, स्टेनों टाइपिस्टों कन्ट्रोलरों आदि के संबंध में संवर्ग का पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो रेल गार्डों के संवर्ग का पुनर्गठन न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अन्य परिपालन वर्गों के प्रान्ति रेल गार्डों को उक्त ग्रेड दिए जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) "ट्रैफिक क्लर्क" नाम की कोई कोटि नहीं है। अन्य संदर्भित कोटियों की पुनर्संरचना कर दी गयी है।

(ख) से (घ) रेल कर्मचारियों के ग्रुप "ग" (श्रेणी 3) कोटियों को पुनर्संरचना की निरन्तर प्रक्रिया के एक आवश्यक अंग के तौर पर गार्ड की कोटि की पुनर्संरचना के प्रस्ताव दो मान्यता प्राप्त मजदूर संघों के परामर्श से विचाराधीन हैं।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० द्वारा दोषपूर्ण बायलर्स की पूर्ति

[अनुवाद]

4342. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० द्वारा सप्लाई किए गए "बायलर्स" को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने दोषपूर्ण पाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या 210 मेगावाट के बहुत से संयंत्रों की क्षमता के कम उपयोग का यही प्रमुख कारण है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भोपाल के गैस पीड़ितों के इलाज के बारे में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा आयोजित गोष्ठी

4343. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने गैस पीड़ितों का इलाज करने के संबंध में 4 अप्रैल, 1985 को गोष्ठी आयोजित की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या गैस पीड़ितों के मामलों में प्रयोग की जाने वाली चिकित्सा पद्धति के बारे में सम्मेलन में कोई फैसला हुआ था ; और

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा 4 अप्रैल, 1985 को विशेषज्ञों की एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक का मतैक्य था कि एम० आई० सी० गैस के बाद के प्रभावों से पीड़ित लोगों को आराम पहुंचाने के लिए थायोसल्फेट थेरापि लाभकारी है। इस ग्रुप ने सिफारिश की कि अन्य चिकित्सीय उपायों के अलावा, सोडियम थायोसल्फेट से उपचार किया जाए। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट को चिकित्सा परिषद् पुरस्कार

4344. **श्री डी० पी० यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदजंग अस्पताल के वर्तमान मेडिकल सुपरिन्टेडेंट को "एमिनिशान आर्थोपास्टी इन दि मैनेजमेंट आफ टयूबर कुलोसिस आफ दि हिप जोइन्ट्स" शीर्षक से उनके कृतित्व के लिए उनके मौलिक कार्य के रूप में भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा चिकित्सा परिषद् पुरस्कार दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो पुरस्कार मिलने से पहले और बाद में उन्होंने ऐसे कितने रोगियों का आपरेशन किया ;

(ग) क्या उनके इस कार्य से उपरोक्त रोग के इलाज में कोई सहायता मिली है ; और

(घ) क्या भारतीय शल्य चिकित्सकों ने उपरोक्त रोग के इलाज के लिए अपनाया है और उपयोगी पाया है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) पुरस्कार मिलने से पहले 28 रोगियों तथा पुरस्कार के बाद 12 रोगियों के आपरेशन किए गए बताए गए हैं।

(ग) और (घ) आस्टिओं आर्टीकुलर टयूबर कुलोसिस का उपचार करने में एन्नियोटिक मेम्बरेन का उपयोग भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा आर्थोपेडिक्स रोगियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी समझा गया है।

ओरछा बहुप्रयोजनीय परियोजना

4345. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के टीकमगढ़ जिले की ओरछा बहुप्रयोजनीय परियोजना मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने 66.82 करोड़ रुपए की अनुमानित की परियोजना रिपोर्ट 1980 में भेजी थी।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग ने परियोजना की तथा परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर अपनी टिप्पणियां भेजी थी राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से उस राज्य में भूमिजल-मग्न होने तथा उनके क्षेत्र से नहर निकालने के लिए सहमति भी प्राप्त करनी है इन मामलों को निपटाने तथा केन्द्रीय जल आयोग की अन्य तकनीकी टिप्पणियों का अनुपालना करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार को अद्यतन अनुमानित लागत सहित आशोधित परियोजना रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई हेतु केन्द्र को प्रस्तुत करनी है।

'कालेज मिसलेड एमपीज आन एडमीशन रैकेट'' शीर्षक से समाचार

4346. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 मार्च 1985 के हिन्दुस्तान टाइस में "कालेज मिसलेड एमपीज आन एडमीशन राकेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आत्मारांम सनातन धर्म महाविद्यालय, दिल्ली के प्राधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जिन्होंने जानबूझकर विधायकों को गुमराह किया ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, ए० आर० एस० डी० कालेज, दिल्ली ने यह सूचित किया है कि समाचार पत्र में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, वह तथ्यों के आधार पर नहीं है। सामान्य वर्ग के दाखिले तीन योग्यता सूचियों के आधार पर 11 जुलाई, 1984 तक पूरे कर दिए गए थे। तथापि, उन छात्रों को पर्याप्त संख्या जिन्हें इसके बाद उन स्थानों पर दाखिल किया गया था जो नाम वापिस लेने और रद्द कराने के परिणाम स्वरूप हो गए थे, जो पहली, दूसरी और तीसरी योग्यता सूचियों में कट-ऑफ प्वाइंटस से ऊपर या तुरन्त नीचे थे।

सुरक्षा संबंधी 10 सूची कार्यवाही योजना

3347. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सुरक्षा उपायों संबंधी एक 10 सूची कार्यवाही योजना प्रारम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या योजना के परिणामों पर निगरानी रखी जा रही है और उनकी पुनरीक्षा की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणामों का हाल ही में मूल्यांकन किया गया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) कार्रवाई योजना में स्टेशनों रेलपथ, समपार, रेल इंजनों, सवारी डिब्बों, मालडिब्बों और अन्य उपस्करों आदि का फील्ड निरीक्षण, इन निरीक्षणों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा, चालन के दौरान ड्राइवरों पर निगरानी रखना, वास्तविक गाड़ी गुजरने की प्रक्रियाओं की निगरानी, रात्रि में और अचानक निरीक्षण करना, स्वचल सिगनलों पर घात लगाकर जांच करना और चौकीदार वाले समपारों पर भी ऐसी जांच करना तथा मंडलों और रेलों पर समग्र रूप से संरक्षा पद्धति की समीक्षा करना शामिल है।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

गाड़ियां चलाने के लिए रेलवे को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराना

4348. **श्री मुल्लपल्ली रामचन्द्रन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य ने बिजली की गाड़ियां चलाने के लिए रेलवे को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने की पेशकश की है ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने सामान्य प्रभारों से 50 प्रतिशत कम की दर से बिजली उपलब्ध कराने की पेशकश की है ; और

(ग) यदि हां, तो त्रिवेन्द्रम से कन्नानौर तक रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मेट्रो रेलवे कलकत्ता की रेल पटरियों का घस जाना

4349. **श्री अमल दत्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले कलकत्ता में डमडम जंक्शन के निकट मेट्रो रेलवे की काफी बड़ी रेल पटरियां भूमि में धस गई थी जैसा कि 4 अप्रेल 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ ?

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को ऐसा हुआ था और इसका स्वरूप क्या था और रेलवे सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) क्या उक्त अवतलन के समाचार को दबा दिया गया था और यदि हां, तो इस समाचार को दबाने में कौन लोग अंतर्गस्त थे;

(घ) अवतलन के इस क्षेत्र मे चलने वाली रेल गाड़ियों को क्या खतरा है; और

(ङ) क्या जब तक पूरे सुरक्षा उपाय नहीं किए जाते तब तक इस अवतलन के क्षेत्र से रेल गाड़ियों का चलना तुरन्त बन्द करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) दम दम स्टेशन के उत्तर की ओर प्रस्तावित दमदम कार शेड को जाने वाले मेट्रो रेल सर्वेक्षण के लिए पूर्व रेलवे के उपनगरीय लाइनों के नीचे का चालन सुरंग पर प्रयुक्त सुरंग परिरक्षक के नीचे की ओर झुकाव रुख दिखाया।

(ख) सुरंग परिरक्षक के झुकाव की ओर अगस्त, 1984 में ध्यान गया था। इससे गाड़ी संचलन की संरक्षा प्रभावित नहीं हुई है।

(ग) घटना के बारे में सूचना दबायी नहीं गयी है।

(घ) गाड़ी संचलन में कोई जोखिम नहीं है और काम शुरू होने पर 10 कि०मी० प्रति घंटा का जो गति प्रतिबंध लगाया गया था अब भी बनाए रखा जा रहा है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मालदा रेलवे स्टेशन को उत्तर सीमान्त रेल क्षेत्र से पूर्व रेल क्षेत्र में अन्तरित करना

4350. श्री पीयूष तिरकी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मालदा रेलवे स्टेशन को उत्तर सीमांत रेल क्षेत्र से पूर्व रेल क्षेत्र में अन्तरित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कब और ऐसा करने के क्या कारण थे; और

(ग) उन दूसरे रेलवे स्टेशनों के नाम क्या है जिन्हें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अंतरित किए जाने पर विचार हो रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (ग) मालदा रेलवे स्टेशन पहले पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अधिकार-क्षेत्र में था और अब यह 1.7.1984 पूर्व रेलवे

के अधिकार-क्षेत्र के अधीन मंडल मुख्यालय बना दिया गया है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के बामाग्राम-न्यू जलपाईगुड़ी, कुमेदपुर कटिहार और ओल्ड-मालदा सिंहाबाद खंडों के स्टेशनों को पूर्व रेलवे को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है।

मद्रास के लिए सर्कुलर रेलवे

4351. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज ने मद्रास शहर के लिए सर्कुलर रेलवे की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता के संबंध में अध्ययन करके प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

नांगल तलवाड़ा रेल लाईन के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा रेलवे को दी गई भूमि

4352. **श्री नारायण चंद पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के उस जिले में राय मेहतपुर से आगे नांगल-तलवाड़ रेल लाइन के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने रेल प्रशासन को कुल कितनी भूमि दी है;

(ख) रेल प्रशासन ने प्रस्तावित रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार से कुल कितनी लम्बाई तक भूमि निर्धारित की है और इस अधिग्रहण में कितनी भूमि शामिल है; और

(ग) क्या रेल प्रशासन ने ऊना जिला मुख्यालय को बड़ी रेल लाइन पर लाने के लिए कार्य शुरू कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) 53.89 एकड़।

(ख) रेल प्रशासन ने राय मेहतपुर से ऊना तक भूमि-अधिग्रहण के लिए सीमांकन किया है जिसकी दूरी 10.5 कि० मी० है। इनमें 350.94 एकड़ क्षेत्रफल शामिल है।

(ग) और (घ) इस खंड का कार्य उस समय शुरू किया जाएगा जब राज्य सरकार रेलवे को भूमि दे दे और मिट्टी डालने के कार्य के लिए धन की व्यवस्था करे।

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज खोलना

4353. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचर्षीय योजना में दो क्षेत्रीय शिक्षा कालेज खोलने का विचार है जिनमें से एक पहाड़ी क्षेत्रों के लिए होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार से हिमाचल प्रदेश में ऐसा एक कालेज खोलने की मांग की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सातवीं योजना के प्रस्तावों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के अधीन दो और क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों को खोलने की परिकल्पना है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा ।

केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना

4354. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ के लिए उपयुक्त स्थल के चयन हेतु इस बीच कोई केन्द्रीय दल गठित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दल में कौन-कौन व्यक्ति हैं तथा दल की यात्रा हेतु किन-किन स्थलों का चयन किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो कब तक दल गठित किया जाएगा और स्थल का चयन किया जाएगा ; और

(घ) क्या दल ने इस प्रयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की यात्रा की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) दल में ये शामिल हैं (सहायक शिक्षा सलाहकार) संस्कृत प्रभागों शिक्षा मंत्रालय, उप-निदेशक, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन में संस्कृत पाठशालाओं से सम्बन्धित एक अधिकारी ।

वे स्थान जिनका दौरा किया जाना है, इस प्रकार हैं :—

1. बौद्ध दर्शन संस्कृत संस्थान, क्रीलॉंग, जिला-लाहौल, स्थिति ।

2. अरूण महाविद्यालय, मण्डी ।

3. एस० डी० संस्कृत पाठशाला दोहगी, जिला-ऊना (हि० प्र०) ।

4. श्री वशिष्ठ विद्यापीठ, तुंगेश (चियोग), शिमला ।

5. हिमाचल सरस्वतीसंस्कृत कालेज, जंगला-रोहरू, जिला-शिमला (हि० प्र०) ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) दल 22-4-85 को हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गया है ।

हावड़ा-कटवा रेल लाइन पर रेलगाड़ियों की बारम्बारता बढ़ाया जाना

4355. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवड़ा-कटवा रेल लाइन पर इस समय भाप के इंजन चलाए जाते हैं ;

(ख) क्या इस रेल लाइन पर रेलगाड़ियों की बारम्बारता अपर्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या रेलगाड़ियों की बारम्बारता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) (क) हवड़ा-कटवा खंड पर भाप एवं डीजल दोनों प्रकार के रेल इंजनों से काम लिया जा रहा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी

4356. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पश्चिम बंगाल में बिजली के संकट की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल में विद्युत की कमी का कारण ताप विद्युत केन्द्रों का कार्य निष्पादन घटिया होना और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को चालू करने में देरी होना है ।

पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने संथालडीह और बडेल ताप विद्युत केन्द्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए स्कीमें प्रस्तुत की थी। जिनको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दे दी है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गापुर परियोजना लि० के ताप विद्युत केन्द्र के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम प्रस्तुत की थी। योजना आयोग ने इस स्कीम को स्वीकृति दे दी है।

अलीपुर द्वारा के रेल स्टेशनों पर सुविधाएं

[हिन्दी]

4357. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-सीमांत रेलवे में पांच रेल स्टेशन हैं किन्तु यात्रियों को वहां पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(ख) क्या अलीपुर द्वारा जंकशन से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर बड़ी लाइन पर एक पृथक स्टेशन बनाया गया है जो केवल नाम के लिए ही है जिससे इसके भविष्य के प्रति अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है और बहुत सी गाड़ियों को भी रद्द किया गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार बड़ी लाइन को इस जंकशन के साथ जोड़ने का है ;

(घ) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होने की संभावना है और वह कब तक पूरा होगा ;

(ङ) लंबी दूरी की गाड़ियों में वहां से उपलब्ध आरक्षण कोटे का ब्यौरा क्या है ; और

(च) क्या सरकार का विचार आरक्षण कोटे को दोगुना करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अलीपुर द्वार क्षेत्र में पांच रेलवे स्टेशन हैं। इन स्टेशनों पर अपेक्षित यात्री सुविधाओं की व्यवस्था है।

(ख) अलीपुर जंक्शन से 6.5 कि० मी० दूर बड़ी लाइन पर न्यू अलीपुरद्वार के नाम से एक अलग स्टेशन स्थापित किया गया है और वह तेजी से विकास कर रहा है। इस स्टेशन पर सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां रुकती हैं। बड़ी लाइन मार्ग पर कोई गाड़ी रद्द नहीं की गयी है।

(ग) बड़ी लाइन के न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन को मीटर लाइन के अलीपुरद्वार से जोड़ने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन को लम्बी दूरी की विभिन्न गाड़ियों में आवंटित आरक्षण कोटा इस प्रकार है :

	यातानूकूलित 2-टियर	1 —	11 शायिका	11 सीट
60 डाउन/59 अप कामरूप एक्सप्रेस	2	—	20	—
166 डाउन/165 अप जनता एक्सप्रेस	—	—	16	—
68-58 डाउन तीस्ता ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस एवं कंचनजंगा एक्सप्रेस	2	—	—	15
155 डाउन 156 अप तिनसुकिया मेल	—	2	12.	—
902 डाउन 901 अप गुवाहाटी-तिरुवनन्तपुरम् एक्सप्रेस	—	2	16	—

अलीपुरद्वार मीटर लाइन स्टेशन को लम्बी दूरी की विभिन्न गाड़ियों में आवंटित आरक्षण कोटा निम्नलिखित है।—

9 अप अरुणाचल एक्सप्रेस	—	2	2	6
3 अप असम मेल	—	2	5	—
4 डाउन असम मेल	—	2	2	6

(घ) इन गाड़ियों में सीमित स्थान होने और अन्य स्टेशनों के कोटा पर भारी दबाव होने के कारण वर्तमान कोटा में वृद्धि करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

सर्कुलर रेलवे, कलकत्ता के मार्ग से हटाए गए परिवारों का पुनर्वास

[अनुवाद]

4358. **श्री पीयूष तिरकी :**

श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में सर्कुलर रेल मार्ग के साथ रह रहे लोगों को वहां से हटाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, विस्थापित किए जा रहे व्यक्तियों और परिवारों की ठीक ठीक संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या रेलवे विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए रेलवे की फालतू भूमि का पता लगाने और उसके निपटान के मामले की देखभाल के लिए एक भूमि प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो पुनर्वास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) सर्कुलर रेलवे का काम पूरा करने के लिए उन्हें रेलवे की भूमि से हटाना पड़ा है।

(ख) इसमें लगभग 700 परिवार अन्तर्ग्रस्त हैं।

(ग) रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) अतिक्रमण कर्ताओं को दूसरी जगह भेजने और राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य स्थान पर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए रेलवे पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से पत्र व्यवहार कर रही है।

अलीपुरद्वार में रेलवे अस्पताल

4359. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर सीमांत रेलवे में अलीपुर द्वार जंक्शन स्थित रेलवे अस्पताल में कुल कितने बिस्तर है;

(ख) क्या वहां बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो कब तक;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अंतिम बार बिस्तरों की संख्या कब बढ़ाई गई थी;

(ङ) अलीपुर द्वार अस्पताल में अन्य क्या विशेष सुविधायें दी गई या देने का विचार है ;

(च) क्या निकट भविष्य में अलीपुर द्वार डिवीजन के लिए एक और अस्पताल खोला जा रहा है;

(छ) यदि हां, तो कब तक और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) 111 बिस्तर।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) औसत बिस्तर अधिभोग 93 है, जिससे बिस्तरों में और वृद्धि करने का औचित्य नहीं बनता। 1980-81 के दौरान 20 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की गई थी।

(ङ) सभी बुनियादी विधाओं के विशेषज्ञों की व्यवस्था है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) अलीपुर द्वार मंडल के अंतर्गत न्यू बोंगाई गांव अस्पताल के लिए 10 अतिरिक्त बिस्तरों के प्रस्ताव को पहले की ही मन्जूरी दी जा चुकी है।

ओल्वा कोड डिन्डीगल लाइन को बड़ी लायन में बदलना

4360. **श्री आर० अन्नालाम्बी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने के लिए अब मानदण्ड अपनाए जाते हैं ; और

(ख) क्या सरकार सातवीं योजना अवधि ओलवाकोड और डिन्डीगल के बीच मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) बुनियादी तौर पर आमान परिवर्तन प्रस्तावों पर केवल निम्नलिखित के अनुसार विचार किया जाता है :—

1. जब यह पता चल जाता है कि भविष्य में विकसित होने वाला यातायात वर्तमान प्रणाली से नहीं सम्हाला जा सकता।

2. जब अंतर्स्थानान्तरण की मात्रा ऐसी हो कि यातायात की प्रत्याशित मात्रा को सम्हालने के लिए यह खर्चीला हो या व्यावहारिक न हो।

3. जब उन क्षेत्रों में तीव्र एवं निर्बाध संचार साधनों की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है और जहां विकास की संभावनाएं होती हैं।

(ख) जी नहीं।

मैसूर-चामराजनगर रेल लाइन

4361. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर से चामराजनगर कागड़ी तक लाइन बिछाने और इसे मेट्टूपलयम तक बढाने के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां तो क्या इस रेल मार्ग का सर्वेक्षण पूरा हो गया है ;

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सर्वेक्षण प्रगति के अग्रिम चरण में है। सर्वेक्षण पूरा होने पर ही निर्णय लिया जाएगा।

मैसूर में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय

4362. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार द्वारा वर्ष 1982 में किए गए अनुरोध पर मैसूर में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए कोई दूसरा स्थान चुना गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कर्नाटक राज्य में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने संबंधी एक प्रस्ताव कर्नाटक सरकार से प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव की जांच करने के बाद राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वे इस प्रस्ताव को आस्थागित रखें।

भारत सरकार द्वारा गठित की गई चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति ने विभिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, नर्सों, फार्मासिस्टों आदि के बीच तालमेल रखने के लिए स्वास्थ्य विज्ञान के विश्वविद्यालय खोलने के संबध में सिफारिशें की हैं। सरकार द्वारा इस मामले में अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय नौवहन निगम की कलकत्ता बन्दरगाह से "ब्रेक बल्क कारगो सर्विस" का बन्द होना

4363. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने कलकत्ता बन्दरगाह से कुछ देशों को अपनी "ब्रेकबल्क कारगो सर्विस" को बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इंजीनियरी सामान, ढलवा लोहे के सामान और कलकत्ता से आमतौर पर निर्यात-किए जाने वाले-अन्य सामान के छोटे निर्यातकों को "ब्रेकबल्क-कारगो के नौपरिवहन के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है । करने का विचार है ;

(घ) इन वैकल्पिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निर्यातकों को कितनी अतिरिक्त धनराशि खर्च करनी पड़ेगी ;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मद्रास, बम्बई, विशाखापत्तनम, कोचीन और अन्य प्रमुख बन्दरगाहों पर कितनी मात्रा में कितने मूल्य के "ब्रेक बल्क" कारगों का व्यापार किया गया ; और

(च) कलकत्ता बन्दरगाह पर "ब्रेक बल्क" कारगों सेवा बन्द करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) भारतीय नौवहन निगम ने कलकत्ता पत्तन से आस्ट्रेलिया और पूर्वी अफ्रीका तक जाने वाली अपनी ब्रेक बल्क कारगो सर्विस को स्थगित कर रखा है ।

(ग) कलकत्ता पत्तन से आस्ट्रेलिया के लिए ब्रेक बल्क कारगो अब कन्टेनरों में भेजा जाता है । जहां तक कलकत्ता से पूर्वी अफ्रीका के लिए निर्यात होने वाले ब्रेक बल्क कारगो का संबंध है, यह कारगो पहले मद्रास पत्तन को कंटेनरों में भेजा जाता है जहां से यह आगे विभिन्न स्थानों को भेजा जाता है ।

(घ) अगर माल भेजने वाले व्यापारी कंटेनरों द्वारा माल भेजने की सुविधा उठा लाभ उठायें तब कोई अधिक लागत नहीं आती है क्योंकि इस व्यवस्था में माल एक मालगोदाम से दूसरे माल गोदाम ले जाया जाता है । लेकिन यदि माल भेजने वाले व्यापारी अपनी सुविधा के लिए माल पत्तन तक खुले रूप में लाते हैं और जहाज मालिकों द्वारा कंटेनरों में रखे जाने पर जोर देते हैं तब कलकत्ता पत्तन पर एल० सी० एल० प्रभार के रूप में लगभग 215 रुपये प्रति मीट्रिक टन अतिरिक्त खर्च होगा ।

(ङ) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में कलकत्ता, बम्बई, कोचीन और मद्रास पत्तनों पर भारतीय नौवहन निगम के जहाजों द्वारा लाए ले जाए गए ब्रेक बल्क

कारगो की यात्रा नीचे सारणी में दिखाई गई है। भारतीय नौवहन निगम में यह सूचना प्रत्येक पत्तन के बारे में अलग-अलग नहीं रखी क्योंकि ऐसा करना उपयोगी नहीं समझा गया है।

पत्तन	1981-82	1982-83	1983-84
		(टनों में)	
कलकत्ता	150934	155261	103382
बम्बई	89897	149629	19344
कोचीन	33921	24834	27800
मद्रास	18959	19178	27408

(च) आस्ट्रेलिया के लिए ब्रेक बल्क कार्गो सर्विस इसलिए स्थगित की गई कि आस्ट्रेलिया के पत्तनों पर माल चढ़ाने-उतारने पर श्रमिकों पर अधिक खर्च होने से इस सर्विस पर खर्च अधिक बैठता था। पूर्वी अफ्रीका के लिए उक्त सर्विस कलकत्ता पत्तन से माल का निर्यात कम होने के कारण स्थगित की गई।

दिल्ली परिवहन निगम के कूपन

4364. **श्री राम समुझावन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम द्वारा जारी किए गए "कूपन" सादे नाजुक टिकट हैं जो एक या दो दिन से अधिक नहीं चल सकते हैं ;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम के कंडक्टर फटे हुए अथवा थोड़े से भी खराब हुए "कूपन" स्वीकार नहीं करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हजारों दैनिक यात्रियों को कूपनों कि अदला बदली में होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए, विशेषकर जबकि दिल्ली परिवहन निगम के टिकट की तरह दिखाई देने वाले "कूपन" को भूल से फेंक दिए जाने की अत्यधिक संभावनाएं हैं, कार्ड "कूपन" चलाना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) दिल्ली परिवहन निगम के 5 पैसे और 10 पैसे के कूपनों को उसी कागज पर छापा गया है जिस पर बस की टिकटें छपती हैं।

(ख) कंडक्टरों को यह अनुदेश दिए गए हैं कि वे कटे, फटे या विकृत कूपन न लें।

(ग) चूंकि कूपन एक बार ही प्रयोग में लाने के लिए जारी किए जाते हैं, इसीलिए गत्ते के "कूपन" छापना जरूरी नहीं है।

डीजल तेल की प्रति हजार ग्रास टन खपत

4265. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों में ब्राडगेज और मीटर गेज रेल लाइनों पर डीजल तेल की प्रति हजार ग्रास टन किलो मीटर खपत पिछले कुछ वर्षों के दौरान बढ़ी है ;

(ख) यदि हां, तो 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान ब्राडगेज और मीटर गेज लाइनों पर डीजल तेल की प्रति हजार ग्रास टन किलो मीटर खापत में वृद्धि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) डीजल तेल की खपत में इस वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(घ) ईंधन की खपत में मितव्यता सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है। करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) 1981-82 से 1983-84 तक की अवधि के दौरान बड़ी लाइन और मीटर लाइन पर सवारी और मिश्रित में सवारी अनुपात तथा माल और मिश्रित में माल अनुपात के प्रति हजार सकल टन कि० मी० पर उच्च रफ्तार डीजल तेल की खपत नीचे दी गयी है :—

वर्ष	बड़ी लाइन		मीटर लाइन	
	सवारी और मिश्रित में सवारी अनुपात	माल और मिश्रित में माल अनुपात	सवारी एव में मिश्रित सवारी अनुपात	माल एवं मिश्रित में माल अनुपात
1981-82	5·23	3.50	6.57	4.69
1982-83	5·12	3.47	6.02	4.49
1983-84	5.16	3.50	7.00	4.67

1984-85 की सूचना का अभी संकलन नहीं किया गया है और यह जुलाई अगस्त, 1985 के बाद ही उपलब्ध होगी।

खपत की दर में वृद्धि मुख्यतया मीटर लाइन सेवाओं पर ही हुई है।

(ग) मीटर लाइन के सवारी एवं मिश्रित में सवारी अनुपात में वृद्धि मुख्यतया भार में गिरावट तथा खाली इंजन किलोमीटरों में वृद्धि के कारण हुई है। माल तथा मिश्रित में माल के अनुपात में वृद्धि मुख्यतया खाली इंजन किलोमीटरों में वृद्धि के कारण हुई है।

(घ) ईंधन के उपयोग में रेलों के कार्य-निष्पादन पर सावधानीपूर्वक नजर रखी जाती है और किसी भी ह्रास के कारणों का विश्लेषण किया जाता है और सुधार लाने के लिए क्षेत्रीय रेलों से कहा जाता है। डीजल इंजनों की ईंधन सुधारता में सुधार लाने के लिए अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन में एक डीजल इंजन विकास संगठन की स्थापना की गयी है।

दिल का दौरा और एंजाइना से पीड़ित रोगियों के उपचार का गैर-परम्परागत तरीका

4366. **श्री बाई० एस० महाजन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल के गंभीर दौरे और ऐजाइना से पीड़ित रोगियों के किसी गैर-परम्परागत „टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ ; और

(ख) यदि हां, तो इस उपचार को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दिल्ली में एक प्राइवेट अस्पताल तीव्र हृदपेशी रोधगलन में "Ai-स्ट्रैप्टोकाइनेज नाइफेडिपाइन" नामक नए इलाज के प्रयोग पर अध्ययन कर रहा है। यह उपचार अभी भी एक मार्गदर्शी अध्ययन के रूप में प्रयोगात्मक और अन्वेषणात्मक स्तर पर है और अस्पताल के अनुसार इस पर एक नियंत्रित या दृच्छिकृत अध्ययन द्वारा और मूल्यांकन किए जाने की जरुरत है।

काजीपेट में सवारी डिब्बे बनाने का कारखाना

4367. **श्री सी० गंगा रेड्डी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड की विशेषज्ञ समिति ने काजीपेट में रेलवे के सवारी डिब्बे बनाने का नया कारखाना स्थापित करने हेतु आन्ध्रप्रदेश के वारांगल जिले में स्थित काजीपेट का सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दक्षिण मध्य रेलवे के अन्तर्गत काजीपेट में सवारी डिब्बे बनाने के नए कारखाने की स्थापना हेतु भूमि, पानी, बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना स्वीकार किया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया : (क) जी हां।

(ख) सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात्, सरकार ने पंजाब में प्रस्तावित नये रेल सवारी डिब्बा कारखाने की स्थापना करने का विनिश्चय किया है।

(ग) राज्य सरकार ने रेलवे को नि: शुल्क भूमि देने की पेशकश की है और साथ ही पानी की आपूर्ति तथा कारखाने के कार्य-स्थल तक नि: शुल्क बिजली के कनेक्शनों की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है।

त्रिचूर जिले में चेन्तुवाई पुल का निर्माण

4368. **श्री ए० एन्टनी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिचूर जिले में चेन्तुवाई नदी के आर-पार एक ऊपरी पुल का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुल के कार्य की प्रगति होने के क्या कारण हैं जबकि उसी समय शुरू किया गया कोडनाल्लूर पुल लगभग पूरा होने वाला है ; और

(ग) सरकार का विचार उपरोक्त पुल के निर्माण में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी हां। एक हाई लेवल पुल बन रहा है।

(ख) और (ग) दोनों पुलों का निर्माण कार्य दो अलग-अलग ठेकेदारों को दिया गया है। इसका निर्माण कर रहे ठेकेदार के अपने संसाधनों के कारण कोडुंगलूर (कोट्टापुरम) पुल का निर्माण निश्चित समय से 15 माह पहले पूरा हो रहा है।

चेट्टुवई पुल के पूरा होने में देर होने की संभावना है जिसका कारण है ठेकेदार के प्राप्त आधुनिक मशीनरी की अनुपलब्धता। इसके कारण बड़े ढांचे के निर्माण के लिए प्रकास्ट सिस्टम को कास्ट-इन-सिटु सिस्टम में बदलना जरूरी हो गया है। इस पुल का निर्माण तेजी से हो इसके लिए राज्य के मुख्य अभियंता इस निर्माण कार्य के प्रत्येक चरण पर नजर रख रहे हैं। इस निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए इस विषय पर राज्य सरकार से बात की जा रही है।

नैनपुर में रेलवे डिविजनल कार्यालय

[हिन्दी]

4369. **श्री एम०एल० शिकराम** :

श्री अजय मुशरान : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1984 में जबलपुर-गोंडिया छोटी लाइन पर चार-गांव रेलवे स्टेशन के निकट एक रेल दुर्घटना के घटित होने पर तत्कालीन रेल मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि नैनपुर में रेलवे का डिविजनल कार्यालय खोला जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) प्रथम चरण के रूप में, नैनपुर में एक विशेष कार्य अधिकारी और अन्य अधिकारियों सहित एक उप मंडल बना दिया गया है। लेकिन धन की कमी के कारण नैनपुर मंडल का गठन अस्थगित कर दिया गया है।

संगचल (रनिंग) स्टाफ के काम के घंटे

[अनुवाद]

4370. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगचल कर्मचारियों को ड्यूटी पर अमल करने के आदेश दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड ने आदेश परिचालित किया है और क्या इसे वास्तव में कार्यान्वित किया जा रहा है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) वर्तमान अनुदेशों के अन्तर्गत रनिंग कर्मचारियों की ड्यूटी के घंटे एक बार में "उपस्थिति हस्ताक्षर" से "कार्य समाप्ति हस्ताक्षर" तक 10 घंटे हैं। तथापि रेलों को मार्ग में आराम देने का सम्बन्ध है उनकी दस घंटे की ड्यूटी के प्रयोजन के लिए कतिपय गैर-रनिंग समय को नहीं गिना जाना चाहिए।

सामान्यत: अपरिहार्य परिचालनिक अनिवार्य अथवा दुर्घटना, बाढ़ आपात स्थिति आदि अपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर रनिंग कर्मचारियों द्वारा निष्पादित फेरे "उपस्थिति हस्ताक्षर" से "कार्य समाप्ति हस्ताक्षर" तक 10 घंटे के भीतर होते हैं।

अल्प संख्यक समुदाय विद्यार्थियों को विदेशों के छात्रों के साथ विनिमय

4371. **श्री बख्शन चाचड़** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अल्प संख्यक समुदाय से सम्बन्धित विद्यार्थियों का विदेशों के छात्रों के साथ विनिमय का कोई कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्प संख्यक समुदाय के कितने छात्रों को विदेश भेजा गया ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस समय, विदेशों के साथ छात्रों का आदान-प्रदान इन देशों के साथ किए गए

द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रमों में शामिल छात्र-वृत्तियों की योजनाओं के अन्तर्गत होता है। विदेश छात्रों को दाखिला देने के लिए समुदाय पर ध्यान दिए बिना केवल योग्यता को ही मान्यता देते हैं।

अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालयों में छात्र असन्तोष

4372. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय का माहौल इस समय शान्तिपूर्ण नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय में हाल ही के छात्र असन्तोष के क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त विश्वविद्यालय के परिसर में व्याप्त स्थिति को सुधारने और भविष्य में भी वहां शांति बनाए रखने तथा शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) नए कुलपति द्वारा 8 अप्रैल, 1985 को कार्यभार संभालने के बाद विश्वविद्यालय में अशान्ति से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि भूतपूर्व कुलपित ने कार्यभार छोड़ने के बाद 28 मार्च, 1985 को कुछ संगठित गैर-छात्र दल परिसर में घुस आये और उन्होंने कक्षाएं भंग कीं तथा कुछ अध्यापकों की पिटाई की।

(ग) यह मामला तुरन्त पुलिस के नोटिस में लाया गया था और उन्होंने परिसर में अपराधियों को हिरासत में लेने के लिए आवश्यक उपाय किए थे। उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय कानून तथा व्यवस्था प्राधिकारियों को आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है ताकि परिसर में कोई अप्रिय घटना न घटे।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पेयजल की अनुपलब्धता

4373. **श्री अनादि चरण दास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के छठे से आठवें तल तक अक्सर पेयजल उपलब्ध नहीं होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 30 मार्च, 1985 को इस अस्पताल में पूरे दिन पेयजल की सप्लाई में कटौती की गई थी जिसके फलस्वरूप रोगियों तथा उनके परिचरों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ;

(ग) उस दिन रोगियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई उपाय न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) अस्पताल में पेयजल की सप्लाई बिना रुकावट के नियमित रूप से सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) पिछले एक वर्ष के दौरान इस प्रकार पेयजल की सप्लाई में कितनी बार कटौती की गई ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में 30 मार्च, 1985 को नहीं बल्कि 29 मार्च, 1985 को लगभग पांच घन्टे पानी की सप्लाई बन्द रही क्योंकि पानी की सप्लाई के लिए अतिरिक्त कनेक्शन लगाने हेतु दिल्ली नगर को इस अस्पताल में पानी की सप्लाई बंद करनी पड़ी थी ।

(घ) दिल्ली नगर निगम से और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आवासीय क्षेत्र के जलाशय से अतिरिक्त पानी की सप्लाई ली गई है । एक अतिरिक्त नलकूप भी चालू कर दिया गया है । इससे अस्पताल में पानी की सप्लाई में निश्चय ही सुधार होगा तथा आशा है कि ऐसी कमी फिर नहीं होगी ।

(ङ) संस्थान ने सूचित किया है कि पिछले वर्ष के दौरान पानी की सप्लाई/में कुछ घन्टों के लिए दो बार रुकावट पड़ी थी ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आपरेशन पश्चात रोगियों के लिए अधिक बिस्तरों की व्यवस्था

4374. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आठवीं मंजिल के शल्य क्रिया कक्ष (आपरेशन थिएटर) में किसी विशेष दिन किए गए आपरेशनों की संख्या वहां रिकवरी कमरों में आपरेशन किए गए रोगियों के लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या की तुलना में हमेशा दुगनी अथवा तीन गुनी होती है कि जिसके परिणाम स्वरूप आपरेशन किए गए रोगियों को आराम करने के लिए घंटों स्ट्रेचर में रखा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो रिकवरी कमरों में और अधिक बिस्तर उपलब्ध करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या वहां ऐसी घटनायें हुई हैं कि रोगी आराम करते-करते स्ट्रेचर से नीचे गिर पड़े हों और यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान वहां ऐसी कितनी घटनायें हुई हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) संस्थान ने बताया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल के आठवीं मंजिल स्थित आपरेशन थिएटर में

एक दिन में किए गए आपरेशन की संख्या (बड़े और छोटे दोनों), रिकवरी रूप में उपलब्ध पलंगों की संख्या से कभी-कभी अधिक होती है वैसे, जिन रोगियों को निगरानी में रखना आवश्यक होता है उन सभी को रिकवरी रूप में पलंग उपलब्ध किए जाते हैं। छोटे आपरेशन के बाद कुछ रोगियों को जब तक वार्डो या अपने घर वापस नहीं भेज दिया जाता तब तक उन्हें कुछ समय के लिए आपरेशन थिएटर ट्राजियो पर रखा जाता है।

(ख) पांचवीं मंजिल पर एक छोटा आपरेशन थियेटर खोला जा रहा है और इसका अपना रिकवरी रूम होगा। इसमें आठवीं मंजिल के रिकवरी क्षेत्र के कुछ रोगियों को भी रखा जायेगा। रिकवरी रूम और गहन परिचर्या सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यह संस्थान मौजूदा भवन के ढांचे में कुछ परिवर्तन भी कर रहा है।

(ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राधिकारियों के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

त्रिचूर में केन्द्रीय विद्यालय

4375. **श्री पी० एन्टनी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या केरल की सांस्कृतिक राजधानी त्रिचूर में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है;

(ख) क्या त्रिचूर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) त्रिचूर में कोई केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) नहीं है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाता है जब वे एक उपयुक्त प्रायोजक प्राधिकारी से निर्धारित तरीके से प्राप्त हो जाते हैं और कक्षाएं चलाने के लिए भूमि, अस्थाई आवास आदि जैसी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन को त्रिचूर के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

रेलगाड़ियों में प्रकाश की व्यवस्था में सुधार करने के लिए डीजल जनरेटिंग सेट लगाना

4376. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ स्थित रिसर्च, डिजाइन एण्ड स्टेण्डर्ड आर्गेनाइजेशन (आर० डी० एस० ओ०) ने रेल गाड़ियों में प्रकाश की व्यवस्था में सुधार करने तथा खर्च में मितव्ययता करने के लिए आरक्षित सेटों सहित तीन डीजल जेनेरेटिंग सेटों के लगाये जाने की सिफारिश की है।

(ख) यदि हां, तो डिवीजन-वार ऐसी कितनी रेल गाड़ियां हैं जिनमें तीन डीजल जेनेरेटिंग सेटों की बजाय एक सेट की व्यवस्था की गई है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) डीजल जेनेरेटिंग सेट चलाने के लिए कितने अप्रशिक्षित और कितने प्रशिक्षित कर्मचारी रखे गए हैं ;

(घ) ठीक काम न करने पर कितने अप्रशिक्षित कर्मचारियों को दंडित किया गया है ; और

(ङ) जेनरेशन सैट युक्त डिवीजन-वार कितनी रेलगाड़ियां बिना प्रकाश के चलीं।

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन ने प्रत्येक पावर यान 3 में डीजल जनित्र सेटों के उपयोग की मूल रूप से सिफारिश की थी। इसकी समीक्षा की गई है और अब स्टेडवाई व्यवस्था सहित केवल 2 डीजल जनित्र सैटों की सिफारिश की गई है। डीजल जनित्र सैटों का उपयोग करके मिड-आन-जेनरेशन प्रणाली की सिफारिश, मितव्ययिता के एक उपाय के रूप में नहीं अपितु भिन्न-भिन्न क्षेत्रों और सेवाओं में परिचालनिक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर की गई है।

(ख) 82 रेकों में एक-एक डीजल जनित्र सैटों की व्यवस्था की गयी है जिसमें से 58 पूर्व रेलवे पर और 54 पूर्वोत्तर रेलवे पर हैं। जिन रेकों में एक-एक डीजल जनित्र सैट की व्यवस्था है, उनका मंडल-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

पूर्व रेलवे	रेकों की संख्या
मंडल	
हवड़ा	3
सियालदह	4
धनबाद	6
आसनसोल	4
दानापुर	9
मुगलसराय	2
जोड़	28

पूर्वोत्तर रेलवे	रेकों की संख्या
मंडल	
इज्जतनगर	6
सोनपुर	6
वाराणसी	8
समस्तीपुर	6
लखनऊ	28
जोड़	54

उपलब्ध राजस्व संस्थानों के भीतर रहते हुए मिड-आन-जेरेशन प्रणाली अपनाने में तेजी लाने के उद्देश्य से एक अस्थायी उपाय के रूप में केवल एक-एक सेट की व्यवस्था की गयी थी।

(ग) रेकों में लगे डीजल जनित्र सेटों के परिचालन के लिए कुल 532 कर्मचारी नियुक्त हैं। सभी कर्मचारी उनको सौंपी गयी ड्यूटियों में प्रशिक्षित हैं।

(घ) कुछ नहीं।

(ङ) फरवरी, 84 से फरवरी, 85 की अवधि के दौरान, मिड-आन जेनरेशन प्रणाली युक्त गाड़ियां 34 बार (0.1 प्रतिशत) बिना प्रकाश के चलीं। मंडल-वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

	(केवल पूर्वोत्तर रेलवे पर)
इज्जतनगर	1
सोनपुर	5
वाराणसी	17
समस्तीपुर	3
लखनऊ	8

"मिड-आन जेनरेशन रेक्स" का उपयोग आरम्भ किया जाना

4377. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० ओ० जी० रेक (मिड-आन जनरेशन रेक्स) का उपयोग आरम्भ करना लाभकारी है ;

(ख) यदि हां तो इस पर सितम्बर, 1983 से फरवरी, 1984 की अवधि की तुलना में सितम्बर, 1984 से फरवरी, 1985 की अवधि के दौरान कुल कितना खर्च हुआ ; और

(ग) इस संचालन के लिए कुल कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है और कितने उपलब्ध हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) चूंकि कोई अलग से विशिष्टि रिकार्ड नहीं रखा जाता है, अत: ये ब्यौरे देना कठिन है।

(ग) कतिपय गाडियों पर लगाये गए मिड-आन जनित्रों को चलाने के लिए 532 कर्मचारियों की आवश्यकता है और 532 ही कर्मचारी उपलब्ध हैं।

गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल में हृदय के वाल्व दोष उपचार के लिए नई टेकनोलाजी

4378. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

श्री वी० श्री निवास प्रसाद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल के हृदय विज्ञान यूनिट ने हृदय वाल्व दोष के उपचार के लिए कोई नई टेंक्नालाजी अपनाई है ;

(ख) यदि हां, तो नई टेंक्नालाजी का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह नई टेंक्नालाजी हृदय दोषों को जो बच्चों में विशेष रूप से बढ़ रहे हैं दूर करने में कहां तक सहायक होगी ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल के हृदय विज्ञान यूनिट ने एक नई तकनीक बेलून वाल्वोटामी और बेलून एंजिओप्लास्टी अपनाई है। यह तकनीक हृदय रोग वाले बच्चों के लिए लाभदायक है क्योंकि इस तकनीक से हृदय-शल्य चिकित्सा किए बिना उनका इलाज किया जा सकता है।

"सैंट बैंक फार मलेरिया कंट्रोल स्कीम" शीर्षक से समाचार

4379. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

श्री सी० माधव रेड्डी :

श्री एम० रघुमा रेड्डी

श्री वी० श्री निवास प्रसाद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मार्च, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "सैंट बैंक फार मलेरिया कंट्रोल स्कीम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस योजना को और अधिक प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) (ख) और (ग) सरकार ने इस समाचार को देखा है । यह सच है कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को, जिसने अपने पिछले वर्षों में प्रभावशाली उपलब्धियां प्राप्त की थीं, 1965-75 में धक्का पहुंचा है । इसके लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था । इस कार्यक्रम की पुनरीक्षा की गई और तदनुसार अप्रैल, 1977 से एक संशोधित कार्य योजना शुरू की गई थी । तब से पिछले वर्षों से समूचे देश में मलेरिया की घटनाओं में कमी हो रही है ।

संशोधित कार्य योजना के अधीन मलेरिया की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) ज्वर वाले रोगियों का पता लगाने, उनके रक्त के आलेप लेने और उनका अनुमानित उपचार करने के लिए निगरानी कार्यकर्ता हर पखवाड़े में प्रत्येक गांव का दौरा करते हैं ।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रयोगशालायें ज्वर वाले रोगियों के रक्त आलेपों की तुरन्त जांच करती है और जिन रोगियों में मलेरिया के लक्षण पाये जाते हैं उनका चिकित्सीय इलाज किया जाता है ।

(3) गांव में औषिध वितरण केन्द्र और ज्वर उपचार डिपो काम कर रहे हैं ताकि ज्वर वाले रोगियों को अविलम्ब दवाई उपलब्ध कराई जा सके ।

(4) जिन देहाती क्षेत्रों में प्रतिवर्ष एक हजार जनसंख्या के पीछे 2 अथवा अधिक रोगी पाये जाते हैं उन सभी क्षेत्रों में कीटनाशी दवाईयों का छिड़काव किया जाता है ।

(5) इसके अलावा, पी० फाल्सीपरम के संक्रमण को, जिसके कारण प्रमस्तिष्कीय मलेरिया हो जाता है, रोकने के लिए देश में प्रभावित क्षेत्रों में विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की वित्तीय सहायता से पी० फाल्सीपरम नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।

(घ) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित श्रेणी-II योजना है जिसे 1979-80 से 50 : 50 खर्च के आधार पर चलाया जा रहा है और मलाथियन दवाई वर्ष 1983-84 से शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में सप्लाई की जाती है ।

छठी योजना के लिए किए गए 23,400 लाख रुपये के केन्द्रीय बजट नियतन की तुलना के केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पर किये खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

वर्ष		बजट प्रावधान	व्यय
1980-81		445.00	3330.58
1981-82		5707.37	5460.85
1982-83		5500.00	5511.14
1983-84		6900.00	6883.33
1984-85		8400.00	8800.00
	योग :	30357.31	29985.90

नई दिल्ली नगर पालिका (एन० डी० एम० सी०) के डाक्टरों को मरीजों के घर पर देखने जाने की मनाही

[हिन्दी]

4380. **श्री विशाल मुत्तेमवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के डाक्टरों को मरीजों को उनके घर पर देखने जाने की अनुमति है या कि उन पर किसी परिपत्र के माध्यम से मरीजों को उनके घर पर जाकर देखने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) यदि उन्हें मरीजों को उनके घर पर जाकर देखने की अनुमति नहीं है तो उन्हें यात्रा भत्ता किस प्रकार दिया जाता है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने डाक्टरों को इस प्रकार का भत्ता दिया गया है ; और

(ग) यदि उन्हें घर पर मरीजों को देखने की अनुमति नहीं है, तो उक्त नियम क्यों बनाए गए, कब बनाए गये और किसने बनाये ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि यद्यपि नई दिल्ली नगर पालिका के डाक्टरों द्वारा रोगियों को उनके घरों पर देखने के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है, तथापि नई दिल्ली नगर पालिका के औषधालयों में अत्यधिक भीड़भाड़ होने के कारण वे ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए उनको कोई सवारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है।

(ख) जो डाक्टर नई दिल्ली नगर पालिका के एक से अधिक स्वास्थ्य संस्थाओं का दौरा कर रहे हैं उन्हें यात्रा भत्ता दिया जाता है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कडप्पाह रेलवे स्टेशन पर एक ऊपरी पुल का निर्माण

[अनुवाद]

4381. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कडप्पाह रेलवे स्टेशन पर दूसरे प्लेटफार्म को जोड़ने के लिए एक ऊपरि पुल के निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) इस ऊपरी पैदल पुल के माध्यम से नये निर्मित द्वीप प्लेटफार्म को जोड़ने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

महिला नसबन्दी (लेपरोस्कोपी) के पश्चात् मृत्यु तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष नसबन्दी (ट्यूबेकटामी) शिविर लगाने की योजना

4382. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या महिला नसबन्दी के पश्चात् कुछ महिलाओं की मृत्यु हो जाने के समाचार हैं; और

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष नसबन्दी ट्यूबेकटामी शिविर लोगों के दरवाजे तक पहुंचने की योजना है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1983-84 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम पर लगभग 383 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

(ख) लैपरोस्कोपी के पश्चात् मृत्यु हो जाने की कुछेक रिपोर्टें मिली हैं।

(ग) सातवीं योजना के दौरान महिला नसबन्दी करने संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किए जाने का प्रस्ताव है जिससे कि देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों तक इन सुविधाओं को पहुंचाया जा सके।

गैर सरकारी क्षेत्र में नौवहन कम्पनियों का रूग्ण एकक घोषित किया जाना

4383. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसी कौन-कौन सी नौवहन कम्पनियां हैं, जिन्हें रूग्ण एकक घोषित किया गया है;

(ख) एस० डी० एफ० सी० की बकाया राशि सहित उनकी ओर ऋण की कुल कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन रूग्ण एककों का विलयन करने अथवा अधिग्रहण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के वित्तीय पहलू क्या हैं तथा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) नौवहन विकास निधि समिति/सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र में किसी भी कम्पनी को "रूग्ण यूनिट" घोषित नहीं किया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सहजनवा गोरखपुर के बीच रेलवे पुल

[हिन्दी]

4384. **श्री मदन पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत सहजनवा गोरखपुर के बीच राप्ती और रोहिणी नदियों तथा डोमीनगढ़ ताल पर विद्यमान पुलों का उन पर हल्के वाहन चलने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से, विस्तार करने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी हां ।

(ग) प्रस्तावों की जांच की गई है लेकिन इन्हें तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं समझा गया है ।

घुघुली स्टेशन पर शैडों का निर्माण तथा प्रतीक्षालयों/विश्राम कक्षों का विस्तार

4385. **श्री मदन पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर छितौनी सेक्शन के एक महत्वपूर्ण स्टेशन घुघुली पर, यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफार्मों पर शैडों के निर्माण तथा प्रतीक्षालयों/विश्राम कक्ष का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (ग) घुघुली स्टेशन

पर दूसरे वर्ग के प्रतीक्षा कक्ष को 30.95 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है।

प्लेटफार्म पर शेड का निर्माण करने अथवा प्रतीक्षा कक्ष/विश्राम कक्ष का विस्तार करने के लिए कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है क्योंकि प्रस्तावित प्रतीक्षा कक्ष के विस्तार सहित वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त समझी गयी हैं।

भटनी-वाराणसी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4386. **श्री मदन पांडे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत भटनी-वाराणसी सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलने की योजना के बारे में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या गोरखपुर छितौनी तथा मुजफ्फरपुर बगाहा लाइनों को भी बड़ी लाइनों में बदलने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) लगभग 16.5 प्रतिशत प्रगति है।

(ख) इसका पूरा होना धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) से (घ) मुजफ्फरपुर-सगौती-बगहा-छितौनी-गोरखपुर मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

प्रेषण के दौरान माल बोरी के फलस्वरूप राजस्व की हानि

[अनुवाद]

4387. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान प्रेषण के दौरान माल की बोरी के फलस्वरूप मंडल-वार रेलों को कितने राजस्व की हानि होने का अनुमान है;

(ख) कितने दावे पंजीकृत किए गए और उनमें से कितने मामलों में अपराध का पता लगाया और अपराधियों को सजा दी गई; और

(ग) ऐसे अपराधियों का पता लगाने तथा उन्हें पकड़ने के लिए कर्मचारियों तथा जनता को क्या प्रोत्साहन दिये जाते जाते हैं।

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) वर्ष 1984 के दौरान

परिवहन में सामान की उठाईगिरी के कारण रेलों को राजस्व की अनुमानित हानि 778.53 लाख रुपये थी। मंडलवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) वर्ष 1984 के दौरान परिवहन में सामा की उठाईगिरी के कारण पंजीकृत किए गए दावों के मामलों की संख्या 68,066 थी, जिसमें से 1,208 अपराधों के मामले पकड़े गए थे और 1,467 अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया था।

(ग) रे०सु०ब० के कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, रेल कर्मचारियों और अपराधों का पता लगाने तथा अपराधियों को पकड़वाने में रे०सु०ब० की सहायता करने वाले व्यक्तियों को प्रत्येक सुपात्र मामले में नकद पुरस्कार दिए जाते हैं।

गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल और उन्हें टिटनस एवं टाइफाइड रोधक टीके लगाना

4388. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवजात शिशुओं में टिटनस के प्रकोप संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की जाती है तथा टिटनस एवं टाइफाइड रोधक टीके लगाये जाते हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) नवजातों में कितने को टेटनस हो जाता है, इसके बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथापि, 1981-82 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में किए गए नमूना सर्वेक्षण से पता चलता है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेटनस के कारण नवजात मृत्युदर क्रमशः 3.2 और 13.2 प्रति हजार जीवित जन्म था।

(ख) प्रसव-पूर्व परिचर्या के एक अंग के रूप में जिन ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं की टेटनस टाइफाइड वैक्सीन से रोकथाम की गई उनके आनुपातिक आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। वैसे देश में 1983-84 के दौरान अनुमानित 220 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं में से 81 लाख महिलाओं को टेटनस टाक्साइड का टीका लगाया गया। इन आंकड़ों में वे महिलाएं शामिल नहीं हैं जिन्हें गैर-सरकारी चिकित्सकों और अन्य गैर सरकारी एसिजेंसियों द्वारा टीके लगाये गए थे।

दिल्ली में मोटर दुर्घटना दावा-न्यायाधिकरण

4389. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मंजूर किए गए हैं और वास्तव में ऐसे कितने न्यायाधिकरण काम कर रहे हैं;

(ख) मंजूरी प्राप्त सभी न्यायाधिकरण के कार्यरत न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनका कार्य प्रभावकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (जियाउर्रहमान अन्सारी) :(क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने छह मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण स्थापित किए हैं और ये सभी अभिकरण कार्य कर रहे हैं।

रेलवे कर्मचारियों को जारी किए गए पी०टी०ओ० को ब्रिटेन की रेल गाड़ियों में यात्रा के लिए वैधता

4390. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों के रेलवे कर्मचारियों को रियायती दर पर यात्रा सुविधा के लिए जारी किए गए पी० टी० ओ० ब्रिटेन की रेलों में पारस्परिक आधार पर यात्रा करने के लिए वैध होते हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार ऐसे कितने यात्रियों को पास जारी किए गए; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक देश के मामले में वर्षवार कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाएं

4391. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी सहायता मंजूर की गई है और उड़ीसा सरकार द्वारा परियोजना-वार कितना धन दिया गया है;

(ग) उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो आदिवासी क्षेत्रों के अन्तर्गत आती हैं और इन परियोजनाओं द्वारा अधिकतर आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाता है;

(घ) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो यूं तो आदिवासी क्षेत्रों में हैं लेकिन इन परियोजनाओं द्वारा आदिवासियों को सीधे लाभ नहीं पहुंचाता; और

(ङ) आदिवासियों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं को धन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हाँ। परियोजनाओं तथा वर्ष-वार रिलीज की गई सहायता और उड़ीसा सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उड़ीसा सिंचाई-दो परियोजना के अन्तर्गत 18 मध्यम परियोजनाएं सहायता प्राप्त कर रही हैं जिनमें से 9 परियोजनाएं पूर्ण रूप से आदिवासी क्षेत्रों में आती हैं तथा अधिकतर आदिवासी जनसंख्या को लाभान्वित करती हैं। ये परियोजनाएं है : (1) पिलासलकी (2) सुनई (3) सराफगढ़ (4) कझारी (5) तलसारा (6) कंसबहल (7) वांकाबल (8) रेमल तथा (9) बड़ानाला।

उड़ीसा सिंचाई-दो परियोजना के अन्तर्गत हरभंगी परियोजना के मामले में हैड़वर्क आदिवासी क्षेत्र में तथा अयाकट गैर-आदिवासी क्षेत्र में स्थित है। उड़ीसा सिंचाई-दो परियोजना की शेष 8 परियोजनाएं गैर-आदिवासी क्षेत्र में हैं।

उड़ीसा की सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना अधिकतर आदिवासियों को लाभ पहुंचाएंगी।

(ङ) विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार पर्याप्त निधियां प्रदान कर रही हैं।

विवरण

उड़ीसा सरकार द्वारा प्रदान की गई परियोजना-वार निधियां तथा विश्व बैंक क्रेडिट के अन्तर्गत रिलीज की गई सहायता

(मिलियन रुपए में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम क्रेडिट संख्या	उड़ीसा सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियां					रिलीज की गई विश्व बैंक सहायता				
		1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	महानदी बराज परियोजना (क्रेडिट 1068-आई-एन)	9.83	40.05	77.59	157.87	150.00	2.17	18.34	20.24	90.30	74.90
2.	(क) उड़ीसा सिंचाई-एक (ख) (क्रेडिट 1397 आई. एन.) (ख) उड़ीसा सिंचाई-दो (क्रेडिट 1397 आई एन)	220.41	260.19	257.05	214.0	268.0	79.53	110.76	112.65	60.67	130.83
3.	सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना क्रेडिट 1289 आई एन (बिहार तथा उड़ीसा की अन्तर्राज्यीय परियोजना)	—	—	17.70	13.50	18.50	बिहार सरकार प्रतिपूर्ति दावे दाखिल कर रही है।				

बाजार मूल्य का भुगतान करके राज्य सरकार को भूमि दिया जाना

4392. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भूमि के बाजार मूल्य के भुगतान करने पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को भूमि देने संबंधी कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस तरह का निर्णय कब लिया और इसके सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कब सूचित किया ;

(ग) किन-किन राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या निर्णय लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में निर्णय लेने में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी नहीं। रेलों द्वारा अपनी निजी भूमि सामान्यत: अपनी अनुरक्षण संबंधी आवश्यकताओं तथा आगामी विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए रखी जाती है। तथापि, यदि कोई भूखंड रेलों के पास फालतू हो जाता है तो उसे सबसे पहले केन्द्रीय सरकार के उस विभाग को देने का प्रस्ताव किया जाता है जिसकी भूमि से यह भूखंड सटा होता है अथवा निकट होता है। यदि वह केन्द्रीय विभाग भूमि लेने से इन्कार करता है तो उस राज्य सरकार को जिसके क्षेत्र में वह भूमि होती है, यह विकल्प दिया जाता है कि वह बाजार मूल्य पर कीमत चुका कर उस भूखंड पर कब्जा ले ले। अत: राज्य सरकार के लिए रेलवे भूमि छोड़ने के सम्बन्ध में कोई सामान्य विनिश्चय करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चूंकि ऐसा कोई विशिष्ट विनिश्चय जिसका उल्लेख किया गया है नहीं किया गया है, अत: बड़े पैमाने पर रेलवे भूमि हस्तांतरित करने के लिए न तो राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और न ही ऐसा कोई विचार है। तथापि जब कभी किसी विशेष भूखंड को छोड़ने का कोई प्रस्ताव किसी राज्य सरकार से प्राप्त होता है तो इसकी जांच की जाती है और यदि वह भूखंड फालतू पाया जाता है तो हस्तांतरण के समय के बाजार मूल्य का भुगतान लेकर उसे राज्य सरकार के लिए छोड़ दिया जाता है।

केरल में जलमार्गों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

4393. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की पूरी लम्बाई तक फैले केरल के जलमार्गों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क)

और (ख) केरल राज्य में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए केन्द्र द्वारा परिवर्तित स्कीमों के रूप में निम्नलिखित स्कीमें मंजूर की गई हैं, जिनकी लागत इस प्रकार हैं :—

	(लाख रुपयों में)
(i) चम्पाकारा कैनाल का विकास	112.50
(ii) 20 पैसेंजर बोटों और 5 कार्गो बोटों की खरीद	30.00
(iii) नींदाकार-चेरिया झीकल जल मार्ग का सुधार	48.00

2. उपरोक्त स्कीमों में क्रमसंख्या (i) और (ii) की स्कीमों की कुल मंजूर लागत केरल राज्य सरकार को पहले ही दी जा चुकी है। नींदाकारा-चेरिया झीकल जलमार्ग के सुधार की स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम का प्रयोजन चेवारा क्षेत्र से नींदाकारा पोर्ट तक यंत्र चालित जलयानों द्वारा रेयर अर्थ (विशेष प्रकार की मिट्टी) के ढोने के लिए जलमार्ग को कम से कम 2.5 मीटर गहरा और 20 मीटर चौड़ा करना है।

केरल में हिमसागर एक्सप्रेस के स्टोपेज

4394. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कन्याकुमारी के बीच चलने वाली हाल ही में आरम्भ की गई हिमसागर एक्सप्रेस केरल में उन सभी स्थानों पर नहीं रुकती जहां पर केरल एक्सप्रेस रुकती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे स्थानों पर इसे रोकने के लिए मांग की गई है ; और

(ग) हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गांवों में गर्भवती महिलाओं के लिये चलते-फिरते स्वास्थ्य औषधालय

[हिन्दी]

4395. **श्री आर० एम० भोये** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गांवों में गर्भवती माताओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं तथा चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए चलते औषधालयों की व्यवस्था करने का विचार है ;

(क) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस योजना को कुछ राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) गांवों में गर्भवती महिलाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं तथा चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल औषधालयों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल में विद्युत उत्पादन

[अनुवाद]

4396. प्रो० पी० जे० कुरियन :

श्री के० मोहनदास : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि में केरल में विद्युत उत्पादन की प्रत्याशित क्षमता क्या थी ;

(ख) कितनी क्षमता प्राप्त की गई ; और

(ग) कितनी कमी रही तथा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में केरल 125 मेगावाट नई जल विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने का कार्यक्रम है। तथापि, निम्नलिखित कारणवश कोई नई क्षमता चालू नहीं की गई थी :—

परियोजना का नाम	कमी के कारण	उठाए गए कदम
1. इदमलयार (2x37.5 मेगा०)	श्रमिक समस्या, ठेका संबंधी समस्याएं आदि	इन समस्याओं का अब समाधान कर लिया गया है।
2. कक्कड (2x25 मेगा०)	1) व्यपवर्तन बांध और फोस्बे बांध के लिए ठेका देने में विलम्ब।	1) नए संविदा आमंत्रित किए गए हैं और अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
	2) विद्युत सुरंग सम्बन्धी कार्य धीमी गति से होना।	2) ठेका समाप्त कर दिया गया है। इस कार्य के लिए नए प्रबंध किए गए हैं।

दिल्ली के कालेजों में प्रवेश की जांच करने के लिए तथ्य अन्वेषी समिति

4397. श्री सी० माधव रेड्डी :

श्री एम० रघुमा रेड्डी क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कालेजों में शैक्षिक वर्ष 1984-85 के लिए दाखिलों की जांच के लिए नियुक्त तथ्य अन्वेषी समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां तो समिति के क्या निष्कर्ष हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1984-85 के शैक्षिक वर्ष के लिए दिल्ली में कालेजों में दाखिले के बारे में जांच करने के लिए कोई भी समिति नियुक्त नहीं की गई थी। तथापि, प्रतिभावना खिलाड़ियों के लिए निर्धारित स्थानों के कोटे के विरुद्ध जाली खेल प्रमाण पत्रों के आधार पर दिए गए दाखिलों के आरोपों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय द्वारा दाखिले के सम्बन्ध मे निर्णय करने के लिए छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्रों को वर्गीकृत किया जाता है। सक्षम विश्वविद्यालय प्राधिकारी द्वारा रबड़ की मोहर के माध्यम से प्रवेश प्रपत्र पर संगत श्रेणी सूचित की जाती है। समिति ने यह पाया था कि कुछ आवेदन पत्रों पर, जिनमें खेलों की अर्हताओं का मूल्यांकन किया गया था, दोहरी मोहरें थीं और दो अलग-अलग आवेदन पत्रों पर उसी खेल प्रमाण-पत्र के आधार पर उसी छात्र को दो विभिन्न श्रेणियां दीं गई थीं। समिति ने यह भी पाया कि कुछ मामलों में मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए थे और कुछ अन्य मामलों में खेल प्रमाण पत्रों की वैधता का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। कुछ अन्य ऐसे उदाहरण भी थे जिनमें न्यूनतम पात्रता शर्तों को पूरा किए बिना दाखिला दिया गया था।

रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, विश्वविद्यालय ने उन छात्रों के दाखिले को रद्द करने, जिनको इसका पात्र नहीं पाया गया था और सभी छात्रों के खेल प्रमाण पत्रों को भारतीय खेल प्राधिकरण के पास सत्यापन के लिए भेजने का निर्णय किया। विश्वविद्यालय ने यह भी निर्णय किया कि उन मामलों में, जहां खेल प्रमाण पत्रों की वास्तविकता अथवा अन्यथा का पता लगाना कठिन है, सम्बन्धित छात्रों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाये तथा सम्बन्धित खेल में जांच की जाए ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि दाखिल किए गए छात्र ही वास्तविक खिलाड़ी हैं।

परिवार नियोजन के उपाय तथा ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में तत्सम्बन्धी उपलब्धियां

4398. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, वे देश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में पूरी तरह सफल नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है ; यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) देश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या को रोकने हेतु उन क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख), और (ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम की पूर्णतया स्वेच्छिक आधार पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए लोगों को गर्भ-निरोधन की मांग बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हें अपेक्षित सुविधायें अच्छे ढंग से प्रदान की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में नसबन्दी आपरेशनों का प्रतिशत कुल नसबन्दी आपरेशनों के हिसाब से 1980-81 में 67.2 प्रतिशत था जो 1983-84 में बढ़कर 70.4 प्रतिशत हो गया है। आदिवासी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

4399 **श्री एच० ए० डोरा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और कितने गांव अभी विद्युतीकरण के लिए शेष रहते हैं ;

(ख) क्या यह अखिल भारतीय प्रतिशत के स्तर से कम है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) फरवरी, 1985 के अन्त तक आन्ध्र प्रदेश में 22,455 गांव विद्युतीकृत किए गए हैं। राज्य में 4766 गांवों का अभी विद्युतीकरण किया जाना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नौपोड़ा गुनपुर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4400. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में नौपोड़ा से उड़ीसा में गुनपुर तक की छोटी लाइन को चलाने पर कितना खर्च हुआ ;

(ख) क्या उक्त रेल लाइन आर्थिक रूप से लाभप्रद है ; और

(ग) क्या उक्त रेल लाइन के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) 1983-84 के दौरान नौपाड़ा-गुनपुर छोटी लाइन पर किया गया खर्च लगभग 44.83 लाख रुपये था जिसमें लाभांश दायिता शामिल नहीं है।

(ख) और (ग) जी नहीं।

अखिल भारतीय सड़क परमिट जारी करना

4401. **श्री थम्पन थामस** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैक्सियों, ट्रकों और बसों को अखिल भारतीय सड़क परमिट जारी करने के संबंध में कोई मानदंड नियम तथा विनियम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्यों में एक समान नीति है या सम्बन्धित राज्यों के अपने-अपने नियम और विनियम हैं;

(घ) क्या सभी राज्यों में "मल्टीप्वाइंट" टैक्स प्रणाली या सिंगलप्वाइंट टैक्स" प्रणाली प्रचलित है; और

(ङ) यदि हां, तो उसमें कोई एकरूपता है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) टैक्सियों और बसों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट और लोक वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट मोटरयान अधिनियम, 1939 की क्रमशः धारा 63 (7) और 63 (11) के तहत जारी किए जाते हैं ये परमिट सम्बन्धित राज्य परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी किए जाते हैं। केन्द्र सरकार ने लोक वाहनों के राष्ट्रीय परमिट करने के बारे में अपनाई जाने वाली नीति और प्रक्रिया की व्यवस्था मोटरयान अधिनियम 1939 की धारा 63 (11) से धारा 63 (15) तक और उसके तहत बनाए गए नियमों में की गई है। अखिल भारतीय पर्यटक स्वीकृत करने के बारे में विनियम मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 63 (7) से (10) तक दिये गये है। परमिट देने के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करते समय राज्य परिवहन प्राधिकरण इन उपबंधों के अनुरूप और विशिष्ट स्थानीय जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए मानदण्ड नियत करते हैं।

(घ) और (ङ) लोक वाहनों के राष्ट्रीय परमिट अपना वाहन जिन राज्यों में चलाना चाहते हैं उनसे सम्बन्धित कर एक ही जगह पर चुकता करते हैं यह राशि सम्बन्धित विभिन्न राज्यों में लगने वाले कर की कुल राशि होती है जो विभिन्न राज्यों में एक समान होता है। जहां तक पर्यटक वाहनों के लिए अखिल भारतीय परमिट स्कीम का सम्बन्ध है, इस बारे में राज्य सरकारों के बीच आपस में यह सहमति हो गई थी कि धारा 63 (7) के तहत जारी परमिटधारियों को सिर्फ अपने राज्य का कर देना होगा और उन पर अन्य राज्यों का कर नहीं लगेगा। राज्य सरकारों ने कर से छूट देने की यह सुविधा आपसी आधार पर लागू की है। बाद में कुछ राज्यों ने यह छूट समाप्त कर दी है।

ग्रामीण विद्युतीकरण पर अध्ययन

4402. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम पर किए गए अध्ययन से अता चलता है कि ऐसे ग्रामों में बिजली उपलब्ध कराने जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या की अधिकता है और कमजोर वर्गों को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए ताकि उन्हें विद्युत के लाभ उपलब्ध हो सकें राज्य सरकारों द्वारा अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में राज्यों द्वारा ग्रामों में विद्युतीकरण की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में क्या मुख्य बातें इंगित की गई हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) धीमी प्रगति के लिए जिम्मेदार जिन प्रमुख कारणों का पता रिपोर्ट से पता चलता है, वे निम्नानुसार हैं :— प्रक्रिया संबंधी विलम्ब, गांवों के निकट मरम्मत सम्बन्धी अपर्याप्त सुविधाएं तथा बिल जमा करने वाले अपर्याप्त केन्द्र आदि।

आन्ध्र प्रदेश द्वारा राज्य योजना के बाहर सहायता अनुरोध

4403. **श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से निम्नलिखित योजनाओं के लिए बिजली पैदा करने वाले उपकरण लगाने के लिए राज्य योजना से बाहर सहायता देने का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(एक) पोचमपाड पन बिजली योजना (दो) नागार्जुन सागर लिफ्ट नहर पन बिजली योजना (तीन) पन्ना महाबिलम पन बिजली योजना जहां पर बांधों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। और धन की कमी के कारण बिजली का उत्पादन किए बिना ही पानी को बेकार जाने दिया जाता है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार फासिल ईंधन स्रोतों के संरक्षण के लिए पन बिजली क्षमता के विकास की आवश्यकता पर बल दे रही है; और

(ग) क्या इन परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता लेनी पड़ेगी ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) फरवरी, 1983 में आन्ध्र प्रदेश से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि चूंकि प्रस्ताव केन्द्रीय सहायता के मानदण्डों के अन्तर्गत नहीं आता था, इसे स्वीकार नहीं किया गया था।

(ख) जी हां।

(घ) इस समय इन परियोजनाओं पर विदेशी वित्त व्यवस्था सहायता हेतु विचार नहीं किया जा रहा है।

पत्तनों में प्रलेखन प्रणाली शुरूआत

4404. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रबन्ध अध्ययन प्रतिवेदन (वर्ष 1983-84 के लिए विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या 104 (में उल्लिखित पत्तनों में प्रलेखन प्रणाली से सम्बन्धित पांच महत्वपूर्ण सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) पत्तनों में जो प्रलेखन प्रणाली के बारे में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई उन्हें सरकार स्वीकार कर चुकी हैं और विभिन्न पत्तनों से इन सिफारिशों को अपने-अपने यहां कार्यान्वित करने के लिए निदेश भी दिए गये थे। अब इस बात का आकलन किया जा रहा है कि इन सिफारिशों का विभिन्न पत्तनों पर किस सीमा तक कार्यान्वयन हुआ है।

राजस्थान के लिए गैस पर आधारित बिजली संयंत्र

4405. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य राज स्थान में बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए यह ठीक होगा कि बम्बई हाई की गैस का उपयोग किया जाना उचित नहीं होगा जिसे 400 मेगावाट का ताप बिजली घर स्थापित केरने हेतु राज स्थान में वासबाडा और सवाई माधोपुर के निकट से उत्तर प्रदेश को पहुंचाने की योजना है ; और जिसके लिए राजस्थान सरकार ने दिसम्बर 1983 में परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास मंजूरी हेतु भेज दी थी; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूर किए जाने और संयंत्रों को चालू किए जाने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) सरकार ने राजस्थान में सवाई माधोपुर में लगभग 370 मेगावाट का गैस पर आधारित एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। चालू करने का कार्यक्रम अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड

4406. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (या सभी राज्य राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के गठन पर सहमत हो गए हैं ;

(ख) यदि नहीं तो कौन-कौन से राज्यों ने इस के विचार का विरोध किया है ;

(ग) इस संबंध में इन राज्यों को सहमत करने के लिए अभी तक क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड संकलना पर आमतौर पर स्वीकृति है।

राजस्थान में लिगनाइट पर आधारित ताप बिजली घर की स्थापना

4407. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कपूदीं और पनाना में लिग्नाइट पर आधारित ताप बिजली घर स्थापित करने के सबंध में तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कर्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरु) :(क)से (ग) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने पालाना परियोजना के संशोधित लागत अनुमान फरवरी, 1985 में प्रस्तुत किए हैं। इसके आधार पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन कर रहा है। कपूरडी में लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

बाड़मेर और जैसलमेर (राजस्थान) में केन्द्रीय विद्यालय

[हिन्दी]

4408. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर नगरों में जहां सेना मुख्यालय तथा केन्द्रीय सरकार के अनेक कार्यालय स्थित हैं एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय न खोलने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय कब तक खोल दिए जाएंगे ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं। बाड़मेर में इस समय दो केन्द्रीय विद्यालय हैं। एक विद्यालय नम्बर 5, एफ०बी०एस०यू०, एयर फोर्स, उत्तरलाई, डाकघर, बाड़मेर में और दूसरा विद्यालय जलिपा छावनी, डाकघर, बाड़मेर में है। ए०एफ०एस०, जैसलमेर में एक केन्द्रीय स्कूल है।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिए राज्यों को सरकारी सहायता

[अनुवाद]

4409. **श्री जी० देवराय नायक** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में उठाऊ (लिफ्ट) सिंचाई योजनाओं के लिए धन देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय (सिंचाई विभाग) में विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में बिजली की दरों में वृद्धि

4410. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या सिंचाई और विद्युत यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिजली की दरों में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण और औचित्य क्या हैं; और

(ग) बिजली की दरों में कौन सी तारीख से वृद्धि करने का विचार है और उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ख) दिल्ली में बिजली की सप्लाई के लिए टैरिफ की दरों में 9-4-1985 से वृद्धि की गई है । चूंकि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने अपने टैरिफ पिछली बार अप्रैल, 1979 में निर्धारित किए थे और विद्युत के उत्पादन सप्लाई संबंधी निदेशों की लागत में वृद्धि हो गई है, इसलिए वृद्धि करना आवश्यक हो गया था । निम्न तथा मध्यम आय वाले परिवारों और कृषकों पर इस वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

बदरपुर ताप बिजली संयंत्र से राख

4411. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली के निवासियों ने बदरपुर ताप बिजली संयंत्र की चिमनियों से राख उड़ कर उनके घरों में आने के बारे में शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र के प्राधिकारी अपनी 3x100 मेगावाट की विद्युत उत्पादन यूनिटों के लिए अतिरिक्त फलाई-एश प्रिसिपिटेशन उपस्कर प्रतिष्ठापित करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं ।

शिक्षा पर अधिक राशि व्यय करने वाले राज्यों को सहायता के लिए प्रस्ताव

4412. **श्री के० मोहन दास** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का कोई विशेष प्रस्ताव है, जो शिक्षा पर अधिक खर्च करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

टून्डला के पास हुई रेल दुर्घटना

[हिन्दी]

4413. **श्री बलराम सिंह यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टून्डला के पास हाल ही में एक रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें कई लोग मरे और कई जख्मी हो गए थे; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना के क्या कारण थे ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) 28-3-85 को टून्डला के निकट हुई दुर्घटना में तीन रेलवे कर्मचारियों को चोटें आयीं ।

(ख) दुर्घटना के कारण ही जांच की जा रही है ।

सरकारी अस्पतालों में औषधियों की कमी और सभी नागरिकों को निःशुल्क औषधियां दिया जाना

[अनुवाद]

4414. **श्री बलराम सिंह यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में सरकारी अस्पतालों में औषधियों की भारी कमी है और रोगियों को बाजार से औषधियां खरीदनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और सरकार कब तक सभी नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार सहायता उपलब्ध करा सकेगी ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय सरकार को किसी भी राज्य सरकार के अस्पताल में दवाइयों की कमी होने के बारे में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों, अर्थात् राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सदरजंग अस्पताल आदि में अपनी आम जरूरतों को पूरा करने के लिए दवाइयों का अपेक्षित स्टाक है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

पुरी पलसा पैसेन्जर गाड़ी को पुनः आरम्भ करना

4415. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुरी-पलसा पैसेन्जर गाड़ी को चलाना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उस पैसेन्जर गाड़ी को पुनः आरम्भ करने की मांग की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो पुरी-पलसा पैसेन्जर गाड़ी को पुनः कब आरम्भ करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) बहुत कम लोकप्रियता के कारण 219/220 पुरी-पालसा पैसेन्जर गाड़ी को 22-2-85 से बन्द कर दिया गया था।

(ग) और (घ) जनता और उड़ीसा सरकार की लगातार मांग पर यह गाड़ी 5-4-85 से पुनः चला दी गयी है।

कलकत्ता बन्दरगाह पर आने वाले पोतों की संख्या और उतारा चढ़ाया गया सामान

4416. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान कलकत्ता बन्दरगाह पर कितने पोत आए और कुल कितने टन सामान चढ़ाया-उतारा गया ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान हल्दिया डाक काम्प्लेक्स सहित कलकत्ता पत्तन पर आए जहाजों की कुल संख्या और चढ़ाए-उतारे गए माल का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	आए जहाजों की संख्या	जहाज पर चढ़ाया गया माल	उतारा गया माल	चढ़ाया उतारा गया कुल माल
1982-83	1264	3607	7084	10691
1983-84	1161	3530	6938	10468
1984-85	1136	3340	6999	10339

छठी योजना में पश्चिम बंगाल के लिए योजना राशि का आबंटन

4417. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल के लिए सिंचाई हेतु वास्तव में कितनी

योजना राशि का आबंटन किया गया और प्रत्येक वार्षिक योजना में कितनी धनराशि व्यय की गई और उससे कितनी एकड़ भूमि लाभान्वित हुई ;

(ख) क्या मन्त्रालय को, मंजूरी के लिए सामान्य कार्यक्रम के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल से प्रमुख सिंचाई योजना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) छठी योजना में सिंचाई के लिए अनुमोदित सार्वजनिक सेक्टर परिव्यय 300.50 करोड़ रुपए था। प्रत्येक वार्षिक योजना में किए गए आबंटन, प्रत्येक वर्ष खर्च की गई राशि तथा अतिरिक्त सृजित क्षमता से लाभान्वित भूमि निम्नवत् है :—

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रुपए में)	व्यय	अतिरिक्त क्षमता (हजार हैक्टेयर में)
1980-81	53.67	43.44	96
1981-82	55.51	47.58	41
1982-83	56.51	41.36	77.8
1983-84	51.03	43.84	76.7(प्रत्याशित)
1984-85	40.15*	66.04 (प्रत्याशित)	78 (लक्ष्य)

*राज्य योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, परिव्यय अन्तिम है।

(ख) और (ग) छठी योजना के प्रस्तावों के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकें

4418. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में विभिन्न विषयों की विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की हैं ?

(ख) क्या सरकार लेखकों को भारतीय भाषाओं में विज्ञान और तकनीकी विषयों की पुस्तकें लिखने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा अन्य एजेन्सियों के माध्यम से कार्यशालायें आयोजित कर रही हैं; और

(ग) विभिन्न भारतीय भाषाओं में अब तक प्रकाशित पुस्तकों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग) शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

1968 में निहित निर्देशों के अनुसरण में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय, 1969 से विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में तैयार करने हेतु 15 भाग लेने वाले राज्यों एवं 4 विश्वविद्यालयों को अनुदान दे रहा है जिससे उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में इन भाषाओं को अपनाना सुकर हो सके।

पुस्तकों को वास्तविक रूप से तैयार करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा स्थापित ग्रन्थ अकादमियों/पुस्तक निर्माण ब्यूरों एवं विश्वविद्यालयों स्थापित कक्षों को सौंपा गया है।

संचालन समिति (वैज्ञानिक एवं तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग, नई दिल्ली के अध्यक्ष की अध्यक्षता में) विभिन्न भाषाओं में विद्यमान साहित्य का, अन्तरालों का पता लगाने और राज्यों को योजना के अन्तर्गत शामिल भाषाओं में पुस्तकें लिखने और उनका अनुवाद करने के लिए सिफारिश करने के वास्ते सर्वेक्षण करती है। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय एवं वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने 62 विषय पेनल नियुक्त किए हैं। यह संचालन समिति, संबंधित हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों द्वारा तैयार की जाने वाली पुस्तकों के आबंटन के लिए भी जिम्मेदार हैं। समिति ग्रंथ अकादमियों के प्रयत्नों को समन्वित करती है ताकि प्रयत्नों की पुनरावृति न हो।

योजना के अन्तर्गत विषयों में (वैज्ञानिक विषयों जैसे पशु चिकित्सा औषधि, कृषि आदि सहित) प्रकाशित पुस्तकों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

भाषा	प्रकाशित पुस्तकों की संख्या (31.3.1985 के अनुसार)
असमी	525
बंगला	263
गुजराती	725
हिन्दी	1556
कन्नड़	415
मलयालम	885
मराठी	343
उड़िया	368
पंजाबी	139
तमिल	900
तेलगू	602
कुल	6721

दिल्ली (1) उपरोक्त के अतिरिक्त वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग ने हिन्दी में 193 पुस्तकें तैयार की हैं जिनमें इंजीनियरी, कृषि एवं औषधि शामिल हैं।

(2) उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो ने उर्दू में विज्ञान और मानविकी के अनेक विषयों में 35 विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें भी तैयार की हैं।

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद विश्वविद्यालय स्तर पर भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के निर्माण कार्य से संबंधित नहीं है। यद्यपि, परिषद विशेष रूप से विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित नहीं करती, इससे विभिन्न विषय क्षेत्रों में विविध अनुदेशात्मक सामग्री विकसित करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

दिल्ली परिवहन निगम की एक बस पर प्रतिदिन औसत आय और उस पर व्यय

4419. **श्री राम भगत पासवान** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985-86 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के लिए कुल कितनी बसें खरीदे जाने का विचार है ;

(ख) दिल्ली परिवहन निगम की नई बस का औसत जीवन-काल क्या होता है;

(ग) दिल्ली परिवहन निगम की एक बस पर प्रतिदिन होने वाले औसत खर्च और आय का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या दिल्ली परिवहन निगम की औसत आय कम हो गयी है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 1985-86 में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा कुल 201 बसें खरीदे जाने का प्रस्ताव है।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम की एक नई बस की उसके द्वारा तय की गई दूरी के अनुसार औसत आयु 5 लाख कि०मी० और समय के अनुसार 8 वर्ष है।

(ग) अप्रैल, 84-फरवरी, 85 की अवधि में दिल्ली परिवहन निगम की प्रति बस पर प्रतिदिन औसतन 833 रुपए खर्च हुआ और उससे प्रतिदिन औसतन 416 रुपए आय हुई (ये आंकड़े अनन्तिम हैं।)

(घ) और (ङ) उपरोक्त भाग (1) में उल्लिखित अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्रति दिल्ली परिवहन निगम की बस की औसत आय थोड़ी कम हो गई। इसका मुख्य कारण भीड़ भाड़ कम करने के लिए खास कर अधिक भीड़ भाड़ के समय और अधिक बसें लगाना है। चालू वर्ष में दिल्ली परिवहन निगम की औसतन 3443 बसें चली जब कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह संख्या 3347 थी। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली परिवहन निगम की प्रत्येक बस में यात्रियों की संख्या जो 1983-84 में 970 थी, वह 1984-85 में घट कर

901 रह गई। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली परिवहन निगम की प्रत्येक बस की औसत आय में थोड़ी कमी आई। तथापि दिल्ली परिवहन निगम की कुल आय 1983-84 में 47.46 करोड़ रुपए थी, वह 1984-85 में बढ़ कर 48.00 करोड़ रुपए हो गई।

दिल्ली परिवहन निगम के कुल बस बेड़े से यमुनापार क्षेत्रों में चलने वाली बसों का प्रतिशत

4420. **श्री राम भगत पासवान**: क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली की लगभग एक तिहाई जनसंख्या यमुनापार क्षेत्रों में रहती है लेकिन दिल्ली परिवहन निगम की इन क्षेत्रों की सेवा करने वाली बसें दिल्ली परिवहन निगम की सड़कों पर चल रही कुल बस संख्या का पांचवां भाग भी नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अपने कुल बस बेड़े की कितनी प्रतिशत बसें यमुनापार क्षेत्र में चलाई जा रही हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) और (ख) अभी 664 नगर रूटों में से यमुनापार क्षेत्र में 122 रूटें काम कर रही हैं। दिल्ली परिवहन निगम नगर के पूरे रूटों के लिए 4802 बसें चलाता है और इनमें से 771 बसें यमुनापार क्षेत्र को जाने वाली रूटों पर लगाई गई हैं। यह कुल बसों की संख्या का 16 प्रतिशत है।

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कोचिंग कक्षाएं चलाने की परियोजनाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता

4421. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जम्बू व कश्मीर, बंगलौर, उस्मानिया, कालीकट लखनऊ, पटना और गोहाटी के विश्वविद्यालयों की अल्प संख्यक समुदायों के छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में स्पर्धा करने में सक्षम बनाने हेतु कोचिंग कक्षाएं चलाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता पाने हेतु अपनी योजनायें भेजने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त अनुरोध का ब्यौरा क्या है और उसे कब तक प्राप्त मंजूर शुदा प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस योजना से अब तक कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं ;

(घ) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यावय और जामिया मिलिया इस्लामिया को अब कब कितनी सहायता दी गयी है ;

(ङ) पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों जहां काफी संख्या में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं के विश्वविद्यालयों से ऐसा अनुरोध न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को कोचिंग की सुविधा देने के लिए क्या व्यवस्था की गई है/करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क), जी हां।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर नौकरियों में भर्ती के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सफलता के योग्य बनाने हेतु शिक्षण कक्षाएं आरम्भ करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों-कालेजों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना तैयार की है। योजना से संबंधित मार्गदर्शी रूप रेखाएं देश में सभी विश्वविद्यालयों और समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचारार्थ प्रस्ताव भेजने के लिए परिचालित कर दी थीं। रूपरेखाओं के अनुसार मुख्य शिक्षण केन्द्र विश्वविद्यालय परिसर में स्थित होगा, उपकेन्द्र कुछ कालेजों में स्थित हो सकते हैं तथा कालेजों में शिक्षण कक्षाएं समुचित ढंग से आयोजित करने की कुल जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होगी। विश्वविद्यालयों को इन पाठ्यक्रमों को आयोजित करने, अपेक्षित शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती-नियुक्ति तथा शिक्षण-प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

स्वीकृत प्रस्तावों और आयोग के पास अभी तक अनिर्णित पड़े प्रस्तावों की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1098-85]

(ग) जिन विश्वविद्यालयों की योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान संस्वीकृत किया गया है, से जनवरी, 1985 के दौरान योजना की प्रगति बताने का अनुरोध किया गया था। संबन्धित विश्वविद्यालयों से प्रगति रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

(घ) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1, 50, 000-रुपए
जामिया मिलिया इस्लामिया	1, 44, 000-रुपए

(ङ) और (च) योजना से सम्बन्धित मार्गदर्शी रूपरेखाएं देश में सभी विश्वविद्यालयों और समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों को यह अनुरोध करते हुए परिचालित कर दी गई है कि वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वे अपने प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दें।

माल भाड़े में घाटा

4422. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों को पिछले तीन वर्षों के दौरान माल डिब्बों की कमी के कारण माल भाड़े का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न रेलों को विशेष रूप से कोयला, उर्वरकों, सीमेंट, लोहा और इस्पात की ढुलाई में कितने मूल्य के माल भाड़े का नुकसान हुआ; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान माल डिब्बों की मांग की तुलना में रेलवे द्वारा सप्लाई किए गए माल डिब्बों की स्थिति क्या रही ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) फुटकर परेषणों के संचलन के लिए माल डिब्बों की कमी के कारण रेलों को गैर-कोर क्षेत्र के यातायात में कुछ हानि हुई है। कोर क्षेत्र में अर्थात् कोयला, उर्वरक, सीमेंट लोहा और इस्पात आदि में केवल जनवरी से मार्च तक के प्रति व्यस्त यातायात महीनों में ही माल डिब्बों की कमी महसूस हुई क्योंकि सभी क्षेत्रों से एक साथ भारी मांग आ गयी थी।

(ग) भाड़ा यातायात को इस कारण हुई हानि के मूल्य के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान दैनिक औसत प्रारम्भिक लदान निम्नलिखित था :—

वर्ष	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
1982-83	27526	5108
1983-84	27582	4866
1984-85	28658x	4441x

xअनन्तिम

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अन्त में बकाया मांगों की स्थिति निम्नलिखित थी :—

	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
मार्च 83 के अन्त में	35056	9646
मार्च 84 के अन्त में	38959	23377
मार्च 85 के अन्त में	71570	37022

केन्द्र द्वारा शुरू किया गया फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम :

4423. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान केन्द्र द्वारा कुछ राज्यों में फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना अवधि के दौरान यह योजना किन-किन राज्यों में शुरू की गई थी; और

(ग) उस अवधि के दौरान उन राज्यों में इस सम्बन्ध में किए गए कार्य का क्या ब्यौरा है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम जो एक केन्द्रीय प्रायोजित श्रेणी-2 स्वास्थ्य योजना है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्रप्रदेश असम, बिहार, गुजरात, केरल, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों और गोआ, दमन व द्वीव पांडेचेरी, अन्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह व लक्ष्यद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती रहीं।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 188 नियंत्रण एककों के माध्यम से समय-समय पर लार्वारोधी उपाय करके और फाइलेरिला के रोगियों का पता लगाकर/उपचार करके 2 करोड़ 70 लाख की आवादी को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। 90 प्रतिशत शहरों में जहां पांच वर्षों से भी अधिक समय से लार्वा रोधी उपाय किए जा रहे हैं, फाइलेरिया के रोगियों में कमी आई है। तीन ग्रामीण फाइलेरिया नियंत्रण परियोजनाओं जिनमें से एक गुजरात (बुलसर जिला), एक उत्तर प्रदेश (जौनपुर जिला) तथा एक आन्ध्र प्रदेश (श्री काकुलम जिला), में चलाई जा रही है, के माध्यम से 50 लाख और आवादी को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। अब तक 235 जिलों में सर्वेक्षण किए जा चुके हैं तथा 25 जिलों में सर्वेक्षण जारी है फाइलेरिया रोग पर नियंत्रण पाने के लिए विभिन्न लार्वा नाशी दवाइयों के उपयोग से लार्वा रोधी उपायों को तेज कर दिया गया है। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्याप्त मात्रा में लार्वा नाशी दवाइयों तथा अन्य औषधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

कंग्साबती जलाशय परियोजना

4424. **श्री गीता मुखर्जी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कंग्साबती जलाशय परियोजना के आधुनिकीकरण की 210 करोड़ रुपए की योजना केन्द्रीय जल आयोग के पास स्वीकृति हेतु भेजी है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पुरुलिया में अपर कंग्साबती परियोजना मंजूर किए जाने को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कंग्साबती जलाशय परियोजना को स्वीकृति देना अत्यन्त आवश्यक हो गया क्योंकि अपर कंग्साबती परियोजना के क्रियान्वित किये जाने पर उसका काफी पानी उसके द्वारा ले लिया जायेगा; और वर्तमान जलाशय में पानी बहुत कम हो जायेगा जब तक कि इसके जल संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि नहीं की जाती; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) और (ख) का उत्तर हां में है, तो कंग्साबती जलाशय परियोजना के आधुनिकीकरण तथा संवर्धन की योजना को तुरन्त स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) कंग्साबती जलाशय परियोजना, जिस पर 232.84 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है, की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में अप्रैल, 1983 में प्राप्त हुई है।

(ख) पुरुलिया जिले में अपर कंग्सबती परियोजना को अभी योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

प्रोटीन कैलोरिक कुपोषण के कारण सूखा रोग और क्वाशिओरकर जैसे रोगों का बढ़ना

4425. **डा० ओ० विजय रामा राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रोटीन कैलोरिक कुपोषण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भूखा रोग और क्वाशिओरकर जैसे रोग बढ़ रहे हैं और यदि हां, तो इन रोगों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि पंचवर्षीय योजनाओं में उपेक्षा किए जाने के कारण देश को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग ब्यूरों 10 राज्यों के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आहार और पोषण संबंधी सर्वेक्षण करता है। क्वाशिओरकर और सूखा-रोग प्रोटीन क्लोरिक कुपोषण की उग्र किस्में हैं और ये आम तौर पर स्कूल-पूर्व बच्चों में पाई जाती हैं। विभिन्न वर्षों में क्वाशिओरकर और सूखा-रोग की घटनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सरकार ने निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए हैं :—

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

1. बच्चों में विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाले अंधेपन को रोकने संबंधी प्रतिरक्षण कार्यक्रम जो सन् 1971 में शुरू किया गया था।
2. माताओं और बच्चों में पोषणन अरक्तता को करने संबंधी प्रतिरक्षण कार्यक्रम जो सन् 1971 में चलाया गया था।

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय

3. 1975 में शुरू की गयी एकीकृत बाल विकास सेवा योजना।
4. विशेष पोषण कार्यक्रम (1970-71)
5. बालबाड़ी पोषण कार्यक्रम (1970-71)

शिक्षा मन्त्रालय

6. 1962-63 में शुरू किया गया दोपहर का भोजन देने का कार्यक्रम।

खाद्य और सिविल आपूर्ति मन्त्रालय

7. पूरक आहार के लिए सस्ते खाद्यान तैयार करना ।

विवरण

विभिन्न राज्यों में स्कूल-पूर्व बच्चों में क्वाशिओरकर और सूखा रोग की बीमारी की प्रतिशतता

राज्य	1978		1980		1982	
	क्वाश	सूखा-रोग	क्वाश	सूखा-रोग	क्वाश	सूखा-रोग
केरल	—	0·8	—	—	—	—
तमिलनाडु	—	0·6	—	0·1	0 3	—
कर्नाटक	0·3	0·5	—	0·3	—	0·2
आन्ध्र प्रदेश	1.3	2.3	0·5	1·7	0.6	—
महाराष्ट्र	0.7	—	एन. सी.	एन.सी.	0.5	0.3
गुजरात	0-5	3.4	—	1·1	—	2.3
उड़ीसा	—	0·9	—	—	—	—
पश्चिम बंगाल	0.4	—	—	0·3	—	—
मध्य प्रदेश	—	—	एन. सी.	एन.सी.	एन. सी.	एन. सी.
उत्तर प्रदेश	0·9	0.7	1·3	0·8	एन. सी.	एन. सी.

एन० सी०-कवर नहीं है ।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई सामाजिक सहायता

4 426. डा०जी० विजय रामा राव : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक रूप से विकलांग अधिकतर व्यक्तियों की उचित देखभाल नहीं होती है; और

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की की राज्य वार संख्या क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान शहरी और ग्रामीण विकलांग व्यक्तियों को वर्षवार क्या सामाजिक सहायता उपलब्ध कराई गई ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं । विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और प्रशिक्षण तथा उनके पुनर्वास के लिए अनेक योजनाएं हैं ।

(ख) विकलांग व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या दिखाने वाला एक विवरण अनुबन्ध-1 में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1099/85]

भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को प्रदान की गई सहायता अनुबन्ध-2 में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया : देखिए संख्या एल० टी० 1099/85] इसके अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों ने भी योजनाएं तैयार की हैं।

विश्वविद्यालयों में छात्रों का दाखिला लिया जाना

4427. **डा० विजय रामा राव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली में छात्रों के दाखिला लेने की दर 1974-75 से 1983-84 के दशक के दौरान, पिछले दशक की तुलना में, कम हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अवधि के लिए दाखिले के बारे में राज्यवार आंकड़े क्या हैं तथा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) विश्वविद्यालयों और कालेजों में दाखिला 1964-65 में 9.50 लाख से बढ़कर 1973-74 में 22.34 लाख और 1983-84 में 33.59 लाख हो गया। औसत वार्षिक वृद्धि दर 1964-65 से 1973-74 के दौरान 10.3 प्रतिशत थी और 1974-75 से 1983-84 की अवधि के दौरान 4.2 प्रतिशत थी। पिछली दशाब्दी वृद्धि की उच्चतर दर अंशतः इसलिए थी कि जिस आधार पर विस्तार हुआ, वह छोटा था और अंशतः इसलिए कि बाद के वर्षों में उच्चतर शिक्षा पद्धति में विस्तार की गति आर्थिक विकास के अनुसार नहीं थी।

(ग) 1979-80 से 1983-84 की अवधि के दौरान राज्य-वार छात्रों का दाखिला दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	विवरण				
		दाखिला				
		1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,65,037	1,93,416	2,18,441	2,44'332	2,73,176
2.	असम	52'021	47,517	58,781	65,930	71,118
3.	बिहार	1,25,035	1,39,341	1,96,473	1,98,018	2,28,441
4.	गुजरात	1,69,878	1,74,786	1,95,179	1,98,438	2,04,697
5,	हरियाणा	62,582	58,900	59,534	65,022	69,310
6.	हिमाचल प्रदेश	11,849	12,986	14,771	16,305	18,319
7.	जम्मू और कश्मीर	17,993	21,968	20,286	20,190	21,348
8.	कर्नाटक	1,82,675	2,00,829	2,15,861	2,32,090	2,59,804
9.	केरल	1,06,297	1,13,352	1;19,551	1,25,111	1,40,226
10.	मध्य प्रदेश	2,00·134	2,12,823	2,18,931	2,25,580	2,37,382
11.	महाराष्ट्र	3,34,211	3,35,312	3,48,814	3,73,385	3,97,280
12.	मणिपुर	7,691	6,601	8,098	8,555	10,514
13.	मेघालय-नागालैण्ड	7,170	7,416	8,628	8,207	10,367

1	2	3	4	5	6	7
14.	उड़ीसा	50,412	57,194	61,666	64,853	72,642
15.	पंजाब	1,12,139	1,12,103	1,12,788	1,17,580	1,22,272
16.	राजस्थान	1,44,441	1,44,130	1,53,312	1,54,863	1,68,414
17.	तमिलनाडु	1,84,295	2,05,382	2,19,286	2,29,075	2,47,226
18.	उत्तर प्रदेश	4,31,584	4,45,677	4,55,949	4,55,305	4,60,793
19.	पश्चिम बंगाल/त्रिपुरा/ सिक्किम	2,08,274	1,89,849	2,09,494	2,38,498	2,48,559
20.	दिल्ली	74,861	72,855	86,223	91,756	97,435
	कुल	26,48,579	27,52,437	29,52,066	31,33,093	33,59,323

विद्युत का एक समान वितरण

4428. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतन्त्रता के बाद से सारे देश में विद्युत के संतुलित अथवा समान वितरण को सुनिश्चित किये बिना देश के कुछ भागों में विद्युत की पूर्ति का केन्द्रीयकरण हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो चालू पंचवर्षीय योजना में एकरूपता बनाये रखने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विद्युत सप्लाई उद्योग अधिकांशत: निजी क्षेत्र में था और यह केवल शहरी क्षेत्रों में सीमित था। इस समय से विद्युत के विकास के युक्तिसंगत आधार पर बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। प्रारम्भ में किए गए उपायों में से एक राज्य बिजली बोर्डों की स्थापना हेतु विस्तृत रूप से विधान की व्यवस्था करता था जिससे सभी क्षेत्रों को विद्युत की सप्लाई की जा सके।

चूंकि देश के ऊर्जा स्रोत असमान रूप से बंटे हुए हैं, अत: विद्युत विकास के मामले में क्षेत्रीय संकल्पना को अपनाया गया है। क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों का विकास किया जा रहा है और केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत केन्द्रों को स्थापित किया जा रहा है। ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि जैसे विशेष वित्तीय प्रबंधों के जरिए ग्रामों को विद्युत की सप्लाई में असमानताओं को दूर करने के लिए संगठित प्रयास किए गए हैं।

धोसावास के निकट रेलवे स्टेशन की मांग

[हिन्दी]

4429. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रतलाम (पश्चिम रेलवे) के निवट मीटर गेज पर धोसावास स्टेशन नामक रेलवे स्टेशन कब बनाया गया था ;

(ख) क्या यह स्टेशन धोसावास से 5 कि. मी. दूर रतलाम औद्योगिक क्षेत्र के निकट बनाय गया है ;

(ग) क्या धोसावास के निवासी अपने लिये एक रेलवे स्टेशन की मांग कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) धोसावास स्टेशन जो रतलाम-नीमच मीटर लाइन पर रतलाम और नामली स्टेशनों के बीच स्थित है, 7-1-1978 से प्रारम्भ किया गया था।

(ख) जी हां, यह स्टेशन धोसाबास गांव से लगभग 4.26 कि. मी. की दूरी पर है।

(ग) जी हां।

(घ) विद्युत में धोसाबास गांव के निकट एक हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच की गयी थी परन्तु इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

हाजिरा-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन के साथ-साथ गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र

[अनुवाद]

4430. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजिरा-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के साथ-साथ गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना की कोई योजनाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या विद्युत और उर्वरक संयंत्रों दोनों के लिए गैस पर्याप्त हो रही है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) गैस की पर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाजिर-विजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन की एलाइनमेंट के साथ-साथ कवास, हवाई माधोपुर और औरिया में संयुक्त साइकिल प्रौद्योगिकी वाले कुल 1500 मेगावाट के गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

लम्बी दूरी की गाड़ियों में महिलाओं के लिए पृथक सवारी-डिब्बे कम्पार्टमेंट

4431. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी दूरी की अनेक गाड़ियों में महिलाओं के लिए पृथक सवारी डिब्बों या कम्पार्टमेंट्स की व्यवस्था समाप्त की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो लम्बी दूरी की ऐसी कितनी गाड़ियां हैं, जिनमें शयन गैर शयन सवारी-डिब्बों में महिला यात्रियों के लिए पृथक कम्पार्टमेंट आरक्षित होते हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश की केन बहुप्रयोजनीय परियोजना

[हिन्दी]

4432. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन बहु-प्रयोजनीय परियोजना मन्जूरी के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस परियोजना को मन्जूरी देकर वित्तीय वर्ष में इसके लिए बजट में प्रावधान कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने केन बहु-प्रयोजनी परियोजना पर परियोजना रिपोर्ट, 1982 में प्रस्तुत की थी । परन्तु राज्य सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना अभी तक नहीं की है ।

(ख) राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ललितपुर से बांदा तक रेल लाइन का सर्वेक्षण

4433. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदेश में बरास्ता टीकमगढ-खजुराहो से ललितपुर-बांदा रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण इस बीच पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण

4434. **श्री हरीश रावत :**

श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न पर्वतीय जिलों के तत्संबंधी पृथक-पृथक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या उपलब्धि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप रही है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं तथा लक्ष्य में कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) 1984-85 के दौरान फरवरी,

1985 के अन्त तक उत्तर प्रदेश में 3572 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था जबकि लक्ष्य 3432 गांवों का था। पहाड़ी जिलों के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :—

पहाड़ी जिले का नाम	1-4-1984 से 31-1-1985 तक किए गए गांवों की संख्या
नैनीताल	50
अल्मोड़ा	45
पिथौरागढ़	27
देहरादून	44
उत्तर काशी	32
चमोली	30
पौड़ी गढ़वाल	42
टिहरी गढ़वाल	25
जोड़ :	295

(ख) और (ग) राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पार कर लिया गया है।

प्रमुख बन्दरगाहों के वर्ष 1983-84 और 1984-85 के लाभ हानि के आंकड़े

[अनुवाद]

4435. **श्री ब्रजमोहन महंती** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे प्रमुख बन्दरगाहें कौन सी हैं जिसमें घाटा हो रहा है; और

(ख) प्रमुख बन्दरगाहों के वर्ष 1983-84 और 1984-85 के लाभ/हानि के आंकड़े क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) वर्ष 1983-84 में कलकत्ता, कोचीन, परादीप और विशाखापत्तनम महापत्तनों को निवल हानि हुई।

वर्ष 1983-84 के अंकेक्षित लेखे के अनुसार महापत्तनों के हानि और लाभ के आंकड़े निम्न प्रकार थे :—

महापत्तन		वर्ष 1983-84 में निवल लाभ (+) हानि (—) (रुपये लाखों में)
बम्बई	(—)	4550.59

1	2	3
कलकत्ता	(—)	554.93
कोचीन		333.18
कांडला	शून्य	
मद्रास		53.45
मुरगांव		8.03
न्यू मंगलूर		126.15
परादीप	(—)	742.63
टूटीकोरिन		11.84
विशाखापत्तनम	(—)	307.86

अब तक महापत्तनों के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

बेलगुन्था रेलगाड़ी का सोलरी स्टेशन पर रुकना फिर से बहाल करना

4436. **श्री ब्रजमोहन महन्ती** : क्या रेल मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलगुन्था रेलगाड़ी सोलरी स्टेशन (जिला पुरी) पर रुका करती थी, जिसका अब वहां पर रुकना हाल में बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यात्रियों की असुविधा को देखते हुए सरकार का विचार इस रेलगाड़ी का सोलरी स्टेशन पर रुकना फिर से बहाल करने का है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) 1.4.84 से पहले यह गाड़ी सोलरी रुका करती थी लेकिन स्थिति की समीक्षा करने के बाद इस गाड़ी को सोलरी पर रोका जाना वाणज्यिक दृष्टि से तर्कसंगत नहीं पाया गया और इस गाड़ी को यहां रोका जाना बन्द कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, 217/218 खोरधा रोड़-पालसा पैसेंजर गाड़ी जो 79/80 तिरुपति एक्प्रेस के समय के सन्निकट चलती हैं, सोलरी पर रुकती हैं।

(ग) जी नहीं।

बंगलौर और नई दिल्ली के बीच दैनिक रेल सेवा का प्रस्ताव

4437. **श्री वी० एम० कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर के लोगों को बंगलौर से नई दिल्ली के बीच दैनिक रेल सेवा के न होने से गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और

(ख) क्या इस तथ्य को देखते हुए कि सप्ताह में दो बार चलने वाली वर्तमान गाड़ियों में यात्रा करने वाले सभी लोगों को स्थान उपलब्ध नहीं हो सकता तथा इनकी भारी मांग को देखते हुए बंगलौर से नई दिल्ली तक दैनिक रेल सेवा चलाने पर सरकार विचार करेगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) संसाधनों की कमी के कारण, फिलहाल बेंगलूर और नयी दिल्ली के बीच एक दैनिक गाड़ी चलाना व्यवहार्य नहीं है।

तुमकुर से बंगलौर तक एक प्रातः कालीन गाड़ी चलाना

4438. **श्री बी० एम० कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुमकुर और बंगलौर के बीच प्रतिदिन कितने सीजन टिकट धारक यात्री यात्रा करते हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस तथ्य को देखते हुए कि कार्यालयों में काम करने वालेकिर्मचारी काफी संख्या में प्रतिदिन तुमकुर से बंगलौर की यात्रा करते हैं। वर्तमान गाड़ियों में भीड़भाड़ से बचने के लिए तुमकुर से बंगलौर के लिए रास्ते में कहीं पर न रुकने वाली एक प्रातः कालीन विशेष गाड़ी चलाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) लगभग 800

(ख) संसाधनों की तंगी के कारण, फिलहाल ऐसी गाड़ी चलाना सम्भव नहीं है।

327 अप नागपुर पैसेंजर ट्रेन के आग से पीड़ित यात्रियों को मुआवजा

4439. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 23 फरवरी, 1985 को 327 अप नागपुर पैसेंजर ट्रेन के दो डिब्बों में लगी आग के कारण मरे यात्रियों के निकट सम्बन्धियों को और घायल हुए यात्रियों को अनुग्रह सहायता के रूप में कितनी धनराशि मंजूर की गई है और क्या यह राशि वास्तव में वितरित की गई थी ;

(ख) तदर्थ दावा आयुक्त को मुआवजे के दावे से सम्बन्धित कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनमें से अब तक कितने आवेदन पत्रों पर निर्णय ले लिया गया ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(क) मृत्यु के 28 मामलों में प्रत्येक मृत व्यक्ति के निकट सम्बन्धी को 2,500/-रु० की दर से, गंभीर रूप से घायल 8 व्यक्ति को प्रत्येक 1,500/-रुपए की दर से और मामूली रूप से घायल हुए 6 व्यक्ति को प्रत्येक 250/-रुपए की दर से अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई थी और वास्तविक भुगतान किया गया था।

(ख) और (ग) श्री डी० पी० पाण्डेय, जिला और सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने 327 अप नागपुर पैसेंजर गाड़ी में हुई दुर्घटना से सम्बन्धित मामलों का निपटारा करने के लिए 25-3-

85 को तदर्थ दावा आयुक्त का कार्यभार सम्भाल लिया है। क्षतिपूर्ति के लिए 18.4.85 तक कोई याचिका दायर नहीं की गयी है।

डेहरी-पिपराडीह लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4440. **डा० सी० पी० ठाकुर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के रोहताश और पलामु जिलों में चूना पत्थर के भारी भंडार है;

(ख) क्या यह सच है कि परिवहन सुविधा न होने के कारण चूना-पत्थर के इन भंडारों का सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए उपयोग नहीं किया जा सका है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार डेयरी और पिपराडीय के बीच विद्यमान छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा इसे बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा के समीप गिरीडीह तक बढ़ाने पर विचार कर रही है ; और

(घ) क्या सरकार विद्यमान गढ़वा-भवन्तीपुर लाइन को भवन्तीपुर से पूर्व में 8 किलो-मीटर तक बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि भवन्तीपुर और कदुनाथपुर को जोड़ा जा सके। और वहां एक सीमेंट संयंत्र की स्थापना की जा सके ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) इस क्षेत्र में यातायात के लए चूना का पत्थर, चूना, सीमेंट, कोयला, जिप्सम, लेटराइट, ग्लेग और पायराइट्स के पिलब्ध होने के संकेत मिले हैं।

(ख) इसकी जानकारी नहीं है।

(ग) जी नहीं। डेहरी-आन-सोन से पिपराडीह तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और उसको गिरडीह तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

4441. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राजा वाडियार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा जायेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में कितनी रेल परियोजनाएं निर्माणाधीन है;

(ख) उपयुक्त परियोजनाओं की प्रगति के लिए वर्ष 1985-86 के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है ;

(ग) वर्ष 1985-86 के लिए इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए वास्तव में कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(घ) अपर्याप्त धन के क्या कारण हैं ; और

(ङ) परियोजनाओं के पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) तीन अर्थात् में गलूरु-मैसूर मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन, चित्रदुर्ग नरी लाइन और कृष्णराज पुरम-व्हाइट फील्ड में दोहरी लाइन बिछाना।

(ख) और (ग) पहले 1985-86 में इन निर्माण-कार्यों की प्रगति के लिए 386 लाख रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव था। लेकिन, प्रत्याशित आबंटनों में कटौती कर दिए जाने के कारण, 1985-86 में इन निर्माण-कार्यों के लिए अन्ततः केवल 76 लाख रुपए का आबंटन किया जा सका।

(घ) संसाधनों की बेहद तंगी के कारण।

(ङ) इन परियोजनाओं का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

कर्नाटक में कालिनी परियोजना का द्वितीय चरण

4442. **श्री ओकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में कालिनी परियोजना का द्वितीय चरण कब तक प्रारंभ किया जाएगा ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान किसी प्रकार की वित्तीय सहायता का कोई प्रावधान किया है ; और

(ग) परियोजना को पूरा करने के लिए कितना धन अपेक्षित है और कितनी राशि मंजूर किए जाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि वे इस परियोजना को आरंभ करेंगे।

(ख) और (ग) केन्द्र, राज्य को सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में देता है, जो विकास के किसी सेक्टर या परियोजना से जुड़ी हुई नहीं होती है।। कर्नाटक के सातवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के प्रारूप में कालिनी चरण-दो परियोजना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। चूंकि राज्य से परियोजना रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है अतः इसकी अनुमानित लागत संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है।

शिशुओं की मृत्यु दर

4443. **श्री ए० जे० बी० बी० महेश्वर राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में शिशुओं की मृत्यु दर सबसे अधिक है ; और

(ख) देश में कौन से दस जिलों में शिशुओं की मृत्यु दर सबसे अधिक है और सबसे कम है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) शिशु मृत्यु दर (आई० एम० आर०) प्रतिवर्ष प्रति 1000 जीवित जन्मों के पीछे मरे नवजातों की संख्या के आधार पर निकाली जाती है। नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार भारत में 1981 में शिशु मृत्यु दर 110 थी यद्यपि यह दर विकसित देशों और कुछ विकासशील देशों के शिशु मृत्यु दर की तुलना में अधिक है किन्तु यह विश्व में सबसे अधिक नहीं है।

(ख) शिशुओं मृत्यु दर के जिला स्तरीय अनुमान उपलब्ध नहीं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (एसोसिएशन की मान्यता) नियम, 1982

444. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन (एसोसिएशन की मान्यता) नियम, 1982 बनाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये नियम कब बनाये गए थे ; और

(ग) निदेशक मण्डल की किस बैठक में उक्त नियम पारित किए गए थे ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन संघ को मान्यता देने के लिए नियमावली 1982 में तैयार की गई थी।

(ग) जनवरी, 1983 में अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद नियमावली सभी सम्बन्धितों को परिचालित कर दी गई तथा शासी बोर्ड को 5-12-83 को हुई इसकी बैठक में अवगत करा दिया गया था।

विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों पर प्रति छात्र व्यय

4445. **श्री सुधीर राय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों पर प्रति छात्र कितनी धनराशि खर्च की जाती है ;

(ख) क्या प्रतिछात्र व्यय के मामले में राज्यों विश्वविद्यालयों को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के समक्ष लाने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 1982-83 के दौरान संस्वीकृत आवर्ती अनुरक्षण अनुदानों तथा उस वर्ष में दाखिले के आधार पर इन तीनों केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से संबंधित प्रति व्यक्ति व्यय लगभग निम्न प्रकार से है :—

1. दिल्ली विश्वविद्यालय = 7021 रु०
2. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय = 13129 रु०
3. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 11197 रु०

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रति व्यक्ति व्यय पाठ्यक्रम-दर-पाठ्यक्रम बदल जाता है तथा अध्यापन के और अनुसंधान कार्यक्रमों के स्तरों पर भी निर्भर करता है। यह व्यय सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में अधिक होगा। अतः सभी विश्वविद्यालयों में प्रति व्यक्ति व्यय में समता को सुनिश्चित करना संभव नहीं होगा।

भारत में खाड़ी देशों से आए छात्रों से वसूल की जा रही फीस

[अनुवाद]

4446. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी देश अपने छात्रों को उच्चतर और तकनीकी अध्ययन के लिए भारत भेजते हैं और यदि हां, तो हमारे देश में, राज्य-वार और संकाय-वार ऐसे छात्रों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या उनसे वही फीस वसूल की जाती है जो भारतीय छात्रों से की जाती है;

(ग) क्या विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों से वहां अधिक फीस वसूल की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार भारत में पढ़ रहे विदेशी छात्रों से अधिक फीस वसूल करने के लिए हमारे यहां भी कोई विशिष्ट योजना तैयार की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

खाड़ी देशों से काफी छात्र उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत में आते हैं। ये छात्र या तो स्वयं-वित्त-पोषित होते हैं या इन्हें भारत सरकार की छात्र-वृत्तियां प्रदान की जाती हैं। शिक्षा मंत्रालय ने 1982-83 से 1984-85 के दौरान खाड़ी देशों के 37 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। इन छात्रवृत्तिधारियों का देश-वार तथा वर्षवार वितरण नीचे दिया गया है :

देश	1982-83	1983-84	1984-85
ईरान	1	2	4
ईराक	4	12	13
कातार	—	—	1
कुवैत	—	—	—
यू० ए० ई०	—	—	—
ओमन की सल्तनत	—	—	—
बहरीन	—	—	—

2. खाड़ी देशों के जिन छात्रों को भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं, उनका संकायवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

देश	वर्ष	मानविकी	विज्ञान/कृषि	इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी	चिकित्सा
ईरान	1982-83	—	—	4	—
	1983-84	—	—	1	1
	1984-85		1	3	—
ईराक	1982-83	2	2	—	—
	1983-84	6	4	1	1
	1984-85	9	4	—	—
कतार	1982-83	—	—	—	—
	1983-84	—	—	—	—
	1984-85	—	—	—	—
कुवैत					
यू० ए० ई०					
ओमन की सल्तनत	—	—	—	—	—
बहरीन					

3. इन छात्रवृत्तिधारियों का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार विवरण नीचे दर्शाया गया है:—

ईरान	पंजाब	—	1	—	—
	आन्ध्र प्रदेश	—	—	2	—
	गुजरात	—	—	1	—
	दिल्ली	—	—	2	—
	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
ईराक	महाराष्ट्र	1	—	—	—
	राजस्थान	5	—	—	—
	उत्तर प्रदेश	7	—	—	—
	दिल्ली	4	—	—	—

1	2	3	4	5
हरियाणा	—	1	—	—
कर्नाटक	—	1	—	—
उड़ीसा	—	1	—	—
पंजाब	—	1	—	—
पश्चिम बंगाल	—	1	—	—
केरल	—	—	—	1
कतार दिल्ली	—	—	—	1

4. उपर्युक्त सूचना में उन छात्रों को शामिल नहीं किया गया है जो उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत में अपने खर्चों पर आते हैं। चूंकि विश्व विद्यालयों को ऐसे स्वयं-वित्त-पोषित छात्रों को दाखिले के लिए उनकी पात्रता को निर्धारित करने के बाद दाखिले की अनुमति दी गई है। अतः शिक्षा मन्त्रालय के पास उनकी संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं है।

खाड़ी देशों से आने वाले छात्रों से लिया गया शुल्क वही होता है, जो अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों से लिया जाता है।

5. यूनाइटिड किंग्डम, न्यूजीलैन्ड, आस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कुछ देश, विदेशी छात्रों से ऊंची दर पर शुल्क ले रहे हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च अध्ययन संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिल विदेशी छात्रों से ऊंची दरों पर शुल्क लेने का कोई प्रस्ताव इस समय भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

केन्द्रीय विद्यालयों के गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

[अनुवाद]

4447. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के पदोन्नति के कितने अवसर उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के गैर शिक्षण कर्मचारियों और केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय तथा क्षत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों पर एकसमान नियम लागू होते हैं ; और

(ग) यदि नहीं ; तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) केन्द्रीय विद्यालयों के प्रयोग शाला परिचरों के सभी पद, प्रवर श्रेणी लिपिकों के 60 प्रतिशत पद, हैड-क्लर्क के 40 प्रतिशत और अधीक्षकों के

50 प्रतिशत पद क्रमशः पात्र ग्रुप "घ" कर्मचारियों, अवर श्रेणी लिपिकों, प्रवर श्रेणी लिपिकों तथा हैड-क्लर्कों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । यहां तक कि इन श्रेणियों में शेष पदों के लिए विभागीय उम्मीदवार अन्य उम्मीदवारों के साथ सीधी भर्ती/विभागीय परीक्षाओं द्वारा नियुक्ति के लिए बैठ सकते हैं। केन्द्रीय विद्यालयों के ऐसे कर्मचारी केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों के उन विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए जो विभागीय परीक्षाओं-सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालयों में अवर श्रेणी लिपिक तथा ग्रुप "घ" के कर्मचारी भी प्रवरण-ग्रेड प्रदान करने के पात्र हैं।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय विद्यालयों तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों का गैर-अध्यापन स्टाफ, उन विभिन्न पदों के लिए भर्ती नियमों के अलावा जो पद की अपेक्षाओं के आधार पर भिन्न होते हैं उसी सेवा नियमों द्वारा अभिशासित होते हैं।

रेल भाड़े की विषम दरें

4448. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि कपास, कोयला, इस्पात और चीनी के रेल भाड़ों में असमानता है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) सभी पण्यों के लिए रेल माल भाड़ा दरें एकसमान नहीं हैं। किसी पण्य के लिए माल भाड़ा दर सूची में निर्दिष्ट वर्गीकरण पर निर्भर करती है। प्रत्येक पण्य का उसके मूल्य, भारण, उपयोग परिवहन में जोखिम आदि जैसे परिवहन विशिष्टताओं को ध्यान में रख कर उपयुक्त वर्गीकरण किया गया है कपास, कोयला, इस्पात और चीनी का माल भाड़ा वर्गीकरण भिन्न-भिन्न होने के कारण इनका प्रभार्य माल भाड़ा दरें भी भिन्न-भिन्न होती हैं।

रेलवे के लेखा विभाग में कर्मचारियों की पदोन्नति

[हिन्दी]

4449. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संवर्ग के पुनर्गठन के अन्तर्गत रेलवे विभाग के लगभग सभी कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया गया है अथवा पदोन्नत किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे के लेखा विभाग में कर्मचारियों को इस सुविधा में वंचित रखा गया है क्योंकि रेलवे बोर्ड ने इस सम्बन्ध में उनके लिए अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) वर्ग 'ग' और वर्ग 'घ' की

अनेक कोटियों की संवर्ग समीक्षा के माध्यम से, जो एकक सतत प्रक्रिया है, पुनर्संरचना की गयी है। अवशिष्ट कोटियों के सम्बन्ध में यथा समय पर विचार किया जाएगा।

(ख) और (ग) लेखा विभाग के कर्मचारी 1980 से 1982 तक की अवधि के दौरान कार्यान्वित की गयी संवर्ग पुनर्संरचना के एक चरणबद्ध कार्यक्रम के आधार पर लाभान्वित हुए हैं। इस कोटि के लिए और आगे पुनर्संरचना करने की आवश्यकता करने के सम्बन्ध में यथा-समय विचार किया जाएगा।

बाल उच्चतर माध्यमिक स्कूल खड़गपुर के लिए भवन का निर्माण

[अनुवाद]

4450. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को उन बैठकों को तोड़े जाने के बारे में किए गए अभ्यावेदनों का पता है जहां दक्षिण पूर्व रेलवे के बाल उच्चतर माध्यमिक स्कूल, खड़गपुर के छात्रों की कक्षाएं लगा करती थीं;

(ख) उस स्कूल के लिए भवन निर्माण का कार्य पूरा न करने के क्या कारण हैं; जिसका प्रावधान 1982-83 के लिए निर्माण कार्यों में ही कर दिया गया था; और

(ग) रेल विभाग का विचार भवन के निर्माण कार्य को कब शुरू करने का और कब तक पूरा करने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) स्कूल के लिए पुराने भवन के बदले नये भवन के निर्माण करने का प्रस्ताव है। तथापि, धन की अत्यधिक तंगी के कारण इस कार्य को अभी तक रेलवे के बजट में शामिल करना सम्भव नहीं हुआ है।

पोर्ट ब्लेयर स्थित जी० बी० पन्त अस्पताल में प्रतिक्षत कंपाउंडरों का रजिस्ट्रीकरण

4451. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जी० बी० पन्त अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर में भर्ती किए गए और प्रशिक्षित कंम्पाउन्ड़रों का भेषजी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है;

(ख) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ इन कम्पाउण्डरों के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक समझौता किया है और यदि हां, तो इन कम्पाउन्डरों का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन पहले ही रजिस्ट्रों में इन कम्पाउण्डरों का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए अपनी निजी भेषण परिषद का गठन करेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क),(ख) और (ग) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि फार्मेसी अधिनियम 1948 के उपबन्धों के अनुसार उन्होंने एक पंजीकरण अधिकरण गठित किया था जिससे प्रथम पंजी में अप्रैल, 1972 से 5 दिसम्बर, 1974 तक फार्मेसिस्टों का पंजीकरण किया। इस संघ राज्य क्षेत्र ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार/पश्चिम बंगाल फार्मेसी परिषद के साथ एक निश्चित अवधि के लिए करार किया था तथा प्रथम पंजी के बन्द हो जाने के बाद उन्हें सौंप दिया था। यह करार केवल 18-8-1983 तक लागू रहा।

यह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उन कुछेक अपंजीकृत कम्पाउन्डरों का पंजीकरण करना चाहता है जो अस्पतालों/औषधालयों में कार्य कर रहे हैं तथा जिन्हें पर्याप्त अनुभव है लेकिन जिनके पास अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं आदि नहीं है। सरकार इस मामले में विधि व न्याय मंत्रालय तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से परामर्श करके विचार कर रही है।

अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के साथ बातचीत

4452. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने भूतपूर्व मंत्री के इस आश्वासन पर अपना आन्दोलन समाप्त कर दिया था कि उनकी 11 सूत्री मांगों पर विचार करने के लिए द्विपक्षीय बातचीत की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो अब तक उक्त बातचीत क्यों नहीं की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा सेवा संघों को मान्यता देने के संबंध में बनाए गए नियम केन्द्रीय विद्यालय संगठन पर लागू नहीं होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इस संबंध में अपने अलग नियम बनाए हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भूतपूर्व मंत्री द्वारा इस प्रकार का कोई आश्वासन दिए जाने का कोई रिकार्ड नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार के विभिन्न सेवा नियम स्वतः ही केन्द्रीय विद्यालय संगठन पर लागू नहीं होते हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने संघों को मायका देने की अपनी ही नियमावली तैयार की है।

हिमसागर एक्सप्रेस में खान-पान सुविधा उपलब्ध कराना

4453. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कन्याकुमारी और जम्मू तवी को जोड़ने वाली हिमसागर एक्सप्रेस रेल गाड़ी में खान'पान सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) पैंट्री यान की के कारण हिमसागर एक्सप्रेस गाड़ी में पैन्ट्री यान की व्यवस्था नहीं की है। इसके अतिरिक्त यह एक बिना गलियारे की गाड़ी है। तथापि, इस गाड़ी में मार्गवर्ती स्टेशनों के स्थैतिक खान पान यूनिटों के माध्यम से खान-पान की व्यवस्था की जाती है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए मानदण्ड

4454. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का आधार क्या है; और

(ख) क्या उन राज्यों में नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जब संविधान लागू हुआ तब संसद अधिनियमों के अन्तर्गत तीन विश्वविद्यालय अर्थात् दिल्ली विश्व विद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय) कार्य कर रहे थे। उसके बाद विश्वभारती, शान्तिनिकेतन को संसद के अधिनियम के अन्तर्गत 1951 में राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था, विश्वविद्यालय के अधिकारों के साथ घोषणा की गई, 1966 में संसद के अधिनियम के अन्तर्गत जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, क्योंकि दिल्ली एक संघ शासित क्षेत्र है, केन्द्रीय सरकार से ऐसा करने के लिए किए गए अनुरोध पर मेघालय और नागालैण्ड के विधानमण्डलों संकल्प द्वारा 1973 में शिलांग में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। संविधान के संशोधन के पश्चात् 1974 में हैदराबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई ताकि केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय की स्थापना कर सके। क्योंकि केन्द्रीय सरकार सामान्यत: विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं करती है, इसलिए इस प्रयोजन के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है और किसी भी राज्य को इस मामले में प्राथमिकता देने का प्रश्न ही नही उठता है।

महिलाओं में साक्षरता

4455. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं में, राज्य-वार साक्षरता का प्रतिशत क्या है;

(ख) विशेष रूप से उड़ीसा राज्य में, महिलाओं की साक्षरता है वृद्धि करने के प्रयासों में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार राज्यवार साक्षरता की प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) देश में उड़ीसा सहित महिलाओं में साक्षरता की प्रोन्नति के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।

1. राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि :

—राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता दर वाले सभी जिलों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल करना;

—यह सुनिश्चित करना कि प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में दाखिल नौ सिखियों में कम-से-कम 50 प्रतिशत महिलाएं हों।

—समाज के अन्य कमजोर वर्गों को दाखिल करने के लिए विशेष प्रयास करना।

—ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए प्राथमिकता देना तथा तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की वस्तियों में यथासम्भव ऐसे केन्द्रों की स्थापना करना।

—विशेषकर महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, आयोजित करके स्वैच्छिक संगठनों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना इस उद्देश्य के लिए उन एजेन्सियों को शामिल करने के लिए, जो केवल महिलाओं के लिए कम संख्या में केन्द्र अर्थात् कम से कम पांच केन्द्र चलाने को इच्छुक है, के लिए अनुदान सहायता के नियमों में ढील दी गई है।

—यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवसाक्षरों में पुनः निरक्षता न आ जाए, उत्तर साक्षरता और अनुवर्ती कार्यक्रम आरम्भ करने पर विशेष बल देना; और

—अन्य बातों के साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा में चावों और गैर छात्र युवाओं की सहभागिता का अनुश्रवण करना।

2. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में महिलाओं के दाखिला को आगे बढ़ावा देने के लिए तथा महिलाओं में प्रौढ़ साक्षरता के लिए सत्कृष्ट निष्पादन के लिए पुरस्कारों की एक योजना आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं :—

(क) प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए पांच सर्वोत्तम प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के लिए।

(ख) राज्य में एक सर्वोत्तम जिला, बिहार, म० प्र० के मामले में प्रत्येक में दो-दो, उ०प्र० के लिए 3 और 9 संघ शासित क्षेत्रो के लिए 5 पुरस्कार तथा

(ग) चार सर्वोत्तम राज्यों को राज्य स्तरीय पुरस्कार और सर्वोत्तम संघ शासित क्षेत्र के लिए संघ शासित स्तरीय पुरस्कार।

3. लड़कियों के दाखिले को प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों, जिसमें उड़ीसा भी शामिल है, को केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(क) केवल लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन के लिए 90:10 के अनुपात की भागेदारी के आधार पर; और

(ख) प्राथमिक स्कूलों में 80:20 के अनुपात की भागेदारी के आधार पर महिला अध्यापकों की नियुक्ति के लिए

4. औपचारिक और गैर-औपचारिक पद्धतियों में अलग से लड़कियों के दाखिले में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए भी पुरस्कार आरम्भ किए गए हैं।

(ग) जबकि कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, फिर भी, छठी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में निरक्षता को 1990 तक अर्थात् सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दूर करने की परिकल्पना की गई है। फिर भी सातवीं योजना के दौरान योजना आयोग के परामर्श से दाखिले के लक्ष्य को वर्षानुवर्ष के आधार पर अन्तिम रूप दिया जायेगा।

विवरण

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रतिशतता
भारत	36.23
आन्ध्र प्रदेश	29.94
असम	—x
बिहार	26.20
गुजरात	43.70
हरियाणा	36.14
हिमाचल प्रदेश	42.40
जम्मू और कश्मीर	26.67
कर्नाटक	30.46
केरल	70.42
मध्य प्रदेश	27.07
महाराष्ट्र	47.10

1	2
मणिपुर	41·35
मेघालय	34.00
नागालैण्ड	42·57
उड़ीसा	34·23
पंजाब	40·06
राजस्थान	24·30
सिक्किम	34·05
तमिलनाडु	46·76
त्रिपुरा	42·12
उत्तर प्रदेश	27·16
पश्चिमी बंगाल	40·94
संघ शासित क्षेत्र	
अंडमान	51·56
अरुणाचल प्रदेश	20·79
चंडीगढ़	64·79
दादर और नागर हवेली	26·67
दिल्ली	61.54
गोवा, दमन और दीव	56.66
लक्ष द्वीप	55·07
मिजोरम	59·00
पांडिचेरी	55.05

x वर्ष 1981 से सम्बन्धित भारत के आंकड़ों में असम के आंकड़े शामिल नहीं है जहां पर जनगणना के समय वहां व्याप्त अशांति परिस्थितियों के कारण जनगणना नहीं की जा सकी ।

वर्ष 1985-90 की अवधि के दौरान खरीदे जाने वाले प्रस्तावित पोत

4456. **श्री राम भगत पासवान** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-90 के दौरान कुल कितने पोत खरीदे जाने की संभावना है और इन पर कुल कितना खर्च होगा ;

(ख) क्या यह सच है कि पोतों की खरीद सबसे कम निविदा भरने वाली कम्पनी से नहीं की जाती है बल्कि प्रबंध निदेशक की मर्जी के अनुसार की जाती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान सबसे कम निविदा भरने वाली कम्पनी से कितने पोत खरीदे गए ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) वर्ष 1985-90 में कुल कितने जहाज खरीदे जाते हैं और इन जहाजों की कुल कीमत सातवीं योजना में नौवहन क्षेत्र के लिए तय किए गए भौतिक लक्ष्य और वित्तीय प्रावधान पर निर्भर होगी। सरकार ने अभी सातवीं योजना को अंतिम रूप नहीं दिया है।

(ख) और (ग) प्राइवेट क्षेत्र द्वारा जहाज खरीदने की प्रक्रिया के बारे में सरकार ने पहले से कोई मार्गदर्शी सिद्धांत तय नहीं कर रखा है। प्राइवेट क्षेत्र की नौवहन कंपनियों द्वारा जहाज खरीदने का निर्णय उनके वाणिज्यिक सूझबूझ पर आधारित होता है और आमतौर पर यह निर्णय उनके प्रबन्ध द्वारा विभिन्न मुद्दों के आधार पर किया जाता है, अर्थात् जहाज की कीमत, यार्ड/बिक्रेता जिससे जहाज खरीदना है, जहाज कितने वर्ष पुराना है और उसकी तकनीकी विशिष्टियां क्या हैं, आस्थगित मूल्य आदि के भुगतान की क्या शर्तें हैं। प्राइवेट क्षेत्र द्वारा विदेश से जहाजों की खरीद का निर्णय तभी लागू होता है जब उन्हें सरकार की मंजूरी मिल जाए।

2. सरकारी क्षेत्र की नौवहन कंपनियां विदेश से जहाज खरीदने के बारे में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करती हैं। पूरे विश्व के सिपयार्डों से टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं और सम्बन्धित कंपनी की जहाज अर्जन समिति उसका मूल्यांकन करती है। जहाज अर्जन समिति आर्डर देने के लिए उस शिपयार्ड को चुनती है जिसकी दर सबसे कम होती है। आर्डर देने के लिए शिपयार्ड के चयन के बाद सरकार इस मामले पर लोकन निवेश बोर्ड/मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की नौवहन कंपनी द्वारा दी गई परियोजना रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करती है।

3. भारतीय नौवहन निगम ने पिछले तीन वर्षों में सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित 37 जहाजों के लिए पुष्ट आर्डर दिए हैं :—

किस्म	सं०	जी० आर० टी० डी० डब्ल्यू० टी (मिलियन टन में)		प्रति जहाज सविदा मूल्य (मिलियन अमेरीका डालर)	जिस शिपयार्ड को आर्डर दिया गया
एल आर-1 टैंकर (62,000 डी० डब्ल्यू टी०)	11	0.413	0688	22.4	हुडांई, कोरिया

1	2	3	4	5	6
सप्लाई जहाज (ओ० एस० बी० एस०)	10	0.012	0.015	4.598	रोबिन शिपयार्ड सिंगापुर
प्रोडक्ट टैंकर (40,700 डी० डब्ल्यू० टी०)	4	0.098	0.163	23.00	हुंडाई, कोरिया
बल्क कैरियर 45,000 डी० डब्ल्यू० टी)	12	0.314	0.540	175	डीबू, कोरिया

उपरोक्त प्रत्येक श्रेणी के जहाजों के लिए टेंडर की कीमत सबसे कम रही है।

सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की भारतीय नौवहन कंपनियों द्वारा भारतीय शिपयार्डों से खरीदे गए जाहजों की कीमत सरकार भारतीय शिपयार्डों में निर्मित जहाजों के मूल्य निर्धारण फार्मूला के अनुसार तय करती है।

नेपाली लड़कियों का अनैतिक व्यापार

[हिन्दी]

*4457. **श्री आर० एम० भोये :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 मार्च, 1985 के "जनयुग" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि किसी संगठित गिरोह द्वारा लाखों नेपाली जवान लडकियों को अनैतिक व्यापार के लिए भारत लाया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच-पड़ताल की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से सूचना मांगी गई है।

"ड्रग कंपनीज रिवर्ट ब्रांड नेम्ज" शीर्षक में प्रकाशित समाचार

[अनुवाद]

4458. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 मार्च, 1985 के बिजनेस स्टेन्डर्ड में "इग कम्पनीज रिवर्ट टू ब्रांड नेम्ज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी कम्पनियां अपने उत्पादों के लिए पुनः ब्रांड नामों का उपयोग कर रही हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) जहां तक इस मंत्रालय को जानकारी है, डेनाजोलरो सेक्सासिन तथा सोडियम बालप्रोट नामक तीन औषधियां न्यायालय के आदेशों के अधीन अपने-अपने संबंधित ब्रांड नामों से बाजार में बेची जा रही हैं ।

पारादीप पत्तन से वस्तुओं का आयात

4459. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाराद्वीप पत्तन से वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान पारादीप पत्तन से कुल कितने टन विभिन्न वस्तुओं का आयात किया गया ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवाजीराव-हमान अंसारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में परादीप से किए गए आयात का वस्तुवार विवरण नीचे दिया गया है ।

(टन में)

वस्तु	1982-83	1983-84	1984-85
खाद्यान्न	46559	148291	11633
उर्वरक	26096	47197	36841
कोयला	331143	24663	68635
सीमेंट	30670	32262	—
मैंगसाइट	2892	6098	18677
पिग आयरन	18766	—	—

1	2	3	4
लोह और इस्पात	23682	18977	2917
केयर/डब्ल्यू० एफ० पी० माल	30824	30624	21074
मशीनरी	130	—	76
आयल ड्रिलिंग उपकरण	—	513	1234
कारपेट रोल्स	88	—	—
पाइप्स	1498	—	—
हार्ड कोक	11020	10001	27551
राहत सामग्री	317	—	—
गैस टरबाइन	—	—	324
ड्रेजिंग सामग्री	—	—	4465
कुल आयात	523685	318626	193427

12.00 मध्याह्न

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैंने एक नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि आप कृपया बैठ जाइए। यदि आप सब इस तरह बोलते रहे तो कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने एक नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप पहले बैठ जाइए। मैं आप सबको एक एक करके बुलाऊंगा और आपकी बात सुनूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आप को एक सुझाव देना चाहता हूं जो पूरे सदन के लिए है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने नोटिस दिया था। वह मात्र एक सुझाव दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरी इच्छा पर है। कृपया बैठ जाइये।

प्रो० के० के० तिवारी : आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि पूरा सदन उस सुझाव से सहमत होगा।

(व्यवधान)

यह ऐसी बात है जो आपको कहनी चाहिए थी और मैं कह रहा हूं।

(व्यवधान)

मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं आप उसका स्वागत करेंगे। कृपया मेरी बात सुनिए। मैंने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या जहां प्रधान मंत्री बैठते हैं वहां कुछ विशेष प्रबंध किए गए थे। मुझे खुशी है कि आपके सचिवालय ने दो स्वर्गीय प्रधानमंत्रियों—पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी को स्मृति में बहुत अच्छे स्मारक बनाये हैं। जहां प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी जी बैठे हैं, वहां एक छोटी धातु की प्लेट है जिस पर लिखा कि श्री जवाहरलाल नेहरू इस सीट पर 20-8-1946 से 27-5-64 तक रहे.....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे यह लिखित में दे दीजिए और मैं इसे मंत्री महोदय तक दूंगा। वह इस पर विचार करेंगे। मैं इसे देखूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मेरा सुझाव है कि...

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे यह लिखित में दीजिए और मैं इस पर विचार करूंगा।

अब, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे यह लिखित में दीजिए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

12.03 म० प०

श्री लंका की स्थिति के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, श्री एम० जी० रामचन्द्रन, के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 23 अप्रैल 1985 को मुझसे मिला था और उन्होंने श्रीलंका में हाल की स्थिति के बारे में एक ज्ञापन दिया था।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उसमें बताया गया था कि श्रीलंका से शरणार्थी अभी आ रहे हैं। पाल्क जलडमरु मध्य में भारतीय मछुआरों की परंपरागत कार्यकलापों पर बुरा असर पड़ा है। इस स्थिति से हमें गहरी चिंता हो रही है। प्रतिनिधिमंडल में भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह श्रीलंका सरकार के साथ यह मामला उठाए, जिससे शांति और सामान्य स्थिति बहाल हो सके ताकि तमिलनाडु में आए शरणार्थी वापिस जा सकें और दोनों देशों में परम्परागत आर्थिक क्रिया-कलाप पुनः आरम्भ हो सकें।

मैंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि भारत सरकार श्रीलंका की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और उससे भारत पर पड़ने वाले प्रभाव से हमें चिंता है। हम श्रीलंका सरकार के साथ सामान्य स्रोतों तथा विशेष यात्राओं के माध्यम से निरन्तर संपर्क बनाए हुए हैं। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं राष्ट्रपति जयवर्द्धने को अपने दुःख और चिंता के बारे में अवगत कराऊंगा और सभी संबंधित पक्षों को मान्य राजनीतिक आधार पर इस समस्या को तुरन्त हल किए जाने की आवश्यकता के बारे में बताऊंगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैंने इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास जारी रखने हेतु एक विशेष सलाह-कार दल का गठन किया है।

12.05 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

नेशनल इन्स्टीच्यूट फॉर ट्रेनिंग इन इन्डस्ट्रियल इन्जीनियरिंग बम्बई के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखे, इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों का एक विवरण दिल्ली विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब का एक विवरण, आदि, आदि

[अनुवाद]

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) नेशनल इन्टीच्यूट फॉर ट्रेनिंग इन इन्डस्ट्रियल इन्जीनियरिंग, बम्बई, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 77/85]

(3) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7728]

(5) वनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (खंड 1 और 2) की एक प्रति।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 773/85]

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैंने जो सुझाव दिया था, उसका क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित रूप में दीजिए और मैं इसे मंत्री महोदय तक पहुंचा दूंगा। मैं इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

प्रो मधु दंडवते। यह आपका अधिकार है। मंत्री महोदय का सरकार के प्रति दायित्व है। आपका सदन के प्रति दायित्व है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा। मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : आपका सदन के प्रति कुछ दायित्व है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं करना है। आप सदन के सभी अधिकार मंत्री महोदय को मत सौंपिए.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो मधु दंडवते : मैंने सोचा था आप इसका समर्थन करेंगे। मैंने सोचा था आपको इसका समर्थन करने की कृपा करेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : (बक्सर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसका जवाब देने जा रहे हैं।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं माननीय सदस्य, प्रो० मधु दंडवते द्वारा पूछे गए प्रश्न के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि हम सब एक साथ बैठकर इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, आप इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : उसमें चर्चा करने की क्या बात है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इस पर चर्चा करनी है। हमें इस पर विचार करना है।

प्रो के० के० तिवारी : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं जो मामला उठाने जा रहा हूं वह बहुत गंभीर मामला है। हमने नोटिस दिए हैं। कई सदस्यों ने एक भारतीय नेता, जो ब्रिटेन के दौरे पर है, की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के बारे में भी नोटिस दिए हैं,**

उन्होंने गुरुद्वारों में उग्रवादियों की कई बैठकों में भाग लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि रिकार्ड में किसी का नाम जाए।

प्रो के० के० तिवारी : वह राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। उन्हें बड़ौदा डायनामाइट के मामले में भी दोषी ठहराया गया है।

एक माननीय सदस्य : वह भारत में भी ऐसा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान तिवारी जी जब आपने नोटिस दिया है तो मैं इस पर विचार करूंगा, मैं इसे देखूंगा। कृपया बैठ जाइए।

श्री ए० जयपाल रेड्डी : सरकार को न्यायिक जांच कराने हेतु हमारी मांग स्वीकार करनी चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के 1500 पद रिक्त पड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे इसका नोटिस पहले ही दे चुकी हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : शिक्षा मंत्री यहां उपस्थित हैं। बंगाली स्कूलों को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि वे इस मामले पर विचार करें तथा कुछ कार्यवाही करें।

एक माननीय सदस्य : आपको उस प्रतिबन्ध को हटाना होगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे आशा है आप इस पर विचार करेंगे। मेरा शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस पर विचार करें। मैंने इस प्रश्न का इस पर विचार लिया है। मुझे आशा है आप इस पर विचार करेंगे तथा कार्यवाही करेंगे।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र—(जारी)

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभा पटल पर रखती हूं—

(1) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।

(3) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 774/85]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में आपके साथ पहले ही चर्चा कर चुका हूं। आप मुझे पहले ही कुछ बता चुके हैं। मैं इसे देखूंगा। आप अब कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते।

वाणिज्यिक पोत परिवहन (कर्मचारी आवास) (संशोधन नियम 1984

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं वाणिज्यिक-पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, वाणिज्य पोत परिवहन (कर्मचारी आवास) (संशोधन) नियम, 1984 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 16 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 278 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 775/85]

अन्तरिक्ष विभाग की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं अंतरिक्ष विभाग की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 776/85)

अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान बम्बई का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन्हें सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चन्डीगढ़ (दूसरा संशोधन) विनियम, 1984

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, बम्बई के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी

वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति।

(दो) अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 777/85]

(3) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 32 के अंतर्गत जारी किए गए स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ (दूसरा संशोधन) विनियम, 1984 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 26 दिसम्बर, 1984 की अधिसूचना संख्या ई 3/एन० एफ०/84/74-37 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 778/85]

[अनुवाद]

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव निश्चित रूप से ले रहे हैं।

प्रो० के०के० तिवारी (बक्सर) : महोदय वे दिल्ली में बहुमंजिले मकानों का निर्माण कर रहे हैं तथा एक हजार करोड़ रुपए बनाए जा रहे हैं। बीस हजार मजदूर पहले ही बेरोजगार हो गए हैं। मजदूरों को उनकी सेवाओं से हटाया जा रहा है। इस बारे में पूरी जांच होनी चाहिए।

श्री ललित माकन : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है इसे लिया जाना चाहिए कलाथ मिल के कर्मचारी कष्ट उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी मंत्री जी ने इस मामले के बारे में भी पहले से ही सूचना दे दी है। उसको बन्द करने की अनुमति नहीं दी गई है। यह केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं है। यह दिल्ली प्रशासन से संबद्ध है। उन्हें इसकी अनुमति देनी होगी। अभी चर्चा से कोई फायदा नहीं होगा।

श्री ललित माकन : यह इस तरह का मामला है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। हममें से कई सदस्यों ने नोटिस दिए हैं। हमने डी०सी० एम० फैक्ट्री बन्द किए जाने के बारे में नोटिस दिए हैं

अध्यक्ष महोदय : फैक्ट्री के बन्द करने की अनुमति नहीं दी गई है। नोटिस देने की कोई बात नहीं है। इस समय मामलों को उठाने से कोई फायदा नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री ललित माकन : यह महत्वपूर्ण मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : फैक्ट्री के बन्द करने की अनुमति नहीं दी गई है। डी०सी०एम० के बन्द करने की अनुमति नहीं दी गई है।

श्री ललित माकन : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। केवल वही मामला नहीं है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी जाएगी। यह पर्याप्त है। यदि कोई मेरे चेम्बर में आएगा तो मैं उसके साथ चर्चा करूंगा।

श्री ललित माकन : प्रबन्धक न्यायालय जा रहे हैं। वे ऐसा करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम उनको रोक नहीं सके।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री एम० जयपाल रेड्डी।

(व्यवधान)

श्री ललित माकन : इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली प्रशासन उन्हें इस फैक्ट्री को बन्द करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। लेकिन मामला यहीं समाप्त हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसको देखूंगा। कृपया आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर (करोल बाग) : उपाध्यक्ष महोदय मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि हमारे करोल बाग क्षेत्र में जो मिल है उसमें 20-25 हजार मजदूर काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा ?

व्यवधान

12.10 म० प०

मानसिक स्वास्थ्य विधेयक

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (मोहसिना किदवई) : मैं प्रस्ताव करती हूं।

"कि यह सभा राज्य सभा की सिफारिश से यह सभा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार और उनकी देखरेख विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए, उनकी सम्पत्ति और कार्यकलापों की बाबत बेहतर उपबंध करने के लिए और उनसे सम्बद्ध या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में

शामिल हों, जो राज्य सभा द्वारा 22 मार्च 1985 को अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई थी और जो इस सभा को 5 मार्च 1985 को भेजी गई थी और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक सभा के निम्नलिखित 20 सदस्य नाम-निर्दिष्ट किये जायें, अर्थात :—

1. श्री प्रताप सिंह बघेल
2. श्री केयूर भूषण
3. श्री नारायण चौबे
4. श्री एच० एन०, नन्जे गौडा
5. श्री सेत हेमब्रम
6. श्री लाला राम केन
7. चौ० रहीम खां
8. श्रीमती केसरबाई क्षीरसागर
9. श्री यू० एच० पटेल
10. श्री के० प्रधानी
12. श्री प्रभु लाल रावत
13. श्री डी० एन० रेड्डी
14. श्री अजित कुमार साहा
15. श्रीमती किशोरी सिंह
16. श्री एस० थंगाराजू
17. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी
18. डा० वी० वेंकटेश
19. डा० गुलाम याजदानी
20. श्रीमती मोहसिना किदवई"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा की सिफारिश से सहमत है कि यह सभा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार और उनकी देखरेख से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए उनकी सम्पत्ति और कार्यकलापों की बाबत बेहतर उपबन्ध करने के लिए और उनसे सम्बद्ध या उनके अनुषांगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में शामिल हो, जो राज्य सभा द्वारा 22 मार्च, 1985 को अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई थी और जो इस सभा को 25 मार्च, 1985 को भेजी गई थी और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोकसभा के निम्नलिखित 20

सदस्य नाम-निर्दिष्ट किए जाएं, अर्थात् :—

1. श्री प्रताप सिंह बघेल
2. श्री केयूर भूषण
3. श्री नारायण चौबे
4. श्री एच० एन० नन्जे गौडा
5. श्री सेत हेमब्रत
6. श्री लाला राम केन
7. चौ० रहीम खां
8. श्रीमती केसरबाइ क्षीरसागर
9. श्री यू० एच० पटेल
10. श्री के० प्रधानी
11. डा० वी० राजेश्वरन
12 श्री प्रभु लाल रावत
13. श्री डी० एन० रेड्डी
14. श्री अजित कुमार साहा
15. श्रीमती किशोरी सिंह
16. श्री एस० थंगाराजू
17. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी
18. डा० वी० वेंकटेश
19. डा० गुलाम वाजदानी
20. श्रीमती मोहसिना किदवई"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

12. 1? म० प०

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन परियोजना के लिए "टर्नकी" आधार पर नए विश्व-व्यापी टेन्डर मांगने के भारत सरकार के कथित निर्णय से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मैं पैट्रोलियम मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे अनुरोध करता कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :—

"हजीश-बीजापुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन परियोजना के गैस आथारिटी आफ इंडिया तथा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के सौपने के पहले थे निर्णय के स्थान पर इस परियोजना के लिए "टर्नकी" आधार पर नए विश्वव्यापी टेन्डर मांगने के भारत सरकार के कथित निर्णय से उत्पन्न स्थिति तथा इसके बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री कमल किशोर शर्मा): गैस पाइप लाइन परियोजना के कार्यान्वियन के तरीके पर सरकार का ध्यान गया है । निर्णय किया गया कि पहले मांगे गए टेन्डरों के आधार पर लाइन पाइपों को अलग से मंगाया जाए तथा परियोजना के अन्यथास घटकों को मांगने का काम प्रातियोगितात्मक टेण्डरों के आधार पर एक ही एजेंसी को दिया जाए जिसके लिए शीघ्र ही टेण्डर मांगे जाएंगे । इस काम में परियोजना के निष्पादन, समन्वय तथा पाइप लाइन को चालू करने की जिम्मेदारी एक ही संस्था की होगी ।

विभिन्न कारणों से इस प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक हो गया, जिनमे प्रमुख हैं :

पहली बार लम्बी दूरी की क्रास कंट्री हाई प्रेशर पाइप लाइन का निर्णय होने जा रहा है :

तथा सभी कार्यों में इसके एकीकृत क्रियान्वयन के लिए, निर्माण, समन्वय तथा इसको चालू करने के लिए कई संस्थाओं की बजाए एक ही संस्था पर जिम्मेदारी डालने का प्रस्ताव है ।

गैस आथारिटी तथा इंजीनियर्स इंडिया दोनों परियोजना के स्वामी तथा इसके परामर्शदाता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहेंगे । किसी भी समय यह विचार नहीं था कि गैस आथारिटी तथा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इस पाइप लाइन के निर्णय का स्वय करेंगे, ठेकेदारों को लगाया ही जाना था, अब मुख्य अन्तर यह है कि विभिन्न ठेकेदारों के स्थान पर परियोजना के कार्यान्वियन के लिए एक ही एजेंसी होगी ।

विश्व-व्यापी टेण्डरों को मांगने के लिए समय को कम-से-कम करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं, इस अन्तर्गत यह व्यवस्था होगी कि देशी क्षमताओं के प्रयोग वाले प्रस्तावों के मूल्यांकन को उचित प्राथामिकता दी जायेगी ताकि सम्बन्धित क्षेत्रों में घरेलू उत्पादकों को भी प्रयोजना में भाग लेने का अवसर मिल सके ।

इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, यह महसूस किया गया है कि एक ऐसी एजेंसी को प्रयोजना के निष्पादन का काम सौपने का निर्णय लिया जाए किसे प्रतियोगी बोली बिडिंग के आधार पर चुना जायेगा जो परियोजना के हित में होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेडडी के बोलने से पहले में मैं अनुरोध करता हूं कि वह बहुत संक्षेप में बोले ।

व्यवधान

श्री गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : जी नहीं महोदय, यह नहीं हो सकता । यह इस तरह का विषय है जो बहुत ही विवादास्पद है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके संक्षेप में बोलना पड़ेगा। यदि समय होता तो में आपके 4 घन्टे की अनुमति भी दे सकता हूं कि अपने विचारों को बहुत संक्षेप रूप में रखें। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेडडी महोदय : मंत्री जी का जवाब न केवल साखामित अपितु गुट भी है। यह बताने की बजाए तथ्यों को छिपाता अधिक है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : एक रूढिवादी महिला की तरह।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह 1,730 किलो मीटर लम्बी गैस पाइप लाइन है और सबसे बड़ी परियोजना है जिसे पेट्रोलियम विभाग द्वारा लिया गया या लिया जा रहा है। गैस पर आधारित है उर्वरक संयत्रों को आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए इसे तैयार किया गया उन परियोजनाओं के नाम मेरे पास नहीं हैं क्योंकि वे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। हमने इस प्रश्न की उस समय चर्चा की थी हमने उर्वरक की मांगों पर चर्चा की थी।

गुना संयंत्र का कार्य निर्धारित अवधि के अनुसार चल रहा है और दिसम्बर 1980 तक गुना परियोजना के परीक्षण के लिए गैस छोड़ दी जायेगी। यह कम से कम 700 कि० मी० गैस पाइप पाइन के निर्माण के लिए बाह्य सीमा निर्धारित करता है। जिससे आज की स्थिति के अनुसार पूरी योजना में दो वर्ष का विलंब हो सकता है। एक बहुश्रुत विचार के अनुसार विलंब की लागत 2400 करोड़ रुपए होगी जिसमें से 2000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा होगी।

मार्च 1984 में परियोजना के चलाने में सरकार ने अच्छा कार्य किया। उस समय हमारी मरकार ने इस परियोजना का निर्माण करने के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लि० नामक सरव्यापी क्षेत्र के दो उपक्रमों का गठन करने का निर्णय किया। उस समय यह निर्णय किया गया था कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड उच्चकोटि की विशिष्ट कार्य अर्थात गैस भूनी आफ लीदरलेण्ड्स का परामर्श प्राप्त करेगा जो इस क्षेत्र में उसी तरह से प्रसिद्धक जैसे कि विश्व में कोई अन्य कम्पनी। उस समय विभाग ने पूरी परियोजना के छः संघटकों में बांटने का निर्णय किया था पहले पाइपों की खरीद, दूसरी लाइन सामग्री की खरीद, तीसरा निर्माणाधीन कम्प्रेशर स्टेशन के लिए उपस्करों की खरीद चौथा दूर संचार और पर्यवेक्षक प्रणाली की स्थापना के लिए उपस्करों की कैथोड सुरक्षा प्रणाली की स्थापना और अन्त में।

पाइप लाइन को ठहनों तह चढाना डालना विभाग ने शुरू "टर्नकी" परियोजना को चालू करने का विचार किया और इस पर विचार करने के बाद इसे तीन मूल और महत्वपूर्ण कारणों से अस्वीकार कर दिया अर्थात विभाग ने महसूस किया कि "टर्नकी" परियोजना चालू करने में बहुत खर्चा आएगा दूसरे विभाग ने नोट किया कि जटिल टेन्डर प्रक्रिया होने के कारण इसमें बहुत विलंब होगा और तीसरे विभाग ने मससूस किया कि "टर्नकी" परियोजना से देशी साधन क्षमता का अधिकतम उपयोग न तो हो सकेगा। इसके बाद यह निर्णय किया गया कि पहले तीन संघटकों को आयात द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए

तथा इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा कम्पनियां एक संघ बनाया जाये तद्नुसार इंजीनियर इण्डिया लिमिटेड ने पहले तीन संघटकों के लिए विश्व-व्यापी टेन्डर आमंत्रित किए।

परियोजना के बारे में सभी मामलों को निपटाने के लिए एकल स्थान एजेन्सी के रूप में समिति ने 17 अधिकारियों की एक शक्ति प्राप्त समिति भी बनाई। मई के महीने की बैठक में इस समिति ने नोट किया कि प्रधान मंत्री सचिवालय ने देशी साधन क्षमता के अधिक उपयोग के बारे में सुझाव दिया था। इसके परिणाम स्वरूप प्रधान मंत्री सचिवालय से बड़े कल्पनाशील सुझाव से सीमित ने बी० एच० ई० एल के कम्प्रेशरों की सप्लाई तथा कम्प्रेशर स्टेशन की स्थापना की अनुमति देने का निर्णय किया। केवल इस निर्णय के परिणाम स्वरूप केवल दो चीजों को आपातित करना था अर्थात पाइप लाईन और लाइन सामग्री।

उस समय टेण्डर प्राप्त किए गए थे और अगस्त 1984 तक आर्डर देने थे उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री और तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री ने कागजों में हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसलिए 21 जुलाई 1984 को तत्कालीन पेट्रोलियम के सचिव श्री ए० एस० गिल ने मंत्री जी को एक लम्बा नोट लिखा—यह एक असाधारण कदम है—परियोजना पूरी दृष्टि भूमि स्पष्ट की उस नोट में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि परियोजना "टर्नकी" आधार पर चलाने के विचार अस्वीकृत क्यों किया गया था।

लेकिन 26 सितम्बर को प्रधान मंत्री के कार्यालय से एक नोट फिर प्राप्त हुआ जिससे एक इटली फर्म के प्रस्ताव को प्रेषित किया था जो परियोजना को तीन खण्डों के लिए एस० एन० ए० समिति प्रोगेती के नाम से जाना जाता है। इस पर इस शक्ति प्राप्त की बैठक हुई समिति तथा उसने महसूस किया कि एस० एन० प्रोगेती का प्रस्ताव पूर्णतः असामयिक है। यह अनुचित था क्योंकि अन्य पार्टियों की बोली जानते के पश्चात् इसने एक पक्षीय प्रस्ताव दिया था। इसलिए 12 अक्टूबर 1984 को श्री गिल ने तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री जी को फिर से लिखा जिसमें यह कहा गया था कि एस० एन० ए० एम० प्रोगेती के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका और कार्यक्रम के अनुसार परियोजना पर आगे कार्य होने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान आप लोगों के नाम का कैसे उल्लेख कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। मैं केवल घटनाक्रम का उल्लेख कर रहा हूं।

प्रो के० के० तिवारी (बक्सर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इस पर हमें बाहर वक्तव्य जारी करने के लिए दबाव डाला जाएगा। क्यों मैं मंत्रियों के नामों और सचिवों द्वारा भेजे गए नोट का उल्लेख नहीं कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में नियम बहुत स्पष्ट है। मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा के दौरान इस मामले पर बाद विवाद हो चुका है प्रश्न के रूप में भी यह सदन के सामने आया।

[अनुवाद]

नियम स्पष्ट है कि जिस सदस्य या सदस्यों का नाम ध्यानाकर्षण सूचना में दिया हो तो वह सटीक तथा निश्चित प्रश्न पूछ सकता है यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष को अनुमति से एक सदस्य केवल एक प्रश्न पूछ सकता है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : पिछले एक ध्यानाकर्ण प्रस्ताव में भी इसी प्रकार का एक प्रश्न उठाया था पिछले 25 वर्षों से हम कुछ परम्पराओं का पालन कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न भी उठाए जाते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं प्रो० तिवारी ध्यानाकर्ण प्रश्नों का रिकार्ड दिखा सकता हूं।

प्रो के० के० तिवारी : कुछ नियम होते हैं। प्रतिदिन नियमों का उल्लंघन किया जाता है आओ आज फैसला कर लें कि सदन के नियमों का पालन किया जायेगा।

(व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अधीन किसी भी सदस्य को असंगत चीजों पर भाषण देने का कोई विशेषाधिकार नहीं है। इस पर विचार करने की बात आप पर छोड़ता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : (पंसकुरा) महोदय वह व्यवस्था के प्रश्न पर ये भाषण दे रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, वे इस व्यवस्था के बारे में स्पष्ट कर रहे हैं। हम वास्तव में कुछ परम्पराओं का पालन कर रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : परन्तु सदन के किसी भी नियमों की ओर यदि आपको ध्यान में लाया जाता है तो जैसा बताता गया है इसका विशेष रूप से पालन किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)** इसलिए, कोई भाषण देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इससे समय बर्बाद होता है, मेरा मतलब है असंगत मामलों पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० तिवारी यह नियमों में हो सकता है परन्तु कुछ लम्बी चर्चाएं होने की परम्परा रही हैं। परन्तु मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे बहुत संक्षिप्त बोलें तथा प्रश्न ही पूछें।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रो० तिवारी के प्रश्नों का रिकार्ड दिखाऊंगा।

श्री के० के० तिवारी : मैं यह आपसे पूछता हूं कि जब परम्पराओं तथा नियमों में टकराव हो तो नियम को प्राथमिकता मिलेगी न कि परम्पराओं को।

उपाध्यक्ष महोदय : खैर जो भी है, मैं आपके भाव समझ सकता हूं।

श्री के० के० तिवारी : जब किसी विशेष मामले से सम्बन्धित नियम न मिलें तो परम्पराओं का सहारा लिया जाता है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आपने इसका पालन किया है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने हमेशा इसका पालन किया है।

प्रो० मधु दण्डवते : कभी भी नहीं क्या मैं ध्यानाकर्षण के दौरान उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का रिकार्ड पेश करूं ?

(व्यवधान)

श्री के० के० तिवारी : मैं पीठ से प्रश्न पूछता हूं कि नियमों को प्राथमिकता मिलेगी या परम्पराओं को जब नियमों तथा परम्पराओं के टकराव हों तो हमेंशा नियम को माना जाता है। (व्यवधान)। मुझे स्पष्ट करने दीजिए। महोदय नियम इस सदन द्वारा लगाए जाते हैं। जब नियमों को स्वीकार कर लिया जाए तथा आपको यह बताया जाए कि नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो आपको परम्पराओं को नहीं मानना चाहिए बल्कि नियमों को मानना चाहिए। इसलिए मैं इस पर विनिर्णय चाहता हूं। यह महत्वपूर्ण मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं यह विनिर्णय दे दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय आपके विनिर्णय देने से पहले मैं आपको—ध्यानाकर्षण नियमों की बाद छोड़ियों सामान्य नियमों के बारे में बताना चाहूंगा। सदन के गणपूर्ति के बारे में एक नियम है मध्याह्न भोजन काल को आगे बढ़ाया जाता है सुस्पष्ट है। जब प्रश्न काल होता है या तो गणपूर्ति का पालन किया जाता है परन्तु इस सदन में आपसी सहमति से यह स्वीकार किया गया है कि भोजनावकाश के दौरान तथा उसके बाद जब हम सदन में मिलते हैं तो यह परम्परा एक है कि हम गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाते तथा हम इसका पालन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें समाप्त करने दीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय जो भी हम कहते हैं उसी के वह हस्तक्षेप क्यों करना चाहते हैं ?

महोदय, एक बार श्री एच० वी० कामथ ने इस प्रश्न को सदन में उठाया था तो तत्कालीन अध्यक्ष ने कहा मैं जानता हूं कि एक नियम है। यदि आप मध्यान्तर में भी गणपूर्ति की बात उठाने पर दृढ़ हैं तो मुझे गणपूर्ति के लिए घण्टी बजानी पड़ेगी, परन्तु मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि नियमों की अपेक्षा परम्पराओं को प्राथमिकता दी जाती है। हम नियमों

का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं परन्तु हम इसके क्षेत्र में दी गई छूट को स्पष्ट कर रहे हैं तथा यही सर्वसम्मत राय है।" उसी प्रकार से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इस ओर या उस ओर से-वे बहुत ही अच्छे ध्यानाकर्षण मामले उठाते आ रहे हैं तथा उन्हें विस्तार से बताते आ रहें है तथा मैं उसकी सराहना करता हूं। हम उसे अनुमति दे देते हैं, हम कभी तकनीक का मामला नहीं उठाते क्योंकि हम दूसरे पक्ष से तकनीकी आधार पर नहीं बल्कि तकनीतिक तौर पर लड़ना चाहते हैं तथा इसीलिए, मैं चाहूंगा कि आप इसे स्वीकार न करके परम्परा की प्राथमिकता को स्वीकार कीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी : एक बात है प्रो० मधु दण्डवते ने सदन में के सम्बन्ध में नियम का उल्लेख किया है, परन्तु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब कभी भी इस नियम को पूछने की जिद की गई है, तथा ऐसे अवसर आए हैं जब सदस्यों ने गणपूर्ति के नियम का उल्लेख किया है, सदन में गणपूर्ति हो या न हो, जब कभी भी इसके बारे में जिद की गई या प्रश्न उठाया गया है तो शीघ्र ही गणपूर्ति कराने की जिद के करण घण्टी बजी है तथा केवल गणपूर्ति होने के बाद ही चर्चा आगे चली है।

(व्यवधान)

इसीलिए, जब कोई सदस्य विशेष नियम बताता है तो उस समय ये असंगत तथा लापरवाह बातें जिनकी पहले अनुमति दे दी गई थी, अब नहीं होनी चाहिएं। इस सदन द्वारा बनाए गए नियमों को इस सदन में प्राथमिकता मिलनी चाहिए तथा पीठ की इस प्रकार की असंगत टिप्पणियों से उन्हें फायदा नहीं उठाना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, कृपया बैठ जाइए। हमें हूबहू नियमों का पालन करना पड़ता है। वह बात ठीक है। उसके साथ ही हमें परम्पराओं के बारे में कुछ चीजें देखनी पड़ती है। परन्तु मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि जहां तक सम्भव हो वे नियमों का ही पालन करें। मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं। ऐसा इसलिए है कि कुछ परम्पराओं का पालन करने के लिए भी हमें घूस देनी पड़ती है जैसे कुछ मुद्दों पर वाद-विवाद करने के लिए। उसका सहारा लेकर यदि आप किसी विशेष विषय पर घण्टों चर्चा करते चले जाएं तो इससे समस्त कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाएगी।

प्रो० मधु दंडवते : तब यह दो मिनट में ही समाप्त हो जाएगी सवाल पूछने के लिए केवल दो मिनट ही काफी हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : यदि आप नियमों की अपेक्षा परम्पराओं को प्राथमिकता देंगे तो आप सदन की कार्यवाही नहीं चला सकते।

प्रो० मधु दंडवते : श्री तिवारी को किसी भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने दीजिए, 10 मिनट बाद व्यवस्था के प्रश्न को उठाऊंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : ऐसा कीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : आपको यह दो मिनट में समाप्त करना होगा।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं प्रसन्नता पूर्वक एक प्रश्न करुंगा तथा बैठ जाऊंगा।

प्रो० मधु दंडवते : इसे स्वीकार कर लीजिए। कल से मैं ऐसा करना शुरू कर दूंगा। हर बार मैं यही करूंगा। मैं इसके बारे में अग्रिम सूचना दे दूंगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में पांच सदस्यों के नाम हैं। यह 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा। यह सभी सदस्यों को स्वीकार होना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : ऐसा कभी नहीं हुआ है कि नियमों की अपेक्षा परम्पराओं को प्राथमिकता दी गई हो। हमारे नियम बहुत ही सुस्पष्ट बनाए गए हैं। परम्परायें भी अपनी जगह हैं। परन्तु इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य से मैं पहली बार सुन रहा हूं कि नियमों की अपेक्षा परम्पराओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : पिछले सत्र में तथा इस सत्र में भी श्री तिवारी ने ध्यानकर्षण प्रस्ताव में जितनी भी टिप्पणियां की हैं मैं उन सभी को सभा पटल पर प्रस्तुत कर दूंगा। आप उन्हें देख सकते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : आप आपत्ति करने के लिए सजग नहीं थे। यह एक मूल प्रश्न है। यह एक उदाहरण बन जाएगा कि नियमों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए दो परम्पराओं को।इसका निर्णय पीठ द्वारा किया जाएगा।

यह में सदन के कार्य संचालन का निर्धारण करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, प्रश्न के रूप में आप इसे पूछ सकते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : नियमों की प्राथमिकता के बारे में यह एक मूलभूत मामला है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : प्रधान मन्त्री के कार्यालय के इस नोट में स्नान प्रोग्रेती का प्रस्ताव दिया हुआ है श्री गिल ने तत्कालीन मन्त्री को इस समस्त चीज के अस्वीकरण करते हुए एक और लम्बा नोट लिखा है, जो 300; शब्दों का नोट है। इस नोट में यह भी बताया गया है कि स्नान प्रोग्रेती का प्रस्ताव वास्तव में इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के प्रस्ताव से अधिक लागत का था।

(व्यवधान)

यदि आप चाहते हैं तो मैं इसे प्रश्न के रूप में पूछ लेता हूं। मैं यह जानना चाहूंगा कि स्नान प्रोग्रेट्टी के प्रस्ताव के साथ क्या प्रधान मन्त्री के कार्यालय ने अपना नोट भी भेजा था क्या तत्कालीन सचिव, श्री गिल, ने 12 अक्टूबर 1984 के पिछले नोट की प्रति को भी इस दूसरे लम्बे नोट के स थ भेजा था, जिसमें स्नान प्रोग्रेट्टी के प्रस्ताव के ठीक न होने के कारणों को स्पष्ट किया गया था तथा इसी करण से परियोजना को पूर्णरूप से अस्वीकार किया गया था।

प्रो० मधु दंडवते : एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है।

श्री एस जयपाल रेड्डी : मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या नोट में इस बात का भी

उल्लेख किया गया था कि स्नान प्रोगेट्टी का प्रस्ताव इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड से अधिक लागत की है...

प्रो० के० के० तिवारी : कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं । आप हस्तः क्षेप कर रहे हैं। कृपया बैठ जाएगा ।

प्रो० के०के० तिवारी : मैं हस्तः क्षेप नहीं कर रहा हूं । आप भी सदन के नियमों से बड़े नहीं है । पीठ भी सदन के नियमों से बड़ी नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप हस्तः क्षेप क्यों कर रहे हैं ? कृपया आप बैठ जाइए । वह केवल प्रश्न पूछ रहे हैं ।

प्रो० के० के० तिवारी : यदि आप इस चर्चा को नहीं रोक पाए तो यह चार घण्टे ले लेगी । इसीलिए, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि यदि आप की अपनी राय में आप यदि यह महसूस करते हैं कि आप इस पर अलग से चर्चा की अनुमति दे सकते हैं, तो आप कर दीजिए । परन्तु ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कभी भी चर्चा नहीं की जा सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे केवल प्रश्न पूछ रहे हैं ।

प्रो० के० के० तिवारी : यदि आप चाहते हैं तो उप पर आप वाद-विवाद की अनुमति दे सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी वाद-विवाद की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि 15 सितम्बर 1984 को भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति दी गई थी जिसमें यह कहा गया था...

उपाध्यक्ष महोदय : आप उद्धृत नहीं कर सकते ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या परियोजना के निर्माण का कार्य भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड पर छोड़ दिया गया था ?

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूं । मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित कागजात आप को प्रस्तुत कर दिए गए हैं या नहीं । क्या आपने आपनी यह स्वीकृति दे दी है कि कागजात सदन में उद्धृत किए जाएंगे ? पीठ की अनुमति के बिना कागजातों का उल्लेख नहीं किया जा सकता । यह भी सदन का नियम है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उद्धृत नहीं कर सकते ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने उद्धृत नहीं किया है मैंने केवल प्रक्रिया का उल्लेख किया है ।

प्रो० मधु दंडवते : श्री तिवारी के अनियमों को सदन की परम्पराओं तथा नियमों की अपेक्षा क्या प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत हैव्वी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ हुए इसके करार का भी प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख था तथा क्या इसमें उस करार का भी उल्लेख था जो भारत हैव्वी इलेक्ट्रिकल्स ने बाद में 'कैथोडिक' बचाव प्रणाली के प्रयोजन से अमरीका की 'हारको' के साथ किया...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे उद्धृत नहीं कर रहे हैं। वे जो उद्धृत कर रहे हैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

प्रो० के० के० तिवारी : नियमों को दबाने के लिए जान-बूझकर इस तरीके का प्रयोग किया गया है कि आप उन कागजातों से नोट कर लें जो अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए हैं या स्पष्ट नहीं किए गए हैं। आपने उन कागजों को स्वीकृत नहीं किया है...

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या तत्कालीन पेट्रोलियम सचिव, श्री गिल, का अब स्थानान्तरण कर दिया गया है, उन्हें कहीं तैनात नहीं किया गया है तथा वे अभी भी अवकाश पर हैं। उनकी ईमानदारी का उन्हें यही इनाम दिया गया है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि 'टर्नकी' आधार पर कार्य शुरू करने का सरकार का यह निर्णय क्या विशेषज्ञता या भारतीय परामर्शदाताओं जैसे 'बी० एच० इ० एल०' 'एच० ए० एल०' 'टी० सी० आई० एल०,' इ० सी० आइ० एल०,' 'आर० सा इ० टी० इ० एस०,' 'पी० डी० आइ० एल०' आदि-आदि के द्वारा सहयोग के किए गए करार, को नष्ट नहीं कर देगा या इनमें बाधा उत्पन्न नहीं कर देगा ?

मैं यह जानना चाहूंगा कि जब कभी भी स्नान प्रोजेक्ट्री की बात शुरू होती है तो यह साफ-सुथरी सरकार कागज के टुकड़े की तरह क्यों मुड़नी शुरू हो जाती है ?

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : यह एक कटाक्ष है। यह क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं यह जानना चाहूंगा कि स्नान प्रोगेत्त की अशुभ तथा घृष्ठ प्रभाव सरकार पर क्यों इतना बढ़ता जा रहा है।

मैंने पहले छः गैस-आधृत परियोजनाओं का उल्लेख किया था जिनके लिए गैस तथा अमोनिया दोनों के लिए स्नान प्रोगेत्त तथा इसकी सहयोगी 'हाल्डार' तथा 'टोपसे,' परामर्श-दाता बन गए हैं। इन छः परियोजनाओं की कुल लागत 4000 करोड़ रुपए है। इस एच० बी० टी० गैस पाईप लाईन परियोजना की कुल लागत 1700 करोड़ रुपये हैं। इसका मतलब है कि स्नान प्रोजेक्ट्री प्रमुख परामर्शदाता होगा तथा 6000 करोड़ रुपए तक की 'टर्नकी' परियोजनाओं के ठेकेदार होगें। क्या यह सच है ? मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं।

(व्यवधान)

पेट्रोलियम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : मेरे अनुभवी मित्र रेड्डी ने प्रश्न पूछकर तथा आरोप लगाकर सच्चाई को छुपाने का प्रयास किया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अभिप्रेरित होकर यह तरीका अपनाया है।

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका : (राबर्ट्सगंज) : यह अति अभिप्रेरित है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह भ्रष्टाचार का विरोध करने तथा उसका भंडाफोड़ करने के विरोध करने के लिए अभिप्रेरित है।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी खड़े हैं। वे जवाब दे रहे हैं कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : यदि प्रेरणा भ्रष्टाचार को समाप्त करना रही होती तो मैं निश्चय ही उसका स्वागत करता। परन्तु दुर्भाग्य से प्रेरणा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना अथवा उसका भण्डा फोड़ करना नहीं है अपितु यह राजनीति प्रेरणा है। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि सनम प्रोगेत के नाम को क्यों बीच में घसीय गया है, मैंने जो मूल वक्तव्य दिया है उसमें मैंने कहा है कि हम विश्व निविधाएं आमंत्रित करने जा रहे हैं। और जो कोई प्रतियोगी पाया जायेगा, हमारे मूल्यांकन पर उसे यह कार्य दिया जायेगा। सनम प्रोगेति या हल्दारे टोप्सोई के बारे में उनको पहले के अनुबन्धों और यूरिया उर्वरक आदि के प्रश्न को यहां उठाना पूरी तरह से असंगत हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यह प्रेरणास्वरूप किया गया है।

मेरे विद्वान मित्र ने जो प्रश्न पूछा है, जहां तक उसकी बात है तो मैं कहूंगा कि हमने एक प्रसिद्ध निर्णय लिया है। और एच. बी. जे. पाइप लाइन को विछाने के सर्वोच्च हित में यह निर्णय लिया गया है। हम चाहते हैं कि यह एच. बी. जे. पाइप लाइन समय पर चालू की जाए और उसके चालू होने का सामजस्य विभिन्न उर्वरक संयन्त्रों से बैठना चाहिए हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि कोई अप्रत्याशित आपत्ति भी न आए। मामले का सम्पूर्ण रूप में विचार करते हुए सरकार ने विश्व निविषाएं आमन्त्रित करने का निर्णय लिया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या यह परियोजना 'टर्न की' आधार पर है या नहीं ?

श्री नवल किशोर शर्मा : यह परियोजना अंशत 'टर्न की' आधार पर है क्योंकि जहां तक पाइप का सम्बन्ध है हम इसके उन विभिन्न पार्टियों से क्रय के निर्णय का पालन करते हैं जिन्होंने हमें अपनी दरें भेजी हैं। यह ... सम्बद्ध है।

श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर) : विदेशों से ?

श्री नवल किशोर शर्मा : मुझे खेद है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगा क्योंकि आपका नाम सूची में नहीं है ...

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अजित कुमार साहा : मेरा नाम उसमें है ।

श्री नवल किशोर शर्मा : अब तो आप अपनी बारी आने पर ही अपना प्रश्न पूछिये और मैं उस समय इसका उत्तर दूंगा ।

अत: यह परियोजना अंशत 'टर्न की' और अंशत: नहीं भी है क्योंकि सही अर्थों में एक 'टर्न की' परियोजना का मतलब है कि सामग्री खरीदने से लेकर चालू होने तक, यह एक ही पार्टी का काम होगा । परन्तु यहां पर हमने अलग कर दिया...

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए ।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं अपनी बात पर अडिग हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपनी बात पर अडिग है।

(व्यवधान)

श्री नवल किशोर शर्मा : मेरे विद्वान मित्र ने इस परियोजना के छ: घटकों का उल्लेख किया है । क्योंकि कुछ घटकों के बारे में उनका कहना सही नहीं था उनके सूचनार्थ मैं दोहरा इन घटकों को दोहरा सकता हूं । एक है लाइन पाइप (2) सामग्री (3) रंगने और ढकने सहित पाइप लाइन का निर्माण (4) कम्प्रेशर स्टेशनस (5) क्षरणात्मक संरक्षण (6) दूर-पर्यवेक्षकीय प्रणाली । ...

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने यही बातें पूछी हैं ।

श्री नवल किशोर शर्मा : आपने इसे इस प्रकार नहीं पूछा है । कुछ स्थानों पर आपने गलती की है । अत: आपके सूचनार्थ, मैं इसे उद्धृत कर रहा हूं ।

पाइप लाइन को छोड़कर जहां तक इन छ: घटकों की बात हैं, सभी घटकों के लिए सरकार ने विश्व निविदाएं आमन्त्रित करने का निर्णय लिया है और प्रक्रिया चल रही है तथा जब हम निविदा बोलियों को अन्तिम रूप दे देते हैं तो तब हम यह देखेंगे कि एच बी जे पाइप लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ हो जाए और निर्माण कार्य के 1985 के लगभग अन्त तक हम आशा करते हैं ।

जहां तक गुना उर्वरक कारखाने को तैयार करने के कार्य क्रम और उसमें हुए विलम्ब के बारे में मेरे विद्वान मित्र द्वारा किये गये उल्लेख का सम्बन्ध है तो मेरा निवेदन है कि यद्यपि कि उन्होंने कहा है यह दिसम्बर 1985 नहीं हैं। वास्तव में जैसा कि रसायन और उर्वरक मन्त्रालय ने हमें भेजा है या सूचित किया है, संशोधित कार्यक्रम के अनुसार यह मार्च 1987 तक बनेगा । अत: हम आशा करते हैं और हमारा प्रयास यह है कि मार्च 1987 तक, जब गुना उर्वरक के बायलर गैस प्राप्ति के लिए तैयार हो जायेंगे उसी समय उन्हें एच. बी. जे.पाइप लाइन से गैस की पूर्ति भी की जायेगी । हमने समय घटाने का प्रयास किया है । और हम इसे एन. आई. टी. की जन समस्या के रूप में ले रहे हैं । और इससे हमें आशा है कि और अधिक विलम्ब नहीं होगा हम यही आशा करते हैं जहां तक विलम्ब का सम्बन्ध है, हमें आशा है कि कोई विलम्ब नहीं होगा ।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि मन्त्रालय के सचिव ने सनम प्रोगति 'टर्नकी' परियोजना की पेशकश को अस्वीकृत करते हुए एक टिप्पणी लिखी है ; यह सच नहीं है क्योंकि सनम प्रोगेतक का प्रस्ताव किसी प्रकार के निविदा आमन्त्रण के उत्तर में नहीं थी। यह पेशकश तो मन्त्रालय को भी की गई थी और न केवल इस कम्पनी ने बल्कि एक कनाडा कम्पनी ने भी पेशकश की है। परन्तु इस तथ्य के देखते हुए कि ये पेशकश किसी निविदा बोली के उत्तर में नहीं थीं तो उनके विचरण का प्रश्न ही नहीं है। निस्संदेह जब कोई बात उनको दृष्टिगोचर होती है और चूंकि पेशकश अनुपानित लागत से कहीं कम धन-राशि की होती है इसलिए सचिवों ने उस पर कुछ विचार किया होगा। परन्तु कोई औपचारिक पेशकश नहीं की गई थी और इसलिए औपचारिक अस्वीकृत का तो प्रश्न ही नहीं था। यह आरोप कि सचिव ने इसे अस्वीकृत कर दिया बिल्कुल झठ है। यह सरकार की सामान्य परिपाटी हैं कि इन बातों पर विचार किया जाए ; निर्धारण किया जाए और इसलिए यह आरोप कि सचिव ने तत्कालीन मन्त्री महोदय की कड़ी टिप्पणी लिखी थी...

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्होंने टिप्पणियां भेजी थीं। मैंने उन तारीखों का उल्लेख भी किया है जब वे टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं।

श्री नवल किशोर शर्मा : श्री रेड्डी मैं मन्त्री महोदय और सचिव के बीच हुए किसी प्रकार के पत्र-व्यवहार को लेकर आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं करूंगा। ये सामान्य बातें हैं। अत: यह इस प्रयोजनार्थ की संगत नहीं है क्योंकि आपका मुख्य आरोप है कि अप्रत्यक्षरूप से आपने प्रेरित किना कि मन्त्री महोदय या कोई व्यक्ति समम प्रौद्योगिकी के टर्न की परियोजना चाहता था। वह बिल्कुल गलत है प्रेरित करने वाली बात में कोई सार नहीं है। मेरा यही कहना है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप सदन की समिति द्वारा जांच की बात मान लीजिए और मैं सभी आरोपों को सिद्ध कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय इससे पहले कि मन्त्री महोदय इससे पहले कि मन्त्री महोदय इस पर और आगे बोले, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहूंगा। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कोई सदस्य निहितार्थ में भी किसी व्यक्ति के आधार पर चर्चा नहीं कर सकता है ; सिवाय मूल प्रस्ताव के। नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। यद्यपि मन्त्री महोदय ने इस पर ध्यान दिया है, फिर भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। **(व्यवधान)** नियम 353 बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जब कभी सनम प्रोगिता के नाम का उल्लेख किया जाता है, वह गुस्से हो जाते हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : आप तो उत्पन्न भी नहीं कह सकते हैं। इस बारे में नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मन्त्री महोदय उत्तर देते हैं तो कृपया हस्तक्षेप न करें। उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री नवल किशोर शर्मा : एक अन्य प्रश्न इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के इस परियोजना से बाहर होने के बारे में उठाया गया है। श्री रेड्डी और इस सभा के सूचनार्थ मैं बताता हूं कि परियोजना क्रियान्वयन दर्शन के अनुसार भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड परियोजना प्रबन्ध के उत्तर दायित्व सहित इस पर स्वामित्व बनाए रखेगी और जहां तक इन्जीनियर्स इण्डिया लि० का सम्बन्ध है यह परियोजना के कार्न्वयन में प्रमुख सलाहकर बना रहेगा और गैस यूनाई जिसका आपने उल्लेख किया है अभी भी इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के सहायक सलाहकर के रूप में संगठित हैं।

वास्तव में किसी भी समय यह नहीं सोचा गया था कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड अथवा भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड प्रमुख अनुबन्धक होंगे या वास्तविक निर्माण कार्य इनके द्वारा किया जायेगा। आपको इनके बीच का अन्तर समझ लेना चाहिए...

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, परियोजना का कार्य जी० ए० आई० एल० और इ०आइ० एल० पर्यवेक्षणाधीन किया जाना है।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय हद हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ये सब प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। मैं इनकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में जो कुछ भी कहा है मैं उस पर अडिग हूं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इसमें ठेकेदार नहीं है। उन्हें कार्य नहीं करना है। वे तो सलाहकार हैं। उनकी भूमिका को कम नहीं किया गया है। वे इस परियोजना में सलाहकार बने रहेंगे।

अत: उठाये गए प्रश्न का कोई आधार नहीं है। एच० बी०जे० पाइप लाइन के मूल विचार में जैसा सोचा गया था इन्जीनियर्स इडिण्या लिमिटेड की भागीदारी वैसी ही है। जहां तक जी० ए० आई० एल० का संबंध है, वे इस परियोजना के मालिक हैं और यह सुनिश्चित करना उनका उत्तरदायित्व है कि परियोजना पूरी हो और समय पर चालू हो। स्वामी के रूप में उनकी भूमिका को कम नहीं किया गया है। वास्तव में, जी० ए० आई० एल० को विभिन्न पार्टियों में, विभिन्न ठेकेदारों में उप अनुबन्ध देने हैं या कार्य का बटवारा करना है। जो कार्य विभिन्न पार्टियों, विभिन्न ठेकेदारों, विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया जाना था, उसको विभिन्न पार्टियों, अभिकरणों अन्यथा ठेकेदारों को दिए जाने के बजाय, एक को देना अच्छा समझा गया था, जिसका कारण था आने वाली प्रबन्धकीय समस्याएं, समन्वयन समस्याएं तथा हमारा अनुभवहीन होना।

और फिर महोदय जैसा कि मेरे मित्र ने ठीक ही कहा है, भारत में कार्यरूप दिए जाने वाली इस प्रकार की यह प्रथम परियोजना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमें वैसा अनुभव नहीं है तो हमने सोचा कि एकल अनुबन्ध प्रणाली कहीं अधिक अच्छी होगी जिससे कि समन्वयन कार्य-निष्पादन और क्रियान्वयन सम्बन्धी कठिनाईयां उत्पन्न न हों। अन्यथा कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब बहुत से व्यक्ति होते हैं तो उत्तरदायित्व तो किसी का

नहीं होता और प्रायः यह होता है आरोप एक से दूसरे के सिर मढ दिया जाता है। और इससे पर्याप्त विलम्ब होता है। कभी-कभी यह अधिक खर्चीला भी हो जाता है और फिर किसी एक अभिकरण या पार्टी का उत्तरदायित्व नहीं रह जाता है। इस उत्तरदायित्व का एक ही अभिकरण के सिर मढ़ने के लिए सरकार ने विश्व निविदाएं आमंत्रित करने का विचार किया।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं दो पेने और छोटे प्रश्न पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। जी नहीं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री साहा आप कृपया अपनी बात जारी रखिए। वह श्री रेड्डी के प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

(व्यवधान)**

श्री अजित कुमार साहा : (विष्णुपुर) उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में ही, मैं कह देता हूं कि मन्त्री महोदय का वक्तव्य बिल्कुल युक्ति युक्त नहीं है।

महोदय, भारत वर्ष सदियों से हस्त लागत के लिए प्रसिद्ध रहा है। परन्तु अब यह सरकार महान भारतीय पाइप इन्द्रजाल के लिए प्रसिद्ध हो गई है।

(व्यवधान)

मैं श्री तिवारी से निवेदन करता हूं कि वह मुझे बीच में न टोकें।

(व्यवधान)

1.00 म० प०

मन्त्री महोदय पहले ही कह चुके हैं कि पाइप लाइन परियोजना को 'टर्नकी' आधार पर कार्यान्वित किया जायेगा। सरकार ने गैस अथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड और इन्जीनियर्स इन्डिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली इस 1700 करोड़ रुपये की परियोजना के मामले से मुकर गई है। सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए अपने वचन से फिर गई। उन्होंने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उस स्वदेशी विशेषज्ञता के मनोबल को गिरा दिया है और विश्वसनीयता को क्षति पहुंचाई है जो हमने अपने देश में विकसित की है।

महोदय, मूलतः सरकार ने तीन कारणों से इस परियोजना को 'टर्न-की' आधार पर चलाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। प्रथम यह कि 'टर्न-की' कार्य अधिक खर्चीला होगा, दूसरे निविदा दस्तावेज तैयार करने में काफी समय लगेगा और अन्तिम तीसरा कारण है कि विभाग ने नोट किया कि अनुबन्ध 'टर्न-की' आधार पर देने से स्वदेशी क्षमता के अधिकतम उपयोग में रुकावट होगी और इससे लगभग देश में इस प्रकार क्षमता की वृद्धि में बाधा पड़ेगी।

महोदय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने इस परियोजना को इन्जीनियर्स इण्डिया

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लिमिटेड के हवाले कर दिया था । महोदय, दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि समस्त परियोजना को जी० ए० आई० एल० के पूर्ण उत्तरदायित्व के अधीन कार्यान्वित किया जायेगा और इन्जीनियर्स इन्डिया लिमिटेड को प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। हालैण्ड की गैसनाई को अभिकल्प डिजाइन एवं अभियान्त्रित की इंजीनियरिंग कठिन क्षेत्रों की समीक्षा और सहायता प्रदान करने हेतु इ० आई० एल० को पूरक सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए रखा गया है । मंत्री महोदय ने वक्तव्य में कहा है कि इस लाइन को बिछाने के लिए निविदाएं पहले ही आमन्त्रित की जा चुकी हैं ।

पाइप लाइन बिछाने की जानकारी के अलावा माननीय मंत्री ने अन्य चीजों जैसे स्पीडन टर्बाइन तथा कैथोड़ बचाव तथा दूर-संचार प्रणाली के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड तथा भारत इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सी० आई० बी० एफ० पहले ही कह चुके हैं तथा इन सभी चीजों का उत्पादन करने के लिए उन्हें आदेश दे दिए हैं। परन्तु मन्त्री ने इनके बारे में कुछ नही कहा है यदि जी०ए०आई०एल० तथा इ० आई० एल० को इस परियोजना को चलाने का कोई अनुभव नहीं है तथा मैं सरकार से एक प्रश्न पूछता हूं 'टर्न-की' करार के बारे में भारत सरकार का क्या अनुभव है ?

महोदय, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तट में हर छिद्रण कार्य के मामले में आज की सरकार तट से दूर छिद्रण कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त करने में विश्वास करती है तथा यह आज एक वास्तविकता है । यह तर्क किसी तरह भी उन्हें प्रभावित नहीं करता जो टर्नकी हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन को अपनाने जा रहे हैं। महोदय सितम्बर 1984 में जी०ए०आइ०एल ने एक प्रैस सम्मेलन में यह घोषणा की थी कि समस्त परियोजना का कार्य निष्पादन उनकी पूरी जिम्मेवारी के अधीन होगा।

महोदय, पूरे 1984 वर्ष में सरकार को परियोजना को टर्नकी आधार हर देने के लिए कोई आधार नहीं मिला। तथा अब, इसी दौरान 'स्नाम प्रोगेत्ती' से प्रस्ताव आ जाता है (इस नाम से सत्ताधारी दल को चिढ़ होती है तथा मुझे यह नहीं पता कि यह चिढ़ क्यों होती है) कि वे इस परियोजना की 'टर्नकी' आधार पर शुरू करेंगे । इस प्रस्ताव से सारी स्थिति बदल जाती है। संकेत से ऐसा लगता है कि यह कार्य 'स्नाम प्रोगेत्ती को मिल जाएगा । 'स्नाम प्रोगेत्ती के भारत में अध्यक्ष, श्री जी० गुआट्रोची, दिल्ली में एक शक्तिशाली तथा अच्छे सम्बन्ध रखने वाले इटली नागरिक हैं ।

महोदय, यदि यह फ्रांस तथा ब्रिटेन के बीच चयन करने की बात होती तो दो विदेशी पार्टियों में से एक को चुनना पड़ता । परन्तु जब चयन की बात भारत तथा इटली के बीच है तो यह निश्चय ही भारत के पक्ष में होना चाहिए । ऐसी कहावत है कि "दूध का जला छाछ को फूंक-फूंक कर पीता है और दो बार ज्यादा खाने वाला 'स्नाम' के साथ व्यापार करने का तरीका जान जाता है ।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें कभी शर्म नहीं आती ।

श्री अनिल कुमार साहा : अंत में मैं यह जानना चाहता हूं क्या सरकार अपने पिछले वायदे पर अडिग रहेगी कि जी० ए० आइ० एल० तथा इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड परियोजना को पूरा करेंगे ।

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री साहा ने एक भद्रपुरुष की यात्रा के बारे में उल्लेख दिया है तथा उन्होंने 'स्नाम प्रोगेत्ती के बारे में तथा किसी अध्यक्ष की यात्रा के बारे में लगभग हू-बहू वही दोहराया है जो श्री जयपाल रेड्डी ने कहा है, जिसे मैं नहीं जानता तथा जिसके बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है। निस्सन्देह मेरे मित्र, श्री साहू, सम्भवत: उन्हें अच्छी तरह जानने होंगे और इसलिए वह उनके बारे में बता सकते हैं। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है तथा उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं पता। परन्तु मकवाना का स्वाद खाने से पता लगता है। इसीलिए स्नाम प्रोगेत्ती के अध्यक्ष को मामा के बारे में प्रेरणा का प्रश्न स्पष्टत: निराधार है क्योंकि हम विश्व से निविदा मांग रहे हैं। हम विश्व भर से निविदा आमंत्रित कर रहे हैं, जो भी देश एन० आइ० टी० में दी जाने वाली शर्तों को पूरा करेंगे, उन्हें ही कार्य करने का ठेका दिया जाएगा। इसीलिए यह एक मननदेन आक्षेप है जो संगत नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के प्रति हमारी वचनबद्धता के बारे में मैं उनमें से एक हूं जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों मे प्रति सबसे अधिक वचनबद्ध है तथा इस सरकार ने कई बार दोहराया है कि वह सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को चरमोत्कर्ष पर देखना चाहती है इसीलिए जहां तक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की भूमिका को कम करने की बात है, सरकार के इरादे के बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। वास्तव में यह गलत धारणा इस बात पर आधारित है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कार्य क्षेत्र से बाहर है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड वहां होगा, तथा इ०आइ०एल० को जो भी कार्य सौंपा जाएगा इ०आइ०एल० उसको पूरा करेगा इ०आइ०एल० की क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल किया जायेगा।

श्री अजीत कुमार साहा : खड़े हुए।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं झुका नहीं, परन्तु आपकी जानकारी के लिए मैं कहूंगा कि पाइप लाइन प्रणाली का संकल्पनात्मक डिजाइन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में ठेकेदारों द्वारा तैयार की गई विस्तृत डिजाइन की समीक्षा का कार्य भी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड उपकरण, सामग्री तथा निर्माण कार्य कैसा है उसके बारे में आश्वासन देगा। यह कार्य की प्रगति की देखरेख करेगा तथा इसके साथ-साथ विस्तृत इंजीनियरी से भी अपने आपको संबद्ध रखेगा। गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की साधन समताओं के द्वारा 'गैसयूनी' की भी सहायता मिलती रहेगी। परियोजना का प्रबन्ध गैस अथारिटी आफ इंडिया के ही हाथों में रहेगा। इसीलिए ऐसी धारणा है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की भूमिका को समाप्त कर दिया जायेगा गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड निरर्थक हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा है, मैं दोबारा कर रहा हूं कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि भिन्न-भिन्न चीजों का ठेका देने की बजाय, तथा भिन्न-भिन्न मदों का काम भिन्न-भिन्न संगठनों तथा भिन्न-भिन्न ठेकेदारों को देने की बजाय, हम एक ही व्यक्ति को उन सभी ठेकेदारों के काम को देखने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। यही सब हमने किया है तथा ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वहां अच्छा कार्य

निष्पादन हो, अच्छा प्रबन्ध हो, अच्छा समन्वय हो तथा सबसे बड़ी बात है इस लाइन के चालू होने में कोई कठिनाई न हो।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : किस विशेषज्ञ समिति ने इसकी सिफारिश की थी।

श्री नगल किशोर शर्मा : जहां तक भारतीयकरण के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं श्री साहा की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हम भारतीयकरण के पक्ष में हैं। हम इस पर अडिग हैं तथा हम प्रयास कर रहे हैं कि भारतीयकरण पर आंच न आये। तभी हम एन०आइ०टी० में यह शामिल कर रहे हैं कि स्वदेशी साधन क्षमता को उचित स्थान दिया जाएगा ताकि संबंधित क्षेत्रों में घरेलू परियोजना में भाग लेने का अवसर मिल सके।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : परन्तु टर्नकी ठेकेदार इससे सहमत नहीं होंगे।

श्री नगल किशोर शर्मा : श्री जयपाल रेड्डी, यह विधान सभा नहीं है। श्री साहा, आपने एक प्रश्न उठाया है कि टर्नकी ठेकेदार इस कार्य को करेंगे। जब हम एन०आइ०टी० में ही यह शर्त रख रहे हैं कि स्वदेशी साधन क्षमता को उचित स्थान दिया जायेगा तो आपका प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए जहां तक सम्भव होगा वे भारतीयकरण को ही अपनायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नारायण चौबे तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त नहीं हैं। अब श्रीमती गीता मुखर्जी की बारी है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अब, माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के जवाब में माननीय मन्त्री ने हमें समझाने का जबरदस्त प्रयास किया है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की भूमिका वही रहेगी जो पहले थी। मन्त्री ने वक्तव्य में कहा कि परियोजना में गैस अथारिटी तथा इंजीनियर्स इंडिया मालिक तथा परामर्शदाता की महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते रहेंगे।

क्या यह सच है कि पहले इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को प्रमुख परामर्शदाता के रूप में चुना गया था ? क्या यह सच है कि पिछले वर्ष मांगे गये अन्तर्राष्ट्रीय टेंडरों में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को ही प्रतियोगी बोली मिली थी। यदि ऐसा है तो विभाग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा आदि में इतना लम्बा समय व्यर्थ करने की क्या आवश्यकता थी तथा समस्त प्रश्न को फिर से जांचने के लिए दोबारा इतना अधिक समय नष्ट करने की क्या आवश्यकता थी ? यदि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की भूमिका बिलकुल वही रहती है जो पहले थी, तो विश्व भर में निविदा खोलने की क्या आवश्यकता थी ? क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली भूमिका में तथा आज की भूमिका में, वास्तव में कोई अन्तर है ?

यह भी सच है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को पाइप लाइन बिछाने का कुछ अनुभव है, चाहे वे इस प्रकार की न हों। क्या यह भी सच है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड अकेला नहीं था ? उनके पास परामर्शदाता थे। मन्त्री ने कहा कि मामले के समस्त पहलुओं पर विचार करते हुए यह महसूस किया गया कि परियोजना के निष्पादन का काम प्रतियोगी

बोली के आधार पर चयन किए गए। एक व्यक्ति को सौंपना, परियोजना के हित में है। मैं यह मान लेती हूं कि यह संभावित एजेन्सी कोई विदेशी कम्पनी होगी। उन्होंने कहा कि देखते हैं निविदा के जरिये कौन आता है। चूंकि इस सम्बन्ध में काफी कुछ हो चुके हैं, अतः इस मामले को समझते हैं।

इसको मद्दे नजर रखते हुए, यह मानते हुए कि यह समस्त चीजें एक ही प्रमुख व्यक्ति के अधीन हो जायेंगे, वह विदेशी कम्पनी ही होगी।

अब मैं पूछ सकता हूं कि क्या हमें उन बहुत सी पहली कम्पनियों का अनुभव है कि ये विदेशी कम्पनियां उनमें से बहुत सी, जब वे टर्नकी परियोजना शुरू करती हैं परियोजना में स्वदेशी तत्व को कम कर देती है तथा वे घरेलू साधन क्षमता को भी सामान्यतः कम समझती हैं ?

क्या यह भी सच है कि उनके विदेशी ठेकेदार निविदा में दी गई विशिष्टताओं को भी इस प्रकार से कर लेते हैं कि घरेलू संभरण कर्ताओं को वे जान-बूझ कर इससे बाहर कर देते हैं ? क्या यह सच है ? क्या यह भी सच है कि पहले ऐसा देखा गया है कि निष्पादन गारंटियों के अतिरिक्त विदेशी ठेकेदारों द्वारा प्रायः इस तरह से निर्दिष्ट की जाती थी कि खरीदने वाली कम्पनियां उन्हें लागू नहीं कर सकती हैं ?

क्या यह सच है ? मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में थी तथा ऐसे मैंने बहुत से उदाहरण देखें हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री नवल किशोर जी इसे भली-भांति जानते हैं।

प्रो० मधु दन्डवते : क्या वे जानते हैं, उनसे पूछ लीजिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे विश्वास है कि जब मैं ऐसी चीजों की बात करती हूं तो मैं दूसरे पक्ष के लोगों के दिलों मे भी हलचल उत्पन्न कर देती हूं।

इसीलिए, देश के हित में मैं यह जानना चाहती हूं क्या यह सच है कि विदेशी कम्पनियां इस तरह का व्यवहार करती हैं। यदि यह सच है तो इतना समय बीत जाने के बाद तथा विभाग द्वारा तथा प्रधान मंत्री के सचिवालय द्वारा इतना विचार विमर्श करने के बाद भी इसका नया विचार क्यों उठाया गया ?

मैं यह प्रश्न उठाती हूं माननीय मंत्री को इस की जानकारी है कि समस्त देश में— वामपन्थियों में ही नहीं बल्कि बहुत से वर्गों में यह प्रश्न लोगों के दिमाग को बेचैन कर रहा है ? यदि ऐसा है तो क्या यह गंभीर मामला नहीं है ? मैं यह जानना चाहूंगी। मैं अन्य बातें जानना चाहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : जानने का अन्त भी होगा या नहीं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : हां महोदय। परन्तु बहुत सी सम्बन्धित चीजों तथा जानकारी मैं कुछ भी दोहरा रही हूं।

श्री के० पी० उन्नीत कृष्णन् : जानने में ही संसद का समस्त कार्य है।

प्रो० मधु दंडवते : वह ज्ञान बढ़ाने की बहुत इच्छुक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस ज्ञान का कोई अन्त नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : आपको ऐसी चीजों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय जितनी कम खलल होगी उतना ही समय कम लगेगा।

अब मैं कुछ तथा जानना चाहूंगी। अभी मन्त्री ने बताया है कि अप्रैल 1986 में इस गुना परियोजना को प्रायोगिक तौर पर चलाने में गैस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा सन् 1987 के बाद में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। क्या मैं जान सकती हूं कि बाद में ऐसा सोचा गया है। जब सरकार ने यह निर्णय किया कि इस समस्त विवाद को फिर से देखना होगा तब सरकार ने यह भी सोचा था कि गुना को अनुसूची में शामिल न किया जाए ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : उन्हें उर्वरक अनुबंध भी करना है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : ऐसी स्थिति में यदि सोचता है कि गुना को सरकार द्वारा पुनः विचार करने पर फिर से शामिल किया गया, क्या इसे निराधार माना जा सकता है।

अन्त में मैं यह जानना चाहूंगी कि इतनी बड़ी आलोचना को और उत्तेजना को मद्दे नजर रखते हुए—जो हमने खुद भी आज सदन में देखी है—तथा इस विषय से विभिन्न समाचार पत्र तथा विभिन्न एजेन्सियों जो कुछ लिख रही हैं। को भी मुद्दे नजर रखते जिनमें सरकार के उद्देश्यों पर आपत्ति व्यक्त की गई है क्या यह राष्ट्र के हित में नहीं होगा तथा क्या समिति द्वारा यह इस सबकी जांच कराने के सुझाव से समस्त होंगे। तथा सरकार बड़े दोषमुक्त करेंगे यदि यह दोषमुक्त होने की बात है।

प्रो० मधु दंडवते : यदि इसकी दोषमुक्ति होने में रुचि है।

श्री० के० के० उन्नीकृष्णन् : इसकी दोषमुक्त होने में रुचि है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यदि इसकी दोषमुक्त होने में रुचि हैं तो उसे दोषमुक्त होना चाहिए यदि उन्हें दोष मुक्त होने में दोषमुक्त नहीं किया गया तो भविष्य में इस प्रकार के ठेके उन व्यक्तियों को मिलने चाहिए जिनकी राष्ट्र हित में रुचि है। मैं यह जानना चाहूंगी कि मंत्री सदन की सीमित द्वारा जांच करने की बात से सहमत होंगे ?

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या इन विषयों पर आवास समिति द्वारा विचार किये कोई पूर्वोदाहरण है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : सभी प्रश्नों के उत्तर पहले ही से दिए गए हैं लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मूल प्रस्ताव को छोड़कर कोई आरोप नहीं लगाएं जा सकते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : क्या मंत्री महोदय भी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : नियम 352 के अन्तर्गत धारा (v) में सदस्य के बारे में बताया गया है।

"बोलते समय कोई सदस्य : (पांच) उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप न करेगा जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो"

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : क्या संविधान में है या यह नियमावली में है ?

प्रो० के० के० तिवारी : मैं नियम को और आगे स्पष्ट करता हूं। वह इस प्रकार है ; "शब्द उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा केवल मूल प्रस्ताव की सूचना पर की जा सकती है या ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिनके आचरण ...."

(व्यवधान)

बोलते समय श्री जयपाल रेड्डी भावावेश में आ गए और जैसा कि माननीय सदस्य ने सदन के अन्दर और बाहर एक विशाल अभियान चलाये जाने का उल्लेख किया यह सिद्ध करती है कि अभिप्रेरणा क्या है। अतः नियम के अन्तर्गत जिसका उल्लेख श्री जयपाल रेड्डी ने प्रधान मंत्री के कार्यालय के लिए किया है उसे रद्द कर देना चाहिए क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का लाभ उठा कर प्रधान मंत्री के कार्यालय की शान को इस प्रकार दूषित नहीं किया जा सकता। इसलिए नियमों के अन्तर्गत आप इसको कार्यवाही वृतांत से निकाल सकते हैं नियम 353 जो भी बताता है :

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को कथा संबंधित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो ताकि मंत्री उत्तर देने के प्रयोजन से विषय की जांच कर सकें।

परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रति सिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से लोकहित सिद्ध नहीं होता।"

अतः 352 और 353 नियमों के अन्तर्गत यह आरोप या प्रधान मंत्री के कार्यालय के बारे में उल्लेख पर ध्यान में नहीं दिया जा सकता। इसलिए मैं आप टिप्पणियों के रद्द करने का अनुरोध करता हूं.....

व्यवधान

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कोई आरोप शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कोई आरोप नहीं लगाए गए थे।

प्रो० एन० रंगा : वह कार्यवाही वृत्तांत को देखेंगे वह यही बात है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री एच० के० एल० भगत : उन्हें कार्यवाही वृत्तांत को देखना चाहिए और उन्हें निर्णय करना चाहिए बस।

(व्यवधान)

प्रो मधु दंडवते : नियम 352 स्वयं प्रधान मंत्री को लागू नहीं होता है देश का प्रधान मंत्री भी ऊंचे प्राधिकार का व्यक्ति नहीं है राष्ट्रपति: राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये पूर्वोदाहरण हैं.....

(व्यवधान)

श्री के० के० उन्नीकृष्णन् : उच्च प्राधिकार के गठन के बारे में उच्चतम न्यायालय के नियम हैं...

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : हम सहयोजित प्रयासों को जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि आप इस अभियान में बढ़ चढकर आगे क्यों आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि आप किसके इशारे पर चल रहे हैं। और आप क्यों...

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय यह स्पष्ट होना चाहिए। प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं किया है लेकिन फिर भी यदि वह उल्लेख करते हैं तो यह जायज है। प्रधानमंत्री उच्च सत्ता प्राप्त व्यक्ति नहीं हैं। उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश...।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : श्री तिवारी द्वारा केवल प्रधानमंत्री जी का उल्लेख किया गया है।...

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : सरकार द्वारा नियम नहीं बनाए जाते हैं। वे सदन द्वारा बनाए जाते हैं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित प्रपत्र के उचित प्रस्ताव द्वारा मंत्री जी के आचरण की केवल चर्चा की जा सकती है। यह केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है जिसकी हम चर्चा कर रहे है। इसलिए यदि कोई आरोप लगाए जाते हैं तो उन्हें कार्यवाही वृत्तात में शामिल नहीं किया जाएगा।...

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : कौन से आरोप ? मंत्री जी के विरुद्ध या सरकार की नीति के विरुद्ध ?...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी जारी कर सकते हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने ई० आई० एल० की भूमिका और परामर्श सहायता जो यूनी आफ होलेण्ड के साथ-ई० आई० एल० की है के बारे में फिर से उल्लेख किया है। मैंने पहले उत्तर दिया था कि ई० आई० एल की भूमिका बहुत है और जो कुछ इच्छा की जाती थी वह अभी शेष है। जहां तक विश्व टेण्डर में प्रतियोगितात्मक बोली के लिए ई० आई० का संबंध है, मैं नहीं समझता कि ई० आई० एल० को प्रतियोगिक बोली के लगाने की आवश्यकता थी। हमने सोचा था कि इस परियोजना के लिए ई० आई० एल० मुख्य परामर्शदात्री बन जायेगा और इसलिए ई. आई. एल. के मामले में प्रतियोगिता बोली का प्रश्न ही नहीं होता था। अतः माननीय सदस्या को इस बारे में मिथ्या सूचना दी गई है। जहां तक 'गैस यूनी' द्वारा परामर्श का सहायता का संबंध है यह वहां निरन्तर बनी रहेगी तथा ई. आई. एल. के साथ बराबर बनी रहेगी। मैं माननीय सदस्या द्वारा निष्पादन गारंटी के बारे में चेतावनी देने के लिए धन्यावाद करता हूं जो इस तरह से सामान्यतः निर्दिष्ट करने हैं कि जब कभी कोई खराबी पाई जाए तो इन पर आरोप लगाना मुश्किल है। यह कई मामलों में पाया गया है लेकिन उनके मार्ग दर्शन को देखते हुए हम इसकी निश्चय ही सावधानी बरतेंगे कि निष्पादन गारंटी को इस तरह बनाया जाए कि इच्छुक बोली बोलने वालों के लिए ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ा जाये और जिम्मेदारियों तथा दण्ड से बच न सकें मैं उनके सुझाव के लिए धन्यवाद करता हूं।

जहां तक देशी वस्तु में विदेशी कम्पनियों में देशी भागीदारिता वृद्धि करने का संबंध है, यह सामान्यत होता है कि विदेशी ठेकेदार या बोली बोलने वाले यह कोशिश करते हैं कि देशी भागीदारित न हो। लेकिन इसका यह कारण है कि हमने एन. आई. टी. के लिए विशेष उपबंध बनाने की सावधानी बरती है कि देशी प्रयासों को महत्व दिया जाएगा ताकि देशी पार्टियों को कष्ट न हो। इसे केवल यह देखना है कि हमने इसे एन. आई. टी. की एक शर्त के रूप में करने के लिए सोचा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या कभी मगर मच्छ अपना स्वभाव बदल सकता है।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैंने नहीं देखा है। मैंने राजनैतिज्ञों को रंग बदलते हुए देखा है।

जहां तक कार्यक्रम में परिवर्तन करने और गुना के बारे में पी. तथा एफ. मंत्रालय पर दबाव डालने के आरोप का संबंध है मैं इसका खण्डन करता हूं। यह दोबारा से अभिप्रेरित आरोप है। यह सच नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आम आदमी के लिए यह संभव है।

श्री नवल किशोर शर्मा : आप आम आदमी नहीं है । मैं आपको आम आदमी नहीं समझता हूं ।

प्रो० मधु दंडवते : आम औरत ।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं माफी चाहती हूं, आम औरत ।

प्रो० के० के० तिवारी : जन सामान्य ।

श्री नवल किशोर शर्मा : जी हां, जन सामान्य ।

वास्तव में गुना के बारे में ही नहीं बल्कि अन्य उर्वरक के मामलों में भी कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है । इसमें कोई नई बात नहीं है । यह कभी कभी सच होता है कि उर्वरक संयंत्रों के शुरू करने पर विलंब हो जाता है । निजी क्षेत्र में भी ऐसा होता है । अत: इसमें कोई नई-नई बात नहीं है । यह मूल तारीख है जिस पर उन्होंने विचार किया था लेकिन सामान्यत: हम यह पाते हैं कि इसमें विलंब होता है और आप सार्वजनिक उपक्रम समिति के एक सदस्य होने के रूप में भी आपने देखा होगा कि संयत्रों के शुरू करने के मामले में विलंब होता है ; कभी-कभी यह दो-दो, तीन, चार या पांच वर्ष लेता है । अत: यह सामान्य बात है । यह हमारे दबाव के कारण नहीं है ।

प्रो० के० के० तिवारी : दुर्भाग्यवश, यह सामान्य बात है ।

श्री नवल किशोर शर्मा : आपका कहना ठीक है । दुर्भाग्यवश, यह सामान्य बात है ।

महोदया: प्रश्न के बारे में, मैं कहता हूं कि यह सही नहीं है । इसमें परिवर्तन किया गया है । क्योंकि परियोजना की शुरू होने की संभावना नहीं हैं । इसलिए उन्होंने हमें बताया है और इसलिए हम उनके नये कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं ।

जहां तक योजना को बदलने के प्रश्न का संबंध है इसमें वास्तव में कई परिस्थितियों को देखते हुए विचार किया गया था ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : किसके द्वारा ? किस समिति द्वारा ?

श्री नवल किशोर शर्मा : सरकार द्वारा । इसकी कोई समिति नहीं है । सरकार निर्णय लेती है न कि समिति निर्णय लेती है ।

प्रो० मधु दंडवते : एक तिवारी समिति थी ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : श्री नवल किशोर शर्मा सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : हमने सुना कि एक तिवारी समिति थी ।

श्री नवल किशोर शर्मा : इसलिए कई बातों के देखते हुए जो सरकार के ध्यान में आई, सरकार ने इसे सोचा कि यह ज्यादा अच्छा होता यदि इसमें कुछ "टर्नकी" या मुख्य ठेकेदार की जिम्मेदारी या एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए । वस्तुत: साधरण पाइप

लाइनों, कच्चे पाइप लाइनों, पेट्रोलियम उत्पाद पाइप लाइनों को बिछाने में विलंब के मामले हुए हैं और लागत भी अधिक हुई है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम पाइप लाइनों के बिछाने में नही बल्कि आपके निर्णय में हुई देरी के बारे में उल्लेख कर रहे हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : पहले अनुमान लगायी गई लागत की भूल राशि में कभी कभी दुगुनी हो जाती है। अतः समय बढ़ाया गया है और एक या दो वर्ष के लिए विलंब हुआ है। छोटे गैस पाइप लाइनों के मामलों में भी जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं उदाहरणार्थ उम्भरात से पाइप लाइन के मामले में भी विलंब हुआ है। हमारा अनुभव बहुत खराब रहा है। वे समय पर काम समाप्त नहीं कर सकें हैं। इसमें पहले से ही विलब हुआ है। और इसमें लागत में भी बढ़ोतरी हुई है। इन प्रभावों और पाइन लाइनों की स्थिति को देखते हुए न केवल इसकी लम्बी अवधि के कारण बल्कि लगभग चौदह नदी तलों के कारण भी जिनको पार करना होगा, इन सभी कठिनाइयो पर विचार किया गया था और हमारे अनुभव के कारण तथा इस बात को देखते हुए भी कि गैस प्राधिकरण प्रारंभिक स्थिति में हैं, यह एक नया संगठन है, इन सभी पहलुओं का सरकार ने मूल्यांकन किया यह किसी पक्ष के दबाव के कारण नहीं था जैसा कि बताया गया है, यह पाइप लाइन को समय पर बिछाने के सुनिश्चित करने के लिए था क्योंकि उर्वरक संयमों का भविष्य इस पाइप लाइन के साथ जुड़ा हुआ है—यह देश की अर्थ-व्यवस्था और उर्वरक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण था जिसको हमने एक व्यक्ति की जिम्मेदारी के लिए सोचा था।

धन्यवाद, महोदय

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आवास समिति जांच के लिए क्या मांग है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह संख्या 7-क-नियम 377 के अन्तर्गत मामले। श्री जयप्रकाश अग्रवाल।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय वह अभी खड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वे खड़े हैं तो भी मैं उनको अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम उत्तर चाहते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बड़ागरा) : अब नई प्रक्रिया की रचना की जा रही है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता। मैं पहले ही अगले विषय पर आ गया हूं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आप उसे हटा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसे नहीं हटा सकता हूं...

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आप को पहले बोलने के लिए खड़े हुए मान लिया जाए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं उन्होंने पहले ही समाप्त कर दिया है। वह बाहर जा रहे हैं। अन्यथा वह जरूर कुछ न कुछ करते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल बाहर जाने के लिए वह उठे।

प्रो० मधु दंडवते : वह वास्तव में मुझ से भयभीत हो गए थे।

प्रो० के० के० तिवारी : उन्होंने सफलता पूर्वक प्रत्येक को परास्त कर दिया।

1.42 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) **हरिद्वार तथा ऋषिकेश के समीप धार्मिक तथा पर्यटन महत्व के स्थलों के समुचित रख-रखाव के लिए एक केन्द्रीय बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरी भारत के तीर्थ स्थानों एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थलों में से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान हरिद्वार ऋषिकेश का है। यहीं ऋषिकेश के ही समीप गंगा को पृथ्वी स्थल पर स्पर्श करने वाले स्थल के ठीक ऊपर जग प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला है। गंगा के उस पार हिमालय की गोद में अनेक अत्याधिक प्राचीन एवं आधुनिक आश्रम हैं। यहां धार्मिक स्थलों मे स्वर्गाश्रम एवं गीता भवन जैसे विशाल स्थान हैं जहां पर लाखों नर-नारी प्रति माह श्रद्धा सुमन अर्पण करने आते हैं। पर्यटक दृष्टि से भी यह स्थल जग प्रसिद्ध है जहां पर कि हजारों प्रवासी लोग अन्य आश्रमों में रहते हैं।

मैं तो इसे विधि की विडम्बना ही कहूंगा कि ऐसे महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटक स्थल सरकार की नजर वहीनता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। लक्ष्मण झूला जैसे पवित्र स्थलों पर रोशनी का कोई प्रबन्ध नहीं है। आश्रमों को आने वाली सड़कें केवल नाम-मात्र की एवं ऊबड़-खाबड़ हैं। सफाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और तो और, इन आश्रमों के रख-रखाव की भी कोई खास व्यवस्था नहीं है।

मेरा आग्रह है कि केन्द्रीय सरकार कोई ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था कायम करे जिससे कि इन स्थलों का जीर्णोद्धार किया जा सके। प्राचीन स्थलों की रख-रखाव सम्बन्धी व्यवस्था के

लिए एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना की अत्याधिक आवश्यक है जिससे कि राज्यों को तुरन्त निदेश एवं वित्तीय सहायता इन सुविधाओं को प्रदान करने हेतु दी जा सके।

1.43 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

(दो) मध्य प्रदेश में सूखा

[अनुवाद]

कुमारी पुष्पा देवी (रायगढ़) : अनियमित तथा कम वर्षा के कारण मध्य प्रदेश को गम्भीर सूखे का सामना करना पड़ रहा है। सूखा-ग्रस्त इलाकों के अतिरिक्त राज्य के कुछ और जिलों में भी इस वर्ष सूखे का प्रकोप है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं और घरों में निष्क्रिय बैठे हुए हैं और इनमें से अधिकतर व्यक्ति अपने गांवों को छोड़कर खोज में दूरवर्ती स्थानों दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब आदि की तरफ जा रहे हैं। अगर सूखे की यही स्थिति बनी रही तो इससे ग्रीष्मकाल फसलों को बहुत नुकसान होगा। जब तक पर्याप्त राहत उपाय कार्य नहीं किए जाते और सूखा-ग्रस्त इलाकों में रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं किए जाते लोगों को लगातार परेशानी होती रहेगी। राज्य सरकार के पास धन की कमी है।

इस बात को दृष्टिगत रखते हुए, मैं भारत सरकार से अपील करूंगी कि सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए वह राज्य सरकार को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करें। विभिन्न राहत उपाय जैसे कि श्रम गहन कार्य पोषण आहार कार्यक्रम और अतिरिक्त उठाऊ लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं आदि को युद्ध स्तर पर कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

(तीन) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 को चौड़ा करना

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, पठानकोट से कांडला राष्ट्रीय मार्ग नं. 15 पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात के कांडला क्रमशः 367 कि. मी. राजस्थान 860 कि. मी. एवं गुजरात 272 कि. मी. में गुजरात है।

उक्त राष्ट्र मार्ग सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग है, क्योंकि पाकिस्तान की अधिकांश सीमा इस सीमावर्ती क्षेत्र से मिलती है। अतः इस मार्ग को सुरक्षा की दृष्टि से भी 12 फीट से 24 फीट करना आवश्यक है।

उक्त राष्ट्र मार्ग 12 फीट (सिंगल लेन) का बना हुआ है। उक्त राष्ट्र मार्ग में अधिक हिस्सा सीमावर्ती क्षेत्र का आता है। अतः इस मार्ग का अधिकांश प्रयोग थल सेना द्वारा होता है। सर्दियों के दिनों में थल सेना अभ्यास करती है तथा सिविल ट्राफिक को उक्त रोड में जीप, ट्रक एवं अन्य गाड़ियों द्वारा गुजरना कठिन हो जाता है और दुर्घटनायें बढ़ जाती हैं।

राजस्थान केनाल के इस क्षेत्र में जैसलमेर तक आने से जनसंख्या की वृद्धि से ट्राफिक में बड़ी वृद्धि हुई है। ट्रकों से माल ढोने में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि राष्ट्र मार्ग नं 15 को विशेषतः सीमावर्ती क्षेत्र के हिस्से को प्राथमिकता देकर 12 फीट (सिंगल लेन) को 24 फीट चौड़ा (डबल लेन) करने के कार्यक्रम को सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करावें।

(चार) समुद्री उत्पादों को तमिलनाडु सरकार द्वारा लगाये गए करों से छूट दिलाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती वैजयंतीमाला बाली (मद्रास दक्षिण) : सभापति, महोदय, मछली उत्पादों में निर्यातकर्ताओं ने अभ्यावेदन दिया है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा झींगे तथा मेंढक की टांगों पर क्रय कर, बिक्री कर और अधिभार आदि लगा देने से इस उद्योग तथा निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मेरे विचार में ये कर तमिलनाडु सरकार द्वारा बिक्री कर अधिनियम में 1.10-1984 को संशोधन कर के लगाये गए है। यह संशोधन केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 5 की उप धारा 3 के अन्तर्गत निर्यात किये जाने वाले समुद्री उत्पादों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत के प्रतिकूल है।

इस विषय में मेरे द्वारा पूछे जाने पर माननीय मन्त्री जी का जबाब था कि उन्होंने इस मामले को तमिलनाडु सरकार के पास भेज दिया है और उनको जबाव प्राप्त होने के बाद वे इसका जबाव देंगे। चूंकि काफी समय से मन्त्रालय से मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। मैंने 13 एवं 22 मार्च को माननीय मन्त्री जी को पुनः याद दिलाने के लिए दो पत्र लिखे थे।

2 अप्रैल 1985 को मुझे उत्तर मिला जिस में मन्त्री जी ने लिखा था कि तमिलनाडु सरकार से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रखा जायेगा। मन्त्री जी ने यह भी कहा कि तमिलनाडु सरकार से अभी तक भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है जबकि इस बार में उन्हें याद भी दिलाया गया था।

महोदय, चार महीने बीत चुके है; समुद्री उत्पादों के निर्यात में काफी गिरावट आई है। लाखों मछुआरे कठिनाई में हैं। समुद्री उत्पाद निर्यातक अत्यधिक कठिनाई में हैं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे इस विषय में तुरन्त कार्यवाही करें।

(पांच) केन्द्रीय सरकार तथा विश्व बैंक की सहायता से कृष्णा सिंचाई डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण

श्री वी० सोभनाद्री सवरा राव (विजय वाड़ा) : प्रकाशम बैराज के नीचे कृष्णा सिंचाई डेल्टा पद्धति 130 वर्ष पुरानी है। वर्तमान आयकर लगभग 5 लाख एकड़ है जब कि प्रारम्भ में यह लगभग 7 लाख एकड़ था। कई मुख्य नहरों में गाद जमा हो गई हैं और बांध बह गये हैं। अतः पानी की प्रभावकारी ढंग से सप्लाई नहीं की जा सकती, इससे प्रतिरोपण में देरी होती है जिसमें राष्ट्र का नुकसान है। कई दफे मुख्य नहरों में दरारें भी आ जाती हैं जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। इस भीषण आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये, सरकार ने एक आधुनिकीकरण कक्ष स्थापित किया है जिसने इस पूरे मामले का गहन अध्ययन करके एक से विस्तृत योजना तैयार की है जिसके अनुसार कृष्णा डेल्टा पद्धति के आधुनिकीकरण पर 92 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। राज्य सरकार की ओर से धन का अभाव है। मैं

अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार यह राशि उपलब्ध करायें अथवा इसमें विश्व बैंक की अथवा किसी अन्य विदेशी एजेन्सी की सहायता प्राप्त की जाये ताकि इस योजना को शीघ्र आरम्भ किया जा सके।

(छ) इन्दिरा नहर क्षेत्र के अन्तर्गत गंगानगर जिले में भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटित करना

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : सभापति महोदय, इन्दिरा नहर के क्षेत्र में गंगा नगर के भूमिहीनों को जमीन एलॉट की जावे। राजस्थान सरकार ने भूमि आवंटित करने के कुछ नियम बना रखे हैं, जिनमें एक नियम यह है कि सर्वप्रथम भूमि जिले के भूमिहीनों को देकर जो बाकी भूमि बचती है, वह दूसरे जिले के लोगों को राजस्थान में समान भूमिहीन मानकर उसी हिसाब से भूमि आवंटित की जाती है। चूंकि गंगा नगर जिले की जो भूमि इन्दिरा कैनाल पर पहुंची है, उस भूमि में से सर्वप्रथम पौंग बांध के विस्थापितों को भूमि दी गई है, जो संख्या में बहुत अधिक है, जबकि यह भूमि समानानुपात से हर जिले में जहां से यह नहर गुजरती है, दी जानी चाहिए थी। गंगानगर जिले में जहां भूमि पर जेतसर फर्म की स्थापना हुई है, इसी जिले में ही सूरतगढ़ फॉर्म की स्थापना हुई जो राजस्थान सरकार या भारत सरकार के हित का विषय है। इस जिले की भूमि जो हनुमानगढ़ के पास पड़ती है, गांव किशनपुरा की भूमि में वन विभाग की स्थापना की गई, जो कई हजार एकड़ भूमि में है। यह जिला सामन्त जिला है; जहां पर कई छावनियां व हवाई अड्डे फौज की सुरक्षा हेतु बने हैं। जिसके काफी भूमि इस अकेले जिले की ली गई है, जबकि यह सारे देश का मसला है। इस जिले की भूमि पर ही घाघर नदी का पानी आता है जिससे घघर फ्लड कन्ट्रोल करके काफी भूमि को बंजर बना दिया गया है, जो सरकारी भूमि भूमिहीनों को मिलती। इस जिले की भूमि पर भूतपूर्व जागीरदारों को जमीन दी गई है। इस जिले की भूमि में से ही कृषि ठेकेदारों को जमीन दी गई है। इस प्रकार बहुत से कारणों से इस जिले के भूमिहीनों को अपने जिले में किसी को नहीं मिल सकी है। दूसरे जिले में वे राजस्थान के तमाम जिले में समान रूप से उसी अनुपात से भूमि ले सकते हैं।

अतः मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर जो सरकारी भूमि बीकानेर व जैसलमेर जिले को पड़ती है, वह सर्वप्रथम गंगानगर जिले के भूमिहीनों को दी जाये, ताकि यह समस्या हल हो सके।

1.59 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86 (—जारी)

रक्षा मन्त्रालय (—जारी)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री बह्म दत्त।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्म दत्त (टिहरी-गढ़वाल) : सभापति जी, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। यह प्रसन्नता की बात है कि हमें सुरक्षा विभाग की मांगों के ऊपर कुछ भूतपूर्व सैनिकों, अधिकारियों की बातें जहां सुनने को मिलीं। इस के लिए मैं अपने दल के नेता को बधाई देता हूं, जिन्होंने संसद के इस सदन में उनको प्रतिनिधित्व दिया है। सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास को हमें हमेशा एक-साथ देखना पड़ेगा। 1960 में हमारे देश के प्रधान मंत्री और भारत के राष्ट्र निर्माता पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा था —

[अनुवाद]

"रक्षा को अब अलग-अलग नहीं समझना चाहिए। यह देश के औद्योगिक, आर्थिक तथा अन्य कई पहलुओं से आन्तरिक रूप में जुड़ा हुआ है।"

[हिन्दी]

इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस को सारे परिपेक्ष में देखें और इतिहास भी हमें इस बात को बतलाता है कि देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि देश की सुरक्षा वहां की जनता का मामला बन जाए। बहुत दिन पहले जब फ्रांस में राज-क्रांति हुई और तमाम साम्राज्यवादी ताकतों ने उस को कुचलना चाहा तो जनरल देनकिन की फौजों का मुकाबला वहां की जनता और किसानों ने किया था।

इसलिए निश्चित रूप से हमें अपने देश के अन्दर जो नागरिक सुरक्षा का मामला है, इसे बहुत ज्यादा मजबूत करना चाहिए। कभी कभी इस बात की बहुत चिन्ता होती है और मैं तो यह समझता हूं कि आज जो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति है, उस में हम को अपने सीमान्त के इलाके को चाहे वह रन आफ कच्छ से शुरू हो कर राजस्थान में जाता हो, काश्मीर तक या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और सिक्किम हो कर पूर्वांचल में चला जाता हो, यह जो 500 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, इसको विशेष रूप से विकसित करना चाहिए और उस में शामिल होना राजस्थान के रेगिस्तान और हिमालय का रीजन। हमें वहां के लोगों को खुशहाल करना चाहिएं और वे तमाम सुविधाएं देनी चाहिए जिससे वहां के लोग संतुष्ट रहें क्योंकि सीमान्त इलाके के लोगों की खुशहाली और संतोष के ऊपर ही हमारी सीमाओं की सुरक्षा बहुत निर्भर करेगी। सीमाओं के आसपास जो जासूसी होती है, असमाजिक कार्यवाही होती है, वे भी इससे रुकेंगी।

सब से बड़ी बात यह है कि हमें अपनी सुरक्षा का इन्तजाम करना पड़ेगा अन्तर्राष्ट्रीय परिपक्षय में यह बड़ी चिन्ता की बात है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद नव-उपनिवेशवाद, नियो-इम्पीरियलइज्म ने अपना सिर उठाया है। कितना वे इस बारे में खोज करते हैं, इस का पता हमें इस बात से चलता है कि अभी हाल में अमेरिका में इस बात पर काफी विचार हुआ और उन के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन के जो विशेषज्ञ हैं, जो भूतपूर्व एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी आफ स्टेट हैं और जो वर्तमान सेक्रेटरी आफ स्टेट हैं, उन्होंने यह कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमरीका की स्थिति एशिया में बहुत दृढ़ हुई हैं इस का कारण यह भी है कि चीन जो उन का पहले दुश्मन होता था, आज वह उन का एक स्ट्रेटेजिक एलाई बन गया है, सहायक बन

गया है, उन को सहायता देने वाला बन गया है। इस के अलावा जो चीज उन्होंने खोई थी, कोरिया में, जो चीज उन्होंने खोई थी ताईवान में, जो चीज उन्होंने दी ताईवान में, जो चीज उन्होंने खोई थी वीयत नाम में, उस को अब पाकिस्तान, बंगला देश और श्रीलंका में प्राप्त करने में वे काफी हद तक सफल हो रहे हैं। ये तमाम चीजें हमें देखनी चाहिए और हमें इस बात से गंभीर चिन्ता है। हमारे प्रधान मन्त्री ने अभी सेनाध्यक्षों को यह बात कहीं और उन्होंने ठीक बात कही कि पाकिस्तान में जो आधुनिक हथियार आ रहे हैं चाहे वे आधुनिक किस्म के मिसाइल हों, चाहे पनडुब्बियां हों और चाहे नौसेना के जहाज हों, वे किस लिए आ रहें हैं ? वे हमारे लिए आ रहें हैं। इसलिए हमें निश्चित रूप से अपने देश की नौसेना का, थल सेना का, वायु सेना का आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, उस को आधुनिक बनाना पड़ेगा उसको माडर्नाइज करना पड़ेगा।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम ने जहां अपने देश में आर्थिक विकास की योजना 1950 से बनानी शुरू की, वहां 1964 के बाद सुरक्षा की योजना बनाई गई और हमारे रक्षा मन्त्री का विचार है कि 15 साल का एक पर्सपेक्टिव प्लानिंग होना चाहिए और आधुनिकीकरण में हमें तेजी लानी चाहिए और रक्षा-उत्पादन को बढ़ाया जाए और उस की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाए। इसके अलावा अनुसंधान और विकास की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाए। हमें इस बात पर आश्चर्य होता है कि 9216 करोड़ के बजट में से करीब 523 करोड़ रुपए पेंशन के लिए हैं और हमारे पास केवल पूंजीगत व्यय के लिए कुल 932 करोड़ रुपये बचते हैं। ये ज्यादा होने चाहिए तभी हम इन तमाम कामों को कर पाएंगे।

एक चिन्ता की बात यह है कि पूरी तादाद में, पूरी संख्या में बहुत ज्यादा अच्छे प्रकार के लोग सेना में आने में हिचकिचाते हैं 1984 में जितने अधिकारी हम को चाहिए थे, उनमें से लगभग 10 फीसदी हमारे पास कम थे। मेरा ऐसा ख्याल है कि इस का कारण यह है कि आर्मी से रिटायर होने के बाद, नेवी से रिटायर होने के बाद और एयर फोर्स से रिटायर होने के बाद, उन का क्या भविष्य होता है, उस बात से वे प्रभावित होते हैं। आज करीब 44 लाख लोग पेंशन-याफ्ता हैं और उन में से अधिकांश छोटी रैंक के लोग हैं जोकि 35 से 45 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। 60 हजार आदमी हर साल रिटायर हो कर निकलते हैं। यहां पर यह बात कई माननीय सदस्यों द्वारा कही गई लेकिन मैं जोरदार तरीके से कहना चाहूंगा कि जो चौथा पे कमीशन है, उस के टर्म्स आफ रैफेन्स में हमें संशोधन करना चाहिए और इन लोगों की पेंशन का मामला, उस को तर्कसंगत बनाने का मामला और खास तौर पर जो पुराने पेंशनर्स हैं, जिन्हें उस वक्त कम तनख्वाह मिलती थी और जिन की पेंशन कम होती थी, उनका मामला उस को रेफर करना चाहिए।

2.00 म० प०

इसके साथ-साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इसके बारे में फैसले दिए हैं उनको इम्पलीमेंट करने में भी हमको जल्दी करनी चाहिए जो हमारा प्राइस इन्डेक्स है जिसके मुताबिक हम पेंशन में राहत और रिलीफ देते हैं उसके लिए हमें एक परमानेंट स्टेच्युटरी कमेटी बनानी चाहिए।

डाइरेक्टर जनरल रिहेबलिटेशन के अन्तर्गत में बहुत अच्छा काम हो रहा है लेकिन वहां और भी अच्छा काम करने की जरूरत है। मैं तो श्रीमती इन्दिरा गांधी के इसी सदन में अप्रैल,9181 में कहे गए शब्दों को फिर दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था—

[अनुवाद]

"भूतपूर्व सैनिक के लिए प्रकल्पिक व्यवसाय के अवसर खोजना राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और इस प्रश्न पर महत्ता प्रदान करते हुए हम इस पर अविलम्ब विचार करेंगे।

[हिन्दी]

हमें इन पर ध्यान रखना चाहिए। एक्स-सर्विसमैन की प्राबलम को सोल्व करने के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए एक पाई लेबल कमेटी बनाई गई थी जिसमें सेन्टर के मंत्रियों के अलावा राज्यों के भी मंत्री थे, भूतपूर्व सेना अधिकारी थे और हमारे बहुत से विभागों के सचिव थे। मेरा निवेदन है कि उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उस रिपोर्ट को आप अधिकारियों के हवाले मत करिए चूंकि उसमें सेन्टर के भी मिनिस्टर थे, स्टेट के भी मिनिस्टर थे, विभागों के सचिव भी मौजूद थे इसलिए माननीय रक्षा मन्त्री जी को स्वयं इस पर निर्णय लेना चाहिए, प्रधान मंत्री जी साथ विचार करके निर्णय लेना चाहिए ताकि उन लोगों की आशाएं पूरी हो सकें।

हमारे भूतपूर्व सैनिक बहुत अनुशासित और अनुभवी हैं। उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि हमें कई मौकों पर फौज बुलानी पड़ती है। कभी दंगों को दबाने के लिए, कभी उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में शांति स्थापना के लिए उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें इसके लिए एक पीस फोर्स बनानी चाहिए जिसका काम पुलिस से अलग हो। पुलिस तो रोजाना के ला एण्ड आर्डर के काम को देखे, उसको मेन्टेन रखे। डे टू डे के कामों को इन्वेस्टमेंट कर सके। लेकिन यह पीस फोर्स ऐसी होनी चाहिए जो वक्त पर हमारे पावर हाउसिज को चला सके, हमारे जल निगमों के पम्प हाउसिज को आप्रेट कर सके, शांति व्यवस्था को स्थापित करने में मदद सके, हमारी रेलों में व्यवस्था कर सके। इन सब कामों में इस पीस फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है।

हमारे इलाके मसूरी में इका टाक फोर्स बहुत अच्छा काम कर रही है इस काम को बढ़ाना चाहिए। फोरेस्टेशन का काफी काम है। उसके इप्लीमेंटेशन का भी भारी प्रोग्राम बनाया गया है। इसमें भी इन लोगों को लगाया जा सकता है।

एक काम और हो सकता है। हमारे डिफेंस का प्रोडक्शन बढ़ा है। हमारी आर्डिनेंस फैक्ट्रीज में 1947 में 15 करोड़ रुपये का सामान बनता था। यह 1984 में 1000 करोड़ रुपये का बनता है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम इस बात पर विचार करें कि हम इस काम के लिए एक इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन बनाएं जो उपस्कर सामानों को बना सके जो हमारी फौज की जरूरत के होते हैं, हमारी नेवी की जरूरत के होते हैं। उसमें हम अपने भूतपूर्व सैनिकों को लगा सकते हैं।

इसके अलावा तमाम लोगों की एक आम शिकायत रहती है कि जो लोग अपना स्वयं काम चलाना चाहते हैं कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं, उनको बैंकों से पेंशन मिलने में दिक्कत होती है। वित्तीय संस्थाओं से उनको दूसरी मदद मिलने में दिक्कत होती है। मेरा सुझाव है कि तमाम एक्स सर्विसमैन के लिए एक फाइनेंशयल कारपोरेशन बना दीजिए जिसके लिए आधी राशि केन्द्रीय सरकार जुटाये और आधी राशि प्रदेश सरकारें जुटायें क्योंकि प्रदेश सरकारों की भी इसमें जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकारें अपने एक्स सर्विसमैन के हिसाब के अनुपात में जुटा सकती हैं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। 1964 के पहले की विधवाओं के लिए 50 रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने देने शुरू किए थे। मैंने सुना है और अभी पढ़ा भी है कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि आधा हिस्सा हम देंगे। मेरा नम्र निवेदन है कि 50 रुपया कुछ नहीं होता है। अगर 50 रुपया स्टेट ने दिया है तो कम से कम 50 रुपया आपको देना चाहिए ताकि सौ रुपए का पेंशन उनको मिले।

एक बात का मुझे आश्चर्य होता है कि जब हमारे भूतपूर्व सैनिक नौकरी पाते हैं तो उनकी पुरानी सर्विस काऊंट नहीं की जाती है। जब आवास आवंरित करने के लिए कहा जाता है तो उनसे कहा जाता है कि उनको पेंशन और ग्रेच्युटी छोड़नी पड़ेगी। यह न्याय की बात नहीं है।

मैं दो तीन बातें केन्टोनमेंट्स के बारे में कहना चाहता हूं। यह केन्टोनमेंट एक्ट 1924 में बना था। यह बहुत पुराना हो गया है। मैं देहरादून का रहने वाला हूं। मेरे यहां चकरौता कलेनेन्टाउन व गढ़ी कैन्ट है। कानर कड़ी कैन्ट है। सिविल एरियाज की हालत बहुत खराब है वहां बहुत ही दुर्दशा है। इनको डेमोक्रेटाइज कीजिए, लोकतांत्रिक बनाइये। इसके लिए बिल्कुल एक नया एक्ट बनना चाहिए। वरना वहां सिविल एरियाज और मिलिट्री एरियाज में एक प्रकार का कन्फ्रन्टेशन पैदा हो जाता है।

मैं दास मुन्शी जी की इस बात से सहमत हूं कि हमें नेशइल केडट कोर के कंसेप्ट को फिर सेलागू करना चाहिए ताकि हमें अनुशासित लोग मिल सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस कांग्रेस सरकार ने यहां जो 1947 के बादे से काम किया है, देश को कई मामलों में आत्मनिर्भर बनाया है और देश के तीनों अंगों की सेनाओं को इतना मजबूत बनाया है कि बाहर के किसी आदमी को हमारे ऊपर आंख उठाने की हिम्मत नहीं हो सकती, लेकिन बदलते हुए परिप्रेक्ष्य मे हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सेना के जवानों को अधिक सुविधाएं देने की भी जरूरत है, लोगों को प्रमोशन और रिटायरमेंट के बाद की परिस्थितियों को भी बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि अच्छे लोग हमारी सेनाओं में आएं, सबसे अच्छी नौकरी हमारी सेना की होनी चाहिए।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं रक्षा मन्त्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मान्यवर, यह सही है कि पंचशील और गुट-निर्पेक्षता हमारी विदेश नीति का आधार है, फिर भी हर शांतिप्रिय राष्ट्र

को भी अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने देश की अखण्डता के लिए तथा देश में आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए सेना की आवश्यकता है, इसीलिए वर्तमान बजट में हम 17 प्रतिशत इस पर व्यय कर रहे हैं तो यह आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है, क्योंकि हम यह चाहते हैं कि हमारे सभी पड़ौसी राष्ट्रों से संबंध मित्रतापूर्ण हों, परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि पड़ौसी राष्ट्रों के इरादे नेक नहीं हैं। पाकिस्तान का हम उदाहरण लें, पाकिस्तान ने कई बार समझौते की बात की है, फिर भी बराबर उनका रुख विपरीत रहा है। अभी हाल ही में मास्को में जब हमारे प्रधानमन्त्री राजीव जी उनसे मिले तो उन्होंने उनसे दूसरे तरह की बात की और पत्रकारों को इन्टरव्यू दूसरी तरह से दिया। यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से अमरीका हमारे से दूर है, फिर भी हिन्द महासागर में, डिएगोगार्सिया में अड्डा बनाया है, उससे हमारी सीमा और पड़ोस में एक खलबली सी हो गई है। श्रीलंका का जहां तक सवाल है, उसने अभी हाल ही में जिस प्रकार का रुख दिखाया है, हमारे मछुआरों को मारकर और तमिलों के साथ जो समस्या खड़ी की है, उससे उनकी नीति के ऊपर विशेष प्रकाश पड़ता है। बंगलादेश से हमारे संबंध इस समय बहुत मित्रतापूर्ण नहीं कहे जा सकते, क्योंकि जब भी हम अपनी सीमाओं के ऊपर तार लगाने की बात करते हैं तो उनका रुख विपरीत हो जाता है। अपने व्यक्तियों को हमारी सीमाओं में खदेड़कर तथा मिजो विद्रोहियों को अपने यहां शरण देकर उसने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। इसलिए मान्यवर मैं यह कहना चाहूंगी कि हमें अपनी सारी आवश्यकताओं को कम करते हुए भी अगर सेना के ऊपर व्यय करना पड़ता है तो यह अति आवश्यक है।

मान्यवर, हमारे देश की जो सीमाएं हैं, वे बड़ी दुर्गम स्थानों से घिरी हुई हैं और वहां पर हमारे जल, थल और नभ के बहादुर जवान बड़ी वीरता के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, देश प्रेम में जुटे हुए हैं। कुछ ऐसे स्थान हैं जोकि पहाड़ की पथरीली चट्टानों पर हैं, जहां पर रक्त को जमा देने वाली सर्दी में उनको रहना पड़ता है और दूसरी तरफ तपता हुआ रेगिस्तान है। कहीं पर घने पहाड़ हैं, दलदल है, फिर भी हमारे बहादुर सैनिक जिस वीरता से रहते हैं और उनमें जो अनुशासन-प्रियता है, उसको देखकर हम लोगों को उन पर नाज है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि उन बहादुरों के लिए जब तक हम विशेष आधुनिक हथियार नहीं जुटा पाएंगे तब तक वे बहादुर लोग अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आज हमारी सीमाओं के ऊपर जो सबसे अधिक खतरा है, वह पाकिस्तान से है। पाकिस्तान जब भी किसी आंतरिक समस्या से परेशान होता है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि तब तक उसके शस्त्रों का रुख भारत की ओर हो जाता है।

पंजाब की समस्या जब हमारे सामने पैदा हुई और हम लोग परेशानी में थे तो उसी समय पाकिस्तान ने हमारे लद्दाख की नब्रा घाटी पर आक्रमण किया। यह घाटी चीन और पाकिस्तान के बीच में है। वे चाहते हैं कि इसको किसी तरह से छीन लिया जाए। मैं यह कहना चाहूंगी कि उस समय हमारे बहादुर सिपाहियों ने उसका डटकर मुकाबला किया। आज पाकिस्तान अणु बम बनाने में व्यस्त है। उसको तकनीकी सहायता चीन से मिल रही है। अरब देश उसको आर्थिक सहायता देते हैं मैं यह कहना चाहूंगी कि इस प्रकार की परिस्थितियों में हमेशा हमें सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि बड़ी शक्तियां कभी भी अपनी धरती पर युद्ध

नहीं कराना चाहती। वे कमजोर राष्ट्रों का अपना निशाना बनाती हैं। इसका उदाहरण आपके सामने है और वह है, ईजराइल, ईरान और ईराक। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि किसी तरह से हमारे देश के ऊपर ये बड़ी शक्तियां इस प्रकार का आक्रमण न करें। इसके लिए हमें बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का हमारा देश अध्यक्ष है। हमारी प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा जी ने इसके लिए पहल की थी और वर्तमान में राजीव जी करें रहे हैं। हमें अपनी मजबूती के लिए किसी भी तरह से अणु शक्ति में एक प्रकार से विशेषता प्राप्त कर लेनी चाहिए। इतिहास इस बात का साक्षी है कि राम और शिव भी शांति प्रिय थे। दुश्मनों का सामना करने के लिए राम को अस्त्र उठाने पड़े। उसी प्रकार शिव को अपना तीसरा नेत्र खोलना पड़ा। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि आज हम विश्व मान-चित्र पर दृष्टि डाले। इससे पता चलेगा कि अणु-शक्ति सम्पन्न राष्ट्र किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। यू०एन०ओ० की रिपोर्ट बताती है कि 15-20 राष्ट्र अणु शक्ति सम्पन्न हैं। उनका सारा का सारा जखीरा पचास हजार के करीब है। इस प्रकार अणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों की ताकत को देखते हुए हम यह चाहेंगे कि हम भी किसी तरह से अणु शक्ति सम्पन्न हों। आज जितने भी अणु शक्ति से भरपूर हथियार हैं इनमें 75 परसेन्ट अमेरिका और एशिया के पास है। 22 परसेन्ट, फ्रांस, चीन, जर्मनी, इंग्लैण्ड और इटली के पास हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि कोई भी राष्ट्र इन परमाणु शस्त्रों से युद्ध किया तो यह पृथ्वी नहीं बचेगी और ये पेड़-पौधे भी नहीं बचेंगे। ऐसी स्थिति में अणु शक्ति का भय बताकर अपनी ताकत बताना चाहते हैं। मेरा यह निवेदन है कि हमें भी परमाणु शक्ति सम्पन्न होना चाहिए ताकि चाइना जो अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में बताता है या दूसरे राष्ट्र को हमें गलत दृष्टि से देखते हैं, उनकी यह हिम्मत नही हो सकेगी कि हमारी ओर देख सकें। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि शांति की बात भी एक पावर फुल मुंह से ही अच्छी लगती है। ऐसी हालत में अगर हमारा देश अणु-शक्ति सम्पन्न हो जाता है तो हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध भी सुधर जायेंगे। हमने पोखरन में जो विस्फोट किया उसके लिए यह कहा था कि शांतिपूर्ण कामों के लिए उपयोग करेंगे। फिर भी पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका इस बात का प्रचार कर रहे कि हम अणु शक्ति बना रहे हैं। तारापुर में जो एटोमिक प्लाट है...

(व्यवधान)

आज अमेरिका यह चाहता है कि हम लोग परमाणु शक्ति की संधि पर हस्ताक्षर करें। परन्तु हम अपनी स्वतन्त्रता और खुशहाली के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से देश को लगातार प्रगति के रास्ते पर ले जाएंगे।

मेरा मन्त्री जी से अनुरोध है कि हमारे देश में जितने परमाणु रिएक्टर हैं, जैसे तारापुर में, नरौरा में, कोटा में या आर०ए०पी०पी० में, यदि उन पर खुदा-न-खास्ता कोई हमला हो जाता है तो उनकी रक्षा के लिए हमारे पास शक्तिशाली राडार नहीं हैं, मिसाइल्स नहीं है इसलिए मैं चाहूंगी कि इनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रबन्ध किए जाने चाहिए। मैं मन्त्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगी कि हमारी सेनाओं के पास जो हथियार हैं

उनके आधुनिकीकरण की ओर आप बढ़ रहे हैं परन्तु हमारी विदेशों के ऊपर जो निर्भरता है, हमें उसे खत्म करना होगा। इसके लिए हमारे देश में जितनी इन्डस्ट्रीज हैं, उनको प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है क्योंकि हम विदेशों से जितने हथियार मंगाते हैं तो वे लोग हमें उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं देते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि कुछ समय बाद वे सारे हथियार हमारे लिए बेकार हो जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें इस संबंध में लौंग-टर्म प्लानिंग करनी चाहिए तथा स्टैंडर्डाईज्ड वैपन्स की ओर बढ़ना चाहिए। यहां स्टैंडर्डाईज्ड वैपन्स से मेरा मतलब उन हथियारों से है, जो कि एक के साथ दूसरा जोड़ने से उनका स्वरूप ही बदल जाता हैं। उनके निर्माण की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए, यह भी मेरा निवेदन है। उसका कारण यह भी है कि आज यदि कहीं युद्ध होता है तो वह जमीन पर नहीं होगा, बल्कि नभ या जल में होगा। इसलिए हमारी नेवी और एअरफोर्स को भी अधिक शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है।

जब हम एअरफोर्स की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमें पता लगता है कि जहां पाकिस्तान के पास एफ-46 लड़ाकू विमान हैं हमारे पास मिग-23, जगुआर तथा फ्रांस से आये हुए मिराज-200 हैं। हमारे ये विमान एफ-16 विमानों का कहां तक मुकाबला कर सकेंगे, यह एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने है। मन्त्री जी अपने उत्तर में इस बात को खुलासा भी बतायें कि हम एअरफोर्स को सशक्त बनाने की दिशा में कहां तक आगे बढ़े हैं और हमारी क्या-क्या योजनाएं हैं।

जहां तक नेवी का संबंध है, मान्यवर, हम उसमें भी काफी पीछे हैं और हमारा विक्रांत भी काफी पुराना हो गया है। हमारे पास कौन सी लेटैस्ट पन्डुब्बियां हैं और नेवी को शक्तिशाली बनाने के लिए हमारी क्या योजनाएं हैं, इसकी भी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। मंत्री जी से मैं चाहती हूं कि नेवी को भी सशक्त बनाने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। इसके साथ-साथ बोम्बे-हाई में जो हमारे तेल के विशाल भण्डार हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी नेवी को सशक्त और आधुनिकीकरण किया जाना आवश्यक है। अभी श्रीलंका की सेनाओं ने जिस तरह से हमारे मछुआरों को मारा, वह इस बात का द्योतक है कि हमारा तट-रक्षक दल पूरी तरह से सशक्त नहीं है। दूसरे, हमारी सीमाओं पर स्थित अंडमान निकोबार तथा लक्ष्यद्वीप की सुरक्षा के लिए और विशाल तत्वों की रक्षा के लिए भी सुदृढ़ नेवी की बहुत आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं यहां कुछ सुझाव मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगी। हमें अपनी सेना को बहुत अधिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है परन्तु जिस तरह इजराइल में सैकेंड लाइन डिफेंस बहुत ही शक्तिशाली है, उसी तरह हमें भी अपनी सैकेंड लाइन डिफेंस को सशक्त करने की आवश्यकता है, जिसमें पैरा मिलिट्री फोर्स, होम गार्डस, एन०सी०सी या बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स आदि शामिल हैं। दूसरे, सीमाओं पर तैनात जवानों के कल्याण के लिए हमारे यहां बहुत कम काम हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जवानों के कल्याण की जिम्मेदारी राज्य तथा समाज दोनों पर है, परन्तु जब कोई सैनिक छुट्टियों में घर पर आता है तो जहां उस अवधि में वह कुछ आराम करना चाहता है, शान्ति चाहता है, परन्तु घर पर आकर उसे शांति

की बजाए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किसी ने उसकी जमीन के ऊपर हस्तक्षेप कर लिया होता है, कोई उसके परिवार को डरा रहा हैं और उसका सारा समय इन झगड़ों को निपटाने तथा रिवेन्यू कार्यालय के चक्कर काटने में खत्म हो जाता है। मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि आप राज्य सरकारों को इस प्रकार के आदेश जारी करें कि वे जवानों के परिवार और उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें क्योंकि वे हमारी सीमाओं के प्रहरी हैं। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जैसा अभी सरकार ने यह घोषणा की है...

सरकार ने यह घोषणा की है कि हर जिले में एक मिडिल स्कूल होगा, तो उन मिडिल स्कूलों में, इन सैनिकों के बच्चों के लिए एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनके लिए एक रिप्रजेंटेशन दिया जाना चाहिए।

मान्यवर मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। वे काफी संख्या में हैं और उनकी रिटायरमेंट भी बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए उनको काम में लेने के लिए आप विशेष प्रकार से ध्यान दें। आपके बहुत से डिपार्टमेंटस हैं जिनमें उनको लिया जा सकता है।

सैनिक पुनर्वास का महकमा, जो राज्य सूची में है, उसको आप समवर्ती सूची में लें, ताकि उनकी ठीक प्रकार से व्यवस्था हो सके।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि वार-विडोज की बहुत बुरी कंडीशन है। वार-विडोज के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि देश भर में आपके 18 सैनिक स्कूल हैं जिनमें से एक मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में भी है...घंटी...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने आपको पांच मिनट अधिक भी दिए हैं। कृपया अब भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : वहां पर बच्चों के लिए जो कुछ भी आप व्यवस्था करते हैं, उसमें राज्य सरकार का शेयर होता है और इस कारण वे बीच में रह जाते हैं क्योंकि उन्हें न तो राज्य सरकार के समान सुविधा मिल पाती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उनको पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए।

अन्त में, मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद इसलिए करती हूं कि उन्होंने मुझे ध्यान से सुना और चेयर का धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूं कि आपने मुझे एक्स्ट्रा टाइम्स दिया। इसी के साथ-साथ मैं डिफेंस डिमाण्ड्स का समर्थन करती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एन० तोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं रक्षा

मंत्रालय के लिए अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। इस मंत्रालय की मांगों की विशेष स्थिति और महत्व है। यह एक संयोग की बात है कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी को तीन क्षेत्रों का व्यापक अनुभव है अर्थात ग्रह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा रक्षा संबंधी मामले। इन तीनों विषयों का ज्ञान होना वास्तव में बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम आशा करते हैं कि इस सन्दर्भ में जब हमारे देश की सुरक्षा और रक्षा व्यवस्था संकटमयी स्थिति में है, रक्षा मंत्री जी से इसे अधिक कुशलता एवं योग्यता से निपटाने के समर्थ होंगे।

मैं सदन में उन बातों को नहीं दोहराना चाहता जो मुझसे पूर्व वक्त सदन में कह चुके हैं। परन्तु में उन कुछ मुद्दों को उठाना चाहूंगा जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

सर्वप्रथम सम्पूर्ण देश कई अवसरों पर सेना नागरिक प्रशासन की मदद करती रही है हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री जी ने सदन में जानकारी दी थी कि पिछले वित्त वर्ष में, सेना ने 175 बार नागरिक प्रशासन की सहायता की इनमें से 60 प्रतिशत कार्य कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के मामलों से संबंधित था। इससे पता चलता है कि सेना बल आज न सिर्फ सीमा पर देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है परन्तु देश के अन्दर ही उत्पन्न हुई स्थितियों को निपटने के लिए आवश्यक है विशेष तौर पर उस स्थिति में जब उग्रवादी, विद्रोही तथा ने अव्यवस्था की स्थिति लाभ सीमा पर होती है ? और देश के भीतर शत्रु गन्दी हरकतें कर लगते हैं।

मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पर पिछले कई दशकों से विद्रोह चला आ रहा है और वहां पर विशेष सैनिक (बल असम, नागालैण्ड, मणिपुर) अधिनियम कुछ वर्षों से लागू है। मुझे एक बार की बात याद है : यह वर्ष 1980 के मध्य की बात है। एक सैनिक सुविधा अधिकारी मुझसे मिलने आया, संभवत यह उसके कार्यक्रम के अंतर्गत था, उस समय मैं संसद सदस्य रहने के पश्चात उस समय मैं एक राजनीति से सम्बद्ध था। अधिकारी का नाम मुझे याद है : यह वर्ष 1980 के मध्य की बात है। एक सैनिक रुकिया अधिकारी मुझसे मिलने आया, संभवत यह उसके कार्यक्रम के अंतर्गत था, उस समय में संसद सदस्य नहीं था। दो बार संसद सदस्य रहने के पश्चात उस समय मैं एक राजनीति से सम्बद्ध था। अधिकारी का नाम मुझे याद नहीं। वह यह जानने की कोशिश कर रहा था कि विशेष शक्ति (सशस्त्र सेना) अधिनियम को मणिपुर में लगाया जाए, यदि ऐसा हो तो हम को कब लगाना चाहिए। मैंने कहा 'इस प्रकार का अधिनियम यहां लगाने का यह उचित समय नहीं है। इसे लागू न करना ही सबसे अच्छी बात होगी।' उसने कहा यह अत्यन्त आवयक था। अंतत विरोध के बावजूद भी, रुत्राधारी पक्ष द्वारा विरोध के बाजबूद भी, उस समय मैं भी उसी सता में था, इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। इसे आवश्यक समझा गया। प्रारम्भ में सेना ने अतिक्रमण किया। तत्पश्चात धीरे-धीरे, कुछ महीने बीतने के बाद, उनके तरीकों में तबदीली हुई, तकनीकों में परिवर्तन किया गया तथा सुक्रिया तरीकों में सुधार हुआ।

उसके बाद मैंने सोचा कि हमें वरिष्ठ अधिकारियों से मिलना चाहिये और उन्हें सलाह दें कि देश में सैनिक और रक्षा बलों को न सिर्फ देश के बाहर या सीमा पर लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए परन्तु उन्हें नागरिक क्षेत्रों में भी तैयारी करके संकट कभी

स्थितियों को निपटाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कोई भी दो परिस्थितियां समान नहीं होतीं।

उदाहरण के लिए कश्मीर को लीजिए। कश्मीर की एक विशेष स्थिति है। जो कुछ कश्मीर की इस समय समस्या है जरूरी नहीं है कि वही समस्या नागालैण्ड की भी हो। और आज पंजाब विद्रोह की स्थिति में हैं। पंजाबमें किस तरह का विद्रोह आज फैला हुआ है ? मैं नहीं समझता कि मुझे इसको स्पष्ट करने की जरूरत है।

इस समय मैं जिस विशेष संदर्भ की बात कर रहा हूं वह है। मणिपुर में जी० एल० ए० तथा पाकिस्तान पूर्व के स्वर्णिम दिनों की। पुलिस, सुरक्षा सेना तथा फोज को यह नहीं मालूम था कि क्या सम्पूर्ण समाज के विरुद्ध सामूहिक सजा होनी चाहिए अथवा नहीं हालांकि और कहीं सामूहिक सजा कुशलता से कार्य करती। उन्हें पहले गलती कर के सीखना था। परन्तु मणिपुर में, इस तरह का विद्रोह था कि जिसमें पुत्र पिता से, मां बेटी से, पड़ौसी-पड़ौसी से मित्र थे। इसका अर्थ था कि हरेक व्यक्ति की अपनी अलग अभिव्यक्ति थी। और उन्होंने इसे शहरी विद्रोह का नाम दिया जोकि अभूतपूर्व था। इसमें कोई भी समुदाय, सम्पूर्ण इलाका शामिल नहीं था परन्तु पृथक-पृथक व्यक्ति सम्मिलित हैं।

अतः यह जरूरी है कि वास्तविक अपराधियों पर सैनिक कार्यवाही केन्द्रित करने के लिए खुमिया विभाग का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थितियों में उपयुक्त किए जाने वाले तरीकों या नीतियों को प्रत्येक स्थान पर तथा वहां की स्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह कारी स्थितियों से निपटने के लिए गोलियों द्वारा नहीं अपितु दूसरे उपायों से जैसे कि कहां पर सामूहिक सजा देने से काम चलेगा और कहां पर अपराधियों को ढूंढने के लिए सबसे अधिक खुमिया विभाग का उपयोग किया जाना चाहिए इस बात का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बहुत से तरीके हैं। उन्हें इस दुर्भावना से कार्य नहीं करना चाहिए कि उन्हें गलत कार्य करने को कहा गया है।

मुझे खुशी है कि नागालैण्ड, मिजोरम तथा ऐसे अन्य स्थानों में सेना ने स्थिति में सुधार किया है, परिवर्तन किया है ; परन्तु किस कीमत पर ? निरपराध लोगों की जानें गईं तथा ईमादार नागरिकों के सम्मान को ठेस लगी। उन्होंने निरपराध लोगों की जानें लीं उन्हें परेशान किया जिसके परिणाम स्वरूप अनावश्यक रूप में सम्पूर्ण समाज में उत्तेजना पैदा हुई। इस प्रकार की स्थितियों से बचने के लिए तथा इन्हें निपटाने के लिए हमरी सेना, अर्ध-सैनिक बल तथा सभी पुलिस बलों का एक विशेष कक्ष (सैल) होना चाहिए।

वे इस बात की शिकायत न करे कि यह करना उनका कार्य नहीं था। हमने बिहार में कुछ दिन पूर्व घटना के बारे में सुना है। समाचारों के अनुसार 15 गोलियां चलाई गई और 15 लोग हताहत हुए। उलझन क्या है ? पुलिस बल यह नहीं जानती कि नागरिकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किस तरह से गोली चलाई जाएं। या तो वे हरेक व्यक्तिको मारना चाहते हैं अथवा इस तरह से गोली चलाते हैं मानो किसी व्यक्ति विशेष को वे मारना चाहते

हैं । इससे साफ पता लगता है कि पुलिस कार्मिकों में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रेरणा और प्रशिक्षण का अभाव है । सामान्यतः जब भीड़ उत्तेजित हो तो पुलिस वालों को उन्हें कम से कम नुकसान पहुंचाए बिना डरा के भगा देना चाहिए ।

25 गोलिया चलायी गई और 15 व्यक्ति मार दिए गए । इससे पता चलता है कि पुलिस बल में पर्याप्त स्फूर्ति तथा उचित प्रशिक्षण नहीं है ऐसा विशेषकर तब होता है जब परिस्थिति विशेष में किसी क्षेत्र में स्थिति में स्थिति पर काबू पाने के लिए सेना को भेजा जाता है । सेना के कुछ जवानों की इम्फाल में 1980 के अन्त में उग्रवादियों द्वारा हत्या की गई थी । इस दुर्घटना को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में मुख्य रूप से छाया गया था और भारत सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया गया था । सैनिक बल उग्र होने पर अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाते । उन्होंने अनुशासनहीनता तथा आत्म संयम में कमी का प्रदर्शन किया । स्थिति की वास्तविकता यह थी कि सेना के कुछ सैनिकों की एक रिपोर्ट के अनुसार, उग्रवादियों ने हत्या कर दी थी ।

इसके परिणाम-स्वरूप घटनास्थल के पास ड्यूटी पर तैनात सारी यूनिट गुस्से से पागल हो गयी और मासूम लोगों की हत्या कर दी । यह पता चला कि भड़काने के बाद जो मारे गए थे वे सभी मासूम लोग थे जैसे स्कूल अध्यापक ग्रामीण तथा कृषक थे जिनका विद्रोह से कुछ भी सरोकार नहीं था । उसके बाद, कुछ अधिकारियों का तबादला किया गया और ऐसा लगता है कि कुछ प्रभावी कदम कसूरवार अधिकारियों तथा जवानों के खिलाफ उठाए गए । वास्तव में क्या हुआ यह हमें मालूम नहीं, ऐसा अनुमान है क्योंकि यह समाचारों में नहीं आया था । हांलाकि हमें मालूम हुआ है कि रणनीति तथा प्रणाली उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, को अब अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए मासूम लोगों को तंग न किया जाए उसकी हत्या न की जाए ।

हमें सेना का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए तथा हमें सैनिक और पुलिस बलों की दृष्टि से नहीं बल्कि नागरिकों से किस प्रकार से निपटा जाये इस दृष्टि से सोचना होगा ताकि मासूम जनता को भड़काये बिना और सही अपराधियों को पकड़कर स्थिति को ठीक से संभाला जा सके ।

देश के कुछ क्षेत्रों का सेना में उपयुक्त प्रतिनिधित्व नहीं है । रक्षा मन्त्री ने नीति के संबंध में संकेत किया है कि सरकार राज्यों और समुदायों के नाम पर रेजिमेंट बनाने पर विचार नहीं कर रही है । हम इस नीति का अनुसरण करेंगे । अगर आप इस नीति का सख्ती से पालन करते हैं तो आपको वर्तमान रेजिमेंटों की नियुक्ति सामान्य आधार पर करनी होगी कुछ समुदाय तथा राज्यों के लोग जिनके नाम पर रेजिमेंट नहीं है उनका प्रतिनिधित्व हो सके । मैं अपने राज्य मणिपुर तथा मिजोरम की भी बात कर रहा हूं जहां रेलें नहीं हैं, उद्योगें अभी लगने बाकी हैं । सशस्त्र सेना तथा अन्य सुरक्षा बल ही मुख्य रोजगार के साधन हैं । रोजगार के अवसर जुटाने के अलावा, हमारे युवा लोगों की इन पैरा-मिलिट्री बलों में नियुक्ति के अवसर बढ़ाने चाहिए ताकि उन लोगों को भी राष्ट्र की मुख्य धारा में सेवाकाल के दौरान आने का मौका मिल सके और सेवा निवृत्ति के पश्चात् उनमें राष्ट्र के लिए देश भक्ति की

भावना आये तथा राष्ट्रीय धारा में आने का उत्साह उनमें आ सके। हमें मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरूणाचल प्रदेश के लोगों को सशस्त्र सेना में भर्ती के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि वहां पर रेलवे और अन्य उद्योगों के अभाव के कारण रोजगार के अवसर बहुत ही कम हैं। अत: मैं यह सुझाव दूंगा, जैसा कि मैं अन्य मौकों पर इस मंच पर सुझाव देता रहा हूं, कि हमें विशेष भर्ती रैलियां आयोजित करनी चाहिए ताकि हम इन क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित कर सकें।

सेवा निवृत सैनिकों तथा अधिकारियों के पुनर्वास के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। 35 से 45 वर्ष तक की आयु एक ऐसा समय होता है जहां बहुत से मामलों में आदमी की जिन्दगी शुरू होती है। हमें पुनर्वास की बात नहीं करनी चाहिए। 45 वर्ष का व्यक्ति समाज में काम करने के लिए मानसिक तथा शारीरिक तौर पर स्वस्थ होता है ! फौज में सैनिकों को विभिन्न शिल्पों का प्रशिक्षण देने के पर्याप्त प्रबन्ध होने चाहिए ताकि सेवा निवृत्त होने के पश्चात् वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इन लोगों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए ताकि सेवा निवृत्ति के पश्चात् ये लोग अपना कोई काम धन्धा शुरू कर सकें और अपना शेष जीवन ठीक प्रकार से बिता सकें।

अन्त में इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं माननीय रक्षा मन्त्री से क्या यह अनुरोध कर सकता हूं कि जहां भी छोटे-समुदायों का सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो वहां स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाएं ताकि इन समुदायों को सेना में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। दूसरे, सेना को अपनी विश्वसनीयता तथा कार्य-कुशलता को उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रों में सुधारना चाहिए तथा तीसरे सैनिक जब सेवा निवृत हो तो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार होने चाहिए।

***श्री ए०सी० शनमुगम** (वेल्लोर) : सभापति महोदय, मुझे रक्षा मन्त्रालय की 1985-86 की अनुदानों की मांगों पर कुछ शब्द बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में हमने रक्षा के लिए 8000 करोड़ रुपए के लगभग आवंटित किए हैं। भारत एक शान्ति प्रिय देश है। शान्ति के प्रति हमारा लगाव दूसरे राष्ट्रों द्वारा स्पर्धा का एक उदाहरण बन गया है फिर भी देश को बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक झगड़ों से सुरक्षित करने के लिए हमें अपनी सेनाओं को शक्तिशाली बनाना होगा। जैसा कि माननीय सदस्या ने बताया है कि भारत चारों तरफ से शत्रु राष्ट्रों से घिरा हुआ है। अपने माननीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी, पड़ौसी राष्ट्रों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए वहां विशिष्ट मंडल भेज रहे हैं पर हमारे पड़ौसी राष्ट्र अपने देश की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। पाकिस्तान इस बजट का 75 प्रतिशत रक्षा पर खर्च कर रहा है। कई सौ करोड़ रुपये आधुनिकतम लड़ाकू विमान, जिनमें आणविक प्रक्षेपास्त्र ले जाने की क्षमता है, के खरीदने पर खर्च किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट तकनीकी ज्ञान का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। चाहे यह पंजाब हो या आसाम या देश का कोई अन्य भाग, जहां कहीं भी उपद्रव होते हैं पाकिस्तान का हाथ उसमें नजर आता है। पाकिस्तान भारत

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न करने के लिए ऐसे विद्रोहों को उकसाने तथा प्रेरित करने का काम कर रहा है। जब भी हम अपनी सीमा पर बाढ़ लगाने की कोशिश करते हैं। हमारा पड़ौसी बंगलादेश गोलियों की बौछार करके शोर मचाता है। चीन सारे संसार से शस्त्र, बारूद लड़ाकू विमान आणविक प्रक्षेपास्त्रों सहित इत्यादि खरीद रहा है। हमारी माननीय सदस्या ने छोटे से देश, श्रीलंका, के युद्ध उन्माद का उल्लेख किया था। भारतीय सेना की आवश्यकता नहीं है। इस छोटे से देश पर तमिलनाडु की पुलिस एक घंटे में कब्जा कर सकती है। फिर भी श्रीलंका का भारत-विरोधी प्रचार तीव्र तथा उग्र होता जा रहा है। बंगला देश की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को कोलम्बो में उतरने की अनुमति दी गई थी तथा उनमें फिर से ईंधन भरने की सुविधा श्रीलंका सरकार ने दी थी। पाकिस्तान की हाल की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जयवर्धने ने कश्मीरियों के मामले में आत्मनिर्णय की मांग करके भारत विरोधी प्रचार से अपने आपको सम्बद्ध किया है। श्रीलंका ने अमरीका के साथ वैज्ञानिक संधी के नाम पर श्रीलंका के समूचे तटीय क्षेत्र को गिरवी रखने संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए है। यह दावा किया गया है कि श्रीलंका का तटीय क्षेत्र अमरीका का एक वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र बन जाएगा। समय के साथ श्रीलंका का तटीय क्षेत्र अमरीका का सैनिक अड्डा बन जाएगा। श्रीलंका ने एक हजार करोड़ रुपए मूल्य के आधुनिक शस्त्र तथा बारूद, खरीदने के लिए विदेशों से समझौते किए हैं। इजराईल से 'मोसाद' तथा ब्रिटेन से मरसनरी फोर्स एस०ए०एस० श्रीलंका के सैनिकों को गोरिल्ला युद्ध संबंधी प्रशिक्षण दे रहें हैं। इसके अतिरिक्त ट्रीनकोमले, श्रीलंका के पूर्वी तट पर 'हिन्दमहासागर की आंख' को श्रीलंका की सरकार ने अमरीका को लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर दे दिया है, ट्रीनकोमाले में 108 बड़े तेल टैंक हैं और उन्हें भी अमरीका को पट्टे पर दे दिया है। अमरीका के सारे 7वें बेडे को इन टैंकों में एकत्रित किए गए पेट्रोल से ईंधन सप्लाई किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अमरीका के लड़ाकू विमानों में भी यहां पर फिर से ईंधन भरा जा सकता है। अमरीका ने यहां पर एक उच्च शक्ति का ट्रान्समीशन टावर बनाया है जिसमें हिन्दमहासागर की सारी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। हिन्दमहासागर में चाहे वह भारतीय नौसेना का जलपोत हो अथवा किसी अन्य देश की नौसेना का जलपोत हो उसकी गतिविधि का यहां से पता चल सकता है। भारतीय नौसेना को एक और खतरे का मुकाबला करना है। नौसेना के तथा अन्य व्यापारिक जलपोत जिनको बम्बई से कलकत्ता, कोचीन से कलकत्ता और इस कार्य के लिए कोई भी जलपोत टूटीकोरिम से मद्रास को पूर्वी तट पर भी ट्रीनकोयले से घूमकर जाना पड़ेगा। सीधा मार्ग कोई नहीं है। जलपोतों को कलकत्ता से पश्चिमी तटों पर ट्रीनकोयले से गुजरना पड़ेगा। हिन्दमहासागर में अंतर्राष्ट्रीय संकट के दौरान भारतीय जलपोतों को होने वाले खतरे की आप कल्पना कर सकते हैं। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सैनिक विशेषज्ञों के अनुसार यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो हिन्दमहासागर उसका युद्ध स्थल होगा। दक्षिण नौसेना कमान्ड के चीफ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय नोसेना को इस खतरे को टालना है तो सेतुसमुद्रम परियोजना पर अमल करना है। सेतुसमुद्रम परियोजना को रक्षा परियोजना के रूप में अभी से शुरू करना चाहिए। 80 वर्ष पहले ब्रिटिश लोगों ने भी इस सेतुसमुद्रम परियोजना को रणनीति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बताया था। अगर दुर्भाग्य से तीसरा विश्व युद्ध होता है तो यह हिन्द महासागर से ही शुरू होगा। क्योंकि रक्षा मन्त्री दक्षिण राज्य के हैं उन्हें मालूम है कि दक्षिण

राज्यों को समुद्र से खतरा बना हुआ है। समुद्र से किसी भी ऐसे आक्रमण के वे सबसे पहले शिकार होंगे।

मेरा उनसे अनुरोध है कि उन्हें भारतीय नौसेना को सुदृढ़ करना चाहिए। मेरे से पहले माननीया सदस्य ने यह बताया था कि स्वतन्त्रता के बाद आने वाली सरकारों ने भारतीय नौसेना की तरफ ध्यान नहीं दिया है। स्वतन्त्रता के 38 वर्षों के पश्चात् 1985-86 के रक्षा बजट में 4767 करोड़ रुपए सशस्त्र बलों को तथा 601 करोड़ रुपए भारतीय नौसेना को आंवटित किए हैं। महोदय, आप मुझसे सहमत होंगे कि सेना कि तीनों कमानों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। परन्तु भारतीय नौसेना के साथ हमेशा सौतेली मां जैसा व्यवहार किया जाता है। जबकि हिन्दमहासागर अन्तर्राष्ट्रीय तथा बड़ी शक्तियों की स्पर्धा का क्षेत्र बन गया है, हमारी नौसेना भारत की लम्बी तट-सीमा की सुरक्षा करने में सक्षम होनी चाहिए। अभी तक हम देश की सुरक्षा के लिए स्वयं को पाकिस्तान से अथवा उत्तर-पूर्व के क्षेत्र से जमीन से किए गए हमलों के लिए तैयार कर रहे थे। अब अधिक खतरा हिन्द महासागर की ओर से हो गया है। नौसेना सुरक्षा उपायों पर अधिक बल देना होगा। भारतीय नौसेना का विस्तार करना होगा। आंवटित 600 करोड़ रुपए में से लगभग 500 करोड़ रुपये स्टोर खरीदने तथा भारतीय नौसेना के आधुनिकीरण पर खर्च किए जाएंगे। नई पनडुब्बियां तथा नए लड़ाकू जलपोत भारतीय नौसेना के वास्ते खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मैं रक्षा मन्त्री से भारतीय नौसेना के तुरन्त विस्तार पर ध्यान देने का आग्रह करूंगा।

हमें तट-रक्षकों को भी सुदृढ़ बनाना चाहिए। गत सप्ताह श्रीलंका के जलपोत हमारी जल सीमा में घुस आए और लगभग 200 श्रीलंका के शरणार्थियों को जो भारत पहुंचने की कोशिश में थे पकड़ कर ले गए कुछ समय पहले रामेश्वरम तट से दूर हमारे जल क्षेत्र में श्रीलंका की नौसेना भारतीय मछुआरों को पकड़ कर ले गई। जबकि हमारे पास एक नौसेना का जलपोत तथा एक प्लास्टिक नांव है कच्चाथीवू के पास श्रीलंका के पास कई नौसैनिक जलपोत तथा 15 प्लास्टिक नावें हैं। वे आसानी से हमारे जल क्षेत्र में घुस आते हैं और हमारी समुदी सम्पत्ति को लूट लेते है तथा हमारे मछुआरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हमें अपने तट-रक्षक बल को भी शक्तिशाली बनाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि कच्चाथीवू द्वीप को वापस अपने कब्जे में ले लेना चाहिए ताकि श्रीलंका की नौसेना की कमर टूट जाए।

कुशल नियन्त्रण के लिए मेरा सुझाव है कि नौसेना की कमान रामेश्वरम में तथा अन्य कमान मद्रास में स्थापित की जानी चाहिए।

महोदय, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की तबाही तथा हिरोशिमा और नागाशाकी के विनाश के बारे में आपको पता है। समृद्धि की ओर बढ़ते हुए शहर परमाणु बम के विस्फोट के साथ शमशान में बदल गए। यहां तक कि अब भी इन दोनों स्थानों की जीवन्त यादगारों के तौर पर जापान के लोगों को दिखाया जाता है ताकि वे जापान को विश्व में सबसे शक्तिशाली देश बनाने में सर्वोच्च बलिदान करें। देश भक्ति की भावना उनमें धीरे-धीरे जाग्रत की जाती है।

मैं जानना चाहता हूं कि अपने देश में 18 वर्ष के युवाओं के लिए सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य कर देना चाहिए । यह प्रशिक्षण दो वर्ष अथवा एक से कम एक वर्ष का होना चाहिए सभी स्कूलों तथा कालेजों में लड़के और लड़कियों के लिए एन०सी०सी अनिवार्य कर देनी चाहिए । इसमें बहुत ही आवश्यक राष्ट्रीय एकता की भावना जाग्रत होगी ।

महोदय, अमरीका अपने रक्षा बजट का 30 प्रतिशत अनुसंधान तथा विकास के लिए नियत करना है । हमने इस काम के लिए 4 प्रतिशत की नियत किया है । मैं भारत की तुलना अमरीका से नहीं कर रहा हू । परन्तु मेरा सुझाव है कि अनुसंधान तथा विकास के लिए कम से कम 10 प्रतिशत धन नियत किया जाना चाहिए । अपने गत रक्षा मन्त्री ने अरक्कोनम में उत्तर आरकोट जनपद में सार्वजनिक क्षेत्र में एक रक्षा उद्योग स्थापित करने की घोषणा की थी । मैं इसकी प्रगति के बारे में जानकारी चाहता हूं । इसी प्रकार से विजयंत टैंकों के लिए इलैक्ट्रिक गैजिट बनाने के लिए सहायक उद्योग आवड़ी से किसी और उत्तरी राज्य में नहीं ले जाना चाहिए; इसकी स्थापना आदी में ही होनी चाहिए । कोलाघई, चेंगलपेट में नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था । बाद में बदलकर इसकी स्थापना कोचीन में की गई । अब यह वहां पर भी ठीक से कार्य नहीं कर रहा है । मैं चाहता हूं कि नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना कोलावई, चेंगलपेट में होनी चाहिए ।

बहुत से सदस्यों ने भूतपूर्व-सैनिकों, जो 35 और 40 वर्ष की आयु में सेवानिवृत हो जाते हैं, उनके पुनर्वास के बारे में जिक्र किया है । अधिकारी वर्ग तो अपने आपको इधर-उधर खपा लेता है । परन्तु सैनिकों को स्वयं रोजगार जुटाने के लिए छोड़ दिया जाता है । उन्हें स्वयं-रोजगार परियोजनाओं के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण दिया जाना चाहिए । मन्त्रालय को निजी तौर पर भी उनसे पुनर्वास में रुचि लेनी चाहिए ।

महोदय, हमारे सुरक्षा सेनाएं असनी कार्य-कुशलता तथा क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं । परन्तु हमारी पूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या वास्तव में देश की रक्षा के सम्बन्ध में उनकी विश्वसनीय सेवा पर एक कलंक है ।

इन शब्दों के साथ मैं रक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं :

श्री जी०जी० स्वैल (शिलांग) : सभापति महोदय, रक्षा मन्त्री जी के प्रति मुझे सहानुभूति है और इसी भावना के साथ मैं इस वाद-विवाद में भाग ले रहा हूं । मैंने 'सहानुभूति' का प्रयोग नहीं किया है । मैं स्वयं को उनकी स्थिति में रखकर उनकी सीमायें और उन पर जो नियंत्रण है उसे मैं समझता हूं । रक्षा के संबंध में हम पूरी बात प्रकट नहीं करते हैं । हम सारी बातें उजागर नहीं करते हैं । ऐसा किया जाए तो यह सर्वथा बुद्धिहीनता होगी । इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिए केवल एक प्रश्न का समाधान ढूंढ़ना है जो मस्तिष्क को उद्वेलित कर रहा है और यह प्रश्न मैं रक्षा मन्त्री जी के सामने रखना चाहता हूं । यदि वह चाहें तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और यदि उनके विचार में इस प्रश्न का उत्तर राष्ट्रहीन में नहीं है तो वे उत्तर न दें ।

प्रश्न यह है कि विश्व की वर्तमान नाजुक स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति का दृष्टि-

गत करते हुए क्या हमारे पास कोई सैनिक नीति है। आप मुझसे इस बात से सहमत होंगे कि इस देश की सुरक्षा पाकिस्तान से हमारे संघर्ष तक ही अब सीमित नहीं है। काफी समय से पाकिस्तान हमारे लिए संकटदायी रहा है और अब पाकिस्तान द्वारा नये हथियार तथा नई क्षमतायें अर्जित कर ली गई है। इसका कारण हम सब जानते हैं। हमें इस विषय की ओर ध्यान देना है। लेकिन एशिया और विशेष रूप से दक्षिण एशिया की स्थिति हम जानते हैं। ईरान और इराक में युद्ध चल रहा है। इस युद्ध का अन्त तो दूर, यह पहले से भी अधिक बढ़ रहा है। खाड़ी के अन्य देशों में इस युद्ध के बढ़ जाने का खतरा है। इससे खाड़ी क्षेत्र से तेल की सप्लाई में बाधा पहुंचेगी और बड़ी शक्तियों में परस्पर मुठभेड़ की स्थिति पैदा हो सकती है।

अफगानिस्तान में स्थिति निरन्तर खराब होती जा रही है। किसी भी समय यह पाकिस्तान तक बढ़ सकती है। ऐसा होने की स्थिति में अमरीका पाकिस्तान को एफ-16 अथवा 'हाक-आई' निगरानी विमान अथवा साईड-विंड मिसाइल देने तक ही संतुष्ट नहीं होगा। वह स्वयं मैदान में उतरने पर विवश हो जाएगा और तब हमारे बिल्कुल निकट दो बड़ी शक्तियों में सीधे मुठभेड़ की स्थिति पैदा हो जाएगी।

अब जरा हिन्द महासागर की ओर देखें। अभी मेरे मित्र ने तमिल में भाषण देते हुए कहा कि यदि विश्व में बड़े पैमाने पर युद्ध होता है तो यह हिन्द महासागर में ही होगा। मैं इतना निराशावादी तो नही हूं लेकिन हिन्द महासागर के बारे में दो प्रश्न मैं रक्षा मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं। यदि वे चाहें तो इसका उत्तर दें और यदि वे इसे ठीक न समझें तो उत्तर न दें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि अमरीका ने श्रीलंका में बुआएस आफ अमरीका केन्द्र में अत्यन्त 'लोकी' ट्रांसमीटर लगाये हैं। और इन अत्यन्त ट्रांसमीटरों का उद्देश्य क्या है। इनका एक ही उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में पनडुब्बियों की गतिविधियों पर दूर-दूर तक नजर रखना। और मैं यह भी जानना चाहता हूं क्या हम अत्यन्त 'लो की' ट्रांसमीटरों का भारत और श्रीलंका के तटवर्ती स्थानों पर रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर हानि कर प्रभाव हो रहा है। मैं इस प्रश्न का उत्तर उनसे चाहता हूं क्या यह सच है कि अमरीका ने दीयागो गार्शिया में ग्राउन्ड बेसड इलेक्ट्रो-आपटिकल डीप स्पेस सर्वेलंस प्रणाली स्थापित की है, जो उनके अनुसार अंतरिक्ष में 25,000 मील की दूरी तक एक वर्ग फुट वाले पदार्थ को मालूम कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि अंतरिक्ष-युद्ध के लिए इस क्षेत्र में सामग्री संस्थापित कर दी गई है। इस सामरिक महत्व की दृष्टि से उठाये गये कदम के बारे में रक्षा मन्त्री को पूरी जानकारी होना चाहिए।

अब इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि हमारा सैनिक सिद्धान्त क्या है। प्रधान मंत्री जी ने उस दिन कहा था कि उनके पास इस आशय का कोई संकेत नहीं है कि पाकिस्तान आणविक शस्त्र प्राप्त नहीं कर रहा है यह काफी महत्वपूर्ण है।

यदि हम स्पष्ट रूप में यह मान लें कि पाकिस्तान आणविक बम तैयार नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ने आणविक ईंधन की तकनीक विकसित कर ली है। और अमरीका इस विषय में कोई कदम उठाने में असमर्थ है क्योंकि पाकिस्तात उसका मित्र राष्ट्र है। सोवियत रूप से

मुठभेड़ की स्थिति में जब भी युद्ध पाकिस्तान तक बढ़ता है तो यह स्थिति अमरीका के लिए अधिक अनुकूल है कि आणविक शक्ति बनें न कि उसे ऐसे करने से रोका जाये उसे ऐसे करने है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम अब भी केवल शांति पूर्ण कार्यों के लिए आणविक शक्ति का विकास करना चाहते हैं अथवा इसका व्यापक उद्देश्य है।

मैंने पढ़ा है कि चीन भी युद्ध में नई तकनीकों को विकसित कर रहा है। चीनी सेना आज हवाई जहाजों में आसमान में ही ईंधन भरने के तरीकों पर बल दे रही हैं इसका अर्थ है चीन काफी बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। अगर चीन अपने युद्धक जहाजों को भारत भेजना है तो यह आकाश में विमानों में पुनः ईंधन भरने की क्षमता कार्य प्राप्त किये बिना नहीं रहेगा। इसका अर्थ है संम्पूर्ण भारत उसकी पहुंच में आ जायेगा। और आपको यह बात भी मालूम होगी कि जिस देश ने पिछले युद्धों के परिणाम स्वरूप जो कष्ट सहे हैं उस जापान ने भी घोषित कर दिया है कि उनकी नीति वायु-सीमा तथा जापानी तट से 1000 मील तक जलमार्ग की रक्षा करना है इस को दृष्टिगत रखते हुए। क्या हमारे पास सैनिक सिद्धान्त हैं, क्या हम भी इस आकाश में ईंधन भरने की सुविधा को विकसित करने पर जोर दे रहे हैं ? भारतीय नौसेना की क्या भूमिका है ?

एक सैनिक प्रवक्ता ने हाल ही में कहा कि भारतीय नौसेना बहुत अधिक रूप से भारत तक ही सीमित है। कहने का मतलब है यह भारतीय मुख्य भूमि के एकदम नजदीकी क्षेत्र को भी सीमित करता है। हमें न सिर्फ हमारे 200 मील के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की प्रतिरक्षा करने के बारे में सोचना है जहां पर हमारे तेल तथा अन्य चीजों जैसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं, परन्तु हमें इस स्थिति में होना चाहिये कि हम हिन्द महासागर में हवाई तथा समुद्री दोनों ही के मार्गों से आने पर रोक लगा सकें। क्या सरकारी है जिनके द्वारा हम मलक्का जलडमरूमध्य फारसी की खाड़ी, 'रेड सी' तक हस्तक्षेप करने की क्षमता प्राप्त कर सके ? क्या हमारे पास यह क्षमता है ? क्या हम इस दिशा में सोचते हैं।

यह रक्षा विभाग का एक पहलू है जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी पर अधिक जोर देने, हमारी सेना में लगे हुए व्यवसायिक लोगों में सुविज्ञता तथा सेवा आश्रय की आवश्यकता है। परन्तु मैं रक्षा मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि एक और पहलू है अन्यथा जो कुछ भी हम करें इसके बावजूद, हमें पराजय मिलेगी। युद्ध के मामले में हमें सोचना चाहिए कि हमारी अपनी भूमि में युद्ध न हो। यह रक्षा का मूल सिद्धान्त है। अगर युद्ध होता भी है तो यह दूसरों के सीमा क्षेत्र में होना चाहिए न कि हमारी सीमा में। परन्तु जिस समय घटना में हमें...

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करिये।

श्री जी० जी० स्वैल : महोदय दो मिनट और दीजिये। मैं समाप्त कर रहा है।

यह लड़ाई का अंत नहीं है। देश के अन्दर प्रतिरोधशक्ति होनी चाहिये और इसके लिए देश के लोगों को कार्य करना होगा। इसलिए रक्षा आज केवल सेना का विषय नहीं है। मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि रक्षा कार्य को पूरी तरह सैनिकों के जिम्मे छोड़ देना ही काफी नहीं है ? रक्षा के प्रति सम्पूर्ण राष्ट्र का दायित्व है। इसमें देश के नागरिकों को भी अपनी भूमिका

निभानी होगी। आपातस्थिति में हम किस तरह इस देश के युवकों तथा महिलाओं को इस प्रतिरक्षा के कार्य में सम्बद्ध करें उनको हम क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं ? उनको हम किस प्रकार प्रेरित कर रहे हैं। सैनिक नीति से यही मेरा अभिप्राय है।

मैं एक अच्छा सदस्य हूं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता चूंकि आपने घंटी बजा दी है। यह सोचना रक्षा मन्त्रालय का काम है कि वह मेरे मुद्दों का जवाब देंगे अथवा अगर वे समझौते हैं कि इससे सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ेगा तो मैं इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हूं। मैंने अपना कार्य कर दिया है। मैंने इस विषय को सदन और आपके समक्ष रख दिया है।

धन्यवाद !

[हिन्दी]

श्री लालविजय प्रताप सिंह (सरगुजा) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, हमारा देश शांतिप्रिय देश है और आपको मालूम है कि विश्व बन्धुत्व के सिद्धांत पर हम विश्वास रखते हैं और उसी तारतम्य में हमारी नीतियां भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, आप सब जानते हैं कि न तो भारत किसी पर आक्रमण करना चाहता है और न ही एक इंच भी जमीन दूसरों की हथियाने में विश्वास रखता है, इसके साथ-साथ यह बात भी उतनी ही सच है कि भारत देश की अखण्डता, एकता और सार्वभौमिकता पूरी तरह से बनाए रखने में भी उतना ही विश्वास करता है।

3.01 म०प्र०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तम पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, यदि हम अपने बजट की मांगों को देखें तो पाएंगे कि हमने अपनी सीमा में रहते हुए मांगें प्रस्तुत की हैं और सदा ही हम अपनी सीमा में ही रहे हैं और इस मद पर व्यय किया है। हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों को देखें, वेस्ट एशिया को देखें, गल्फ कंट्रीज को देखें तो इस में बहुत अन्तर है। इसी तरह से पाकिस्तान, चीन, बंगलादेश और श्रीलंका के बारे में थोड़ा देखें तो आप पाएंगे कि युद्धस्तर पर सैनिक कार्यवाही वहां चल रही है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, यह मेरी निश्चित मान्यता है कि पाकिस्तान जो 11 अरब के कर्जे में वर्तमान में चल रहा है, वह आवश्यकता से अधिक सैनिक उपकरण जमा कर रहा है और यह बात भी बहुत अंशों में सही है कि अमरीका जो एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, उसका वरदहस्त पाकिस्तान पर है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने 1972-73 के 433 करोड़ रक्षा व्यय को बढ़ा कर 1982-83 में। अरब, 90 करोड़ कर दिया है जो 436.5 प्रतिशत बढ़ोतरी हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे लिए काफी चिंता का विषय है।

सभापति महोदय, आप तो जानते हैं कि अमरीका पूरा वरदहस्त होने के कारण बहुत से सैनिक उपकरण पाकिस्तान को समय-समय पर मिलते रहे हैं। अमरीका के जंगी जहाज, जो बहुत बड़ी मात्रा में विध्वंसक शक्ति अपने में संजोए हुए हैं, करीब 11 ऐसे जहाज पाकि-

स्तान को बहुत ही कम कीमत पर प्राप्त हुए हैं। अखबारों से पता चलता है कि अनेक डिवीजन अमरीका के खर्चे पर पाकिस्तान को मुहैया है और अभी-अभी इस सदन में एफ-16 का जिक्र हुआ, आप सब जानते हैं कि एफ 16 विमान की विध्वंसक शक्ति की कोई सीमा नहीं है। और बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की क्षमता है।

इन चीजों को हम नजर-अन्दाज नहीं कर सकते। हारपून और होकाई मिसाइल्स जो जो रात्रि के समय काम में आती हैं, ये सारे नवीनतम उपकरण भी पाकिस्तान की सेनाओं का अंग बन चुके हैं आप जानते हैं कि उसकी तुलना में भारत में बहुत ही कम रक्षा पंक्तियों में वृद्धि हुई है और बहुत ही कम पैसा हमने रक्षा व्यय के लिए हमेशा रखा है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि चाहे आरमर्ड, आर्टिलरी, इन्फैन्टी, सिग्नल्स या इंजीनियर्स की बात हो, इसमें समुचित वृद्धि करने की आवश्यकता है। मेरी मान्यता है कि अपने देश के आकार प्रकार और जनसंख्या को देखते हुए इसमें कई गुना वृद्धि करनी चाहिए। नेवी के पास छह हजार अस्सी किलोमीटर का क्षेत्र है। उसकी सुरक्षा हमारी जल सेना ही करती है। उसके बजट को अगर देखें तो आप पायेंगे कि वह हमेशा से ही नगण्य रहा है। हमने चाहे जितनी भी तरक्की की हो, नेवी की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया है। एयर-फोर्स का जहां तक सवाल है, इसमें हमारी अच्छी उपलब्धि रही है। हम लोग मिराज और जेगुआर विमान लेने में सक्षम हुए हैं। अपने कैनबरा और हन्टर विमानों को धीरे-धीरे फेज आउट करके दूसरे विमान लेने सक्षम हुए हैं। यह एक सन्तोष का विषय है। लो विमान हमारी रक्षा पंक्ति में अभी शामिल हुए हैं, ये काफी पुराने हैं। जमाना आगे बढ़ चुका है। हमें और नवीनतम हवाई शक्ति की आवश्यकता महसूस होती है। हमें चाहिये कि हम अपने देश में ऐसे उपकरण तैयार करने का प्रयास करें जिससे हमें विदेशी शक्तियों की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता न पड़े। मैंने पहले भी निवेदन किया कि हमारे पास विजयन्ता और एम-72 जैसे अच्छे टैंक हैं जिन पर गर्व किया जा सकता है।

एक बात मैं बड़ी विनम्रता से आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कि एम०बी०टी० टैंक एक लम्बे अरसे से अपने देश में बनाने का प्रयास चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि इसके बनने में अभी कई वर्ष लगने की गुंजाइश है। मेरी ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में भी हमें कारगर कदम उठाना चाहिये। जहां तक हमारी रक्षा पंक्ति के वेल-फेयर का सवाल हैं, इस ओर काफी ध्यान दिया गया है। इसके लिए शासन बधाई का पात्र है। किसी विसंगतिपूर्ण बात की वजह से शासन उनके पे-स्केल के बारे में निर्णय नहीं ले पाया है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। आप जानते हैं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज मुसीबत के समय देश की रक्षा करतीं हैं इसलिए हमें निश्चित तौर पर उनकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना होगा।

उनके सिविलियन काउन्टर पार्ट की पे की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उनके पे, उनके सिविलियन काउन्टरपार्ट से कम से कम डेढ़ गुनी होनी चाहिए।

सभापति महोदय, जहां तक पेंशन का सवाल है, वार-वीडोज का प्रश्न है, हमारी

सेनाओं में जो लोग अच्छा कार्य करते हैं और सम्मान प्राप्त करते हैं, जिनको वीरचक्र प्रदान किया जाता है, या अन्य पदक मिलते हैं अथवा किसी अन्य सम्मान से विभूषित होते हैं, हमें और भी ध्यान देना चाहिए जिनके सामने सेवा से रिटायर होने के बाद कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं।

सभापति महोदय, हमने अपने देश में स्वदेशी उपकरण तैयार करने के लिए अनेकों व्यवस्थाएं की हैं, उस दिशा में भी हमें गहराई से सोचना होगा। चूंकि आपकी घण्टी बार-बार बज रही है, इसलिए मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि अपने देश में पब्लिक सैक्टर के जो कारखाने अच्छा काम कर रहे हैं और खासकर डिफैन्स से सम्बन्धित हैं, उन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। उनका बजट और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिये। इसी प्रकार जहां तक एन०सी०सी० का सम्बन्ध है, हमारे देश में एन०सी०सी का जन्म सैकेंड लाइन आफ डिफैंस की भावना से हुआ है और हमें उसे भी अपनी रक्षा पंक्ति का अंग बनाना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। इसके साथ ही हमारे नवयुवकों को अच्छी ट्रेनिंग देकर योग्य आफिसर बनने का मौका मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने रक्षकों को वैसे तो कई प्रकार की छोटी-छोटी सुविधायें दे रहे हैं— जैसे उन्हें पैरेड एलाउंस दिया जाता है, वाशिंग एलाउंस दिया जाता है, हेयर कटिंग एलाउंस दिया जाता है, मगर वह बहुत कम है। हमें उस एलाउंस में वृद्धि करनी चाहिए। इसके साथ-साथ उनको समुचित एकोमोडेशन उपलब्ध कराए जाने की दिशा में भी विचार करना चाहिए क्योंकि आज लगभग 30 से 40 परसेन्ट लोग ही उससे सैटिस्फाइड हैं और इस हालात में सुधार की बहुत आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं रक्षा मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री जैनुल बसर (गाजीपुर) : सभापति जी हमारी सशस्त्र सेनाएं एक ऐसा संगठन हैं, एक ऐसी संस्था है जिस पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। हमारी सशस्त्र सेनाओं में जितना अनुशासन है, जितनी राष्ट्रीय एकता की भावना है, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना है, उतनी देश की किसी दूसरी संस्था में दिखाई नहीं देती। चाहे देश की रक्षा का सवाल हो, देश में दंगे फसाद को रोकने की बात हो, हमारी सेनाओं ने हमेशा अभूतपूर्व वीरता और सूझ-बूझ का परिचय दिया है। जब भी हमारे देश को प्राकृतिक विपदाओं का सामना करना पड़ता है, देश में बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है तो उन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में हमारी सेनाएं हमेशा अपना कर्त्तव्य निभाती रही हैं और हर बार उन्होंने सराहनीय भूमिका अदा की है। अभी पिछले दिनों पंजाब में ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार के दौरान हमारी सेनाओं ने जिस वीरता, सहनशीलता और अनुशासन का परिचय दिया, उसकी जितनी तारीफ की जाए, वह कम है।

सभापति जी, हमारी सेनाओं पर हम सब भारतवासियों को गर्व है। आज जब मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों मांगों पर होने वाली बहस में भाग ले रहा हूं, तो मैं अपने आप को सिर्फ दो-तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं तक ही सीमित रखना चाहता हूं।

जब मैं रक्षा मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर भाग ले रहा हूं, तो मैं दो-तीन बिन्दुओं

पर अपने को आधारित रखना चाहता हूं। आज जब हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर्स बन रही हैं, तो हमें भी इस तरह जरूर विचार करना होगा। हमारे पड़ौस में दो देश-रूस और चीन न्यूक्लियर पावर बन चुकी हैं और हमारा जो हिन्द महासागर है, उसमें भी अमरीका और रूस के बेड़े समंदरों में घुम रहे हैं और वे भी न्यूक्लियर हथियारों से लैस हैं और हम बराबर समाचारपत्रों में पढ़ते हैं कि हमारा पड़ौसी पाकिस्तान भी न्यूक्लियर हथियारों की तरफ बढ़ रहा है। यह भारत का उप महाद्वीप भी न्यूक्लियर हथियारों की तरफ जा रहा है, यह अब बहुत दूर की बात नहीं रही है। तो मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम भी न्यूक्लियर हथियारों की तरफ जाएं ; न्यूक्लियर हथियारों की जो प्रतियोगिता है उसके बारे में तो मैं नहीं कहना चाहता, वह सब को मालूम है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि हमारे सशस्त्र सैनिकों का और खास कर हमारे देश की जनता का इससे मनोबल काफी बढ़ेगा, उनका मोरल इससे काफी ऊंचा होगा और काफी बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब कि भारत भी अपने चारों तरफ के वातावरण को देखते हुए न्यूक्लियर हथियारों की तरफ जाए। इस लिए हमारे पास वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, हमारे पास तकनीक भी है। हमारे वैज्ञानिक देश में, दुनिया में किसी वैज्ञानिक से कम नहीं हैं। हमारे को सिर्फ एक पालिसी डिसीजन लेना है और मैं समझता हूं कि अब यह समय आ गया है कि हम न्यूक्लियर हथियार बनाएं और उन को बनाने की तरफ ध्यान दें। जब रक्षा मंत्री अपना जबाब दे रहे हों, तब इस पर भी कुछ कहने की कृपा करें।

सभापति जी, दूसरा बिन्दु में यह रखना चाहता हूं कि जो हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं आज उनमें विभिन्न जाति और विभिन्न धर्मों के नाम पर रेजीमेण्ट्स बनी हुई हैं, खासकर सेना में, आर्मी में सिक्ख रेजीमेण्ट है, राजपूत रेजीमेण्ट है, जाट रेजीमेन्ट है, गोरखा रेजीमेण्ट है और महान रेजीमेण्ट है। इस प्रकार बहुत सारी रेजीमेण्टस हैं, जो अंग्रेजों के जमाने से बनी हुई हैं, और उसी परंपरा का हम निर्वाह कर रहे हैं। इसी को देख कर विभिन्न वर्गों से यह मांग बराबर उठ रही है कि जब सिक्ख रेजीमेण्ट हो सकती है, तो मुसलमान रेजीमेण्ट क्यों नहीं हो सकती है। जब राजपूत रेजीमेण्ट हो सकती है, तो यादव रेजीमेण्ट क्यों नहीं हो सकती, जब जाट रेजीमेण्ट हो सकती है, तो और कोई दूसरी रेजीमेण्ट क्यों नहीं हो सकती। इस बारे में सरकार की दलील यह है कि हम पुरानी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं और जितने नामों पर रेजीमेण्ट पहले बन चुकी हैं, वे बन चुकी हैं, अब हम और नये नामों पर रेजीमेन्ट नहीं बनाएंगे। इस सम्बन्ध में मेरा एक यह सुझाव है कि अब जाति के आधार पर इस देश में रेजीमेण्ट न बने, बल्कि जो हमारे इतिहास के हीरो हैं, जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए हैं, उनके नामों पर हम अपनी रेजीमेण्टों के नाम रखें। हम शहीद भगतसिंह के नाम पर रेजीमेण्ट का नाम रख सकते हैं, हम टीपू सुलतान के नाम पर रेजीमेण्ट का नाम रख सकते हैं, हम शिवाजी, महाराणा प्रताप के नाम पर रेजीमेण्ट का नाम रख सकते हैं या और भी महान नेताओं के नाम पर हम अपनी रेजीमेण्टों के नाम रख सकते हैं।

हमारा देश इतना बड़ा है, इसमें विभिन्न प्रदेश हैं, विभिन्न भाषाएं हैं और भिन्न-भिन्न

प्रकार की संस्कृतियां हैं। प्रदेशों में हमारे इतिहास के जो हीरो हों उनके नाम पर हम रेजीमेण्टों का नाम रख सकते हैं।

जब हम बड़े-बड़े फाइव-स्टार होटलों का नाम अकबर और अशोक के नाम पर रख सकते हैं तो इन वीरों के नाम पर हम अपनी सेनाओं की रेजीमैंट्स का नाम क्यों नहीं रख सकते ?

तीसरा बिन्दु रिक्रूटमैंट, भर्ती के मामले में है। पहले कुछ लोग परम्परागत तरीके से सशस्त्र सेनाओं में जाया करते थे, कुछ इलाके थे, जातियां थीं, समुदाय थे जहां से लोग सेना में भर्ती होते थे, लेकिन आज पूरे देश में सभी लोग सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होना चाहते हैं, यह अच्छी बात है। उनको मौका भी मिलना चाहिये कि वह भर्ती हों, लेकिन साथ ही इस प्रकार की बात भी नहीं होनी चाहिये कि जो परम्परागत तरीके से सेनाओं में काम करते रहे हैं सेनाओं में काम करना अपने लिये गौरव की बात समझते रहे हैं, उनकी उपेक्षा हो, उनको नजरन्दाज किया जाय।

इस सिलसिले में मैं अपने यहां की मिशाल देना चाहता हूं। हमारे यहां गाजीपुर जिले के उत्तर प्रदेश के बहुत लोग सेनाओं में काम करते हैं वहां एक गांव है, गहमद, जिसकी आबादी 40 हजार है जिसमें से कम-से-कम 10 हजार सशस्त्र सेनाओं में काम करते हैं और इतने ही या इससे अधिक भूतपूर्व सैनिक हैं। पहले वहां पर सेना की भर्ती हुआ करती थी, हर वर्ष उसके लिये एक टीम वहां गांव में जाकर भर्ती करती थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों से कोई भी टीम उस गांव में भर्ती करने के लिये नहीं गई है। मेरा निवेदन है कि नये लोगों को जरूर मौका दिया जाये कि वह सेना में आयें, लेकिन परम्परागत तरीके से सेना में जाना जो गर्व की बात महसूस करते रहे हों, उनको भी मौका दिया जाना चाहिये

भूतपूर्व सैनिकों की बात भी में कहना चाहता हूं। हमारे पास केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है, बार्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इंडो-टिब्बेटन बार्डर फोर्स है और एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है जिसको गृह-मंत्री की हैसियत से हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री ने शुरू किया था। हमारी फौज के सिपाही, अफसर, नान-कमीशन्ड अफसर और कमीशन्ड अफसर, इन सारे लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं, उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना है, वह भ्रष्टाचार के आदि भी नहीं हैं। मेरा कहना है कि जब इनका रिटायरमैंट आये तो क्यों नहीं उसी समय सीधे ही इनको किसी न किसी फोर्स में भेज दिया जाये, बजाये इसके कि वह रिटायर होकर अपने घर आयें, उसके बाद आप एडवर्टाइजमैंट निकालें और वह भर्ती के लिये वहां जायें इसमें जो पुलिस की तरह-तरह की शिकायतें हैं, उनका वह सामना करें ?

इन सारी बातों को हटाकर उनके रिटायरमेंट के वक्त सीधे ही उनकी रैजीमेंट, कंपनी, बटालियन से उनको कागज दे दिया जाये कि तुम इस फोर्स में जाकर ड्यूटी ज्वायन करो। इस प्रकार राज्यों की जो सशस्त्र पुलिस फोर्स हैं, उनका भी कोटा बना लिया जाये और उनके लिये भी सीधे उनकी बटालियन से या कंपनी से उनको आदेश दे दिया जाये ताकि वहां जाकर वह ज्वायन कर लें। इससे बहुत सुविधा हो जायेगी।

आज जो हम शिकायत सुनते हैं दंगे-फसाद में, कौमुनल रायट्स में पुलिस की ज्यादती की, अहमदाबाद में कल ही जिक्र हो रहा था कि पुलिस ने बहुत ज्यादती की, कभी बिहार में कभी यू० पी० में ज्यादती होती है, अगर इन सशस्त्र सेनाओं के लोगों को पैरा-मिलेंट्री फोर्स में भर्ती करके भेज दिया जाये तो मैं समझता हूं कि हम इन शिकायतों से भी बच जायेंगे और जनता को उन पर काफी विश्वास व भरोसा भी होगा।

[अनुवाद]

श्री एच० एम० पटेल (साबर कंठा) : माननीय सभापति महोदय, रक्षा संगठनों के कार्यकरण के बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मेरा पहला मुद्दा यह है, कुछ कारणों की वजय से रक्षा मन्त्रालय की कार्य विधियां गुप्त रहती हैं जिन्हें समझना मुश्किल है। जितना इस मन्त्रालय को बताने के लिए बाध्य किया जाए उससे ज्यादा यह जानकारी नहीं देना चाहता। उदाहरण के लिए एक कागज के दोनों तरफ दी गई सामग्री को मैंने पढ़ा है। उन्होने सुरक्षा सम्बन्धी स्थिति का सार प्रस्तुत किया है यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि यह जरूरी नहीं है संक्षिप्तता खराब बात है ; यह बहुत अच्छी बात है। सुरक्षा स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया गया है कि रक्षा मन्त्रालय और रक्षा संगठनों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है और रक्षा सेनाएं इस स्थिति से कैसे निपट सकती हैं। ऐसी शब्दावली के अतिरिक्त जो कि सामान्य संक्षिप्त वृतान्त में प्रयोग की जाती है कुछ अधिक नहीं बताया गया है।

हमारी रक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और अखण्डता बनाये रखना हैं। और निसंदेह सामान्य रूप से यही शब्द कहे जायेंगे। हमें यथा सम्भव अधिकतम कार्यकुशलता को बनाये रखना होगा लेकिन हम कुछ अधिक जानना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आज के समाचार पत्र में प्रातः मैंने एक रिपोर्ट देखी है जिसमें प्रधानमन्त्री द्वारा सेना के कमाण्डरों के समक्ष की गई टिप्पणी में उन्होंने कहा है हमारे पड़ोसी आधुनिक और नवीनतम शास्त्र प्राप्त कर रहे हैं जिनके बारे में ध्यान देना होगा और इनका अध्ययन करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि हम इस स्थिति से पिट सकें। बिल्कुल ठीक है लेकिन इस बारे में विस्तृत विवरण कहां है। क्या इन्हें गुप्त पेटियों या रक्षा मंत्रालय के गुप्त दस्तावेजों में ही रखा जायेगा। रक्षा मंत्रालय ने एक स्थान पर कहा है कि हम एक सीमित नियुक्त कर रहे हैं जो दीर्घकालीन रक्षा योजना तैयार कर रहा है। ठीक ऐसा तो उन्हें करना ही चाहिये और लगातार करते रहना चाहिये लेकिन वह सामान्य जनता को विश्वास में कब लेंगी। रक्षा संगठन या रक्षा मंत्रालय का बजट 9,000 करोड़ रुपये से ऊपर है जो कि देश के बजट का एक बड़ा भाग है और मैं समझता हूं कि देश को कम से कम इस बारे में कुछ तो जानने का अधिकार है या केवल यह आश्वासन ही दिया जायेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। यहां निःसंदेह सब कुछ तो ठीक है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं रक्षा संगठन के कार्य कलापों में या उसकी कुटालता में कोई संदेह व्यक्त नहीं कर रहा लेकिन मेरे विचार से यह रक्षा संगठन और देश दोनों के ही हित में है कि रक्षा समस्याएं क्या हैं और उनसे किस ढंग से निपटा जा रहा है इस बारे में लोगों को जानकारी दी जाये। आप को इस बात पर विचार करना चाहिए। जिस रिपोर्ट का मैंने पहले उल्लेख किया है उसी में प्रधान मन्त्री ने कहा है मुझे बिल्कुल ठीक शब्द तो याद नहीं पर उन्होंने कहा है, हमारी तैयारी लगातार रहनी चाहिए।

लेकिन उसमें परमाणु हथियारों का कोई उल्लेख नहीं है। सुरक्षा स्थिति के बारे में संक्षिप्त विवरण में रक्षा मंत्रालय ने पहली बार यह कहा है ;

"हाल ही में सबसे अधिक चिन्ताजनक बात उपमहाद्वीप का आणविकीकरण किए जाने की सम्भावना। हमारे पड़ोस में चीन तथा रूस में दो परमाणु शक्तियां हैं और हिन्द महासागर में एक तीसरी परमाणु शक्ति अमरीका का शक्तिशाली बेड़ा विद्यमान है। पाकिस्तान कुछ देशों के साथ मिलकर परमाणु हथियार बनाने की क्षमता प्राप्त करने के लिए जो अथक प्रयास कर रहा है उससे हमारी सुरक्षा के सम्बन्ध में एक नई स्थिति पैदा हो गई है।"

बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस विशेष कार्य वृताम्त का रक्षा संगठन पर वास्तविक रूप का प्रभाव हुआ है। वे स्थिति से कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं ? क्या वे नागरिक सरकार के इस विचार से सहमत हैं परमाणु हथियार नहीं बनायेंगे ?

अगर ऐसा है तो हमारी रक्षा सेनाएं इस समस्या विशेष का सामना कैसी करेंगी ? यदि पाकिस्तान जो आपका पड़ौसी देश है —के पास जो आसानी से शत्रु का भी रूप ले सकता है। बहुत से परमाणु अस्त्र हैं। इस बारे में आपका क्या उत्तर हैं। मेरे विचार से हमें यह जानने का अधिकार है कि ऐसा होने पर आपका क्या करने का विचार है।

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : क्या इस विषय में मैं आपकी राय जान सकता हूं ?

श्री एच० एम० पटेल, मैं तो जरूर कहूंगा कि आपको राय लेनी चाहिए। इससे तो सन्देह की गुंजाइश ही नहीं है इस बारे में मेरा स्पष्ट मत है क्योंकि जब तक आपके पास इसका और कोई उपाय नहीं है आपके पास भी परमाणु हथियार होने ही चाहिए। पारम्परिक युद्धों में इस्तेमाल होने वाले साधनों में प्रमुख परिवर्तन हो रहे हैं इसलिए आपको इसका भी जवाब देना है और इसके लिए आपको अति आधुनिक हथियार रखने चाहिए। आज कीमत का कोई महत्व नहीं है क्योंकि पारम्परिक युद्धों में भी कुशल होने के लिए एक विमान पर 10 या 20 करोड़ रु. लगाने पड़ते हैं। अत: परमाणु हथियारों के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें लागत अधिक लगती है। इनकी लागत पारम्परिक हथियारों से अधिक नहीं होगी। मैं तो कहूंगा कि यही उपयुक्त समय है जबकि रक्षा मंत्री को चाहिये कि वे हमें विश्वास में लें और बताए कि वे वास्तव में क्या करना चाहते हैं। तथा इस संबंध में उनके क्या मत है। हममें यह जानने का अधिकार है हो सकता है आप सार्वजनिक तौर पर यह न बताना चाहें या आप उल्लेख नहीं करना चाहें कि आप परमाणु साधन क्षमता स्थापित करेंगे अथवा नहीं। लेकिन मेरे विचार में आप एक गंभीर खतरा...

श्री पी० नरसिंह राव : हमने सोचा था कि इस सदन के तथा उस सदन के सदस्यों के के मत जानने का यही मौका है।

(व्यवधान)

श्री एच० एम० पटेल : बहुत खुशी की बात है मैं इसका स्वागत करता तथा माननीय मंत्री को बधाई देता हूं । लेकिन महोदय मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा अगर आपके विरोधी देशों के पास परमाणु हथियार हैं और आपके पास नहीं मैं तो इससे सशस्त्र सेना का मनोबल गिरता है चाहे वह कितना भी प्रतिशत तथा उपकरणों से लैस क्यों न हो । यह जरूरी भी नहीं है कि परमाणु हथियार अगर हो तो इस्तेमाल ही किया जाएं वास्तव में सभी जानते है कि परमाणु हथियारों के मामले में अमरीका तथा सोवियत संघ के बीच एक संतुलन स्थापित हो गया है जिसमें कारण वे परमाणु युद्ध से बचने में सफल हो गए हैं ।

लेकिन इसने पारम्परिक युद्ध का अंत नहीं हुआ है । वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक कहीं अधिक पारम्परिक युद्ध हुए में और बहुत अधिक संख्या में लोग मारे गए हैं यह संख्या लाखों में है अतः परमाणु हथियारों का निर्णय न करना मूल है । अगर परमाणु हथियार होंगे तो इसका यह तात्पर्य होगा कि बहुत कारगर बहुत कुशल ढंग से किसी भी आक्रमण का जवाब हमारे पास है । इसी में तो उनका मूल्य है । परमाणु हथियार होने पर ही आप उनका उपयोग करेंगे जब और कोई उपाय नहीं रहेगा और यह आपकी सरकार आपके राजनीति पर निर्भर करता हूं कि वे ऐसे हालात पैदा ही न होने दें । ज्यादा से ज्यादा यह होना चाहिए कि बातचीत और विचार विमर्ष किया जाए । और उसमें सफलता मिलेगी क्योंकि सब जानते हैं कि आपके पास परमाणु हथियार हैं । मैं तो यह कहूंगा कि देश में परमाणु क्षमता स्थापित करने का यही समय है जितनी जल्दी हम ऐसा करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा सभापति महोदय आपको मुझे कुछ समय और देना चाहिए था ।

प्रो एन. जी. रंगा : (गुंटूर) महोदय कुछ समय पूर्व वह रक्षा सचिव रह चुके हैं इस लिए उन्हें समय दिया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री एच० एम० पटेल : महोदय बहुत से मुद्दे हैं जिनका मैं संक्षेप में उल्लेख करूंगा । मेरे विचार से प्रधान मंत्री ने प्रशिक्षण तथा अनुशासन पर जोर दिया है । मुझसे पहले बोलने वाले अनेक वक्ताओं ने देश में शान्ति तथा व्यवस्था भंग होने की स्थिति में शास्त्र सेनाओं द्वारा की गई सेवाओं का उल्लेख किया है । जब कभी देश के किसी भाग में कानून और व्यवस्था की स्थिति भंग होती है तब सिविल अधिकारियों की सहायता करना उनका कर्तव्य है लेकिन उन्हें सहायता किस स्थिति में करनी चाहिए ?

मैं मंत्रालय की रिपोर्ट से उद्धृत करूंगा :—

> "सशस्त्र सेनाओं की सहायता तभी उपलब्ध कराई जाएगी जब सहायता के अन्य सभी साधनों का इस्तेमाल कर लिया जाएगा ।"

मुझे ही आंकड़े तो नहीं मालूम हैं लेकिन जानकारी के अनुसार पिछले तीन सालों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविल अधिकारियों की सहायता हेतु 400 बार संशस्त्र सेना को बुलाया गया । यह अच्छी बात नहीं हैं । इसके दो कारणों से ऐसा करना

ठीक नहीं। इसका यह मतलब है कि सिविल अधिकारियों का कानून तथा व्यवस्था तंत्र इतना अक्षम है कि उसे बार-बार सशस्त्र सेना से सहायता लेने की जरूरत पड़ती है।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसके लिए आपके दल जिम्मेदारी हैं।

श्री एच०एम० पटेल : क्या मैं इस तरह से बोल रहा हूं कि जिसका यह आशय निकाला जाए कि आप जिम्मेदार हैं या मैं बात कर रहा हूं मुझे उसी तरह बोलने दें। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं अपनी आलोचना कर या किसी और की। मैं अपनी ही आलोचना कर रहा हूं दो दिन पूर्व ग्रह मंत्री के वक्तव्य को सुनकर मैं आश्चर्य चकित हुआ था। उनके वक्तव्य पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि उन्होंने यह नहीं सोचा कि उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। उनका कहना है कि हैड कांस्टेबल की मृत्यु तथा न्यायिक दण्ड अधिकारी की अदालत द्वारा कुछ पुलिस अधिकारियों को रायपुर तथा खाड़िया क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकने से संबंधित पूर्व निर्णय की समाचारपत्रों द्वारा प्रतिकूल रिपोर्टिंग से पुलिस बलों जिनका इस पृष्ठ भूमि में अब यह प्रतीत होगा कि उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए दल के आगमन से उसके दौरान हैड कांस्टेबल पर आक्रमण दिया गया और उसकी हत्या की गई पुलिस बल की भावनाएं भड़क उठीं। पूरी तरह से हौसला पस्त हो गया है, भावनाओं को ठेस पहुंची है।

यह जानकारी सही नहीं है। हेड कास्टेबल साधारण वेषभूसा में था तथा न्यायालय के दल साथ नहीं था। बहरहाल यह बात यहां संगत नहीं है। वक्तव्य में आगे कहा गया है कि "मृत हेड कांस्टेबल की शव यात्रा में अनेक संख्या में पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया। शव-यात्रा जब आगे बढ़ी तो पुलिस कर्मचारी उत्तेजित हो गए और दुर्भाग्य से उनमें से कुछ ने आग लगाई और निजी संपत्ति, जिसमें सड़क पर खडे वाहन भी शामिल हैं को क्षति पंहुचायी। गुजरात समाचार प्रैस तथा इंडियन एक्सप्रेस के परिसर में आग लगा दी गई। इसके अतिरिक्त शहर के ज्यादातर पुलिस कर्मचारियों ने, जो कि शस्त्रों से लैस नहीं थे अपनी ड्यूटी नहीं दी। सचल बेतार संचार प्रणाली को भी खराब कर दिया गया।"

अब मैं आपसे पूछता हूं कि पुलिस कर्मचारियों की चाहे जो भी आन्तरिक भावनाए रही हों लेकिन क्या कोई कमान्डर हनचोक अपने कर्मचारियों के उग्रमत्त होने के लिए इसे न्यायोचित ठहराएगा। कभी नहीं। सशस्त्र सेना तथा पुलिस बल में अंतर ही यही है। दोनों में एक ही श्रेणी के लोग भरती किए जाते हैं। लेकिन प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के ढंग तथा अनुशासन की भावना भरने के ढंग में अंतर होने के कारण ही दोनों में अन्तर हो जाता है। मैं यह नहीं कहता कि पुलिस कर्मचारी हमेशा ऐसा ही करते हैं। एक समय था जब हमारा पुलिस बल भी बहुत अनुशासित था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है और नहीं खतरे की बात है। मैं मंत्री महोदय से यही अनुरोध करना चाहता हूं जितना आप सशस्त्र सेनाओं को मारना तथा अवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए बुलायेंगे उतना ही उनके भी उग्रमत होने का खतरा होगा। अतः यह बहुत जरूरी है कि यथा संभव इस स्थिति को टाला जाए। मेरा कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि सशस्त्र सेना की सहायता नहीं ली जाए। जब उन्हें बुलाया जाएगा तो वे आयेंगे और यह उनका कर्तव्य भी है। लेकिन यह देखना सरकार का काम है कि उन्हें कम से कम बुलाया जाए।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसके लिए सरकार जनता, राजनीतिक दल इस पक्ष के तथा उस पक्ष के तथा उनके नेता जिम्मेदार हैं।

श्री एच० एम० पटेल : आपने जो कुछ कहा है उससे मैं सहमत हूं।

सभापति महोदय : श्री पटेल कृपया समाप्त करेंगे। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है।

श्री एच० एम० पटेल : कृपया 2-3 मिनट और दीजिए। मेरे विचार में यह उचित रहेगा।

सभापति महोदय : इसलिए मैंने आपको अधिक समय दिया था। कृपया समाप्त करें।

श्री एच०एम० पटेल : मैं राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में एक दो विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

राष्ट्रीय कैडेट कोर-हमारा एक महत्वपूर्ण संगठन है। लेकिन मेरे विचार में इसके कार्यों का मूल्यांकन करने का अब समय आ गया है। महाजनी समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए 10 या 20 वर्ष हो चुके हैं। महाजनी समिति ने राष्ट्रीय कैडेट कोर की पूरी तरह समीक्षा करके बहुत उपयोगी कार्य किया है। लेकिन उसके बाद अनेक परिवर्तन हुए हैं। परिस्थतियों में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के उद्देश्यों, प्रशिक्षण के तरीकों आदि का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। एक साल पहले एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया पर लेकिन मेरे विचार से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में मैं एक और बात यह कहना चाहूंगा कि ऐसे बहुत से स्थानों पर जहां राष्ट्रीय कैडेट कोर कार्यरत है आवास की व्यवस्था नहीं है। अफसरों तथा कर्मचारियों को आवास प्राप्त करने में बहुत परेशानी होती है। रक्षा मंत्रालय को इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए तथा चाहे जैसे भी हो उनके लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए।

तीसरी बात यह है कि राष्ट्रीय कैडेर कोर, को जिस ढंग से बिन पोषित किया जाता है उसमें अनेक कठिनाइयां आती हैं। अधिकांश व्यय केन्द्र वहन करता है, लेकिन व्यय का कुछ हिस्सा राज्य भी वहन करते हैं।। राज्यों से समान धनराशि प्राप्त नहीं होते के कारण अनेक निर्णयों को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता...

सभापति महोदय : अब श्री अजीज कुरेशी।

श्री एच० एम० पटेल : धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : माननीय सभापति महोदय, मुकद्दस वेद में कहीं कहा गया

[अनुवाद]

"हम उन पर विजय प्राप्त करेंगे जिनमें लड़ने का साहस है"।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तानी फोज के बहादुर सिपाहियों ने वेद की इस बात को सही साबित किया है और अपने खून से तवारीख के सफात पर कहानी लिखी है। सबसे पहले मैं हिन्दुस्तानी फौज के बहादुर सिपाहियों को अपनी खिराजे-अकीदत, श्रद्धांजलि पेश करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी देश के डिफेन्स बजट या डिफेन्स-प्रीपेअर्डनेस को देखने से पहले जरूरत है कि यह देखा जाय कि उस बजट के अन्दर माडर्नाइजेशन, सेल्फ-रिलाएंस और इण्डक्शन आफ ए० न्यू० वेपन सिस्टम पर कितना जोर दिया गया है। मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन माननीय रक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा-साउथ एशिया, साउथ-ईस्ट-एशिया, और विशेष कर पड़ौसी देशों ने जो सोफेस्टीकेटेड वेपन्ज अपनाये हैं, इण्डक्ट किये हैं, खास तौर से चीन और पाकिस्तान ने जो एफ०-16, हारपून्ज, एडवांस्ड-राडार-सिस्टम अपनाये हैं, इनसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है और आज जरूरत इस बात की थी कि तमाम बातों का अध्ययन करते हुए अधिक जोर इस बात पर दिया जाय कि न्यू वेपन-सिस्टम हमारी डिफेन्स मिनिस्ट्री अपनी फौजों में लागू करती। मैं जब इस बजट को देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि रिसर्च और डेवलपमेन्ट, जो हमारे डिफेन्स इस्टेब्लिशमेन्ट का सबसे महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए, उस पर भी विशेष राशि नहीं रखी गई है।

कुल बजट का 4 प्रतिशत से भी कम इस मद के लिए रखा गया है। अमरीका में यह राशि 20 से 30 परसेन्ट होती है, ग्रेट ब्रिटन में यह राशि 17 से 21 पर सेन्ट होती है और फ्रांस में यह राशि तकरीबन 18 प्रतिशत होती है। मैं जानता हूं कि हमारे लिए शायद संभव नहीं है कि इतनी अधिक राशि हम रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करते लेकिन मैं माननीय रक्षा मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि डिफेन्स मिनिस्ट्री में रिसर्च और डेवलमेंट विंग को दोबारा री-आर्गेनाइज करने की आवश्यकता है, उसे री-स्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है। जहां तक मैं समझता हूं इस विंग का अभी काम यही है कि यह डवलपमेंटल एक्टिविटीज को देखे और डेवलपमेंट की गतिविधियों पर ही वह अपना समय खर्च करती है और रिसर्च के ऊपर इसका कोई ज्यादा ध्यान नहीं है। जितना ध्यान इन को इस तरफ देना चाहिए वह नहीं दे पाती।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि लगभग 10 साल पहले कम्बैट व्हीकिल्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इस्टाबिलिशमेंट ने यह बात तय की थी कि विजयन्ता टैंक में एल०-60 इंजन हिन्दुस्तान में तैयार कर के लगाया जाए। 10 साल गुजर गये हैं लेकिन एल-60 इंजन आप विजयन्ता टैंक को मुहय्या नहीं कर पाए हैं और एक समाचार-पत्र में, एक प्रसिद्ध समाचार-पत्र "हिन्दुस्तान टाइम्स" में अभी दो रोज पहले यह लिखा था कि यह केवल इसलिए हुआ है कि जो विदेशी टैंकों की इंजन बनाने वाली कम्पनियां हैं, उनके इसमें वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हैं और भारत की सेना के पुराने रिटायर्ड थे और पालिसीमेकिंग के लिए जिम्मेदार थे, उन के

साथ विदेशी इंजन बनाने वालों ने साजबाज कर के एल-60 इंजन को सेबोटेज करने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसलिए विजयन्ता टैंक में ये इंजन आज तक नहीं लग पाए हैं। मैं चाहूंगा कि अगर यह बात सही है, तो इसकी तुरन्त आप जांच कराएं और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

आज की परिस्थिति को देखते हुए, मैं समझता हूं कि जरूरत इस बात की थी कि हमारे डिफेन्स प्लानर्स, हमारे जो रक्षा मंत्रालय में कर्ता-धर्ता हैं, वे अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी में एक क्वालीटेटिव चेन्ज लाते लेकिन बजट का अध्ययन करने के बाद मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि उस क्वालीटेटिव चेन्ज को कम से कम मैं इस बजट के अन्दर नहीं देख पाया। जितने प्रतिशत प्रोविजन पहले होता था, वह बढ़ा नहीं है। हर साल 10 प्रतिशत की औसत बढ़ोत्तरी होती आई लेकिन इस साल वह नहीं की गई है और इस साल कुल बजट का 15 प्रतिशत डिफेन्स मिनिस्ट्री को दे पाए हैं जबकि पिछले वर्ष यह राशि 17 प्रतिशत थी। आज के इस माहौल में जबकि हमारी आजादी को खतरा है और हमारे चारों तरफ दुश्मन फैले हुए है, जिन से देश को बचाना है, मैं नहीं समझता कि डिफेन्स मिनिस्ट्री को आप उचित बजट फराहम कर पाए हैं।

मैं एक बात के लिए रक्षा मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा और वह यह है कि नैवी को अधिक रुपया इन्होंने दिया है जोकि इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी। हिन्द महासागर में साम्राजी ताकतें अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं और उनकी बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए यह जरूरी था कि नैवी को अधिक से अधिक पैसा दिया जाए। मेरे ख्याल से यह राशि और बढ़नी चाहिए थी। यह अब भी कम है। सारा धन और सारी राशि जो आप ने बजट के अन्दर प्रोवाइड की है, चाहे नैवी के लिए हो, चाहे एयर फोर्स के लिए हो और चाहे आर्म्ड फोर्सज के लिए हो, इस राशि का अधिकांश भाग आप केवल स्टोर्स और उससे रिलेटेड फैसीलिटीज पर खर्च करने वाले हैं। आर्मी, एयर फोर्स और नैवी को माड्रेनाइज करने के लिए, नये वेपन सिस्टम को इन्डक्ट करने के लिए आपने इस बजट के अन्दर कोई खास प्रोविजन नहीं किया है। मैं चाहूंगा कि रक्षा मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें।

अब मैं कुछ बातें एक्स-सर्विसमैन के बारे में कहना चाहूंगा। सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आप फौजियों और जवानों को 33 से 45 की एच-ग्रुप के अन्दर रिटायर करते हैं और उनको पेंशन देते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि इस अवधि को 45 से 50 वर्ष तक बढ़ा दिया जाए। कम से कम 45 साल की एज में और ज्यादा से ज्यादा 6.50 साल की एज में फौजियों और जवानों को रिटायर किया जाए। यह आप फैसला लें।

दूसरी बात मैं एक्स सर्विसमैन के बारे, अपने पुराने फौजियों के बारे, मैं यह कहता चाहता हूं कि उनमें असन्तोष है। आपने उन्हें कम दरों पर बैंकों से लोन या कर्ज दिलाने की स्कीमें बनाई हैं ताकि वे अपना कारोबार कर सकें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पुराने फौजियों को बैंकों से लोन मिलने में उतनी ही तमाम मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है जितना कि इस मामले में और लोगों को करना पड़ता है। अगर आप

यह समझते हैं कि हमारे पुराने फौजियों को बैंकों से आसानी से कर्जा मिल रहा है तो आपका यह अन्दाजा ठीक नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पुराने फौजियों को रिहबलिटेट करने के लिए आप एक एक्स सर्विसमैन वेल्फेअर फाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना करें। इसका चेयरमेन जनरल के रैंक का कोई आदमी हो। तमाम प्रांतों में इसकी ब्रांचिज फैली हों और हर डिस्ट्रिक्ट में सेलर्स, सोल्जर्स और एयरमेन बोर्ड इस की एजेन्सियां रहें। उनके माध्यम से हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनको बसाने और सहूलियतें पहुंचाने के काम को किया जाए। इसके लिए आप कम से कम सौ करोड़ रुपये इस फाइनेंस कारपोरेशन को देने की तुरन्त कार्यवाही करें।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लाण्ड आर्डर को मेन्टेन करने के लिए, कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए हम अपनी फौज का दिन-प्रति-दिन हर प्रांत में प्रयोग करते हैं। मेरे ख्याल से यह बहुत अच्छी बात नहीं है, यह बहुत खुशी की बात नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय रक्षा मंत्री जी इस पर गौर करें। आप रिटायर्ड फौजियों की एक मुश्किल टास्क फोर्स बनाएं जो कि पूरे देश में शांति बनाये रखने में कानून और व्यवस्था कायम रखने में आपको मदद प्रदान करती रहे।

माननीय सभापति महोदय, एक आखिरी बात में आपके सामने रखना चाहूंगा और चाहूंगा कि माननीय रक्षा मंत्री जी इस पर थोड़ा तवज्जोह दें। यह 1984-85 की आपकी एनुअल रिपोर्ट है। इसके पेज 16 में कहा गया है।

[अनुवाद]

पैरा 2 (क) गार्डन रीच शिप बिल्डर्स तथा इंजीनियर्स लिमिटेड कलकत्ता द्वारा निर्मित दो सीवार्ड रक्षा नौकाएं 31 अक्तूबर 1984 तथा 26 फरवरी 1985 को चालू की गई।"

[हिन्दी]

माननीय सभापति महोदय, एक पुराना जोक है—

[अनुवाद]

सशस्त्र सेनाओं में सामान्य बोध का अभाव होता है।

[हिन्दी]

मैं नहीं समझता था कि हिन्दुस्तान के फौजी एक्सपर्ट्स लोग अपने कारनामे को उसी दिन कमीशन करेंगे जिस दिन मादरे वतन की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को शहीद किया गया था। उसी दिन उन्होंने अपने सीवार्ड डिफेंस बीट्स को कमीशन किया था। इस पर मैं घोर आपत्ति करता हूं और माननीय रक्षा मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि वे इसका सीरियस व्यू लें।

[अनुवाद]

मामले को गंभीरता से लें क्योंकि यह अमाननीय तथा अशोभनीय है।

बहुत बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री उमाकांत मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपनी भारत की थल सेना, नभ सेना, जल सेना के जवानों को साधुवाद देना चाहता हूं कि सभी छोटी-बड़ी लड़ाइयों में भारत के सम्मान की रक्षा की, भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और भारत की आजादी की रक्षा की।

श्रीमन् हमारे जो प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू थे, वे जिस समय इस देश के प्रधान मंत्री हुए, उस समय उनके सामने द्वितीय युद्ध की समाप्ति का काल था। हिटलर और मुसोलिनी जैसे फासिस्टों की सेनाओं की दूसरी तरफ मित्र राष्ट्रों की सेनाओं की लड़ाई का निर्णय काल था और दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। उन्होंने देखा था कि किस तरह से दुनिया दो हिस्सों में बंटी। किस तरह से दुनिया बरबाद हुई। हिटलर, मुसोलिनी आदि की फासिस्ट राजनीति में ये लोग कामयाब नहीं हुए, लेकिन तो बरबाद हुई। नागासाकी और हिरोशिमा पर पहली बार बम गिराए गए और लाखों निरीह लोग मारे गए। यह विध्वंसक दृश्य उनके सामने था और इसलिए उन्होंने एक युद्ध विहीन दुनियां की कल्पना की। उनके विचार में अफ्रीका, एशिया और लेटिन अमरीका के जो देश आजाद हुए या आजाद होने जा रहे हैं, अगर युद्ध में शामिल हो गए या युद्ध के लिये उन्होंने हथियार बनाने शुरू किए, हथियारों की प्रतियोगिता में पड़ गए तो वे विकास नहीं कर सकेंगे और तिबारा फिर दुनिया का नाश हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की कल्पना की और ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की कि संसार में युद्ध न हो। इसलिए बदुंग सम्मेलन हुआ जिनमें एशिया और योरोप के बड़े-बड़े नेता शामिल हुए और पंचशील तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को माना गया और आपस के झगड़ों को वार्ता द्वारा तय किया जाए, इस बात को माना गया और युद्ध न करने की बात कहीं गई। यह महान विचार था, महान आदर्श था और इस महान आदर्श को हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमेशा आगे बढ़ाया। उन्होंने बार-बार चेतावनी दी कि आज भारत की रक्षा का सवाल नहीं है।

भारत अपनी रक्षा परंपरागत तरीकों से कर सकता है। कल ही रक्षा मंत्री महोदय ने कहा कि हमारा देश किसी भी चुनौती का सामना अपने परंपरागत तरीतों से कर सकता है। हमारी सेना भी समर्थ हैं। इस समय भारत की रक्षा का सवाल नहीं है, आज सवाल मानव जाति के अस्तित्व का है। मानव जाति खतरे में है, जिसमें भारत भी शामिल है। अगर सारी मानव जाति और दुनिया के सारे देश नष्ट होते हैं तो भारत कहां बचेगा इसलिए श्रीमन् आज जो नाभिकीय युद्ध का वातावरण दुनिया में है, उसका थोड़ा सा विवरण में दूंगा।

आज परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र प्रति वर्ष 60 अणु विस्फोट करते हैं, जिसमें रूस 46 प्रतिशत, अमरीका 30 प्रतिशत, फ्रांस 18 प्रतिशत तथा ब्रिटेन, 2, चीन 2 और अन्य राष्ट्र 2 प्रतिशत विस्फोट करते हैं। 22 राष्ट्रों के पास एक लाख किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ प्लूटोनियम हैं, जिसका वे प्रयोग कर रहे हैं। इस समय विश्व में 234 आणविक भट्टियां हैं। 2000 ईस्वी तक 431 आणविक भट्टियां हो जाएंगी। इन भट्टियों से नागसाकी पर गिराए गए अणु बम जैसे 50000 अणु बम प्रति वर्ष तैयार हो सकेंगे और ये हाईड्रोजन और

न्यूनट्रान बम नागासीकी और हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 10 लाख गुना अधिक शक्तिशाली होंगे ।

अमरीका के पास इस समय 1070 आई. सी. बी. एम. तथा 744 एस. एल. बी. एम. 37 सबमैराइन न्यूक्लीयर पावर से युक्त, 411 लांग रेंज बंबर, 9200 न्यूक्लीयर वार हैड्स हैं 1 रूस 1 पास 180 आई. सी. बी. एम. 976 एस. एल. बी. एम. 62 सब मैराइन न्यूक्लीयर पावर से युक्त, 90 लांग रेंज बंबर, 6000 न्यूक्लीयर वार हैड्स हैं। एक महा शक्ति नाटो देशों को शस्त्र से सज्जित कर रही है और दूसरी महाशक्ति वारसा देशों को शस्त्र से सज्जित कर रही है। एक नाटो मिसाइल दे रहा है और दूसरा वारसा देशों को मिसाइल दे रहा है, इस तरह से उनको शक्ति संपन्न किया जा रहा है। यह सब भीतर-भीतर हो रहा है, बाहरी रूप में जैनेवा वार्ता चल रही है। विश्व में इस समय 400 मिलियन डालर प्रति वर्ष शस्त्रों की होड़ में खर्च हो रहा है। इसमें 15 प्रतिशत को प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है।

विश्व के संपूर्ण सेन्य खर्च में अमरीका 24.7 प्रतिशत, रूस 23.7, चीन 9.9, तृतीय विश्व के देश 15.3 तथा अन्य औद्योगिक देश 5.4 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। कुल 56 राष्ट्र हथियार खरीदने की दौड़ में हैं और इन देशों को अमरीका 45 प्रतिशत शस्त्रों को बेच रहा है। ये मौत के सौदागर अरबों-खरबों रुपयों के हथियारों की बिक्री कर रहे हैं, कुछ उधार और कुछ नकद बेच रहे हैं और दुनिया के तमाम देशों में नाभिकीय शस्त्र फैला रहे हैं। अमरीका जितने हथियार तैयार करता है उसमें से 24.7 प्रतिशत, रूस 23 प्रतिशत, चीन 9.9 प्रतिशत और तीसरी दुनिया के देश फ्रांस और ब्रिटेन वगैरह 5-5, 7-7 प्रतिशत हथियार बेच रहे हैं।

4.00 म० प०

इस तरह 56 राष्ट्र और हथियार खरीद रहे हैं जिसमें 24 तीसरी दुनिया के देश हैं। यह नाभिकीय हथियारों की शक्ति है। ऐसा ही बम नागासाकी हिरोशिमा पर गिराया गया था। उसकी शक्ति दस लाख गुना ज्यादा है। इस तरह पचास हजार बनकर तैयार हो गए हैं। आइन्सटीन जो इस शक्ति के आविष्कारण थे, जब उनसे किसी ने पूछा कि आपने दूसरी लड़ाई देखी है तो कृपया यह बताइए कि तीसरा विश्व-युद्ध कैसा होगा। उन्होंने कुछ देर चिंता करके और क्षुब्ध होकर कहा कि मैं यह नहीं कह सकता कि किस तरह से लड़ाई लड़ी जायेगी और दुनिया का क्या होगा। दुनिया रहेगी या नहीं, यह नहीं मालूम। आज सारी दुनिया नाभिकीय शस्त्रों और बारूद पर खड़ी है जिससे विश्व का विनाश होने की संभावना है।

एकमात्र रास्ता जो है वह हमारे देश की स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने राष्ट्र संघ, निर्गट आन्दोलन, और राष्ट्र मण्डलीय देशों के मंच पर कहा कि आज विश्व और मानव जाति के विनाश का खतरा है। इसको बचाने के लिए नाभिकीय शस्त्रों की होड़ को खत्म किया जाए। जो हथियार बने हैं, उनको नष्ट किया जाए। उसके संबंध में फिर से जैनेवा वार्ता शुरू की जाए। प्रसन्नता की बात है कि जैनेवा वार्ता पिछले साल भंग हो गई

थी, अब फिर शुरू हुई है। आशा है कि अगले वर्ष रूस के राष्ट्राध्यक्ष श्री गारबाशेव और अमेरिका के श्री रीगन बातचीत करेंगे। आज सिर्फ भारत को बचाने का ही प्रश्न नहीं है।

आज सारी दुनिया और विश्व की मानव जाति को बनाने का प्रश्न है। क्योंकि हजारों साल की सभ्यता जलकर राख होने की संभावना हो गई है। भारत अपना रोल अदा कर रहा है। यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे प्रधान मंत्री जी हमारे रक्षा मंत्री जी और हमारे विदेश मंत्री जी उन्हीं नीतियों पर चल रहे हैं जिन नीतियों को पं० जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती गांधी जी ने निर्धारित किया था। दुनिया को बचाने के लिए जिन नीतियों को उन्होंने अपनाया था, उन्हीं पर हमारी सरकार चल रही है, इससे केवल भारत का ही नहीं बल्कि सारी दुनिया और मानव जाति का कल्याण होगा। यही एकमात्र रास्ता है अन्यथा दुनिया के जलकर राख होने की संभावना है।

मुझे उम्मीद है कि विश्व का जनमत तैयार किया जाएगा। नान अलाइनमेंट मूवमेंट के राष्ट्र, राष्ट्र मण्डल और विश्व की जनता महाशक्तियों को इस बात के लिए विवश करेगी कि नाभिकीय शस्त्रों का निर्माण बंद किया जाए। नाभिकीय शस्त्र जो बने हैं उन्हें समाप्त किया जाए वरना मानव जाति का विनाश होगा। मैं अपने प्रधान मंत्री श्री राजीव जी और रक्षा मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव जी का अभिनन्दन करता हूं क्योंकि वे इस दिशा में सचेष्ट हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन आपने घंटी बजा दी है।

आज तीन तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है। एक तो परम्परागत लड़ाई है। दूसरी नाभिकीय लड़ाई जिसका विवरण मैंने अभी दिया है और तीसरी जासूसी लड़ाई है। जासूसी आक्रमण भारत पर हो चुका है और हो रहा है। एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के जितने विकासशील देश हैं, उनमें सी० आइ० ए० सक्रिय है। भीतरी तोड़-फोड़ और साम्प्रदायिक झगड़े कराना इसका काम है। देशों को विघटित और कमजोर करना भी सी. आई. ए. का काम है। सी. आइ. ए. ने दुनिया में कई लोगों की हत्याएं कराई हैं जिनमें पैट्रिक लुमुम्बा, चिली के अलेन्दे, बंगलादेश के शेख मुजीबुर्रहमान, अमेरिका के मार्टिन लुथर किंग और जॉन एफ० केनेडी, सउदी अरब के शाह फेजल और होमी भाभा प्रमुख हैं। इस समय भारत को सी. आइ. ए. से रक्षा करनी है। उन्होंने हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी की हत्या करवाई।

4.04 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उनकी हत्या इसलिए कराई गई जिससे कि देश टूट जाए और कमजोर हो जाए तथा दुनिया के जो विकासशील देश हैं उन पर काबू पाया जा सके। माननीय श्रीमती गांधी जी के सामने बड़ी शक्तियां डरती थीं इसलिए उनकी भी हत्या करवा दी गई। आज भी जो झगड़े हो रहे हैं, उसमें भी उनका हाथ है। इस जासूसी लड़ाई से भारत की एकता और अखण्डता

की रक्षा करनी होगी। इन शब्दों के साथ में रक्षा मंत्रालय की बजट मांगों का समर्थन करता हूं।...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : श्रीमन्, आपने देखा होगा कि इस वाद-विवाद के दौरान रक्षा मन्त्रालय के कार्य निष्पादन के विरुद्ध कई बातें कहीं गई हैं या कही जाने वाली हैं। तथापि यह महत्वपूर्ण बात है कि इस सभा के एक भी सदस्य ने हमारी सुरक्षा बलों के कर्मचारियों की भूमिका के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा है, ऐसा इसलिए है कि क्योंकि हमें सभी व सारा देश अपनी जल, थल और वायु सेना के जवानों को सम्मान की दृष्टि से देखते और हमें उनके कार्यों पर गर्व है। उन्होंने इस देश के लिए शानदार कार्य किया है और वे पराक्रम, हौसले, दृढ़ निश्चय और वफादारी से किसी से कम नहीं हैं। यदि हमारे जवानों को नवीनतम और बेहतर हथियारों से लैस कर दिया जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे विश्व की किसी भी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं।

सारी चर्चा इसी बात पर केन्द्रित है: क्या हम अपनी रक्षा सेनाओं के जवानों को आवश्यक हथियारें उपलब्ध करा पाये हैं या नहीं ? अगर नहीं, तो हमारी मुश्किलें क्या हैं और इन मुश्किलों को दूर करने के लिए हमने क्या किया है ? जब माननीय रक्षा मन्त्री इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे तो हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में उनसे उत्तर चाहेंगे।

इससे पहले कि हम रक्षा के क्षेत्र में अपनी समस्याओं और असफलताओं का सही मूल्यांकन करें हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने सुरक्षा वातावरण और जिन क्षेत्रों से इस देश को खतरा हो सकता है, उनको पता लगाने के लिए विचार करें। मेरे विचार से भारत को चार दिशाओं या स्थानों से खतरा हो सकता है। पहला तो देश के अन्दर से ही दूसरा, हमारी उत्तरी सीमाओं पर चीन से, तीसरे, हिन्द महासागर से और चौथे अपने पड़ोसी देश, पाकिस्तान से। इन चार क्षेत्रों से हमें खतरे की आशंका है।

जहां तक देश के भीतर से खतरे का संबंध है, मैं इस बारे में अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि यह विषय इस मन्त्रालय की सीमा से परे है। लेकिन रक्षा तैयारी के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि इस देश राजनैतिक स्थिरता और एकता अत्यन्त आवश्यक है। प्रधानमन्त्री ने स्वयं यह कहा है कि देश की रक्षा करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम देश में एक होकर रहें। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पंजाब, गुजरात तथा अन्य स्थानों पर जो कुछ हो रहा है उसे उन पर ध्यान रखेंगे, कार्यवाही करेंगे और इन क्षेत्रों में सामान्य स्थिति लाने के लिए इनकी समस्याओं को शीघ्र हल करेंगे, ताकि इन क्षेत्रों में सामान्य स्थिति पैदा हो सके।

जहां तक चीन से खतरे का सम्बन्ध है, उससे हमारे सम्बन्ध एक प्रकार से सामान्य हैं, क्योंकि वे अभी विरोधी नहीं है। लेकिन तथ्य यह है कि उनके साथ हमारे कुछ सीमा संबंधी

विवाद हैं। जिसके बारे में बातचीत चल रही है। और मुझे आशा है कि दोनों देश इन समस्याओं का हल निकाल लेंगे। और इन मामलों पर युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं महसूस करता हूं कि अगर कभी चीन से खतरा पैदा भी हुआ तो, यह केवल चीन से ही नहीं आयेगा, यह अन्य स्थानों से मिलकर आयेगा।

हिन्द महासागर एक बिल्कुल अलग ही विषय है। हिन्द महासागर और पाकिस्तान से ही हमें असली खतरा है। हिन्द महासागर में हो रही गतिविधियों से न केवल भारत को ही चिंता है, बल्कि इस क्षेत्र के आस-पास के सभी देशों को भी चिंता है। इन दो महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वन्द्विता के कारण खतरा है। हम सभी जानते हैं कि गार्शिया में क्या हो रहा हैं, और काफी संख्या में अमेरिकी और रूसी जल सेना की टुकड़ियां वहां तैनात हैं। मैं समझता हूं कि ये सब बातें इस क्षेत्र में काफी तनाव पैदा कर रही हैं और हम समझते हैं कि वहां ये गतिविधियां होने से खतरा हमारे द्वार पर आ गया है। लेकिन हम इस सम्बन्ध में अपने आपको असहाय महसूस करते हैं। हम अन्तर्राष्ट्रीय मंचों से जो कुछ भी कहें, हम स्थिति को सामान्य बनाने के लिए या दोनों महाशक्तियों को एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए जो कुछ भी करें, इससे सहायता नहीं मिलेगी।

तथ्य यही है कि सारी बात इन्हीं महाशक्तियों पर निर्भर करती है। अगर वे इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति और शान्ति चाहते हैं तो हमारे लिए सब कुछ ठीक होगा लेकिन जब तक ये दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को धमकाती रहेंगी और भड़काती रहेगी तब तक मुझे शक है कि हम कुछ कर सकेंगे, सिवाय इसके कि इस सबके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम अपनी आवाज उठा सकेंगे और आशा और प्रार्थना करते हैं कि एक दिन राष्ट्र संघ की परिषद का हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने के संबंध के संकल्प दोनों महाशक्तियां स्वीकार कर लेगी और समस्या को सुलझाने के लिए सम्मेलन बुलायेंगी।

इसके बाद मैं समझता हूं कि हमें मुख्य खतरा या परेशानी पाकिस्तान से है। उस देश से हमारे संबंध प्यार और घृणा के हैं। पाकिस्तान ने हमारे देश पर तीन बार हमला किया है बिना वजह हमले किए हैं, और अब हम देख रहे हैं कि एक ओर तो राष्ट्रपति दोस्ती की बातें करते हैं और हमारे प्रधानमन्त्री को पाकिस्तान की यात्रा का निमंत्रण देते हैं। उन्हें इन सभी सदभावों का स्वागत है। लेकिन साथ ही वह अमेरिका और अन्य देशों से अत्याधुनिक घातक हथियार प्राप्त करने और इन्हें जमा करने की भरसक कोशिश कर रहा है। लेकिन ये हथियार पाकिस्तान की सैनिक और रक्षा आवश्यकताओं से बहुत अधिक होंगे। परन्तु ये हथियार पाकिस्तान को आक्रमण क्षमता भी बढ़ायेंगे। हम जानना चाहेंगे कि इन हथियारों का उपयोग किस देश के विरुद्ध किया जायेगा। निश्चय ही पाकिस्तान चीन से युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि चीन से उसके सम्बन्ध काफी मैत्रीपूर्ण हैं और स्पष्ट कारणों से पाकिस्तान रूस से भी युद्ध नहीं कर सकता।

और जैसा कि पहले भी होता रहा है, केवल एक ही देश जिसके विरुद्ध पाकिस्तान ये हथियार इस्तेमाल कर सकता है या करेगा वह है भारत। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अन्य बात यह है कि

पाकिस्तान ने अणु क्षमता प्राप्त करने में सफलता पाई है, जिसकी वजह से हमारे सम्बन्धों जो पहले से हों ज्यादा अच्छे नहीं हैं, पर हमेशा के लिए गंभीर प्रभाव पड़ेगा और हमें फैसला करना होगा कि क्या हम इस नए खतरे का मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारी करने के बारे में सोचेंगे।

इन सारे अशुभ हालातों, चाहे वे पाकिस्तान में हों, हिन्द महासागर में हों, पर निगरानी रखनी होगी। और मेरे विचार से अब समय आ गया है जब हमें अपनी समूची रक्षा नीति की समीक्षा करनी चाहिए और इसे पुनः निर्धारित करना चाहिए और रक्षा सेनाओं पर किए जा रहे खर्च के ढांचे में परिवर्तन करना चाहिए। इस संबंध में मेरा पहला सुझाव है कि हमें वर्तमान रक्षा बजट को लगभग 4 प्रतिशत बढ़ाकर कम से कम 6 प्रतिशत कर देना चाहिए इसके पीछे कारण है कि पैसे की कमी के कारण, रक्षा मन्त्रालय और हमारी सरकार हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए आवश्यक हथियार और सैनिक साज समान जुटा पाने में मुश्किल महसूस करती हैं। यह चीज बाधक बन रही है और मुझे विश्वास है कि यह सभा देश रक्षा सेनाओं के खर्च में अतिरिक्त खर्च में अनिच्छा नहीं दिखाएगी बशर्ते हम यह भी जान सकें कि इस राशि का सही उपयोग ही रहा है और इस धन का उपयोग हम भविष्य के लिए अपनी सशस्त्र सेनाओं की तैयारी करने में रहे हैं।

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं रिपोर्ट पढ रहा था तो एक जगह मैंने पढा कि रक्षा व्यय पर विश्व में सबसे कम खर्च करने वाला देशों में से एक देश है भारत। मेरे विचार से यह गर्व से कहा गया है, लेकिन में समझता हूं कि इसमें गर्व करने की कोई बात नहीं है, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि रक्षा मन्त्रालय जो कुछ अब व्यय कर रहा है, उससे अधिक उसे रक्षा पर खर्च करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि रक्षा मन्त्रालय द्वारा जो व्यय किया जाता है उसे यदि सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए, और उन्हें अधिक राशि दी जाए, तो मुझे विश्वास है कि हमारी रक्षा तैयारी में तेजी आयेगी। मुझे श्री कृष्ण मेनन के शब्द याद आ रहे हैं...

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : इसे गर्व से नहीं कहा गया है इसे एक तथ्य के रूप में कहा गया है और शायद उनको जवाब देने के लिए कहा गया हैं जो कहते हैं कि हम रक्षा व्यय पर बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : श्रीमन् मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम पर्याप्त धन राशि नहीं खर्च कर रहे हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह मेरा भी मत है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : और मैं समझता हूं कि इस सभा का कोई भी सदस्य ज्यादा खर्च किए जाने का बुरा नहीं मानेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : दोनों प्रबल सहमति हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मेरा दूसरा सुझाव यह होगा कि तीनों रक्षा सेनाओं पर होने वाले व्यय को भी युक्ति-युक्त बनाये जाने की आवश्यकता है मैं इसलिए कह रहा हूं, जिससे

रक्षा सेनाओं के तीनों अंगों का संतुलित विकास हो सके। मेरा विचार है कि इस समय स्थल सेना पर जो 65 प्रतिशत व्यय किया जा रहा है उसे घटाकर 55 प्रतिशत कर दिया जाए। यह इसलिए नहीं कि स्थल सेना की आवश्यकताएं कम हैं या वहां ज्यादा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन तथ्य यह है कि अभी तक सारा जोर स्थल सेना को आधुनिक बनाने और उपकरण आदि उपलब्ध कराने पर ही रहा है। मैं समझता हूं कि हालांकि उनकी आवश्यकताएं पूरी तरह से पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक ये आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं। हम अन्य दो सेनाओं की मांग पूरी करने के लिए इसके खर्च में कमी कर सकते हैं। दोनों सेनाओं को पैसे की कमी कारण नुकसान हुआ है।

इस समय नौसेना पर लगभग आठ प्रतिशत खर्च किया जाता है। मेरे विचार से इसे बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार वायु सेना का व्यय 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। रक्षा अनुसंधान और विकास पर इस समय जो केवल 2 प्रतिशत व्यय किया जा रहा है वह बिल्कुल कम है। मैं समझता हूं कि इसे बढ़ा कर 5 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।

मेरा तीसरा सुझाव है कि सुरक्षा वातावरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनायी जानी चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं ताकि उसके अनुसार भावी योजनाएं बनायी जा सकें। मात्र असैनिक लोगों के हाथों में यह मामला छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। मैं जानता हूं कि इस प्रश्न पर एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति है लेकिन मुझे बताया गया है कि जो लोग इस समिति में हैं वे सभी सिविलियन हैं। इस समिति में एक भी सेना संबंधी विशेषज्ञ नहीं है। मुझे ऐसा बताया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं अपना कथन बदलने को तैयार हूं। यहां हमारी सेनाओं के सेनापति भी इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हैं। मैं इसलिए चाहता हूं कि ऐसी संस्था होनी चाहिए, जिसमें बाहरी विशेषज्ञ, शैक्षिक विद्वान और सेना संबंधी विशेषज्ञ शामिल हों। हालांकि हमारे देश में कई एक विशेषज्ञ हैं। यह संस्था हमारी आवश्यकता क्या है सारे विश्व में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, और उन परिवर्तनों के संदर्भ में हमें क्या करना है, आदि के लिए जिम्मेदार होनी चाहिए। इस बारे में एक दीर्घ कालीन भावी योजना तैयार की जानी चाहिए।

कल, मेरे माननीय मित्र श्री अमल दत्त ने तदर्थ वाद के बारे में जिक्र किया था। मैं भी तदर्थवाद के विरुद्ध हूं। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब हमें महसूस करना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान ने साथ हमारे संबंध सामान्य नहीं हो जाते जब तक पाकिस्तान अमरीकी विश्व युद्ध नीति का हिस्सा बना रहता है और पाकिस्तान जब तक पैंटागन की शतरंज का मोहरा बना रहता है तब तक हमारी सुरक्षा को हमेशा ही खतरा बना रहेगा। जब तक पाकिस्तान के साथ यह स्थिति बनी रहती है तो मैं नहीं समझता कि निकट भविष्य में पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में काफी सुधार होगा, और ऐसी स्थिति में हमें स्वयं तैयार रहना होगा।

अब मैं रक्षा मन्त्रालय की रिपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैंने बड़े ध्यान से यह रिपोर्ट पढ़ी है। इस रिपोर्ट में हमारे रक्षा संगठन के ढांचे और गठन के बारे में विस्तार

से बताया गया है लेकिन इसमें वास्तविक कार्य निष्पादन और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में आलोचनात्मक और अर्थपूर्ण मूल्यांकन नहीं किया गया है, इस जानकारी के अभाव में हम इस बात का सही मूल्यांकन नहीं कर सकते कि पिछले एक वर्ष में हमें आगे बढ़े हैं या पीछे रहे हैं, कार्यों का नाम दिया गया है लेकिन यह नहीं बताया गया कि ये परियोजनाएं कब शुरू की गई, कितना कार्य किया गया है, देरी कहां हुई और इसके क्या कारण हैं।

इन सब बातों को स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अभाव में हमारे लिए यह जानना बहुत कठिन है कि हमारी रक्षा तैयारी में हमारी स्थिति क्या है।

उदाहरण के तौर पर रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वायु सीमा रक्षा भू वातावरण प्रणाली योजना (ए० डी० जी० ई० एस०) सन्तोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है हम नहीं जानते कि यह कार्यक्रम कब आरम्भ किया गया, हम इसमें कहां तक पहुंचे हैं, वह समय सीमा क्या है जिसमें यह योजना पूरी हो जायेगी, और अन्य जानकारी क्या क्या हैं।

इसी प्रकार एस० बी० टी० परियोजना 1972 में आरम्भ की गई थी और अभी तक यह पूरी नहीं हुई है। हम जानना चाहते हैं कि देरी क्यों हुई और इस देरी के कारण हैं। बैरल फील्ड सर्वोलेन्स राडार, के बारे में क्या जानकारी है ? 155 एम एम होविरजर तोप के बारे में क्या स्थिति है ? इस परियोजना में काफी समय लग चुका है। लेकिन हम अभी तक यह नहीं तय कर पाये हैं कि हम आस्ट्रेलिया, फ्रांस या अन्य किसी देश का इसमें प्रस्ताव स्वीकार करें।

इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि इस तोप को पहले ही स्वीकार कर पाकिस्तान की स्थल सेना में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और हम अभी तक इस बारे में विचार ही कर रहें हैं। यही स्थिति हवाई जहाजों के बारे में है।

पाकिस्तान के पास साइड बाइन्डर सहित एफ-16 विमान हैं। हमने अपना निर्णय अभी तक नहीं किया कि क्या उस विमान के मुकाबले हम मिटाज जगुआर अथवा मिग-29 कर उपयोग करें। यह मुद्दा अभी तक अनिर्णित है कि हमें कौन सा विमान उसके मुकाबले में चुने जिसका कि हम बाह्य सहायता के बिना निर्माण कर सकें। इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना है। पनडुब्बियां तथा हैलीकोप्टरों की भी वैसी ही स्थिति है। हम उनके बारे में पढ़ते हैं परन्तु हम नहीं जानते कि हम अपनी सुरक्ष सेनाओं में कब उन्हें चालू करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राजेश पाइलट ने कल बाहर से शस्त्र खरीदने के बारे में एक बहुत युक्त बात उठाई थी उन्होंने कहा कि हमें भविष्य में सैनिक सामान सरकारी स्तर पर उन देशों से खरीदना चाहिए जो उनका उत्पादन करते हैं किसी समूह विशेष में एजेंटों के माध्यम से नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये समूह किसी न किसी शक्ति के प्रभाव में होते हैं, क्योंकि सब पर उन शक्तियों का इतना अधिक प्रभाव होता है कि कभी-कभी विलम्ब से मिलता है और गुमराह भी करते हैं।

बेहतर होगा कि भविष्य में हम खरीद के करार सरकारों से करें ताकि हमारी आवश्यकता की पूर्ति अविलम्ब हो सकें।

श्रीमती गीता मुखर्जी, (पंसकुर) : महोदय, चूंकि रक्षा तथा विदेश विभाग परस्पर सम्बन्धित है इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश पर एक अध्याय जोड़ा गया है।

मेरी राय में इसमें स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया कि भारत की सुरक्षा की बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से खतरा कहां से पैदा होता है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह पुरानी कहानी है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह पुरानी कहानी इसलिए क्योंकि पुरानी बातें जारी हैं । स्वभावतः ऐसा होगा। मुझे पता चला है कि हिन्द महासागर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां से हमें खतरा है यह पता लगाना जरूरी है कि चुनौती किसकी तरफ से है क्योंकि अंततः सैनिक नीति उसी से संबद्ध है। सभी जानते हैं कि हम अपने ही संसार में रह रहे हैं।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव पृष्ठ भूमि में चला गया है। उसके लिए कौन उत्तरदायी है। क्या यह सच नहीं है कि अमरीका तथा नाटो द्वारा निरन्तर बाधाओं से संयुक्त राष्ट्र की तदर्थ समिति ने हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र में बदलने के प्रस्ताव को 1968 में स्थागित करा दिया। अमरीका के आग्रह से यह चौथा स्थगन है लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं समझती हूं कि इस बारे में सही अवलोकन न करना हमें लाभदायक नहीं रहेगा।

पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि अफगानिस्तान में रूस के विद्यमान करने का पाकिस्तान पूरा लाभ उठा रहा है जैसे कि यह केवल इसीलिए है कि पाकिस्तान में रूस के रहने के कारण ही पाकिस्तान लाभ उठा रहा है पाकिस्तान ऐसा क्यों बना रहा रहा है यह बात स्पष्ट क्यों नहीं की जाती कि पाकिस्तान की सैनिक सरकार का सदा भारत विरोधी रवैया रहा है। उस बारे में अमरीका का हाथ प्रमुख है क्योंकि वह उन्हें बढ़ावा देता है। इस बात को बिना किसी देश की मैत्री अथवा, अन्यथा सम्बन्धों, के बावजूद स्पष्ट किया जाना चाहिए।

व्यवधान

अमरीका की विश्व नीति यही आप कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने इसका लाभ उठाया है अमरीका से यही तो पूछा जा रहा है। मैं समझती हूं कि सुरक्षा प्रयत्नों की तैयारी के संदर्भ में सुरक्षा के वातावरण का अध्ययन किया जाना चाहिए।

मैं हिन्द महासागर के 36 तटीय राज्यों तथा 11 भीतरी प्रदेशों की परिस्थिति पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती हूं जिनका गुट-निर्पेक्ष आन्दोलन से संबंध है जोकि वास्तव में अमरीकी विश्व व्यापी आणविक युद्ध नीति का वास्तविक रूप में शिकार बन गए हैं ।

रक्षा बजट को कुछ सदस्यों ने रहस्यात्मक बताया है । परन्तु रक्षा बजट के रहस्य पूर्ण होने के कारण हम उस पर अर्थ पूर्ण वाद-विवाद नहीं कर सकते। कभी-कभी यह बातें समाचार पत्रों में आती हैं। क्यों नहीं संसद को विश्वास में रखते हुए सभी नहीं, तो कम से कम मुख्य बातों पर चर्चा की जाती। यदि आप उपयुक्त सुझाव चाहते हैं तो भविष्य में ऐसा किया जाना चाहिए।

मैं एक निरीह महिला हूं। शस्त्रों की मार मार में मैं कुछ नहीं कर सकती। आप

शस्त्रों के मामले पर मुझे से बड़े बड़े भाषणों की उम्मीद नहीं कर सकते। परन्तु देश की सुरक्षा में रुचि रखने वाले नागरिक के नाते मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी।

तदर्थ योजना तथा दीर्घ कालीन योजना के बारे में समझती हूं कि दीर्घकालीन योजना अत्यावश्यक है। उदाहरणतः हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे। हम किसी पर हमला नहीं करना चाहते। यदि दूसरे हम पर हमला करते हैं तो हमें अपना बचाव करना है।

(व्यवधान)

मैं समझती हूं प्रक्षेपास्त्रों पर बल दिया जाना चाहिए ताकि हम अपने पर किए गए हमले का प्रतिकार कर सके। मैं वास्तविक स्थिति नहीं जानती हूं। इस बारे में हम जानना चाहेंगे।

आत्म-निर्भरता के लिए अनुसंधान और विकास अत्यावश्यक हैं। मैं समझती हूं इस वर्ष उस पर अनुदान 176 करोड़ से बढ़ाकर 236 करोड़ किया गया है। तो भी मैं समझती हूं अनुसंधान तथा विकास पर समुचित महत्व नहीं दिया गया। वृद्धि केवल मूल्य वृद्धि को पाट सकेगी।

फिर अपने इंजन की विजयन्त अथवा अन्य टैंकों की बात की है। मैं समाचार पत्रों में पढ़ती हूं कि या तो हम इस बारे में कई देशों से बातचीत कर रहे हैं या बहुत से देश इस बारे में उत्सुक हैं। मैं नहीं समझती कि अनुसंधान तथा विकास की सहायता से हम इस समस्या पर काबू पा सकते हैं। उसी प्रकार कुछ अन्य क्षेत्रों में यहां हमारी शिल्प निधि ने कुछ तरक्की की है हम निश्चय और भी उपलब्ध कर सकते हैं। अनुसंधान तथा विकास का अधिक योगदान होना चाहिए।

नौ सेना के बारे में सभी का कहना है कि उस पर इस बार अधिक धन दिया गया है। बढाये गये अनुदान का 85 प्रतिशत स्टोर पर लगेगा। तक आधुनिकीकरण कैसे होगा। मैं समझती हूं कि आधुनिकीकरण नहीं हो रहा। हर किसी ने जनशक्ति आयोजना की बात की है। मैं समझती हूं हमारे सेवानिवृत्त लोगों को किसी दूसरी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

अंत में एक सुझाव देना चाहूंगी। हाल ही में 'नाम' व्यूरों की मंत्री स्तरीय बैठक 'स्वायो' की सैनिक सहायता के लिए हुई थी। मेरा सुझाव है कि भारत सरकार नाम्बिया में 'स्वायो' के सैनिकों की सहायता करने के लिए सेनाएं भेजें। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हम अंतर्राष्ट्रीय ब्रिगेड के बारे में जानते हैं। पंडित नेहरू स्पेन में इससे इतने प्रभावित हुए थे। आज की दुनिया में यदि हम ऐसा करते हैं तो यह हमारे अभिनयन के अनुरूप ही होगा।

कुमारी ममता बनर्जी (आदवपुर) : मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद।

रक्षा मंत्रालय हमारे देश में महत्वपूर्ण संगठन हैं। युद्ध का समय हो या शान्ति का

मंत्रालय अच्छा कार्य कर रहा है। इतना अच्छा कि सभा को हमारे मंत्रालय की रक्षा सेनाओं, स्थल, वायू एवं नौ सेनाओं की उनके अच्छे कार्य के लिए बधाई देनी चाहिए। हम भारतीय लोग जीवन में मौज उड़ाने की चेष्टा करते हैं। परन्तु हमारे जवानों को जो ड्यूटी पर तैनात हैं चाहते, भोजन के लिए एवं जीवन में मौज के लिए कोई अवसर नहीं है। यह रूप घंटे देश की सेवा में अर्पित करता है। अतः हमें अपने रक्षा मंत्रालय पर गर्व है--उनकी सत्यनिष्ठा, निष्ठा गतिशीलता के लिए हम मंत्री महोदय के अभारी हैं, तथा रक्षा सेनाओं के प्रति भी उनकी देशभक्ति, के लिए अभारी हैं।

कुछ विपक्ष के सदस्यों ने अहमदाबाद का उल्लेख किया है। परन्तु मैं समझती हूं कि यह रक्षा मंत्रालय पर चर्चा ग्रह मन्त्रालय पर नहीं। में समझता हूं कि यही एक मंत्रालय है जिसकी हम आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें राजनीति को स्थान नहीं है, इसमें एकता, राष्ट्रीय और निष्ठा का प्रश्न है। मैं अपने मित्रों से निवेदन करता हूं कि हम मिलकर आगे बढ़े, एकता की बात सोचें एकता की बात करें। हमारी धारणाए एक हों। हमारे हृदय एक दूसरे के साथ मिले हुए हों।

महोदय, यह महत्वपूर्ण विभाग है। जवान देश की रक्षा के लिए 24 घंटे न्यौछावर रहते हैं। सरकार को जवानों का सर्व रूपेण विकास की बात करनी चाहिए।

मैं कहना चाहती हूं कि जब जवानों की परिवार की जिम्मेदारियां बहुत अधिक होती हैं तब सेना, नौ सेना वायू सेना, के जवानों को 35-40 वर्ष की उमर में सेवा निवृत कर दिया जाता है। उन्हें तब या तो फुटपाथ का सहारा लेना पड़ता है या चतुर्थ श्रेणी का पद स्वीकार करना पड़ता है। प्रति वर्ष सेना नौ सेना तथा वायू सेना से लगभग 60000 लोग सेवा निर्वृत होते हैं। उनमें से अधिकांश को उचित नौकरी नहीं मिल पाती तथा सम्पत्ति आदि द्वारा तथा थोड़ी पेंदान सेवा निवृत्ति लाभों से भी उनका पुनर्वास नहीं हो सकता। अतः इन जवानों का समुचित रूप से पुनर्वास किया जाना चाहिए।

महोदय, भारतीय जवानों ने अच्छे तथा आधुनिकतम यंत्रों से युक्त शत्रुओं को परास्त किया है। उन्होंने चीन के पहले के समय 1962 में अपना शौर्य दिखाया है तथा 1965 और 1971 में पाकिस्तानी हमलों का सामना किया ओपरेशन ब्लयू स्टार के दौरान भी स्वर्ण मंदिर में अपने कर्त्तव्य का पालन किया।

महोदय, यह सच है कि वर्तमान बजट में सरकार ने रक्षा के लिए निधि बढाई है। मुझे इसके लिए प्रधान मंत्री का धन्यवाद करना है। सरकार को यह धन न केवल उपकरणों विकास और आधुनिकीकरण के लिए अपितु जवानों के कल्याण तथा अच्छी सुविधाओं के लिए भी किया जाना चाहिए।

मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहूंगी ;

1. हमें आधुनिकतम शस्त्रों का निर्माण करना चाहिए। उच्च किस्म के विमानों शस्त्रों तथा उपकरणों का आधुनिकीकरण होना चाहिए ताकि जब हमारे जवान विकसिन देशों की तुलना में हमारे विकास को मिलायें तो उन्हें प्रोत्साहन मिले।

2. केन्द्रीय सरकार, सरकारी उपक्रमों, राज्य सरकारों के संगठनों तथा मदें सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखे जायें।

3. श्री के० पी० सिंह देव उच्च शक्ति प्राप्त समिति की भूतपूर्व सैनिकों के लिए देश के पदों के आरक्षण संबंधी सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

4. राष्ट्रीय केडिट कोर्पस को पुनः चालू किया जाना चाहिए तथा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि उन्हें रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में भर्ती किया जाये।

5. खाने की अच्छी किस्म होनी चाहिए। मर्दी फायर-प्रूफ होनी चाहिए तथा उपकरण परमाणु शस्त्रों का मुकाबिला करने वाले।

महोदय, मुझे रक्षा की जानकारी नहीं है, अतः मैं सभी बातों पर नहीं बोल सकती। मैं अपने कुछ प्रस्ताव सभा के समक्ष रख रही हूं। कृपया हमारी पूज्या मां इन्दिरा जी के नाम पर एक महिला ब्रिगेड की स्थापना करें जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। हमने उनको सुन नहीं सकेंगे। उन की वाणी लोगों के लिए न्याय की पक्षपाती थी। मैं उद्धृत करती हूं :

"आने वाली पीढिया इस बात पर विश्वास नहीं करेंगी कि कभी इस धरती पर ऐसे व्यक्तित्व का वास था।"

कोई वृक्ष उसके फल द्वारा पहचाना जाता है। इन्दिरा जी को उनके क्रिया-कलापों और उपलब्धियों द्वारा जाना जा सकता है। अतः इन्दिरा जी का अर्थ है राष्ट्रीय एकता, एवं बलिदान। यदि आप इन्दिरा जी के नाम पर महिला ब्रिगेड गठित करते हैं तो यह उचित ही होगा। हम आपके आभारी होंगे। महिलाओं को अधिकाधिक अवसर देने के लिए महिला ब्रिगेड की स्थापना करें।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रक्षा मंत्री द्वारा पुरःस्थापित मांगों का समर्थन करता हूं।

महोदय, सुरक्षा पर्यावरण के बारे में प्रतिवेदन में जो कहा गया है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश के दक्षिणी छोर में एक हजार किलोमीटर भीतर अस्त्रों को एकत्र किया जा रहा है। दिआगो गार्सिया अमरीका नौ सेना और वायु सेना की गतिविधियों का अड्डा बना हुआ है और उन्होंने वहां पर विभिन्न प्रकार के अड्डों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यह स्थान अस्त्र को एकत्र करने का स्थान मात्र नहीं है अपितु यह एक ऐसा मुख्य स्थान है जो पूरे दक्षिण एशिया में अमरीका के युद्धा-भ्यास का स्थान बना हुआ है। उसने वहां हवाई पट्टी बनाने के लिये एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है जहां से वह अपना कार्य संचालन कर सकें। और यह एक मजबूत केन्द्र हो। पाकिस्तान भी हमारी सुरक्षा और शांति के लिये खतरा बना हुआ है। आपके पिछले अनुभव से हम यही महसूस करते हैं।

महोदय, रक्षा मंत्रालय द्वारा व्यय की गई राशि में हम देखते हैं कि उस समय राशि का 36.7 प्रतिशत भाग वेतन और भत्ते पर व्यय किया जाता है। चौथे वेतन आयोग की सिफारिश पर यह राशि और भी बढ़ जाएगी। इसलिए हमें इस पहलू पर ध्यान रखना होगा और वेतन और भत्तों के रूप में उन्हें दी जाने वाली देय राशि पर किसी अतिरिक्त व्यय के प्रति चिंतित नहीं होना चाहिये।

अब, महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि हमारे पास एक विश्लेषण प्रणाली और समन्वित दृष्टिकोण होना चाहिये। सेना से संबंधित कोई हथियार अथवा कोई अन्य मद खरीदते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि थल सेना, नौ सेना और वायु सेना का दृष्टिकोण समेकित और समन्वयकारी होना चाहिये। क्या ही अच्छा होगा कि उन तीनों अंगों को प्राथमिकता दी जाती और समेकित दृष्टिकोण रखा जाता इसके कि प्रत्येक अंग विशेष का महत्व दिया जाता। कुछ ऐसे मद हो सकते हैं जो धन सेना, नौ सेना और वायुसेना तीनों के लिये आवश्यक हों। समेकित दृष्टिकोण अपनाने पर ऐसा नहीं होगा। मैं एक ठोस उदाहरण दूंगा। नौ सेना को समुद्र तट से दूरस्थ स्थानों के तेल की खुदाई के कुओं की सुरक्षा के लिए विमान और भारी नौ सेना बल की आवश्यकता हो। किन्तु यह आवश्यक नहीं होगा कि युद्ध के दौरान कुओं को पहले से ही बंद करने का सुझाव दिया जाए। विश्व के अनेक उन्नत देशों में यह प्रणाली विश्लेषण अपनाया जा रहा है और यथा सम्भव वैकल्पिक मामलों के संबंध में आने वाली प्रभावी लागत की जांच की जा रही है।

महोदय, चूंकि मेरे पास सीमित समय है, इसलिये मैं केवल भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के बारे में कुछ बातें कहूंगा। उच्च स्तरीय समिति में (जिसमें मैं भी एक सदस्य था) छः संसद सदस्य और उतने ही मंत्री थे तथा श्री के० पी० सिंह देव उसके सभापति थे। इस समिति ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के ठीक चार दिन पूर्व 27 अक्तूबर, 1984 को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तत्कालीन प्रधान मंत्री ने उस प्रतिवेदन को देखा था। वह प्रतिवेदन इस सभा में भी प्रस्तुत किया गया था। देश भर के भूतपूर्व सैनिक इस प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। पूरे देश के भूतपूर्व सैनिकों की मूल समस्या यह है कि वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं किन्तु "भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण" का विषय राज्य सूची में है और उसका प्रबंध भी राज्य सरकारों के अधीन है। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण की बात सुनिश्चित करके केन्द्रीय मार्ग निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को कहा जाना चाहिये। जो जवान अपने यौवन के दिन अपनी मातृ भूमि के लिए बलिदान कर देते हैं ; अवकाश प्राप्त करने के बाद उनकी देख भाल अच्छी प्रकार की जानी चाहिये। मुसीबत की घड़ियों में वे लोग हमारी रक्षा करते हैं। राज्य सरकारों को इसलिये उनकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिये कि वे अब सेना में नहीं हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय समिति ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक संसदीय समिति करने की सिफारिश की थी। जो उनके लिये विभिन्न कल्याणकारी उपायों को लागू किए जाने का

ध्यान रखेगी तथा जिसकी प्रतिच्छाया राज्य के विधान मंडलों में भी परिलक्षित होगी। महोदय, यह केन्द्र सरकार और राज्यों के विधान मंडलों का उत्तरदायित्व है कि वे सेवा-निवृत्ति के बाद जवानों और उनके परिवारों के कल्याण का ध्यान रखें।

इस बात को सुनिश्चित किया जाये कि उन्हें राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और खंड स्तर पर राज्य के सिविल प्रशासन द्वारा छोटी-छोटी बातों के लिये परेशान न किया जाय। जब कोई जवान वायुसेना, थल सेना अथवा नौ सेना से सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह जाता है कि समाज में उसका कोई स्थान नहीं है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि उसे अभिवादन मिले तो कोई बात नहीं किन्तु कम से कम उनके प्रति अनुकम्पा, पर्याप्त सम्मान और सहानुभूति की भावना बनी रहे। पेंशन के भुगतान में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि उस समिति के प्रतिवेदन पर शीघ्र निर्णय लिया जाय। उस भूमि के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सैनिकों की वह भूमि जो उन्हें विरासत में मिली होती है उस पर किरायेदार अधिकार जमा लेते हैं और उनके वापिस आने पर उन्हें नहीं लौटाते। किरायेदारी के नियमों के प्रभाव से सैनिक कार्मिकों की भूमि को छूट देने के लिए राज्य किरायेदारी कानून में संशोधन करना आवश्यक है।

महोदय, जैसा कि हमारे मित्र श्री राजेश पायलट ने कल कहा था सशस्त्र सेना की भर्ती में अब उतना आकर्षण नहीं रह गया है। विवाह संबंधी विज्ञापनों में लिखा रहता है कि "सैनिकों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।" हम लोगों को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि सेना का नैतिक बल ऊंचा रखा जाए। यह हमारी राष्ट्रीय सत्यनिष्ठा के लिए भी आवश्यक है।

महोदय, संकट के समय में सिविल प्रशासन द्वारा सहायता लिए जाने के लिए सेना को बुलाने की घटनायें बढ़ रही हैं। पंजाब की जटिल समस्या को सुलझाने के लिए मैं जवानों के प्रति सम्मान प्रकट करता हूं और मैं इस बात को कार्यवाही वृत्तांत में लाना चाहता हूं कि 'ब्लू-स्टार' आपरेशन में हमारे देश के अनेक वीर सपूत-शहीद हो गये थे। सच्चे अर्थ में राष्ट्र के नायक हैं। भारत सरकार बधाई की पात्र है। रक्षा मंत्रालय ने मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जैसे वीरोचित पुरस्कार देकर ठीक कार्य किया है। महोदय, जो लोग राष्ट्र को तोड़ने की बात कर रहे हैं वही राष्ट्र की एकता को नष्ट-भ्रष्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं।

गत वर्ष, सेना ने हमारे देश की अखंडता की रक्षा की और यदि अमृतसर में उन वीरों ने अपना शौर्य न दिखाया होता तो आज राष्ट्र इस स्थिति में न होता। राष्ट्र के आह्वान राष्ट्र पर वे आगे आये और इस आह्वान पर उन्होंने राष्ट्र के गौरव और सम्मान की रक्षा की तथा राष्ट्र को विजय दिलाई। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके आश्रित दर-दर की ठोकरें न खायें।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने निर्वाचन में स्थित हमीरपुर और ऊना की दो छावनियों की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारी राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में एक आयुध कारखाना स्थापित करने की मांग करती रही है। हमारी सरकार भूतपूर्व सैनिकों के

कल्याण के लिये कुछ न कुछ करती रही है। रक्षा मंत्री के साथ-साथ मैं भी हिमाचल प्रदेश में एक आयुध कारखाना मंजूर करने की सिफारिश करता हूं क्योंकि ऐसा करना वहां अपेक्षित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से यहां के एक हजार से अधिक व्यक्ति मातृ भूमि की रक्षा के लिये शहीद हो चुके हैं। महोदय, संकट के सबसे अधिक कठिन समय में देश की अखण्डता बनाये रखने के लिए मैं रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र सेनाओं को बधाई देता हूं। जिससे इस महान उपलब्धि के लिए वे गर्व और गौरव का अहसास कर सकें।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, काफी इन्तजार के बाद मुझे समय दिया, इस के लिए में आप को धन्यवाद देती हूं। में थोड़ा आप की घंटी से डरती हूं। मैं अपने समय के अन्दर ही पूरा करूंगी पर घंटी का हन्टर वहीं मेरी पीठ पर न पड़े, इस का आप ध्यान रखें।

उपाध्यक्ष महोदय आज हिन्द महासागर जैसा शान्त और गंभीर महासागर भी अशान्ति की लहरों में जल रहा है और वहां पर अशान्ति की लहरों उठ रही है। वहा आज खतरे की घंटी बज रही है और विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं। अमरीका ने वहां पर, डियागो गार्सिया में अपने 30 सैनिक अड्डे बना रखे हैं। और हजारों की तादाद में युद्ध विमान वहां एकत्रित कर रखे हैं। 80 युद्धपोत वहां इकट्ठा किये गये हैं और तीन परमाणु पन-डुब्बियों के जो बेड़े हैं, वे हमारे शान्ति के क्षेत्र में इकट्ठा कर के अशान्ति पैदा की जा रही है। हमारे तटीय क्षेत्र बहुत बड़ा है बहुत विशाल है जिस की रक्षा के लिए हमें विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा कौन सी परमाणु पनडुब्बी किस कौने में जा कर छिपी हैं और कब खतरा पैदा कर सकती है, इस ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और उनके लिए हमें अपनी जलसेना को बहुत शक्तिशाली पड़ेगा अगर हमें यह भी जरूरत पड़े कि हमें अपने पास परमाणु शक्ति आयुद्ध रखनी है, हमें बनाना इस तरह की पनडुब्बियां बनानी हैं जिनसे कि हमारे शासन देश की रक्षा हो सकती है तो हमें वह भी बनानी चाहिए।

मैं तो इस बात को कहूंगी कि हमारे शासन को आज सब से अधिक धनराशि की जरूरत अपने देश की रक्षा के लिए खर्च करना चाहिये। हम अपना विकास चाहते हैं, हम आगे बढ़ना भी चाहते हैं लेकिन देश की आजादी की रक्षा अगर खतरे में पड़ गई देश गुलाम हो गया तो कहां हमारे विकास कार्य जाएंगे कहां हमारी और योजना जाएगी इसलिए सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने देश की रक्षा पर अधिक से अधिक ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय, अमेरिका हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर आधुनिक और शक्तिशाली हथियार दे रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब हमने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया उसने अपना हाथ पीछे कर लिया भारता वर्ष एव शांतिप्रिय देश है और वह जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलता है और तमाम राष्ट्र के साथ दोस्ती रखना चाहता है और खास तौर से अपने पड़ौसी देश से दोस्ती और अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना चाहता है। लेकिन आज पाकिस्तान के अन्दर अमेरिका के शक्तिशाली

आयुध और आधुनिक इक्विपमेंट हो रहे हैं। इनसे खतरा है तथा हमें उनके रहने की आवश्यकता है, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इन सब को देखते हुए हमें अपने सैनिकों को जवानों को बहुत शक्तिशाली और आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित करना पड़ेगा।

हमारे जवान चाहे हिमालय की बर्फीली चोटियां हों, चाहे रेगिस्तान की तपती धूप हो अपनी जान हथेली पर रख कर देश की रक्षा के लिए प्रस्तर की मूर्ति की तरह खड़े रहते हैं

अगर हम उन्हें शक्तिशाली और आधुनिक हथियार नहीं दे सके तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए, उनको और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए इस बात की जरूरत है कि हम उनको अच्छे से अच्छे आयुधों और उपकरणों से लेश करें और उनको शक्तिशाली बनाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज उन लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिन्होंने जलियांवाला बाग के अन्दर शहीद हुए उन वीरों का अनुसरण किया जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए हंसते-हंसते सीने पर गोलियां खाई। उसी जलियांवाला बाग के अन्दर देश में कुछ उग्रवादी तत्वों ने सिर उठाया था। उन उग्रवादी तत्वों, और उपद्रवी तत्वों ने पड़ोसी और दूसरे मुलकों से मिल कर एक षड्यंत्र रचा था और देश की आजादी को खतरें में डालने को था।

हमारी एकता और अखंडता को नष्ट करने का प्रयत्न किया था। उनको दबाने के लिए हमारे सैनिक वीरों ने जिस धैर्य और वीरता से काम किया और इस भावना से काम किया कि किसी के धर्म की भावना को ठेस न पहुंचे, चाहे उनके सीने गोलियों से छलनी हो जाएं, वे भी हमारी प्रशंसा के पात्र हैं। स्मरणीय जिन वीरों ने इस तरह से अपने प्राणी की बलि दी है, उनके लिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करुंगी कि उनका स्मारक बनाया जाए जिस-से कि आने वाली पीढ़िया इस बात को देखे और जाने कि हमारे वीर-बहादुरों ने हथियान रहते हुए भी दूसरों के धर्म की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के लिए किस तरह से धैर्य से और संयम से काम लिया। इस वीरता के काम को हमारी आने वाली पीढ़ी को जानना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, में खजुराहो क्षेत्र से आती हूं। वहां जिला छतरपुर के अन्दर एक नौगांव जगह है जहां पर कि एक रिसर्च यूनिट है। वह एक बहुत छोटा सा यूनिट है और उसमें थोड़े से लोग हैं। लेकिन वहां से कुछ उन जवानों का जो पटना से शस्त्र ले कर नवम्बर के प्रथम सप्ताह में विद्रोहियों की पंजाब में सहायता हेतु जा रहे थे वे जब हजारों मील की यात्रा कर जब नौगांव पहुंचे।

उन उग्रवादियों को वहां के चन्द रिसर्च यूनिट के वीरों आत्मसमर्पण कराया, घेरा डालकर उनको बंदी बनाया, उनकी मैं सराहना करता हूं और उनको धन्यवाद और बधाई देती हूं। इसी तारतम्य में मैं आपको यह याद दिलाना चाहती हूं कि नौगांव में कभी फौज की बहुत बड़ी छावनी हुआ करती थी। वहां पर अगर मैं गलत नहीं कह रही हूं तो हमारे जनरल थिमैया और पाकिस्तान के भी एक बहुत बड़े नेता ने ट्रेनिंग ली, ये वहां के स्टूडेंट रहे हैं आज वहां पर लाखों-करोड़ों की इमारत ध्वस्त हो रही है, एक छोटा सा रिसर्च यूनिट भर रह गया है। वहां पर जितनी जमीन चाहिए, सरकार देने के लिए तैयार है, इसलिए मैं आग्रह करना

चाहती हूं कि नौगांव के अन्दर या तो आर्टिलरी की एक रेजीमेंट या एक पैदल सेना की बटालियन बनाई जाए तथा वहां पर आफिस आदि खोले जाएं, ताकि यह स्थान जो अपने आप में बहुत सुरक्षित स्थान है, उसका रक्षा की दृष्टि से उपयोग किया जा सके, रक्षा की दृष्टि से वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा तथा दस्यु समस्या के हल करने में भी सहयोग होगा-लोगों में अनुशासन अयगा।

इसी तारतम्य में मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं कि वहां पर जो युनिट चल रहा है, उसमें काम करने वाले लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई अच्छा विद्यालय नहीं है। मेरा अनुरोध है कि वहां पर एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किया जाए ताकि उन सैनिक के बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिल सके जो रिसर्च यूनिट में काम कर रहे हैं।

इसी प्रकार जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत उनको पूर्ण सहयोग दिया जाना चाहिए। तथा सैनिकों की जो विधवाएं हैं, जिन्होंने अपने सुहाग को देश के ऊपर न्योछावर कर दिया है, वे नन्हें-नन्हें बालक, जिनके ऊपर से पिता की छत्र छाया चली गई है, उन्हें कोई कमी महसूस न हो, यह राष्ट्र के हर व्यक्ति का कर्त्तव्य हो जाता है। उनको यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वे अनाथ हैं, उनको यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वे निराश्रित हैं। उन बच्चों तथा सैनिकों की विधवाओं को हर तरह से सुबिधाएं दी जानी चाहिए। उनकी शिक्षा, उनके रहने और भरण-पोषण का, उनके स्वास्थ्य का, उनकी हर तरह की सुविधाओं का ध्यान रखना हमारा नैतिक कर्त्तव्य हो जाता है, हमारा फर्ज हो जाता है।

इसी तरह से एक निवेदन और करना चाहती हूं मंत्री महोदय से कि जो कालेज से ग्रेजुएट्स को डिग्री दी जाती है, हम चाहते हैं कि ग्रेजुएट्स को डिग्री जब दी जाए जब उसे एक साल की आर्मी की ट्रेनिंग दे दी जाए। यदि उसको हम आर्मी की ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, कम से टेरीटोरियल आर्मी की ट्रेनिंग दी ही जा सकती है। उसके बाद उनको डिग्री दी जाए। इससे हमारे नौजवानों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा होगी, उनमें अनुशासन आएगा और एक पीछे की आर्मी तैयार होगी।

मैं अनुरोध करूंगी कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे कि इसके साथ-साथ परमाणु शक्ति की जो लड़ाई का खतरा सारे विश्व में चल रहा है, इससे निपटने और अपने आपकी रक्षा करने के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए और मेरा सुझाव है कि इसके लिए हम एक कमेटी बनाएं, जिसकी बैठक बंद कमरे में और वह इस बात का निर्णय करें कि हमें किस नीति पर चलना चाहिए, किस तरह से चलना है। उसी प्रकार हमारी रक्षा हेतु शास्त्रास्त्र बनाने वाली फैक्टरियां हैं उनमें उत्पादन ठीक हो, काम ठीक हो, इस ओर भी ध्यान दिया जाये। जबलपुर गन फैक्टरी में बहुत गड़बड़ है। वहां वर्कर और अधिकारीगण में मन-मुटाव है। कार्य सही नहीं होता। अनुशासन नहीं है। काम के समय बेकार बैठे रहते हैं। इसे ठीक किया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः यह मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अमृतसर के अन्दर जो शहीद हुए हैं उनको पक्का दें और दूसरी तरह से उनको सम्मानित करें, उनके लिए स्मारक

बनाएं। शहीदों के लिए उनकी याद में यही कहा जा सकता —

शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,
वतन पर मरने वालों का, यही बाकी निशां होगा।

5.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन् (बड़ागरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जी० एन० पी०की प्रतिशतता की तुलना में हमारा रक्षा व्यय 1980-81 में 3.37 प्रतिशत था और अब चालू बजट में 3.75 प्रति है ? अमरीका, सोवियत संघ अथवा ब्रिटेन की तुलना में यह व्यय बहुत कम है जहां रक्षा व्यय लगभग 5.2 प्रतिशत है और जबकि पाकिस्तान का रक्षा व्यय 7 प्रतिशत है। किन्तु रक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय 8.5 अमरीकी डालर पड़ता है। जबकि कोई भी यह प्रश्न नहीं करता कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ऐसे गरीब देश की अमीर देश के समान रक्षा परिव्यय की इतनी अधिक राशि क्यों हैं ; हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि हमारे रक्षा व्यय में मितव्ययता रहे और रक्षा के लिए नितांत आवश्यक राशि ही व्यय हो ? इस संदर्भ में मेरा विचार है कि इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए और इसकी कुल 9216 करोड़ रुपये की मांग के लिए, जो हमारे बजट का एक बहुत बड़ा अंश है, जो 6 घंटे का समय रखा गया है, वह कम है ?

इसलिए मैंने अनेक बार यह मांग की है कि रक्षा नीति और व्यय की संवीक्षा के लिए एक संसदीय नामक समिति गठित की जाए जिसकी बैठक नियमित रूप से एक अन्तराल पर होती रहे और जिसमें इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा होती रहे ! मैं यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि इसकी सिफारिश हमारी संसद की दो महत्वपूर्ण वित्तीय समितियों—लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति ने भी हाल ही में की थी ?

भारत को आज एक ऐसी युद्ध नीति के पर्यावरण का सामना करना पड़ रहा है जो खतरों से पूर्ण है ! 'स्टार वार्स' समर्थक उन देशों के लिए मूलरूप से खतरा बने हुए हैं जो निरस्त्रीकरण शांति और मैत्री के समर्थक हैं ! इन्हें नैतिक समर्थन तो प्राप्त नहीं है किन्तु इनके कारण भारत जैसे देश के लिए अपने अस्तित्व के लिए कुछ मूलभूत चुनौती पूर्ण प्रश्न उठ खड़े हुए है। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खरते बने हुए हैं। इस खतरे का अनुमान कम करके नहीं लगाना चाहिए। इस का यह अर्थ नहीं है कि हमें देश में एक युद्ध को भय का वातावरण तैयार करना चाहिए, जो उतना ही खतरनाक है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी युद्ध शक्ति बढ़ा रहा है और उसके पास उच्च कोटि के आधुनिककतम अस्त्र हैं। वह अनेक मूलभूत और आधार पूर्ण समस्यायें उठाता है और हमारे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ता कुछ अन्य देशों की सहायता से पाकिस्तान ने जो परमाणु अस्त्र बनाने की संभावना अभिव्यक्त की है वह हमारे राष्ट्र के हित में उसका शत्रुतापूर्ण रवैया है, उससे हमारा खतरा और बढ़ गया है किन्तु फिर भी आप आपने प्रतिवेदन में उन देशों के नाम का उल्लेख करने से क्यों कतराते हैं ? क्योंकि मौन रहना अधिक उत्तम है और लोक प्रसिद्ध तीन बंदरों की कहानी चरितार्थ करती है !

'खाड़ी अथव ाहिन्द महासागर मे जो घटनाएं उथल ही हो रही हैं वह भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है ? दूसरी ओर उत्तर में पड़ौसी महान चीन देश है, जो अपने समाज, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी सुरक्षा क्षमता को आधुनिकतम रूप दे रहा है। जहां तक चीन का सम्बन्ध है, उसके बारे में हम लोगों में सूझ-बूझ से काम लेना होगा और हम लोगों का अपने राजनयिक कदम इस प्रकार उठाने होंगे कि चीन के साथ हमारे सामान्य सम्बन्ध बन सकें और हमारा सीमा सम्बन्धी विवाद हल हो जाए। इस संदर्भ में, मुझे जनरल थिमैय्या की यह उक्ति याद आती है :—

"हमारी मूलभूत सुरक्षा का हित और राष्ट्र का हित इस बात में निहित है कि इन समस्याओं के लिए सैनिक कार्यवाही की अपेक्षा राजनयिक हल ढूंढा जाए।"

सुरक्षा सम्बन्धी इन विचारों के साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए रक्ष क्षमता को सर्वाधिक राष्ट्रीय प्राथमिकता और आवश्यकता देनी पड़ेगी।

किन्तु मैं यह देखता हूं ऐसी प्रौद्योगिकी के लिए जिन्हें देश में ही विकसित किया जा सकता है, विदेशी सहयोग लेने की प्रकृति उत्तरोत्तर बढ़ ी जा रही है। अनेक मामलों में दोहरी प्रौद्योगिकी भी है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसी प्रौद्योगिकी को आयात के प्रति आर्थिक नीति उदार है।

मुझे पता है कि आज के युग में विकासशील क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रति बड़ी स्पर्धा चल रही है और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन हो रहा है और मुझे यह पता है कि हम लोग इस प्रकृति से बच नहीं सकते हैं और यदि बचना भी चाहे तो अपने जोखिम पर ही। किन्तु यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम लोग अपने अनुसंधान और विकास कार्यों को किस सीमा तक विकसित कर जाते हैं और इस काम को हम लोग ढाई अथवा साढ़े तीन प्रतिशत के आबंटन से नहीं कर सकते जैसा कि श्री सुरेन्द्र पाल सिंह ने कहा था।

मैं यह भी जानता हूं कि यह अर्थ व्यवस्था और उद्योग के संदर्भ में किये जाने वाले अनुसंधान और विकास कार्यों पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में हमें "मैन बैटल टैंक"—जो 1970 और 1980 के बीच की एक परियोजना है—जैसी परियोजना के विकास का भी मूल्यांकन करना चाहिये।

एम बी. टी. परियोजना, जो 1974 में आरम्भ की गई थी, मैं भी इसी प्रकार के उतार-चढ़ाव आए हैं। इससे पूर्व 1981, 1982 और 1983 के रक्षा मंत्रालय में प्रतिवेदनों में भी वही बात कही गई है जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं :—

"एम. बी. टी. के विभिन्न उप-प्रणालियों के विकास कार्य को पूरा करने का काम जारी था।"

इसके बाद आपके लब्ध प्रतिष्ठ पूर्वाधिकारी ने प्रोटो टाइप एन. बी. टी. के बारे में आश्वासन देते हुए कहा था कि वह दिसम्बर, 1983 तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद जनरल स्टाफ क्वालीटेटिव रिम्बायर मेंट्स (जी. एस. क्यू. आर.) को खत्म कर दिया गया

था और 1982 में उसे नये सिरे से तैयार किया गया था। किन्तु इंजिन काम न कर सका और यह परियोजना पूरी न हो सकी।

अब, इस वर्ष के प्रतिवेदन में रहस्य पूर्ण ढंग से जो कहा गया है, उसे में उद्धृत करता हूं :—

"चेतक का अनुसंधान और विकास हमारी नियोजित "मैन बैटल टैंक" जारी है।"

मैंने समाचार पत्रों से भी सुना है, जिसके बारे में इस प्रतिवेदन के माध्यम से सभा, के सदस्यों को भी नहीं पता है कि इसका नाम बदलकर अर्जन रख दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वही चीज है।

अब ऐसा प्रतीत होता है कि इसे पश्चिम जर्मनी से आयातित एम. टी. यू. इंजिन के आधार पर तैयार किया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि सी. वी. आर. डी क्या है और आवादी कोमबेट व्हीकल रिचर्स एण्ड डेवलपमेंट प्रतिष्ठान क्या कर रहा है ? इस परियोजना में हम लोग मिलने आत्म निर्भर हो सके हैं, इसके बारे में संसद को बताना होगा और उसे यह भी बताना होगा कि क्या इस परियोजना के संबंध में हम लोगों को नाटों देशों से आयात किए गए संघटकों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा जिसके संचालन में हर प्रकार का जोखिम और कठिनाइयां हैं जिसके बारे में वर्तमान रक्षा मंत्री को ही अच्छी प्रकार से पता है जो बड़ी योग्यता के साथ हमारे विदेशी संबंधों के मामले भी निपटा रहे हैं।

मैं अपने वैज्ञानिकों के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। विशेषकर डा० अरुणाचलम् और उनके साथियों के प्रति विशेषकर उनसे प्रति जो हैदराबाद के डी. एम. आर. एल. में कार्यरत हैं के प्रति मेरे मन में बहुत अधिक आदर और सम्मान है जिन्होंने हमारे रक्षा उद्योग को धातु विज्ञान का आधार प्रदान किया और कोई रक्षा के मामले में आत्म-निर्भर बनाया है। परन्तु एम. बी. टी. की सच्चाई को प्रकट करने की आवश्यकता है।

हमारे वर्षों पुराने 'नेटो' के बदले में लिए जाने वाले हल्के लडाकू विमानों की परियोजना के बारे में भी यह उतना ही सच हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि इसके विकास को एक स्वायत्त समिति पर क्यों छोड़ दिया गया है ? और क्या यह सच है कि यह उस ब्रिटिश नागरिक की सुविधा के अनुरूप किया जा रहा है जो कि इस समिति से संलग्न है ? इसमें 600 करोड़ रुपये से अधिक व्यय होगा, परन्तु किसके द्वारा और कैसे ? पहले यह कहा गया था कि एक स्वीडिश मॉडल जे. एस-39 को ठीक पाया गया है। अब मुझे बताया गया है कि एक रालस रायल इन्जिन अरबी 199, जिसकी टारनोड एयर क्राफ्ट में समस्याएं थीं, चुना जा रहा है और इस इन्जिन को सज्जित करने हेतु एयर-क्रेमों को हवाई मार्ग से भेजा गया है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या हम ब्रिटिश विमानन उद्योग की विकास लागत को वहन करने जा रहे हैं और आर. बी. 199 की समस्याओं से सम्बद्ध होना चाहते हैं ? मैं चाहता हूं कि रक्षा मन्त्री महोदय इस समस्या पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें।

5.11 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

सेना ने न केवल हमारी प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा करने, अपितु राष्ट्रीय एकता के महान तत्व के रूप में भी एक निर्णायक और सार्थक भूमिका निभाई है। परन्तु इस संकट काल में राजनीतिक नेतृत्व और राष्ट्र को कुछ निर्णायक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकाधिक सेना पर निर्भर करते जाने का आग्रही रवैया, जिसका मेरे माननीय मित्र और प्रतिष्ठित अग्रज श्री एच. एम. पटेल ने उल्लेख किया है, जोकि मन्त्री महोदय द्वारा दो दिन पूर्व 23 अप्रैल को इस सभा में दिए गए उत्तर के अनुसार निरन्तर वृद्धि पर है। 1982-83 में सेना की सहायता 82 अवसरों पर ली गई थी जो कि 1983-84 और 1984-85 में बढ़कर क्रमशः 96 और 157 हो गई। इस रवैया का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू स्वयं 'वल्यू स्टार आपरेशन' में भी परिलक्षित हुआ है, जहां पर सेना को सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए जाना पड़ा। इस प्रकार की परिस्थितियों में सेना को जुटाना एक खतरनाक रवैया है और 'आपरेशन वल्यू स्टार' हमारे लिए एक चेतावनी होनी चाहिये। जबकि उन पीड़ितों और सेना के साथ सहानुभूति होनी चाहिए, जिन्हें इस सैनिक कार्यवाही में जानों का भारी नुकसान उठाना पड़ा परन्तु मैं कहता हूं कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था जो कि उन कुछ अधिकारियों और लोगों को अलंकृत करने के लिए लिया गया था जिन्होंने इस कार्यवाही में स्वयं को विश्वसनीयता से ढ़ाप लिया था।

प्रो० एन० जी० रंगा : प्रश्न।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन् : ऐसे समारोह अलंकरण और सम्मान भविष्य में कम से कम बाह्य शत्रु के साथ युद्ध में भाग लेने वालों के लिए आरक्षित रखे जाने चाहिये।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम सभा में रक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध अनुदानों पर चर्चा कर रहे हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि सिविल प्राधिकारियों के सहायतार्थ सेना को भेजने का निर्णय रक्षा मंत्रालय की परिधि में नहीं है। क्या रक्षा मंत्रालय के अनुदानों पर चर्चा के दौरान सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए सेना को बुलाने औचित्य, न्यायिकता पर सभा में चर्चा किया जाना नियमों के अधीन अनुमेय है ?

सभापति महोदय : वह अपने विचार प्रगट कर रहे हैं। अतः व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा : ये बहुत ही विवेकहीन विचार हैं।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन् : मैं प्रतिष्ठित नेता और संसदविज्ञों में वरिष्ठ और उनके मित्रों को वैसा मानने के अधिकार को अवश्य मानता हूं, परन्तु मेरे अपने विचार हैं। इसी प्रकार हमारी कोर्ट मार्शल की प्रक्रियाओं को भी समय की भावना के अनुरूप बनाना होगा। एक वर्ष में औसतन 2000 कोर्ट मार्शल के मामले होते हैं। कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया पर अमरीका के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति विलियमओं, डगलस की टिप्पणी थी :

"कोर्टमार्शल न्यायिक जांच के अधीन व्यक्ति के मन में आतंक खड़ा कर देता है। जबकि सिविल सुनवाई व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण में सहायक वातावरण में की जाती है, सैनिक सुनवाई प्रतिकारी न्याय की वर्षों पुरानी सुस्पष्ट विधि के विधान की सूचक होती है।"

यहां तक कि फील्ड मार्शल मानेकशा जैसे सिपाही का भी छठे दशक के आरंभ में एक अरोपित अविवेकी टिप्पणी को लेकर कोर्ट मार्शल किया जाना था और यदि उनके भविष्य को बिगाड़ दिया जाता तो हमें इतने महान सिपाही की सेवाओं से हाथ धोना पड़ता।

सेना नियम 173 में व्याख्या की गई है कि फील्ड दण्डभुगत रहे व्यक्ति का किस प्रकार बन्धन किया जाए "जिससे कि वह स्थिरता से अपनी टांगों पर खड़ा रह सके, यदि बांधा जाए तो पैर 12 इंच से अधिक खुले नहीं होने चाहिये और उसके लिए यह संभव होना चाहिए कि वह प्रत्येक कदम तीन इंच तक बढ़ा सकें इत्यादि...।" यहां तक कि सेना अधिनियम की धारा 164 के अधीन दिए गए उपायों का कोई अर्थ नहीं है। बहुत से उच्च न्यायालयों ने यह निर्णय दिया है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि 6 अधिकारियों और कार्मिकों के प्रबन्ध का मूल्यांकन देर लेफ्टिनेंट जनरल हीरा समिति बने। इसने बजाय इसके कि अपने स्वयं के निर्णयों के विरुद्ध अपील में उच्च अधिकारियों को फैसले के लिए बैठाया जाए, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को चोट पहुंचाने वाली और अनैतिक परिपाटी है, सांविधिक अभ्यावेदनों के विचारार्थ एक निष्पक्ष बाह्य निकाय का सुझाव दिया। मैं रक्षा मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सिफारिश को लागू किया जाएगा।

यहां तक कि जनरलों के विरुद्ध मूर्खतापूर्ण और तुच्छ आरोपों पर कोर्ट-मार्शल का आदेश देना बहुत ही जोखिम भरा रवैया है जो कि देश के सिविल कानून के अधीन संवीक्षा वहन न कर सकेगी। मैं नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं परन्तु इस नीति के फिर-फिर अपनाए जनरलों की सेवाओं से वंचित हो जाना पड़ा है। जैसा सेना का इतिहास दर्शाता है जनरल कोई रातों-रात नहीं बनाए जाते हैं और हमें यह याद रखना होगा कि वे सभी मुख्य हैं।

यह बात इतनी ही उनके वेतन ढांचे के बारे में भी सच है। यदि उनमें से बहुत से यह समझते हैं कि निजी या सरकारी क्षेत्र में नौकरी पाना कहीं अच्छा है तो फिर हमें स्वयं को अच्छी प्रतिभाओं की सेवाओं से वंचित रखना पड़ेगा। अतः अधिकारियों और जवानों प्रति वर्ष उन 60,000 भूतपूर्व सैनिकों के प्रति भी जो सेना छोड़ देते हैं। हमारे व्यवहार में मौलिक परिवर्तन करने पड़ेंगे। इस बारे में राज्य सरकारें निकृष्टतम अपराधी हैं। देश अपने वचन से फिर नहीं सकता है।

मैं अपनी सेनाओं में प्रेरणा की मुख्य समस्या का उल्लेख करना चाहता हूं। जबकि चीन के पास एक शिक्षित सेना है, पाकिस्तान की सेनाएं घृणा की बपौती से प्रेरित होती हैं। अतः, हमारे अधिकारियों और जवानों को प्रेरणा प्रदान करना महत्वपूर्ण है जो कि हमारे राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत लक्ष्यों पर आधारित हो। जब पक्षपात का खेल निरन्तर चल रहा हो

तो प्रेरणा कैसे प्रदान की जा सकती है ? मैं स्वयं को किसी विवाद में नहीं डालना चाहता हूं। देश को आश्वासन चाहिए कि श्रेष्ठ सिपाही उच्चतम पद तक पहुंचे जैसा कि जनरल कटोच ने हाल ही में एक प्रबुद्ध लेख में लिखा है जिसमें उद्धृत कर रहा हूं।

"ऐसे संकेत चिन्ह है कि चाटुकारिता पहले से ही एक सिद्धान्त के रूप में पनप रही है और यह शीघ्र ही एक मानक जीवन उपकरण बन जाएगी।"

प्रतिरोधी क्षमता के परिवर्तित परिदृश्य में, नौ सेना ने महत्वपूर्ण आयाम ग्रहण कर लिया है। इसे सौतेले बच्चा नहीं बदान रहने दिया जा सकता है। नौ सेना के लिए आवंटन की एक विशेष समिति द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए और बढ़ाई जानी चाहिए जिसकी ओर मेरे मित्र. सुरेन्द्रपाल सिंह ने उल्लेख किया है और हमारी नौ सेना क्षमता के विपुल विस्तार को पूर्ण समर्थन दिया जाए। अत:, जब हमारी सर्वाधिक चौकसी बरतने की आवश्यकता पर और हमारी रक्षा सेनाओं और उत्पादन साज-सामान को समर्थन देने की आवश्यकता पर राष्ट्रीय सहमति है तो यह तभी किया जा सकता है जब उत्तरदायित्व निश्चित किया जाए और लोगों को रक्षा, विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की परस्पर-निजी भूमिका के प्रति सजग किया जा सके।

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय 23 माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है और उनके द्वारा दिए गये बहुत ही महत्वपूर्ण सुझावों के लिए मैं उनका आभारी हूं मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि उनके सुझावों को नोट कर लिया गया है और जब कभी हम देखेंगे कि वास्तव में इन सुझावों पर कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये तो हम कार्यवाही आरंभ करेंगे।

प्रतिवेदन और भाषणों में सुरक्षा वातावरण का बड़े ही स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया गया था। सभा का समय बचाने के लिए मैं कोई अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि 'उस मुद्दे पर सभा में पूर्ण सर्वसम्मति है और मैं इसे दोहराना नहीं चाहता हूं। यह सच है कि समस्त विश्व उधार के समय पर जी लगा रहता है। हम नहीं जानते कि इसका अन्त कब होगा यह दुनियां कब तक चलेगी और इसको उस ढंग से कौन चलायेगा जिसमें मानव की गरिमा का समावेश हो। अत: इन सब अनिश्चितताओं में यह स्पष्ट है कि प्रत्येक देश को स्वयं प्रयास करना होगा और सुनिश्चित करना होगा और यह देखना होगा कि क्या उसका स्वयं का जीवन उस सीमा तक निश्चित है, जितना कि वह निश्चित कर सकता है क्योंकि अन्तत: समस्त मानव जाति का जीवित बने रहना उन लोगों द्वारा निश्चित किया जा सकता है जो इसका विनाश करने की स्थिति में हैं, अन्यों द्वारा नहीं। अत: सम्भव सीमा तक प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं अपना अस्तित्व अपनी रक्षा बनाए रखनी होगी। जहां तक भारत की बात है, हमारे उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमारा राष्ट्र शांतिपूर्ण हैं और हजारों वर्षों से हम शांति के हामी रहे हैं और शांति के उपासक बने रहेंगे। केवल इतना ही नहीं, शांति की हमारी परिकल्पना, आधुनिक शब्दावली में इन दिनों शांति से हम जो कुछ समझते हैं, उससे व्यापक रूप में भिन्न हैं हमारे अनुसार और हमारे प्राचीन ऋषियों और धर्मग्रन्थों के अनुसार शांति की लड़ाई एवं युद्ध की अनुपस्थिति से तात्पर्य नहीं हैं, उनके लिए जो भगवान में विश्वास करते हैं यह मानव और उसके वातावरण

के मध्य, और प्रकृति, मानव और ईश्वर के बीच सौहार्द की उच्ची गुणवत्ता है। अतः शांति की यह परिकल्पना है और इसलिए हम इसके लिए ठीक ही संघर्ष करते रहे हैं। सदियों से हम इसे करते आए हैं और करते रहेंगे। महोदय, इसके अतिरिक्त हम तो गुट-निरपेक्ष राष्ट्र हैं और इससे स्थिति मुश्किल हो जाती है।

अनेक सदस्यों ने मुझसे पूछा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है वैसा क्यों नहीं किया जा रहा उनके अनुसार हमारी रक्षा से तैयारी वैसी क्यों नहीं हैं जैसी कि होनी चाहिए।

रक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग प्राप्त करने में हमारी कठिनाई का क्या मूल कारण है, वह यह है कि क्योंकि हम गुट-निरपेक्ष देश है। और हमें सदैव चौकस बने रहने चाहिए ? और सदैव तैयारी बनी रहनी चाहिए। इसका कारण भी हमारा गुट-निरपेक्ष होना ही है। यदि हम गुट-निरपेक्ष नहीं होते तो हमें अपनी रक्षा की चिन्ता करने की आवश्कता नहीं थी। फिर रक्षा की किसी और की ही गारन्टी होगी। अतः यह एक दुष्चक्र है। एक गुट-निरपेक्ष देश को जो रक्षा में आत्म-निर्भर रहना चाहता है, उस देश से कहीं अधिक संघर्ष करना पड़ेगा जो कि गुट-निरपेक्ष होने का दावा तो करे, परन्तु अपने ही ढंग से वह सब प्राप्त कर सकें, जो वह चाहता है। अतः वास्तव में गुट-निरपेक्षता एक समस्या है, हमारी शक्ति है और उसके साथ-साथ जो कुछ भी और जहां कहीं से भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें अड़चन बन जाता है। इसलिए, रक्षा के क्षेत्र में एक सच्चे गुट-निरपेक्ष देश के रूप में, गुट-निरपेक्ष विश्व के नेता के रूप में हमारा संघर्ष बहुत से अन्य देशों के मुकाबले कहीं अधिक कठिन होने जा रहा है। रक्षा पर चर्चा करते समय इस बात को समझना आवश्यक है।

जैसाकि बताया गया है हमारा रक्षा परिव्यय उतना ही रहा है जितना कि परिस्थितियों के अंतर्गत संभव है। मैं यह तो नहीं कहूगा कि हम उससे कहीं अधिक खर्च कर रहे हैं जितना कि हमें करना चाहिए। मेरी ऐसी धारणा बिल्कुल नहीं है। हम तो उतना व्यय कर रहे हैं जितना कि हम कर सकते हैं। मेरा तो यही कहना है, यद्यपि दो मत हो सकते हैं। कोई कह सकता है कि हम बहुत कुछ खर्च कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जैसा कि श्री उन्नीकृष्णन ने बताया है, न केवल बहुत से अन्य उन्नत देशों के सम्बन्ध में परन्तु हमारे उन पड़ोसियों के सम्बन्ध में भी, जिनकी कि तैयारियां कुछ ऐसी हैं जिसका कि हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। हम तो श्री एन० पी० के लिए बहुत कम खर्च कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ सम्भवतया मैं यह भी नहीं कह सकता हूं कि हमें रक्षा पर ही बहुत अधिक खर्च करना चाहिए क्योंकि किसी भी देश की प्रगति के लिए और रक्षा के मामले में भी तीन बातों का होना अनिवार्य है।

प्रथम है कि रक्षा को कूटनीति का सहारा मिलना चाहिये। दूसरे रक्षा को विकास का समर्थन मिलना चाहिए। विकास के बिना रक्षा हो ही नहीं सकती है। अतः ये तीन बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों में सन्तुलन बहाए रखना अपने मत का मामला बन सकता है परन्तु मैं पूर्ण नियन्त्रण से दावा करता हूं कि सरकार ने इन तीनों बातों को उचित परिप्रेक्ष्य में रखा है और रक्षा को हम जो कुछ प्रदाज कर सके हैं यह वही है जो कुछ परिस्थिति के अधीन प्रदान कर सकते हैं। यह सौ करोड़ ज्यादा भी हो सकता है और कम भी परन्तु यह

बहुत अधिक या कम नहीं हो सकता है। अतः हम संभव की सीमा में हैं हम वांछित की सीमा में हैं और जो कुछ जहां आवश्यक हो भावी वृद्धि और विकास के लिए जहां आवश्यक हो अच्छा समझते हैं। कुछ भी हो, जो कुछ हम व्यय के लिए प्रदान करते हैं उसको सही ढंग से खर्च किया जाना चाहिए।

इस पहलू पर माननीय सदस्यों ने अपने स्पष्ट विचार रखे हैं और मैं उनके विचारों से सहमत हूं। नौ सेना के संबंध में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रत्येक माननीय सदस्य ने इस बात को नोट किया है कि हमने नौ सेना के लिए पहले की अपेक्षा अब अधिक धनराशि का उपलब्ध किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि नौ सेना करो अभी और अधिक धनराशि देने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी धनराशी का उपबन्ध करते हुए हमने उनसे यह पूछने का प्रयास किया था कि उनके अनुसार कितनी धनराशि समुचित होगी हो सकता है कि वे इस धनराशि से पूर्णतया सन्तुष्ट न हों किन्तु मैं यह भी जानता हूं।

इसीलिए हमने नौ सेना पर व्यय करने की अपनी क्षमता तथा उसके आधुनिकीकरण के बीच सन्तुलन रखने का प्रयास किया है। और आधुनिकीकरण के बारे में हमने जो परिव्यय रखा है वह पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है इसीलिए आधुनिकीकरण के लिए धनराशि में काफी वृद्धि की गई है। उदाहरण के तौर पर 1980-81 में आधुनिकीकरण के सम्पूर्ण कार्यक्रम पर हमने 621 करोड़ रुपये व्यय किये, पांच वर्षों बाद 1985-86 में हमने इसके लिये 2178 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है 1981-82 में हमने अनुसंधान और विकास पर 76 करोड़ रुपये खर्च किये जो बजट का 1.96 प्रतिशत बनता है। 1985-86 में हमने 300 करोड़ रुपये दिये जो बजट का 3.66 प्रतिशत बनता है किन्तु अभी भी यह धनराशि उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए किन्तु फिर भी उससे अधिक है जो पांच वर्ष पहले थी।

इसी प्रकार नौ सेना को 1980-81 में 342 करोड़ रुपये दिये गये जो रक्षा बजट 8.83 प्रतिशत बनता है इस वर्ष यह धनराशि 986 करोड़ रुपये है जो बजट का 13.03 प्रतिशत बनता है। एक धनराशि इतनी होनी चाहिए। अतः हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं अब हम कह सकते हैं कि नौ सेना की न्यूनाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई है किन्तु नौ सेना के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और हम इस बात को समझते हैं।

(व्यवधान)

महोदय, ऐसा नहीं है। जब आधुनिकीकरण की बात आती है तो उसके अनेक पहलू हैं केवल भंडारों या केवल किसी एक चीज के बारे में ही बात नहीं की जा सकती। मैं आधुनिकीकरण के बारे में एक एक मुद्दा लूंगा और यह बताने का प्रयास करूंगा कि माननीय सदस्यों के मन में इस बारे में गलत धारणाएं हैं, वे उचित नहीं हैं।

महोदय, पिछले दो दिनों से यह आलोचना दी जा रही है कि हम बातों को बहुत गोपनीयता रखते हैं और हम वास्तव में सभा को सभी तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं। यद्यपि कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि वे सभी तथ्यों के बलों में नहीं जानना चाहते, किन्तु जो जानकारी उन्हें दी गई है, वे उससे कुछ अधिक जानकारी चाहते हैं। ठीक है मैं उनका

धन्यवाद करता हूं कि वे सभी तथ्यों के बारे में नहीं जानना चाहते। वास्तव में, कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे भी सम्पूर्ण तथ्य मालूम नहीं कुछ संचालनगत मामलों के बारे तो रक्षा मन्त्री को भी हर समय सभी तथ्यों की जानकारी नहीं होती। अतः इस बारे में सही सूचना ही दी जाती है और अनेक बातों की जानकारी नहीं दी जाती है हमें इस व्यवस्था को स्वीकार कर चलना होगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : केवल गुप्तचर इन बातों को जानते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : नहीं गुप्तचर भी इन बातों को नहीं जान सकते क्योंकि यह तो जासूसी तथा पुनः जासूसी पर जासूसी का प्रश्न है जासूसी की चालें तो चलती रहती हैं। यदि आप यह सोचते हैं कि किसी ने कोई वस्तु ले ली है अथवा खरीद ली है उससे हमें स्थायी रूप से हानि हो जाएगी, बात ऐसी नहीं है। यद्यपि यह अच्छी बात नहीं कि कथिपय सूचना किसी के द्वारा खरीद ली अच्छी बात नहीं है। किन्तु यदि आप यह सोचें कि इससे हमारी रक्षा व्यवस्था को अत्यधिक हानि हो गई तो ऐसा सोचना गलत है ऐसा चलता रहता है। जब युद्ध का प्रश्न होता है तो साथ साथ जासूसों और जासूसी के जबाव में जासूसी की गतिविधियां चलती रहती हैं वास्तव में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों ओर से जासूसी करते हैं। ऐसा चलता रहता है। यह बात युद्ध संबंधी साहित्य, युद्ध सम्बन्धी उपन्यासों और युद्ध संबंधी पुस्तकों से स्पष्ट है। अतः इस विषय पर यहां अधिक चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तथ्य को तो स्वीकार करके चलना होगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जब भी कभी कोई घटना होती है तो असुविधायें हानि होती है और न ही होने दी जाएगी। किन्तु माननीय सदस्यों ने यह आलोचना की है कि तथ्यों को गोपनीय रखते हैं, इस बात का हम उत्तर देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि यह आलोचना वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ होने के कारण की जा रही है, अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि अनेक बातों के बारे में सरकार कोई गोपनीयता नहीं रखती है। यदि आप युद्ध टेंक देखना चाहते हैं तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। यदि आप यजगांव पत्तन देखना चाहते हैं, यदि गैस टर्बाइन प्रयोग देखना चाहते हैं मैं आपको दिखा सकता हूं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : आप आश्वासन तो दे रहे हैं। आप इस आश्वासन को पूरा भी करना।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने आश्वासन इसलिए दिया है कि उन्हें पूरा करूंगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि लक्ष्यों को गोपनीय रखने का कोई प्रश्न नहीं है। मेरे विचार से प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा अन्य समितियों ने इन कतिपय संस्थानों का दौरा किया होगा। मुझे इसका पक्का पता है। अतः गोपनीयता कहां रखी जाती है ? आप चाहे उन समितियों के सदस्य हों अथवा न हों, आप भी इन्हें देख सकते हैं। इन बातों में गोपनीयता की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, मैं चाहूंगा कि आप उन्हें देखें। आप 'अर्जुन' देखिए। कि यह एक दूसरी बात है यदि आप उसके निष्पादन के बारे में कुछ जानते होंगे तो आप जान सकेंगे कि यह कैसे कार्य करता है आप देख सकते हैं कि यह कैसे कार्य करता है। मैंने उसे देखा है किन्तु मैं उसके बारे में कुछ अधिक नहीं समझा सका हो सकता है आप मेरे से कुछ बेहतर समझ सकें।

हम आपको इन स्थानों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। हम आपको यह सब दिखाने के लिए तैयार हैं। यदि आपकी वास्तव में इन बातों में रुची है तो हम आपको इनके बारे में जानकारी देंगे। कुछ समाचारों को जो तथ्यों पर आधारित नहीं होते देखकर ...

श्री अमल दत्त : आपने हमें ऐसा समझ लिया है जो वे बुनियाद बातों पर विश्वास कर लेते हैं।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : मैंने ऐसा नहीं समझा है। आपने स्वयं को उस स्थिति में डाल दिया है। यदि आपने मुझे छोटा सा पत्र लिख दिया होता तो मैं आपको पूरा ब्यौरा दे देता।

श्री अमल दत्त आप से सम्पर्क का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि आपसे पहले वाले रक्षा मन्त्री महोदय ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी थी और न ही उन्होंने बहस के उत्तर के दौरान मेरे प्रश्न का उत्तर दिया था।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अब एक बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सभा में किसी विषय विशेष के बारे में घोषणा करना एक बात और जब भी आप चाहें, उसके लिए ब्यौरा देना दूसरी बात है। इन दोनों बातों में जो अंतर है, उसे ठीक से समझ लेना चाहिए।

श्री अमल दत्त : मैं जानता हूं कि इन दोनों बातों में क्या अन्तर हैं। इतनी अकल हममें है, यह बात तो आप स्वीकार करेंगे।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जब आप इतने समझदार हैं तो आपने मुझे पत्र क्यों नहीं लिखा।

श्री अमल दत्त : मैंने आपसे पहले पूर्व वाले मन्त्री महोदय से पूछा था और उन्होंने सभा में ही कहा था कि वे उसका उत्तर नहीं दे सकते। आप अपनी उदारता के एक अथवा दो नमूने दे सकते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं।

श्री अमल दत्त : हम वह देखना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं न कि वह जो हमें आप दिखाना चाहते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम आपको दर्शनीय दौरे पर नहीं ले जाना चाहते। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। आप बताईए कि आप क्या देखना चाहते हैं। यदि आपको उस दौरे पर ले जा सकता तो मैं इसकी शीघ्र ही व्यवस्था कर लूंगा। यदि मैं आपको नहीं ले जा सका तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वे ऐसा कुछ देखना चाहते हैं जो वांछनीय नहीं है।

श्री पी० वी नरसिंह राव : यह सम्भव है। किन्तु मुझे आशा है कि वे कभी मुझे ऐसा कुछ देखने के लिए कहेंगे जो वांछनीय होगा। मैं उन्हें इसका अवसर दे रहा हूं।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं उन्हें जनवरी के मास में त्रिशूल देखने के लिए लद्दाख ले जा सकता हूं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : कुछ माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने सेना में और रक्षा सेवाओं में कार्य किया है और उन्हें उस विषय का ज्ञान है, उन्होंने यहां के ढांचे के बारे में एक मुद्दा उठाया है, उसके सम्बन्ध में मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं उनके विचारों का सम्मान करता हूं जो उन्होंने अमरीका की पद्धति से भारत में चीफ-आफ-ज्वायंट स्टाफ की प्रणाली लागू करने के बारे में व्यक्त किये हैं महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसा करके अपनी प्रणाली का अब मूल्यन कर पहे हैं। जब की उनमें से इस विषय के जानकार, जिन्होंने चीफ आफ स्टाफ की हैसियत से कार्य किया है। वे उनकी प्रणाली की अवमानना का हमारी प्रणाली प्रशंसा कर रहे हैं।

अत: यह परस्पर प्रशंसा तथा स्वयं अवमानना करने की प्रक्रिया का प्रश्न है। मैं इन अत्यन्त महत्व पूर्ण जनरलों को कर्नल मशरन के कथन के बारे में बताना चाहता हूं। जनरल डेविड जोन्स ने कांग्रेस समिति में साक्ष्य दिया था और उसने कहा था कि उनकी कार्य प्रणाली सफल नहीं हुई है। ज्वायंट स्टाफ कमेटी का स्वयं अध्यक्ष होने के बाद उन्होंने कहा कि यह प्रणाली सही नहीं है और उन्होंने उसके दोषों की एक लम्बी सूची गिना दी थी। हमें ऐसी किसी प्रणाली की इसलिये प्रशंसा नहीं करनी चाहिये क्यों कि हम यह सोचते हैं कि शायद हमारे यहां वर्तमान प्रणाली की अपेक्षा वह प्रणाली अधिक सफल रहेगी।

हमें उस पर खुले मन से सोचना होगा और यह देखना होगा कि उस प्रणाली में किसी प्रकार की अनिश्चितता तो नहीं है। इस प्रकार की धारणा पैदा नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी प्रणाली में परिवर्तन करने जा रहे हैं हम इस सम्बन्ध में पूरी तरह दृढ़ संकल्प हैं कि हमारे यहां की प्रणाली ही जारी रहेगी। इस प्रणाली के अंतर्गत समन्वय सुनिश्चित है और मैं पिछले दो या तीन महीने अपने अल्प अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यह परस्पर समन्वय बंडल बढ़िया है चाहे यह आर एंड० डी के क्षेत्र में हो, या उत्पादन को, क्षेत्र में, चाहे यह रक्षा सेनाओं के तीनों अंगों का हो, समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है और मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हर सप्ताह मेरी अध्यक्षता में एक बैठक होती है और हम सभी समस्याओं तथा कठिनाईयों को सुलझाने का प्रयास करते हैं और मुझे सारी रिपोर्ट दी जाती है। अन्य स्तरों पर वे स्वय समन्वय सुनिश्चित कर रहे हैं। इसलिए सेना के तीनों लोगों के कार्यचालन में कोई समस्या नहीं है और अन्य एजेंसियों के साथ भी उनका खूब समन्वय चल रहा है मेरे विचार से इस मुद्दे पर कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

यह सच है कि विश्व में अनेक प्रणालियां हैं। हम उनका शैक्षिक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। किन्तु अपनी वर्तमान पद्धति में परिवर्तन की मांग करना सही नहीं है। हमें इस सम्बन्ध में आगे अध्ययन करना चाहिए, इस बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु वर्तमान प्रणाली के उत्तर चढ़ावों के बावजूद बनी रहेगी। यह प्रणाली समय के साथ सफल सिद्ध हुई है और मेरे विचार से इसमें ऐसा कुछ नहीं जिसके कारण हम यह सोचने को बाध्य हों कि, इसमें परिवर्तन किया जाए।

और भी दो मुद्दे हैं जिनके सम्बन्ध में बेबुनियाद आलोचना की गई है जो मेरी तथा कथित गोपनीयता के कारण अथवा माननीय सदस्यों को मिलने वाले अन्य समाचारों के आधार पर की गई है।

मैं सभा को 'अर्जुन' के बारे में - महाभारत का अर्जुन नहीं, बताना चाहता हूं। इसका भी एक इतिहास है। मेरे विचार से माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में अपनी राय कायम करने से पहले जानना चाहिए।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन् (बड़ागरा) : यह चेतक है अथवा अर्जुन है?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह अर्जुन है। चेतक तो एक पूरा समुच्चय है। हमें हर चीज को चेतक कहने की आवश्यकता नहीं है। एक हेलीकोप्टर का यह नाम पहले ही है। यह पूरा समुच्चय है।

प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के पश्चात इस टैंक विशेष का नामकरण किया गया था। हम अन्य प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं कर सके।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन् : हम यही बात पूछना चाहते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसे 'चेतक' कहने का विचार नहीं था। पूरी परियोजना को चेतक नाप दिया गया है। इसलिए यह चेतक नाम लिखकर टैंक दिया लगता है। बात ऐसी नहीं है। इस टैंक को अलग नाम देने की आरम्भ से ही इच्छा थी। दो अथवा तीन नामों पर विचार किया गया और अन्ततः अर्जुन नाम रख दिया गया। यह छोटी सी बात है।

15.5 करोड रुपये लागत के 'ए. बी. टी.' के 1974 में स्वीकृत किया गया था। इस सम्बन्ध में यह बात महत्वपूर्ण है कि मूल कार्यक्रम के अन्तर्गत आयातित इंजिन का उपयोग किया जाना था। दुर्भाग्य से, उस समय कोई इंजिन उपलब्ध नहीं था।

इस बारे में मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि हमने टैंक में अपना इंजिन लगाना व्यवहार्य क्यों नहीं समझा। इसका बड़ा सीधा-सा कारण था एक नये टैंक का विकास करने में दस वर्ष लगते हैं। किन्तु इंजिन में 25 वर्ष लग जाते हैं। इसके इलावा विश्व में ऐसे आकार-प्रकार का इंजिन कहीं नहीं था और थोड़े से आरम्भिक से 20 वर्षों से भी कम समय लगा कर इसका विकास कर लिया हो। और हम बिल्कुल थोड़े से ज्ञान से आरम्भ कर रहे थे। हमें इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। जैसाकि मैंने बताया है कि हमें इस इंजिन के लिए न तो कहीं से प्रौद्योगिकी मिल रही थी और न ही इंजिन मिल रहा था।

अतः जहां से भी यह इंजिन उपलब्ध हो सका, हमने ले लिया। यह एक अलग कहानी है। यह एक अलग तरह का इंजिन चाहिये था जिसकी विशिष्टयां भी अलग थीं। अब हमें ऐसा इंजिन चाहिए था, वह मिल नहीं रहा था। अतः यह बात हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती थी। टैंक तो मिल रहा था किन्तु इंजिन नहीं था। टैंक 1974 में आरम्भ किया गया और परिकल्पना के अनुसार उसका पहला नमूना, 1983 में तैयार हो गया किन्तु इंजिन नहीं बन सका अतः आप क्या करते ? क्या आप अनिश्चितकाल तक प्रतीक्षा करते रहते क्या आप टैंक का परीक्षण नहीं करना चाहते थे ? इसलिए आरम्भ से इस तथ्य को ध्यान में रखते

हुए कि टैंक और इंजिन को एक समय में पूरा नहीं किया जा सकता, यह निर्णय लिया गया कि 'हम टैंक का निर्माण तो करेंगे किन्तु इसका परीक्षण विदेशी इंजिन लगाकर किया जाएगा।"

उस समय अनेक विदेशी इंजिन उपलब्ध थे...

श्री अमल दत्त : क्या हमें 'गीरियर बाक्स', सस्पेंशन गन 'कंट्रोल' का आयात करना होगा ?

(व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आपको जहां जो मिलता है, उसे ले लो। बात यह है कि इन्जिन उपलब्ध नहीं था...

श्री अमल दत्त : आपको हमें यह सभी ब्यौरा देना चाहिए।...

(व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम आपको सभी ब्यौरा देंगे।

आपको जो सूचना चाहिए, मैं आपको दूंगा। मेरे पास जो सूचना है, मैं वह आपको दूंगा। यदि मेरे पास वह सूचना उपलब्ध नहीं होगी, मैं वह आपको वह सूचना बाद में दे दूंगा। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जब आप इसे आवड़ी में देखने जाएंगे तो मैं किसी के जिम्मे यह काम लगा दूंगा कि आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाए।

1980 में जब हमने वैज्ञानिकों ने इंजिन निर्माण की भी पेशकश की थी। यह हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक चुनोती थी। उन्होंने 1980 में इस पर कार्य आरम्भ किया है, कोई 20, अथवा 15 वर्ष पहले नहीं, 12 वर्ष पहले नहीं बल्कि 1980 में केवल पांच वर्ष पहले इस कार्य को आरम्भ किया गया। इंजिन में लगभग 1500 हार्स पावर होगी। आप इंजिन की विशिष्टियों को देखिए। यह इंन्जिन 1500 हार्स पावर का होगा। यदि यह 600 हा० पा० का होता तो इसका निर्माण सुगम होता ; यदि यह 700 हा. पा. का होता तो इसे आसानी से बनाया जा सकता था। किन्तु यह 1500 हा. पा. का है, इतने अधिक हार्स पावर का इंजिन क्यों बनाया जा रहा है। बच्चों कि हम इंजिन बध टैंक को 1995, 1960 2000 तक प्रयोग में लाना चाहते हैं।

श्री अमल दत्त : मूल रूप से यह आठवें दशक का एम. बी. टी. था।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं यही बात कहना चाहता हूं। ज्यों-ज्यों कार्य होता गया, हमने विशिष्टयों में परिवर्तन कर दिया। हम जानते थे कि हम अगले पांच वर्षों तक एक अन्य टैंक विकसित नहीं कर सकेंगे। अत: इसमें मजाक की कोई बात नहीं है। यह बड़ा गम्भीर मामला है। 1999 के लिए बल्कि यों कहिए वर्ष 2000 तक के लिए मेरी योजना है। विश्व में इस प्रकार का दूसरा कोई टैंक नहीं है। अधिक से अधिक एक या दो देशों के पास

होगा। बहुत कम देशों ने ऐसे टैंकों का निर्माण किया है। मैं इसका निर्माण करना चाहता हूं अब मैं इसका निर्माण करने की स्थिति में हूं।

अब मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं मैं टरबो चार्जर द्वारा डीजल से 5.00 अरब शक्ति प्राप्त करने की बात पर आता हूं। यह ज्ञात है कि इससे 2-से 3 गुण शक्ति पैदा होती है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है। मैं बंगलौर में जी. टी. आर. ई. में टरबो-चार्जर का विकास करा रहा हूं। मैंने इसको देखा है। मैंने टैंक को देखा है। मैंने टरबो-चार्जर को भी देखा है। परन्तु समस्या यह है कि हम वास्तव में उतनी तेजी से नहीं चल सकते जितनी तेजी से हमारे सांसद हमें चलाना चाहते हैं क्योंकि इस टरबो चार्जर का 10,000 घण्टे तक परीक्षण किया जाता है। मैं इस कठिनाई को हल करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जब मैं बंगलौर स्थित जी. टी. आर. ई. में टरबो-चार्जर को देखने के लिए गया तो मैंने इसको कार्य करते हुए देखना चाहा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि यह चालू नहीं हो सका, क्योंकि उस समय वहां बिजली नहीं थी। अतः मुझे इसको अन्धेरे में ही देखना पड़ा। मैं इसके कार्य की दोबारा देखूंगा अतः आप समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में उसका विकास किया जा रहा है। यह सुनकर किसी को दुख हो सकता है उठा है कि हम इतना लम्बा समय ले रहे हैं। इंजन पांच वर्ष में विकसित किया है। हम अगले दो या तीन वर्षों तक इसे टैंक से नहीं जोड़ सकते ; ध्यान रहे 10,000 घण्टों तक या दो-तीन वर्षों से पहले हम इसे तब तक टैंक से नहीं जोड सकते, जब तक कि हमें पूर्ण विश्वास न हो जाए कि टरबो चार्जर अच्छी तरह से काम करता है तथा अच्छी तरह जोड़ा जा सकता है। यह ऐसी चीज है जो अगले 25 वर्ष तक कायम रहेगी। मैं क्वालिटी के सम्बन्ध में कोई खतरा नहीं उठा सकता मैं इसे स्पष्ट कर सकता हूं। चाहे देरी के बारे कैसी भी आलोचना हो मैं क्वालिटी सम्बन्धी कोई खतरा नहीं उठाऊंगा। एम. बी. टी. की यही स्थिति है। टरबो चार्जर शक्ति को दो या तीन गुणा बढ़ा देता है। इतनी अश्व शक्ति का कोई भी डीजल इंजन एक टरबो-चार्जर के बिना काम नहीं कर सकता। इसके साथ हमारे टरबो चार्जर गैस टरबो-चार्जर गैस टरबाइन रिसर्च एण्ड डैवलपमेंट एस्टेबलिसमेंट, बंगलौर में भी विकसित किया जा रहा है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई. सी. ए. इंजन का भी निर्माण किया जा रहा है तथा अभी इसका परीक्षण किया जा रहा है। एक प्रोटो-टाइप का पहले ही निर्माण किया जा चुका है। मुझे बताया गया कि एक अन्य प्रोटो-टाइप के निर्माण में उनसे कोई गलती हो गई और यह पूर्णतया नष्ट हो गया। इसलिए एक तीसरे का निर्माण किया जा रहा है। मैं यह सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक अनुसंधान और विकास प्रक्रिया में यह स्वभाविक क्रम है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : क्या आप राल्स रायस इंजन खरीद रहे हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : नहीं।

यहां भी हमें उसी समस्या का सामना करना पड़ता है। आप विमान के ढांचे का निर्माण करते हैं। आप एल. सी. ए. का प्रत्येक भाग बना लेते हैं परन्तु आपके पास इसका

इंजन नहीं होता। आपको इसे किसी न किसी इंजन पर टैस्ट करना पड़ेगा। उस टैस्ट के लिए रोल्स रायस का चुनाव किया गया है। यह मात्र इंजन के परीक्षण के उद्देश्य के लिए है क्योंकि आपको बहुत सारी और भी चीजों का परीक्षण करना पड़ता है। एम० बी० टी० में भी हमें लगभग 6, 7, 8 अथवा 20 प्रोटो-टाइपों का उत्पादन कर रहे हैं और सभी 20 को अलग अलग 20 परीक्षणों से गुजारा जाएगा। तीन वहां पहले से ही विद्यमान हैं। अगले सप्ताह चौथा भी तैयार हो जाएगा तथा इस वर्ष के अंत तक 2 या तीन और बन जाएंगे। और ये सभी सजावट की वस्तु नहीं होंगे।

इनमें से प्रत्येक को अलग अलग एजेंसियों द्वारा अलग-अलग परिस्थितियों में टैस्ट किया जाएगा दूसरे को किसी पहाड़ी इलाके में तथा तीसरा किसी अन्य एजेंसी के पास जाएगा। यह परीक्षण एक लम्बे समय तक किया जाएगा। यह अपरिहार्य है और हम इसे पसंद करें अथवा नहीं करें इसकी प्रक्रिया यही रहेगी अन्य कोई सम्भव नहीं।

श्री अमल दत्त : क्या यह अत्यधिक शक्तिशाली टैंक हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह संसार के अत्यधिक शक्तिशाली टैंकों में से होगा। ऐसा संदेह भी व्यक्त किया जा रहा है कि ऐसा टैंक पहले कभी नहीं बना है।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन् : पश्चिम जर्मनी का इंजन क्या केवल प्रयोग के लिए है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जी हां, यह केवल प्रयोग के लिए ही है।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन् : मैं चाहता हूं कि इसे रिकार्ड में शामिल किया जाए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : ऐसा ? इसे रिकार्ड करने में कोई कठिनाई नहीं।

श्री के पी० उन्नी कृष्णन् : मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता था।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अब तो आपको स्पष्ट हो गया है।

विजयंत टैंक और विजयंत टैंक को शक्ति के बारे में कुछ कहा गया है। जैसा कि आप जानते हैं विजयंत टैंक की शक्ति क्षमता को हम दो इंजनों से परीक्षण कर रहे है। एक किर्लोस्कर और दूसरा राल्स रायस। परीक्षण किए जा रहे हैं। हम विजयंत टैंक के लिए एक नया पावर पैक चाहते हैं। मुझे संदेह है कि अभी तक इन परिक्षणों का कोई निश्चित परिणाम नहीं निकला है क्योंकि एक इंजन में कोई कमी पाई गई है तथा दूसरे में कोई और कमी पाई गई है। अतः पुनः परीक्षण के आदेश दिए गए हैं। आशा है, इस महीने के अंत तक अथवा अगले महीने हम यह निश्चय कर सकेंगे कि हम कौन सा खरीदना है। यदि दोनों स्वीकार्य नहीं हुए तो हमें कुछ कठिनाई होगी परन्तु यह देखकर कि क्या एम० टी० यू० जर्मन वास्तव में यह कार्य कर सकता है अथवा नहीं इस कठिनाई को हल करना चाहेंगे।

यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर मैं इस समय कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं कर सकता

परन्तु इस प्रकार की प्रक्रिया में यह स्वभाविक है। मैं यह बात सभी माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हमारी प्रोद्योगिकी ने इस विषय में कहां तक प्रगति की है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं अभी आपको यही बता रहा हूं। जिस सीमा तक आप तकनीक का क्रय कर सकते हैं, वह आप कर चुके हैं। जिस सीमा तक आपको अपनी स्वयं की तकनीक का विकास करना चाहिए वह आप कर रहे हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं। मैं आपको पूरी सच्चाई से बता देना चाहता हूं कि यह कोई लाभ की बात नहीं क्योंकि रक्षा संबंधी मामला कोई लाभ या मामला नहीं पिछले दो-तीन महीनों में मैंने जो देखा है, मैं उससे संतुष्ट हूं कि हमारा डी० आर० डी० ओ० अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसमें कुछ न कुछ सुधार की गुंजाइश तो हो सकती है। क्योंकि संसार में कोई भी पूर्ण नहीं हैं। परन्तु फिर हमें ही यह देखना होगा कि क्या इसमें और सुधार किए जाने की गुंजाइश है। यह एक सतत प्रक्रिया है। परन्तु हमें किन्हीं व्यक्तियों पर लांछन नहीं लगाना चाहिए यदि आपको व्यक्तियों से कोई शिकायत है तो भी मैं उन शिकायतों को सुनने के लिए तैयार हूं। मैं उन शिकायतों की जांच करने के लिए तैयार हूं। मैं एअरोनाटिकल डबलपमेण्ट एजेन्सी अध्यक्ष हूं। मैं समिति का अध्यक्ष हूं और यदि आप समझें कि किसी व्यक्ति के विषय में कोई गलत बात है वहां जो हो रहा है उसमें कोई गलती है तो आप इसे मुझे बताने के लिए स्वतन्त्र हैं ऐसा क्यों ? क्योंकि यह एक पंजीकृत समिति है न कि यह रक्षा उत्पादन विभाग चारों ओर से बहुत सी कठिनाईयों और बहुत-से नियमों में उलझकर कर रह गया है इसलिए मैंने एक समिति बनाई है जो अधिक परिवर्तनशील है इसमें वैज्ञानिक हैं तथा अन्य लोग भी हैं ; इसमें रक्षा सेवाओं की सभी शाखाओं से लोगों को शामिल किया गया है ; इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिससे अनेक पहलुओं पर परामर्श किया जा सकता है। हम समिति के इन सदस्यों की मदद ले सकते हैं।

श्री के० वी० उन्नी कृष्णन् : क्या इसमें कोई ब्रिटिश राष्ट्रीय भी शामिल है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : क्या आप चाहते हैं कि मैं सूची में शामिल सभी लोगों के नाम बताऊं।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन् : मैं नाम जानता हूं परन्तु आप से पूछ रहा हूं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं आपको सभी सदस्यों के नाम बता दूंगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं। अभी मुझे कुछ सूचना मिली है। एअरोनाटिकल डबलपमेण्ट एजेन्सी में कोई ब्रिटिश राष्ट्रिक काम नहीं कर रहा है। यदि आप उसका नाम जानते हैं तो इसका अर्थ है कि जो नाम आपको पता है वह सूची में नहीं है।

अब मैं अनुसंधान और विकास परियोजना के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। लड़ाई में काम आने वाली बन्दूक बहुतायत से निर्मित की जा रही है। सोनार, तारपीडो और अन्य विशेष इलैक्ट्रानिक प्रणाली वाले हथियारों का उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि ये सभी हथियार संसार के किसी भी हथियार के समान बेहतर हथियार हैं तथा लगन और उत्साह से इन हथि-

यारों को बनाने के काम में लगे अपने वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहूंगा। यह बहुत से राष्ट्रों का अनुभव है कि अनुसंधान और विकास कार्यों में लगाया धन देश की औद्योगिक और गुणवत्ता नियंत्रण के प्रति अधिक चेतना उत्पन्न हो जाती है तथा हमारा अनुभव भी इसका कोई अपवाद नहीं है। इस प्रकार हमें रक्षा अनुसंधान और विकास कार्य पर धन खर्च करके और इस विषय में अपने प्रयत्नों के द्वारा राष्ट्रीय क्षेत्र में आधुनिक तकनीक पर आधारित रक्षा प्रणालियों के विकास और रक्षा उत्पादन को तेजी से आगे बढाने में समर्थ होना पडेगा।

भारतीय नौसेना को आधुनिक बनाने के विषय में, जिसमें बहुत से सदस्यों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है, मैं संक्षेप में यह कहना चाहूंगा कि नौसेना बेडे को बहुत ही परिष्कृत और उत्तम जहाजों, वायुयानों और यन्त्रों से लैस करने के प्रयत्न किए गए हैं साथ ही।

यथा सम्भव तीव्र गति से पूर्ण देशीकरण करने की ओर भी ध्यान दिया गया है।

आपको पहले से ही पता है कि हमारे मझगांव डाक ने न केवल गोदावरी और लेण्डर जैसे जल पोतों का ही निर्माण किया है बल्कि पनडुब्बियां भी बनाई हैं, वहां हो रहे काम को देखने के लिए वहां जाना चाहेगा।

मझगांव डाक लिमिटेड में अति उत्तम दर्जे की एस० एस० के० पनडुब्बियां बनाने की सुविधाओं की व्यवस्था करना हमारी एक बहुत ही नाटकीय उपलब्धि है।

यथा सम्भव आधुनिक शस्त्रास्त्र प्लेटफार्म, पर उपलब्ध करा कर तथा अन्य प्रणालियों में भी आधुनिक तकनीक द्वारा नौसेना की क्षमता का विकाश किया जा रहा है। विशेष ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि एकीकृत और संतुलित विकास किया जाये और तटीय देशों द्वारा जो हथियार प्राप्त किये जा रहे हैं, उनकी ओर ध्यान दिया जा रहा है ताकि कोई भी संघर्ष होने की स्थिति में हमारी नौसेना सफलतापूर्वक मुकाबला कर सके।

मैं नहीं समझता कि मैं इससे अधिक स्पष्ट रूप से कह सकता हूं।

महोदय, सायेक्षिक योजना के विषय में कुछ मत व्यक्त किए गए थे। वास्तव में मैंने जो कहा, उसके विपरीत। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि रक्षा सेवा और रक्षा विभाग सायेक्षिक योजना पर कार्य कर रहे हैं। कोई और इस काम को नहीं कर रहा है। वे स्वयं यह कार्य कर रहे हैं। वे निम्नलिखित विषयों पर कार्य कर रहे हैं :—

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों की नीति सम्बधी विकल्पों और प्राद्योगिकीय पूर्वानुमान पर आधारित सैनिक युद्धनीति का विकास करना।

(ख) भविष्य के युद्ध के वातावरण की भविष्य वाणी करना तथा प्रतिद्वंदात्मक, क्रियात्मक और गुणानात्मक सहायता संकल्पना के निर्माण का रास्ता दिखाना।

(ग) संभावित खतरों, युद्ध कला और प्रोद्योगिकीय भविष्य वाणी के परिप्रेक्ष्य में हथियार प्रणाली और बडे-बडे यंत्रों के निर्माण की भावी योजना का निर्माण करना।

(घ) सैनिक प्रशिक्षण और अन्य बुनियादी क्षेत्रों में तुलनात्मक दृष्टि से समानुरूपी योजना तैयार करना।

यह कार्य का ढांचा है जिस पर सायेक्षिक योजना तैयार की जा रही है ।

भविष्य के युद्धों के वातावरण को उप महाद्वीय में आधुनिक हथियार प्रणाली प्रारम्भ करके प्रभावित किया जा सकेगी उन्हें आसान शर्तों पर पश्चिमी स्रोतों से नवीनतम तकनीक के शास्त्र प्राप्त हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास को ध्याग में रखते हुए हमारे शस्त्रास्त्रों के लिए हमारी काफी आवश्यकताएं निम्न-लिखित बातों पर जोर देते हुए अधिक अच्छा युद्धस्थलीय वातावरण बनाने की होगी :—

(क) अधिक मात्रा में मोर्चा बन्दी और गोला-बारुद की व्यवस्था ।

(ख) ऊर्ध्वगामी हमला और थल सेना कि निकट डन्वेल्पमेंट क्षमताएं ।

(ग) टैंक पैदल सेना लडाकू गाडियां तथा सैनिकों और शस्त्रास्त्रों को ले जाने वाली गाडियां टिकाऊ हैं ।

(घ) बेहतर अधिक सुरक्षित और लम्बी दूरी की संचार सुविधाएं जिनमें भविष्य में भी तकनीकी सुधार करने की गुजाइंश हो ।

अत: इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है । में सारी सूची को नहीं पढ़ना चाहूंगा ।

यह एक लम्बी सूची है । परन्तु मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह कि हम सापेक्षिक योजन से क्या अर्थ लेते हैं और उसके तहल क्या-क्या कार्य हो रहा है ।

हम अपने समय से 15-20 वर्ष आगे कि योजना बना रहे हैं । इसका कार्य है कि हम जिस के लिए आज योजना बना रहे हैं उसका कार्यान्वयन और सफल कार्यान्वयन इस सदी के अन्त होगा । हमारी योजना के पीछे यही दृष्टिकोण है, यही विचार है और यही हमारा उद्देश्य है । अब, इससे किसका सम्बन्ध है । वर्तमान में विशेषज्ञ और स्वय इस कार्य से जुडे लोगों का ही इससे सम्बन्ध है । वेस्य यह कार्य कर रहे हैं क्या अन्त वैज्ञानिकों और कुछ अन्य लोगों को भी इससे जुडना पड़ेगा यह एक बिस्तृत मामला है । जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हम इसे बाद में भी ले सकते हैं । अभी तो केवल इसका प्रारम्भ है । इसे थोडा आगे बढ़ने दीजिए उसके बाद हम देखेंगे कि इसने कैसा काम किया है । पिछले दो एक वर्ष में क्या हुआ है उसकी उनसे हम एक अन्तरिम रिपोर्ट ले सकते हैं तथा इसके वाद हम इस पर चर्चा कर सकते हैं । इस विषय में मैं उचित समय पर सदन का विश्वास प्राप्त करने के लिए तैयार हूं ।

अब मैं एन० सी० सी० पर आता हूं । बहस में इसका बार-बार उल्लेख किया गया है । अत: मैं समझता हूं इसके विषय में दो शब्द कहूं । जैसा कि सूचित ही है एन० सी० सी० की स्थापना 1948 में कि गई थी । जब इसकी स्थापना की गई तो इसके उद्देश्य निम्नलिखित थे :—

(क) नेतृत्व, चरित्र और मातृभाव तथा सेवा के आदर्श का विकास

(ख) यथा संभाव्य अधिक से अधिक सीमा तक देश की सुरक्षा में दिलचस्वी बढ़ाना ।

(ग) राष्ट्र में आपत्तिकाल में सशस्त्र बलों के तीव्र विस्तार के लिए सक्षम अधिकारियों का एक आरक्षित दल गठित करना ।

6.00 म० प०

1948 में कुछ बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य रखे गए थे । अब क्या हुआ मैं नहीं जानता क्यों क्यों हुआ शायद डा०जी० एस० महाजन के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की गई । इस समिति ने एन० सी० सी० के उद्देश्यों में भारी परिवर्तन कर दिया में समिति ने एन० सी० सी० के उद्देश्यों में परिवर्तन करने की सिफारिश की जिन्हें 1974 में इस प्रकार संशोधित किया गया;

(क) नेतृत्व, चरित्र, मातृभाव, खिलाडी भावना और सेवा के आदर्श का विकास ;

(ख) अनुशासित और प्रशिक्षित जन शक्ति का निर्माण जो राष्ट्रीय आपत्ति काल में देश की सहायता कर सके ; तथा

(ग) विद्यार्थियों को ऐसा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना जो उसमें अधिकारी के गुणों का विकास कर सके तथा जो उन्हें शास्त्र सेनाओं में कमीशन प्राप्त करने के योग्य बना सके ।

अब क्या हुआ ? इस परिवर्तन का कुल परिणाम यह हुआ कि "यथा सम्भाव्य अधिक से अधिक सीमा तक देश की सुरक्षा में दिलचस्पी बढ़ाना इस" उद्देश्य को हटा दिया गया । अतः उद्देश्य बदल गया ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : इसका पूरी तरह से ह्रास हुआ है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : ठीक है आप इसे ह्रास कह सकते हैं परन्तु मैं इसे परिवर्तन ही कहूंगा । मैं इस सम्बन्ध में तटस्थ हूं । परन्तु अभी हाल में प्रधान मन्त्री ने भी यह निर्णय किया है कि एन० सी० सी० को पर्याप्त मजबूत किया जाए । हम प्रति वर्ष 10,000 कैडेट अतिरिक्त भर्ती कर रहे हैं । स्वभाविक ही है माप देखते हैं कि पिछले 10-12 वर्षों से हमने एक ही रास्ता पकड़ा हुआ है । पुराने रास्ते को रातों-रात बदलना हमारे लिए सम्भव नहीं इससे प्रत्येक व्यक्ति पर अत्याधिक दबाव पड़ेगा ।

परन्तु मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि जो भी कमी या त्रुटि रह गई है उसे धीरे धीरे पूरा कर दिया जायेगा तथा यही निर्णय है । अनुदेश पहले ही दिए जा चुके हैं । महानिदेशक योजना लेकर मेरे पास आएंगे तथा उचित समय पर मैं वह योजना ले कर सदन में आऊंगा तथा उस समय मैं सदस्यों का समर्थन लेना में चाहूंगा । राज्य सरकारों के समर्थन की भी आवश्यकता है । इसीलिए योजना तैयार होने के बाद में निश्चय ही आप के पास आऊंगा ।

एक माननीय सदस्य : आयोग के बारे में क्या हुआ ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यदि हम आयोग बिठाते हैं तो हमें और 5 वर्ष ले लेंगे । बात यह है कि आपके अनुसार कमी रह गई है ? हम निश्चय ही यह पता लगा सकते हैं कि इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है तथा पुरानी महत्वपूर्ण चीजों को कैसे फिर से लाया जा सकता है । परन्तु यदि आपको इस में बहुत सी जटिलतायें लगें तो निश्चय ही हम आयोग या समिति बैठा सकते सकते हैं । इसके बारे में कोई परेशानी नहीं है ।

श्रीमती फूलरेणु गुहा (कन्टई) : क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि क्या लड़कियां एन० सी० सी० में ली जाएंगी तथा लड़कों और लड़कियों में क्या अनुपात होगा ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : एन० सी० सी० में बहुत ही योग्य लड़के तथा प्रतिभाशाली लड़कियां हैं।

महोदय, अब मैं भूतपूर्व सैनिकों पर आता हूं। फिर सदन में विषय पर काफी देर तक चर्चा हो चुकी है तथा सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है मैं सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि फिर, यह ऐसा मामला है जिसमें हम विशेष रुचि ले रहे हैं। यह सच है कि हमारे बहुत से जवान 35 या 36 या 40 वर्ष से कम की उम्र में सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। अब प्रश्न है। यदि आप मुझे उन्हें 58 या 60 वर्ष तक रखने को कहें... (**व्यवधान**) जो सुझाव दिए गए मैं उनमें से यह भी एक सुझाव है।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : मैंने यह सुझाव नहीं दिया।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आपने यह सुझाव नहीं दिया। किसी और ने यह दिया था इसीलिए सबसे आसान प्रश्न का मैं सबसे पहले जवाब दे रहा हूं।

श्री अजय मुशरान : सुझाव यह था कि उनकी सेवा समाप्त होने के बाद कोई ऐसी प्रणाली होनी चाहिए कि वे स्वतः ही केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों तथा अर्द्ध सैन्य बलों में स्वयं ही किए जाएं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अब, जैसा कि मैंने अभी कहा है, उनकी सेवा में जारी रखने की मांग है। यद्यपि इसी आधार पर एक सुझाव दिया गया था, यह हम सभी ने स्वीकार किया है कि ऐसा नहीं किया जा सकता वे 58 वर्ष तक सेवा में नहीं रह सकते। क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं बात यह है कि 35 या 36 वर्ष के बाद 40 वर्ष से हम उम्र के बाद उनका क्या किया जाए ?

श्री० मधु दण्डवते (राजापुर) : 58 वर्ष के लोगों को जवान नहीं कहा जा सकता।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हां। महोदय, अब मैं सदन को इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को शीघ्र लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री पराशर तथा अन्य सदस्यों द्वारा एक अति महत्वपूर्ण सिफारिश यह की गई कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक वित्त निगम स्थापित किया जाएं। अब मुझे यह पूरा विश्वास नहीं है कि सिफारिश करते समय समिति इसकी व्यवहारिकता के बारे में पूर्ण सहमत थी। परन्तु खैर जैसा भी है मैं इसे अस्वीकार नहीं कर रही मैं इस की जांच कराऊंगा तथा यदि कोई सम्भावना है तो भूतपूर्व सैनिकों को खुद बिना परेशानी के बाद यदि ऐसा हो सका, यदि यह लाभकारी सिद्ध हुआ, तो हम निश्चय ही उस आधार पर कार्रवाही करेंगे जैसा कि विचार 68 तथा अन्य सिफारिशों के बारे में जो कि उन्होंने की हैं उन सभी पर विचार किया जा रहा है तथा मैं इसमें व्यक्तिगत रुची ले रहा हूं। परन्तु, जैसा कि श्री पराशर ने कहा है कि यह सब एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है बहुत हद तक इसमें राज्य सरकारों का काम है जब हम राज्य सरकारों के ये तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए हमने राज्य स्तर पर क्या किया है, मैं जानता हूं,

तथा भूतपूर्व सैनिकों को प्रतियोगी दावों से बचाने के लिए हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ी। यदि एक भूतपूर्व सैनिक को एक भूमि का टुकड़ा दिया जाता था तो 20 अन्य वर्गों के लोग आकर कहते थे कि कानून तथा नियमों की दृष्टि से हमारा अधिकार अधिक है, इसीलिए यह उसे नहीं मिलनी चाहिए" भूतपूर्व सैनिकों को वह वस्तु देने के लिए जिसका वह अधिकारी है, राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार की संरक्षणवादी कार्रवाई की आवश्यकता है। इसीलिए हमें यही कुछ करना है।

यदि आवश्यक हुआ तो मैं राज्य स्तर पर सम्बन्धित मन्त्रियों की बैठक बुलाना चाहूंगा तथा जिस आधार पर भी सम्भव हुआ मैं कार्यवाई करूंगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि यह बात मेरे दिमाग में प्रमुख रूप से है।

प्रो० मधु दंडवते : केवल एक बात है। जब भी इस वरीयता तथा प्राथमिकता की प्रथा आती है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कभी भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दावा किया जाए तो यह दे दिया जाना चाहिए। परन्तु प्रायः ऐसा हो रहा है कि प्रमुख प्राधिकारी विभिन्न सभाओं में जाते हैं तथा जब वे भूतपूर्व सैनिकों के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जब वे भूमिहीन श्रमिकों के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए तथा जब वे हरिजनों के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि हरिजनों प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक बार फैसला कर लीजिए कि इन प्राथमिकताओं में प्राथमिक कौन सी है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यही हमने राज्य सरकारों को बताया है क्योंकि यह राजनीतियों का विशेष अधिकार है। ये किसी भी मंच में उस मंच की आवश्यकता के अनुसार बोल देते हैं।

महोदय, एक चीज हमने देखी है तथा इस पर मैं माननीय सदस्यों की राय जानना चाहूंगा। यह हमारा अनुभव रहा है कि जब भी हम उठाया 37 वर्ष की उम्र के भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल या सीमा-सुरक्षा बल या अन्य किसी अर्ध सैन्य बलों में रोजगार के लिए कहते हैं तो बहुत कम लोग इच्छुक होते हैं। वह अपने गांव के नजदीक या यदि सम्भव हो तो, वह अपने ही गांव में नौकरी चाहता है।

यदि उसके पास कोई भूमि का टुकड़ा है तो वह वहीं जाना पसन्द करेगा तथा वहीं पर रहना पसन्द करेगा। तो इसके कारण वे बहुत कम इच्छुक हैं। यदि आप इसको स्वतः भी कर दें तो मुझे विश्वास नहीं है कि वे इसके प्रति अधिक इच्छुक होंगे। हमें इस पर विचार करना होगा। माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को हम अवश्य ही मानेंगे। हमने यह करके देख लिया है। जब मैं गृह मन्त्री था हमने इसे पिछले वर्ष करके देख लिया। हमने देखा है कि प्रतिक्रिया बहुत कम रही। इसीलिए हमें यह पता लगाना होगा कि इसके कारण क्या हैं तथा किन अन्य तरीकों से हम उनकी सहायता कर सकते हैं। मैं संक्षिप्त में यह कहना चाहता हूं कि मैं हर सम्भव तरीकों से उनकी मदद करना चाहता हूं। परन्तु उनकी संख्या बहुत अधिक है। इस समस्या की गम्भीरता को हमें नहीं भूलना चाहिए—हर वर्ष 60,000 लोग सेवा से निवृत होते हैं। 60,000 की संख्या है।

सभापति महोदय : माननीय मन्त्री कितना और अधिक समय लेना चाहेंगे ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं समझता हूं कि यह सदस्यों की सहनशक्ति को देखकर कम या अधिक किया जा सकता है मैं अगले पांच मिनट में समाप्त कर सकता हूं।

(व्यवधान)

मेरे विचार से मैं सभी तथ्यों पर बोल चुका हूं। मेरे विचार से केवल एक मुद्दा और रह गया जिस पर मुझे बोलना चाहिए तथा जिसे थोड़ा सा विस्तार से बताने की आवश्यकता है, तथा वह है पेंशन के बारे में तथा रक्षा लेखा परिक्षा कार्यालय में जो भी कुछ किया जाता है।

मैं जो भी सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि हाल ही में कल आज अर्थात पिछले दो, तीन, दिन से हमारे यहां रक्षा लेखा परिक्षा अधिकारियों का सम्मेलन चल रहा रहा है। मैं, इन सदनों को अधिकारों द्वारा दी गई कुछ सिफारिशों के बारे में बताना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि ये अच्छी सिफारिशें तथा हम उन्हें स्वीकार करने जा रहे हैं।

वर्तमान स्थिति यह है कि हर वर्ष लगभग एक लाख पेंशन प्राप्त करने श्रेणी की में आ जाते हैं इन पेंशनरों को विभिन्न प्रकार से पेंशन दी जाती है। उन्हें राज्य सरकारों के खजाने से भुगतान किया जाता है राज्य सरकारों के खजाने से जिन को भुगतान किया जाता है, उसकी संख्या 6.7 लाख है अर्थात लगभग 7 लाख हैं। लगभग 4.2 लाख को रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय भुगतान करते हैं, लगभग 2.4 लाख को बैंक करते हैं तथा लगभग 1.7 लाख या 2 लाख को डाकघर करते हैं। इसलिए अलग-अलग ऐजेन्सिया यह भुगतान कर रही हैं।

मैं इसके बारे में इन अधिकारियों से चर्चा कर रहा हूं। वे इस बात से सहमत हैं कि यह सम्भव होना चाहिए कि हमने जो इतने अधिक बैंक खोले हैं पेंशन के भुगतान का काम उन्हें तथा डाकघरों को सौंपा जाना चाहिए। परन्तु मुझे बताया गया है कि यह भुगतान करने के लिए डाकघर हमसे लगभग 2.5 करोड़ रुपए लेते हैं तथा वे 3 महीने में एक बार भुगतान करते हैं इसीलिए मैं अपने साथी संचार मन्त्री को बात करके राजी करुंगा कि डाकघरों का इस्तेमाल किया जाए अधिकाधिक तौर पर हम डाकघरों का इस्तेमान करें, क्योंकि इस देश में लभग 5 लाख डाकघर हैं। इसमें कोई औचित्य नहीं है कि इसका केन्द्रीयकरण किया जाए पेंशन लेने पेंशनर 20, 25 या 30 मील क्यों जाएं वे कोने-कोने में क्यों भटकें तथा ये सब परेशानियां क्यों उठाएं। अत: हम इससे सुधार करने जा रहे हैं।

इलाहाबाद में जहां आपका यह कार्यालय है, मुझे बताया गया है कि इन लोगों की व्यक्तिगत फाइलो का ढेर लगा है, तथा उस बड़े ढेर से कोई भी फाइल ढूंढना एक कठिन कार्य है। (व्यवधान)। इस सबके लिए मैं हमने अब संगणक का प्रयोग करने का फैसला किया है। वहां हमें इन बड़ी फाईलों में से एक भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा फाइल नष्ट करने का हमारे पास वही एक प्राचीन तरीका है। हममें वे लोगों जिन्होंने राज्य सरकारों में काम किया है, शायद जानते हैं कि फाइलें नष्ट करने का एक तरीका है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि जितनी फाईलें पहले थीं उतनी ही फाइलों को क्यों बरकरार रखा गया है। हर फाइल एक कागज के रूप में बदली जा सकती है। संगणक देने के बाद उन्होंने यही करना

है। कुछ दिए जा चुके हैं मैं समझता हूं कि अभी तक यह उचित नहीं पाया गया है, क्योंकि जब भी इसे लागू करने का प्रयास किया गया है कुछ सांसदों ने इसमें बाधा उत्पन्न की है।

(व्यवधान)

मेरी माननीय सदस्यों से अपील है यह पेंशनरों के हित में किया जा रहा है। हम किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं कर रहे हैं। छंटनी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, किसी छंटनी का कोई खतरा नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : जब कभी हम कोई सुझाव भेजते हैं उन्हें आप हमेशा फाइल कर देते हैं। इसीलिए फाइलें भारी हो जाती हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : कारण कोई भी हो नतीजा यही होता है। इसीलिए, मैं कह रहा हूं कि यह सुधार बड़े रूप में किया जाना है तथा मुझे आशा है कि ऐसा करने के बाद अधिक शिकायतें नहीं रहेंगी।

भविष्य निधि भुगतान के बारे में भी यही बात है तथा वह कार्यालय मेरठ में है। उस कार्यालय में भी हमें सुधार करना होगा। उन बातों पर हम उचित निर्णय ले रहे हैं। इसीलिए मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि इन सभी पहलुओं पर हम ध्यान दे रहे हैं तथा जो भी सम्भव होगा हम करेंगे।

एक माननीय सदस्य : पेंशन को डाक द्वारा भेजने की भी प्रक्रिया हो सकती है। उसके बारे में भी विचार किया जा सकता है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : डाक द्वारा भुगतान करने में डाकघरों को कुछ दिक्कत है। वे इसका भुगतान नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

बात यह नहीं है कि उन्हें बुलाना है। बात यह है कि उन्हें उस स्थान पर पेंशन देनी है जो उनके घर के अधिक समीप हो या उनके ही गांव में, यदि सम्भव हो सकेगा। यही लक्ष्य है तथा इसकी पूर्ति के लिए हम इसी ओर चल रहे हैं मैं माननीय सदस्यों को उनकी धैर्यता के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन् (बडागरा) : अपने जवाब में जिन सदस्यों के प्रश्नों का आपने जवाब नहीं दिया है क्या आप उन्हें अलग अलग पत्र लिखेंगे ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं समझता हूं कि यह मेरी परंपरा रही है। यदि महत्वपूर्ण मुद्दा मुझसे छूट जाता है तो उस मुद्दे का मैं उस सदस्य को जवाब लिख कर भेज देता हूं। मैं ऐसा करता हूं

सभापति महोदय : अब मैं रक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों की संख्या में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई रक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 18 से 23 के सम्बन्ध में 31 मार्च 1986 समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान

होने वाले खर्चों को पूरा करने लिए आवश्यक धनराशि को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 मे दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित वर्ष 1985-86 के लिए अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का	25 मार्च 1985 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
	रक्षा मन्त्रालय	राजस्व (रुपए)	पूंजी (रुपए)	राजस्व (रुपए)	पूंजी (रुपए
18.	रक्षा मन्त्रालय	79,48,33,000	26,91,87,000	3,97,41,66000	1,34,59,35,000
19.	रक्षा-पेंशन	84,74,79,000	—	4,23,73,96,000	—
20.	रक्षा सेवा-सेना	7,97,84,70,000	—	39,89,23,55,000	—
21.	रक्षा सेवा-नौ सेना	1,00,32,50,000	—	5,01,62,50,000	—
22.	रक्षा सेवा-वायु सेना	2,88,32,23,000	—	14,41,61,17,000	—
23.	रक्षा से सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	—	1,54,25,33,000	—	7,71,26,67,000

सभापति महोदय :सभा अब कल 11 बजे म. पू. तक के लिए स्थगित होती है।

6.17 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 26 अप्रैल 1985/6 वैशाख 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।